# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

रिपोर्ट 15.07.2014 को राज्य सदन के पटल पर रखी गई है

## सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन

**बिहार सरकार**

*वर्ष 2014 का प्रतिवेदन सं0 - 1*

# विषय–सूची


| विवरण | संदर्भ | |
|---|---|---|
| | कंडिका | पृष्ठ |
| **प्रस्तावना** | - | vii |
| **विहंगावलोकन** | - | ix-xvi |
| **अध्याय–I** | | |
| **राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन** | **1** | |
| परिचय | 1.1-1.3 | 1 |
| लेखापरीक्षा अधिदेश | 1.4-1.6 | 1-2 |
| राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश | 1.7-1.9 | 2-3 |
| बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/ अर्थसाहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण | 1.10-1.11 | 3-5 |
| वित्तीय लेखों के साथ समाशोधन | 1.12-1.13 | 5 |
| सा0क्षे0उ0 का कार्य–निष्पादन | 1.14-1.18 | 5-6 |
| लेखाओं के अंतिमीकरण के बकाये | 1.19-1.24 | 6-7 |
| अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन | 1.25-1.27 | 8 |
| लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा | 1.28-1.33 | 8-11 |
| लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली | 1.34 | 11 |
| पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति | 1.35 | 11-12 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना | 1.36 | 12 |
| **अध्याय–II** | | |
| **सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा** | **2** | |
| **बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की वित्त एवं वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ** | **2.1** | |
| कार्यकारी सारांश | | 13-14 |
| परिचय | 2.1.1 | 15-16 |
| लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्य-प्रणाली | 2.1.2 | 16 |
| लेखापरीक्षा उद्देश्य | 2.1.3 | 16-17 |
| लेखापरीक्षा मानदण्ड | 2.1.4 | 17 |
| लेखापरीक्षा परिणाम | 2.1.5 | 17 |

| विवरण | संदर्भ | |
|---|---|---|
| | कंडिका | पृष्ठ |
| योजना | 2.1.6-2.1.7 | 17-18 |
| कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन | 2.1.8-2.1.9 | 18-20 |
| कम्पनी की ऋण देने तथा वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ | 2.1.10-2.1.14 | 21-26 |
| छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता | 2.1.15-2.1.16 | 26-27 |
| मानव–शक्ति | 2.1.17 | 28 |
| आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली | 2.1.18-2.1.19 | 28-29 |
| निष्कर्ष | | 29-30 |
| अनुशंसाएँ | | 30 |
| **बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड की वित्त एवं वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ** | **2.2** | |
| कार्यकारी सारांश | | 31-32 |
| परिचय | 2.2.1 | 33-34 |
| लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्य-प्रणाली | 2.2.2 | 34 |
| लेखापरीक्षा उद्देश्य | 2.2.3 | 34 |
| लेखापरीक्षा मानदण्ड | 2.2.4 | 34-35 |
| लेखापरीक्षा परिणाम | 2.2.5 | 35 |
| योजना | 2.2.6-2.2.7 | 35-36 |
| कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन | 2.2.8 | 36-38 |
| कम्पनी के ऋण देने तथा वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ | 2.2.9-2.2.13 | 38-42 |
| छात्रवृत्ति, कोचिंग तथा कौशल विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता | 2.2.14-2.2.19 | 42-48 |
| मानव–शक्ति | 2.2.20 | 48 |
| आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली | 2.2.21-2.2.22 | 48-49 |
| निष्कर्ष | | 49-50 |
| अनुशंसाएँ | | 50 |
| **अध्याय–III** | | |
| **सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा** | | |
| **बिहार राज्य भण्डारण निगम की भण्डारण गतिविधियाँ** | **3** | |
| कार्यकारी सारांश | | 51-53 |
| परिचय | 3.1 | 53 |
| लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति | 3.2 | 53-54 |

| विवरण | संदर्भ | |
|---|---|---|
| | कंडिका | पृष्ठ |
| लेखापरीक्षा उद्देश्य | 3.3 | 54 |
| लेखापरीक्षा मानदण्ड | 3.4 | 55 |
| लेखापरीक्षा परिणाम | 3.5 | 55 |
| भण्डारण संचालन | 3.6-3.7 | 55-57 |
| भण्डारण गतिविधियों में त्रुटियाँ | 3.8-3.15 | 57-61 |
| त्रुटिपूर्ण संरक्षणात्मक कार्रवाई | 3.16 | 61-62 |
| टैरिफ एवं विपत्रीकरण | 3.17-3.20 | 62-63 |
| गोदामों का निर्माण | 3.21-3.23 | 63-65 |
| प्राईवेट एन्ट्रेप्रीन्यूर्स गारण्टी (पी0ई0जी0)– 2008 योजना का कार्यान्वयन | 3.24 | 65 |
| वित्तीय प्रबन्धन | 3.25-3.28 | 65-67 |
| मानव–शक्ति नियोजन में त्रुटियाँ | 3.29 | 68 |
| आन्तरिक नियन्त्रण | 3.30-3.31 | 68-70 |
| निष्कर्ष | | 70 |
| अनुशंसाएँ | | 70 |
| **अध्याय–IV** | | |
| **कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण** | | |
| **सरकारी कम्पनियाँ** | | |
| **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड** | | |
| उपभोक्ता को अनुचित लाभ एवं राजस्व की हानि | 4.1 | 71-72 |
| उपभोक्ता वर्ग का परिवर्तन नहीं करने से राजस्व की हानि | 4.2 | 72-73 |
| **बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड** | | |
| ट्रान्सफॉर्मर ऑयल के क्रय में परिहार्य व्यय | 4.3 | 73-74 |
| ऊर्जा शक्ति के क्रय में अनियमितताएँ | 4.4 | 74-76 |

| विवरण | | संदर्भ | |
|---|---|---|---|
| | | कंडिका | पृष्ठ |
| **नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड** | | | |
| ब्याज की हानि | | 4.5 | 77-78 |
| **बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड** | | | |
| मुख्यमंत्री राहत कोष में अनियमित अंशदान | | 4.6 | 78-79 |
| **बिहार राज्य जल विद्युत-शक्ति निगम लिमिटेड** | | | |
| लेबर सेस के कटौती नहीं करने से अनुचित दायित्व का सृजन | | 4.7 | 79-80 |
| परिहार्य व्यय | | 4.8 | 81-82 |
| निरर्थक व्यय | | 4.9 | 83-84 |
| समुचित ऊर्जा–शक्ति परित्याग प्रणाली के अभाव के फलस्वरूप ऊर्जा–शक्ति उत्पादन हानि | | 4.10 | 85-86 |
| **बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम (प्राइवेट) लिमिटेड एवं बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड** | | | |
| ब्याज का परिहार्य भुगतान | | 4.11 | 86-88 |
| **सामान्य** | | | |
| निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया | | 4.12 | 88-89 |
| **परिशिष्ट** | | | |
| 1 | 31 मार्च 2013 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संदर्भ में अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋणों एवं मानव–शक्ति को दर्शानेवाली विवरणी | 1.7 | 91-99 |
| 2 | वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंश पूँजी/ऋण, प्राप्त/प्राप्त होने योग्य अनुदान एवं अर्थसाहाय्य, प्राप्त प्रतिभूतियाँ, बकाए का अधित्याग, ऋण जिसे बट्टे खाते में डाला गया एवं वर्ष के दौरान अंश में परिवर्तित किया गया ऋण एवं मार्च 2013 के अंत तक प्रतिभूति देयताओं को दर्शाने वाली विवरणी | 1.10 | 101-103 |

| विवरण | | संदर्भ | |
|---|---|---|---|
| | | कंडिका | पृष्ठ |
| 3 | सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष हेतु अन्तिमीकृत किए गए लेखाओं का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम | 1.14,1.29 एवं 1.33 | 104-112 |
| 4 | सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी | 1.14 | 113-114 |
| 5 | सांविधिक निगमों की कार्यकारी परिणामों की विवरणी | 1.14 | 115-116 |
| 6 | सा0क्षे0उ0 जिनके लेखे बकाये में हैं, में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को दर्शाने वाली विवरणी | 1.22 | 117-119 |
| 7 | गोदामों के निर्माण का विवरण एवं उनकी पूर्णता की स्थिति को दर्शाती विवरणी | 3.22 | 120-121 |
| 8 | पी0ई0जी0–2008 के अंतर्गत अनुमोदित केन्द्रों के विवरण, उनकी क्षमता एवं कार्य पूर्णता की स्थिति को दर्शाती विवरणी | 3.24 | 122 |
| 9 | विभाग–वार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी | 4.12 | 123 |
| 10 | विभाग–वार प्रारूप कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जिनके उत्तर अप्राप्त हैं, को दर्शाती विवरणी | 4.12 | 124 |

# प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन यथा समय–समय पर संशोधित भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19–क के अधीन सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बन्ध रखता है। विभागों द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों का लेखापरीक्षा परिणाम पृथक् रूप से प्रस्तुत किया गया है।

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) के द्वारा की जाती है। राज्य की सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सम्बन्धित विधानों द्वारा अधिशासित होती है।

3. इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2012–13 के दौरान लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये, साथ–साथ वे जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलत नहीं किये जा सके। 2012–13 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले भी, जहाँ आवश्यक समझे गए, सम्मिलित कर लिए गये हैं।

4. इस प्रतिवेदन में सन्निहित सामग्रियों के मामले में लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप संचालित की गई है।

# विहंगावलोकन

# 1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 के द्वारा भी की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से शासित होती है। 31 मार्च 2013, तक बिहार राज्य में 31 कार्यशील (28 कम्पनियाँ तथा तीन सांविधिक निगम) एवं 40 अकार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों (सभी कम्पनियाँ) थे जिनमें 0.16 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य कार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों ने ₹ 4857.63 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। 30 सितम्बर 2013 तक अपनी अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार सा0क्षे0 उपक्रमों की कुल हानि ₹ 1109.82 करोड़ थी।

## सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2013 तक, 71 सा0क्षे0 उपक्रमों में ₹ 8321.80 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था । वर्ष 2012–13 में कुल निवेश का 66.88 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र में था। वर्ष 2012–13 में, सरकार ने ₹ 5094.08 करोड़ पूँजी, ऋण और अनुदान/साहाय्य के लिए दिये।

## सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

अद्यतन अन्तिमीकृत किए गए लेखों के अनुसार, 31 कार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों में से 15 सा0क्षे0 उपक्रमों ने ₹ 135.74 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा 10 सा0क्षे0 उपक्रमों को ₹ 1222.18 करोड़ की हानि हुई। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड ( ₹ 37.36 करोड़) एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड( ₹ 24.15 करोड़) एवं बिहार राज्य विवरेज डेवलपमेन्ट (₹ 12.42 करोड़) मुख्य थे। अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार अप्रैल 2012 से अक्टूबर 2012 की अवधि हेतु निर्वतमान बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने अधिक हानि (₹ 1087.63 करोड़) वहन किया था।

लेखापरीक्षा द्वारा सा0क्षे0 उपक्रमों के कार्यकलापों में कई त्रुटियाँ पायी गयीं। सी0ए0जी0 की अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य कार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों ने, उनके वित्तीय प्रबन्धन, योजना एवं कार्यान्वयन में त्रुटियों के कारण ₹ 2495.44 करोड़ की हानि वहन की तथा ₹ 52.23 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा।

## लेखों की गुणवत्ता

सा0क्षे0 उपक्रमों के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। वर्ष 2012–13 में सभी 21 लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षक ने सशर्त प्रमाण–पत्र दिया। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि वर्ष के दौरान सात लेखों में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धित 15 उदाहरण पाए गए।

## बकाया लेखे एवं समापन

30 सितम्बर 2013 तक 31 कार्यकारी सा0क्षे0 उपक्रमों में से 29 सा0क्षे0 उपक्रमों के 196 लेखे बकाया में थे। बकाया लेखों की अवधि एक से 23 वर्षों तक थी। यहाँ 40 अकार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमें थी, जिनमें सात समापन की प्रक्रिया में थे।

*(अध्याय–I)*

## 2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 '**बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की वित्त एवं वसूली सम्बन्धित गतिविधियों**' की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा परिणामों पर कार्यकारी सारांश निम्नवत् है:

### *परिचय*

*बिहार राज्य में पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लाभ के लिए, आर्थिक और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956, के अन्तर्गत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (कम्पनी) की स्थापना की। कम्पनी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। कम्पनी, सरकार/राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (रा0पि0व0वि0वि0नि0) द्वारा जारी किए गए निर्देशों एवं मार्गदर्शिका के अनुसार सम्भावित लाभार्थियों की पहचान तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।*

### *कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन*

*कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि वसूली–राशि रा0पि0व0वि0वि0नि0 की देयताओं के उन्मोचन के लिए अपर्याप्त थी। 2010–11 के दौरान ₹ पाँच करोड़ का भुगतान कम्पनी द्वारा अपने स्वयं के निधि (अंश पूँजी) से किया गया था। अपर्याप्त वसूली तथा रा0पि0व0वि0वि0नि0 के ऋण का पुनर्भुगतान नहीं करने के कारण, रा0पि0व0वि0वि0नि0 ने ₹ 114.39 करोड़ की संस्वीकृत ऋण को कम्पनी को विमुक्त नहीं किया जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन प्रतिकूल रुप से प्रभावित हुए। कम्पनी के लेखे वर्ष 1998–99 से बकाए में थे।*

### *कम्पनी की ऋण देने तथा वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ*

#### *रा0पि0व0वि0वि0नि0 शिक्षा ऋण योजना*

*रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा निधियों के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण इस योजना के अन्तर्गत किसी नए ऋण का संवितरण नहीं किया गया। 49 लाभार्थियों ने, जिनको ₹ 97.58 लाख की शिक्षा ऋण संवितरित की गयी थी, उनके पाठ्यक्रम पूरा होने के बावजूद ऋण का पुनर्भुगतान आरम्भ नहीं किया था।*

#### *रा0पि0व0वि0वि0नि0 का आवधिक ऋण*

*वर्ष 2008–13 के दौरान कोई नया आवधिक ऋण संस्वीकृत नहीं की गई। मार्च 2013 को समाप्त हुए पाँच वर्ष के लिए, कम्पनी द्वारा संवितरित ऋण के विरुद्ध वसूली निराशाजनक थी तथा उसका परास कुल बकाया राशि के 0.21 प्रतिशत तथा 1.26 प्रतिशत के बीच था।*

#### *मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना*

*वर्ष 2008–13 के दौरान, योजना के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 3.46 करोड़ में से केवल ₹ 1.50 करोड़ वितरित किया जा सका। निम्न संवितरण का मुख्य कारण सरकार द्वारा निर्देशों को अंतिम रुप देने में विलम्ब था। कम्पनी ने कुल संवितरण के विरुद्ध केवल ₹ 1.16 लाख वसूल किया।*

#### *मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना*

*योजना के अंतर्गत प्राप्त ₹ 5.19 करोड़ की राशि के विरुद्ध, कम्पनी मात्र ₹ 1.89 करोड़ संवितरित कर सकी तथा शेष राशि ₹ 3.30 करोड़ असंवितरित रही तथा यह मार्च 2013 तक कम्पनी के पास अप्रयुक्त पड़ी थी। इसके अतिरिक्त नियंत्रण प्रणाली की कमी के परिणामस्वरुप ₹ 1.89 करोड़ के कुल संवितरण के विरुद्ध ₹ 1.21 लाख की वसूली निराशाजनक थी।*

### *छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता*

#### *मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना (एम0एम0ए0पी0वी0एम0वाइ0)*

*299 विद्यार्थियों को उनके अत्यन्त पिछड़ी स्थिति को सत्यापित किए बिना लाभ दिया गया।*

*कम्पनी द्वारा जिला कल्याण कार्यालयों/जिला शिक्षा कार्यालयों से लाभार्थियों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त*

जिला कल्याण कार्यालय/जिला शिक्षा कार्यालय अप्रयुक्त राशि लौटाने में तत्पर नहीं थे तथा असंवितरित राशि विभिन्न बैंक खातों में एवं अप्रयुक्त बैंक ड्राफ्ट के रुप में उनके साथ पड़ा हुआ था।

*मानव–शक्ति*

मानव–शक्ति की कमी ने कम्पनी के कार्यकलाप को प्रतिकूल ढ़ंग से प्रभावित किया तथा इसे निदेशक मण्डल के बैठक में प्रभावी ढ़ंग से नहीं निपटाया गया।

*आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली*

कम्पनी में एम0आई0एस0 विद्यमान नहीं था। वितरित निधि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के लिए कोई भी प्रणाली कम्पनी द्वारा विकसित नहीं की गयी थी।

मूलधन और ब्याज के रुप में वसूली योग्य राशि का ऋणी–वार विवरण दिखाने वाला खाता को ठीक से संधारित नहीं किया गया था और ऋण की वसूली के लिए कोई प्रभावी निगरानी नहीं थी।

*निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ*

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषण और वसूली के संबंध में कम्पनी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। विस्तृत योजना तैयार नहीं किए जाने से योजनाओं का तुच्छ क्रियान्वयन हुआ तथा लक्षित लाभार्थी वांछित लाभ से वंचित रह गये। कम्पनी के कामकाज के संबंध में सरकार की भूमिका त्रुटिपूर्ण थी जैसा कि मार्गदर्शिका तैयार करने और निर्देश जारी करने तथा निदेशक–मण्डल के गठन में विलम्ब से परिलक्षित होता है।

कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि निम्न वसूली, विभिन्न ऋण/छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित निधि की अप्रयुक्तता, निधि की अवरुद्धता और लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब के दृष्टांत पाए गए।

संवितरित निधि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

लाभार्थियों से वसूली के अनुसरण के लिए प्रणाली संतोषजनक नहीं था। मानव–शक्ति की कमी ने कम्पनी के कामकाज को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किया। कम्पनी में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण तंत्र दोषपूर्ण था।

कम्पनी को लक्षित लाभार्थियों को ऋण निधि के वितरण के लिए एक विस्तृत योजना विकसित करने की आवश्यकता है तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने तथा वसूली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

मानव–शक्ति की कमी को निदेशक मण्डल द्वारा प्रभावी ढ़ंग से निपटाया जाना चाहिए, एवं कम्पनी में प्रचलित आंतरिक नियन्त्रण और अनुश्रवण तंत्र को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।

*(अध्याय-2.1)*

**2.2 'बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड की वित्त एवं वसूली सम्बन्धित गतिविधियों'** की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा परिणामों पर कार्यकारी सारांश निम्नवत् है:

*परिचय*

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा मार्च 1984 में की गई थी। कम्पनी बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है। कम्पनी वर्णित मानदण्ड के आधार पर सरकार/राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (रा0अ0वि0वि0नि0) के विभिन्न योजनाओं के लिए योग्य लाभार्थियों का चयन करने हेतु उत्तरदायी है तथा भौतिक सत्यापन के बाद लाभार्थियों का चयन एक समिति के द्वारा किया जाता है जिसमें जिला प्राधिकारों , अग्रणी बैंक तथा उद्योग एवं व्यापार निदेशालय का प्रतिनिधित्व होता है।

### वार्षिक कार्रवाई योजना

आवंटित निधि के विरुद्ध उद्देश्य पत्र के नियम एवं शर्तों के अनुपालन में कम्पनी की असफलता के कारण रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा ₹ 45.20 करोड़ की राशि वर्ष 2008–13 की अवधि के दौरान कम्पनी को संवितरण हेतु मुक्त नहीं की गई।

### कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन

कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि वसूली रा0अ0वि0वि0नि0 की देयता का उन्मोचन करने में अपर्याप्त था। वर्ष 2010–11 के दौरान कम्पनी ने अपनी निधि (अंश पूँजी) से ₹ 12.99 करोड़ का पुनर्भुगतान किया।

### कम्पनी की ऋण देने तथा वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ

#### आवधिक ऋण योजना

कम्पनी ने ₹ 21.27 करोड़ प्राप्त किया जिसमें से वर्ष 2008–13 के दौरान ₹ 16.66 करोड़ का उपयोग किया गया। सारण प्रमंडल में प्राप्त 361 आवेदनों में 22 चयनित आवेदनों में आय प्रमाण–पत्र नहीं था जो चयन हेतु पूर्वापेक्षित था। पटना प्रमंडल में मूल 84 आवेदकों के नाम चयन हेतु कभी विचार नहीं किए गए। लाभार्थियों के 49 नमूना जाँच किये गए आय प्रमाण–पत्रों में 16, जारी करने वाले पदाधिकारी (अंचल कार्यालय) के अभिलेखों के अनुसार त्रुटिपूर्ण पाए गए। मार्च 2013 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा की गई वसूली निराशाजनक थी तथा इसका परास वसूली योग्य कुल राशि के 3.24 तथा 4.65 प्रतिशत के बीच था।

#### शिक्षा ऋण योजना

कम्पनी ने वर्ष 2008–13 की अवधि में ₹ 2.13 करोड़ प्राप्त किया जिसमें उपर्युक्त अवधि में ₹ 1.46 करोड़ का संवितरण किया गया। निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण इस योजना के अंतर्गत नए ऋण का संवितरण वर्ष 2009–10 में नहीं हो सका। निधि की उपलब्धता होने के बावजूद वर्ष 2011–12 की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा ऋण का संवितरण नहीं किया गया। शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत ऋण के पुनर्भुगतान का अनुसरण नहीं किया गया क्योंकि लाभार्थियों ने कम्पनी को न तो उनके पाठ्यक्रम पूर्ण होने और/अथवा स्वरोजगार की सूचना दी न ही कम्पनी ने ऋणियों से इस पहलू को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास किया।

#### माइक्रो–क्रेडिट योजना

माइक्रो क्रेडिट योजना के अंतर्गत कम्पनी द्वारा गैर सरकारी संगठनों की वित्तीय साख/ट्रैक रिकॉर्ड का सत्यापन किए बिना 305 लाभार्थियों के लिए तीन गैर सरकारी संगठनों के अनुरोध पर ₹ 48.21 लाख की राशि मुक्त की गई जिसमें ₹ 43.50 लाख की राशि चार वर्षों के बाद भी वसूली नहीं जा सकी। माइक्रो क्रेडिट योजना कम्पनी द्वारा वर्ष 2009–10 से बंद कर दी गई।

### छात्रवृत्ति, कोचिंग तथा कौशल विकास के अंतर्गत वित्तीय सहायता

#### मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय)

वर्ष 2008–09 की अवधि के दौरान मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय) के अंतर्गत अप्रयुक्त निधि की प्रतिशतता का परास 11.31 से 54 प्रतिशत के बीच था। वर्ष 2011–12 से ₹ 14.01 करोड़ की राशि कम्पनी के पास अप्रयुक्त पड़ी थी।

कम्पनी ने वर्ष 2010–11 में चार अस्तित्वहीन निजी महाविद्यालयों को उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित किए बिना ₹ 25.02 लाख की राशि संवितरित किया।

#### मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य)

मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य) के अंतर्गत कम्पनी द्वारा 456 छात्रों को ₹ 18.24 लाख की राशि मुक्त की गई जिसके विरुद्ध राशि पहले ही मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय) के अंतर्गत मुक्त कर दी गई थी। फलस्वरुप इस योजना के अंतर्गत अन्य योग्य विद्यार्थी लाभ लेने से वंचित रहे।

### कोचिंग योजना के अंतर्गत उद्देश्यों की अनुपलब्धि

विभाग द्वारा संस्थापित समिति द्वारा अनुश्रवण करने में असफलता के कारण वर्ष 2007–11 के दौरान प्राप्त ₹ 4.67 करोड़ में ₹ 3.69 करोड़ की राशि का उपयोग नहीं हो सका जिसे अंततः कम्पनी द्वारा विभाग को लौटा दी गई।

*मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना*

*योजना के अंतर्गत प्राप्त ₹ तीन करोड़ में कम्पनी ने केवल ₹ 14 लाख का उपयोग किया तथा शेष ₹ 2.86 करोड़ चार वर्षों से अधिक अप्रयुक्त रह गए। इस प्रकार, अभीष्ट लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत लाभ से वंचित रहे।*

*मानव–शक्ति*

*कम्पनी में मानव–शक्ति का अभाव था जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी कंपनी के कार्य प्रभावित हुए।*

*आंतरिक नियंत्रण प्रणाली*

*निधियों के संवितरण के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र को प्राप्त करने हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई। बाह्य स्रोत अभिकरण/संविदात्मक कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए योग्य विद्यार्थियों की सूची के सत्यापन की प्रणाली नहीं थी जिसके कारण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत निधि अधिक/दुबारा मुक्त हुआ।*

*निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ*

*विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्त पोषण तथा वसूली में कम्पनी का निष्पादन संतोषजनक नहीं था। कम्पनी द्वारा विस्तृत योजना तैयार नहीं की गई थी। सरकार की भूमिका भी दोषपूर्ण थी क्योंकि इसने कोचिंग योजनाओं हेतु समिति के कार्यान्वयन का प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया। कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन दोषपूर्ण था। अभीष्ट लाभार्थियों की पहचान तथा वित्तीय सहायता के संवितरण में कार्याविधिक चूक थे। इसके अलावा, उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कोई प्रणाली नहीं थी। लाभार्थियों से वसूली हेतु अनुसरण प्रणाली संतोषजनक नहीं था। आंतरिक नियंत्रण दोषपूर्ण था।*

*कम्पनी के लिए आवश्यक है : ऋण/छात्रवृति निधि का संवितरण तथा इसकी वसूली हेतु विस्तृत योजना विकसित करना, निधियों के समयबद्ध उपयोगिता के लिए एक प्रणाली विकसित करना, योग्य लाभार्थियों की पहचान के लिए डाटा बेस विकसित करना, वसूली तंत्र को सुदृढ़ करना तथा आंतरिक नियंत्रण सुधारना।*

*(अध्याय – 2.2)*

## 3. सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

**'बिहार राज्य भण्डारण निगम की भण्डारण गतिविधियों'** की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा परिणामों पर कार्यकारी सारांश निम्नवत् है:

*परिचय*

*बिहार राज्य भण्डारण निगम (निगम) की स्थापना कृषि उत्पाद (विकास एवं भण्डारण) निगम अधिनियम, 1956 के अधीन मार्च 1957 में हुई थी। 31 मार्च 2013 को निगम के पास कुल 31.99 लाख मेट्रिक टन (एम0टी0) की उपलब्ध क्षमता सहित 37 भण्डारण केन्द्र था।*

*भण्डारण गतिविधियों में त्रुटियाँ*

*प्राथमिक उत्पादनकर्ताओं (किसानों) को लाभ का उपार्जन नहीं होना*

*स्टॉकों के वैज्ञानिक भण्डारण के सम्बन्ध में किसानों को शिक्षित करने में निगम द्वारा पहल नहीं किए जाने के फलस्वरुप निगम अपने मुख्य उद्देश्य यथा प्राथमिक उत्पादनकर्ताओं को भण्डारण सुविधा प्रदान करने में विफल रहा।*

*स्टॉक में कमी के कारण हानि*

*राज्य भण्डारण केन्द्रों (एस0डब्ल्यू0सी0) की नियमित भौतिक सत्यापन में त्रुटिपूर्ण अनुश्रवण के फलस्वरुप खाद्यान्नों में कमी के कारण निगम को ₹ 12.63 करोड़ की क्षति हुई।*

*प्रथम आगत प्रथम निर्गत (फीफो) विधि का अनुपालन नहीं होना*

*एस0डब्ल्यू0सी0, बेतिया और एस0डब्ल्यू0सी0, रक्सौल में क्रमशः 448 एम0टी0 एवं 269 एम0टी0 चावल वर्ष 2010–11 से ही फीफो विधि नहीं अपनाए जाने के कारण निर्गत नहीं हो सका। चावल, जिसकी कुल कीमत ₹ 1.42 करोड़ थी, बदरंग, संक्रमित, अत्यधिक खण्डित एवं निर्गमन हेतु अयोग्य हो गए।*

### अत्यधिक क्षमता का विनियोजन

एस0डब्ल्यू0सी0, मुजफ्फरपुर में आवश्यकता से अधिक गोदामों के विनियोजन के कारण निगम कुल 98,000 एम0टी0 भण्डारण क्षमता का उपयोग नहीं कर सका जिसके फलस्वरुप भण्डारण शुल्क के मद में ₹ 0.54 करोड़ की संभाव्य हानि हुई।

### भण्डारण हानि की वसूली नहीं होना

एस0डब्ल्यू0सी0, सासाराम में भण्डारण हानि की माफी हेतु भण्डारण हानि का मासिक प्रतिवेदन एफ0सी0आई0 को समर्पित नहीं किया गया था। इसके फलस्वरुप ₹ 1.05 करोड़ की राशि की वसूली नहीं हो सकी (अगस्त 2013)। अक्टूबर 2009 से फरवरी 2011 के दौरान उसी केन्द्र से 145 एम0टी0 गेंहूँ और 171 एम0टी0 चावल, जिसकी कुल कीमत ₹ 23.13 लाख थी, की अग्रेतर भण्डारण हानि हुई। निरन्तर भण्डारण हानि होने के बावजूद निगम ने न तो इसके कारणों की छानबीन की और न ही कमियों को समाप्त करने हेतु कोई पहल किया।

### त्रुटिपूर्ण संरक्षणात्मक कार्रवाई

डनेज एवं अन्य धुम्रीकरण पदार्थों का उपयोग मापदण्ड से काफी कम था जो गोदामों, खाद्यान्नों एवं अन्य रखे हुए स्टॉक को हानि पहुँचा सकता है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक भण्डारण के परिकल्पित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

### टैरिफ एवं विपत्रीकरण

#### एफ0सी0आई0 द्वारा संशोधित विपत्रों को निर्गत नहीं करना

बढ़े हुए संशोधित दर (अप्रैल 2009 से प्रभावी) पर भण्डारण शुल्क के ₹ 3.16 करोड़ के बकाया विपत्र सात केन्द्रों द्वारा नहीं भेजा गया था (अगस्त 2013)।

#### इफको से संशोधित टैरिफ की वसूली नहीं होना

संशोधित दरों पर बकाया विपत्रों का निर्गमन यद्यपि निगम द्वारा किया गया था, इफको द्वारा बढ़े हुए दर को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर टैरिफ आदेश प्राप्ति के अगले माह से लागू किया गया था। इसके फलस्वरुप ₹ 44.04 लाख (जुलाई 2013) की वसूली निगम को नहीं हो पाई थी।

### गोदामों का निर्माण

#### केन्द्रीय/राज्य योजना

#### राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0)

सरकार ने सात स्थानों पर कुल क्षमता 50,000 हजार एम0टी0 के 10 गोदामों के निर्माण हेतु आर0के0वी0वाई0 के अन्तर्गत 2007–08 एवं 2008–09 में ₹ 26.30 करोड़ संस्वीकृत किया। तथापि, सात महीनों में पूर्ण होने की नियत अवधि के विरुद्ध केवल आठ गोदामों का निर्माण 18 से 40 महीनों के विलम्ब से पूर्ण हुआ था।

#### स्व–योजना के अन्तर्गत

निगम के कार्यकारिणी समिति ने दो केन्द्रों (कस्बा–6000 एम0टी0 और मुजफ्फरपुर–4310 एम0टी0) पर दो गोदामों का निर्माण अपनी निधि से कराने हेतु ₹ 6.43 करोड़ संस्वीकृत किया तथापि सात महीनों में पूर्ण होने की नियत अवधि के विरुद्ध गोदामों का निर्माण 19 से 21 महीनों के विलम्ब से पूर्ण हुआ।

### वित्तीय प्रबन्धन

#### लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं होना

निगम ने अपनी वार्षिक लेखाओं का अन्तिमीकरण वर्ष 2009–10 तक ही किया है जबकि वर्ष 2010–11 से 2012–13 की अवधि हेतु लेखाओं का अन्तिमीकरण होना अभी भी शेष था। लेखाओं के अन्तिमीकरण करने में विलम्ब का परिणाम गबन सहित वित्तीय अनियमितता का जोखिम हो सकता है।

### त्रुटिपूर्ण मानव–शक्ति नियोजन

31 मार्च 2013 को 493 स्वीकृत पद के विरुद्ध निगम की कार्यकारी शक्ति 206 कर्मचारी की थी जिसमें से 153 कर्मचारी वर्ग 'घ' कर्मचारी चपरासी सह सफाईकर्मी, (पी0सी0डी0ओ0), चालक इत्यादि थे। अधीक्षकों का पदस्थापन गोदाम प्रभारी के रुप में आवश्यक था, परन्तु मानव–शक्ति की अत्यधिक कमी के कारण जोखिम से भरे भण्डार गृहों का प्रभार निचले संवर्ग के कर्मी यथा 23 एस0डब्ल्यू0सी0 में सहायकों एवं 14 एस0डब्ल्यू0सी0 में पी0सी0डी0ओ0/दफ्तरियों/रिकॉर्ड कीपरों को दी गई अपितु, प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

### आन्तरिक नियन्त्रण

निगम के पास कार्यात्मक अथवा संचालन नियमावली नहीं है और न ही इसके पास अपनी लेखा नियमावली है। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को, निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। 2008–13 की अवधि में 30 एवं 60 आवश्यक बैठकों के विरुद्ध अनियमित अन्तराल पर क्रमशः निदेशक–मण्डल की 18 एवं कार्यकारिणी समिति की केवल 10 बैठकें आहूत की गई थी। निगम ने प्रभावी अनुश्रवण हेतु सूचनाओं/आँकड़ों के संग्रहण, समेकितिकरण एवं विश्लेषण हेतु किसी विस्तृत प्रबन्धन सूचना प्रणाली की व्यवस्था नहीं की थी। अभिलेख पुस्तकों का भी समूचित संधारण नहीं किया गया था। अभिलेखों का संधारण भी सही तरह से नहीं किया गया था।

### निष्कर्ष

निगम के पास गोदामों के निमार्ण हेतु कोई समुचित योजना नहीं थी। प्राथमिक उत्पादनकर्ताओं को भण्डारण सुविधा प्रदान करने के मूल उद्देश्य की प्राप्ति में निगम विफल रहा। निगम की भण्डारण गतिविधियाँ त्रुटिपूर्ण थी चूँकि स्टॉक की चोरी, फीफो के अनुपालन नहीं होने इत्यादि कारणों से निगम को हानि हुई। इसके अतिरिक्त टैरिफ की त्रुटिपूर्ण प्रयुक्ति, त्रुटिपूर्ण विपत्रीकरण एवं प्राप्य राशियों की वसूली नहीं होने के दृष्टांत पाए गए। वित्तीय प्रबन्धन, आन्तरिक नियंत्रण एवं एम0आई0एस0 त्रुटिपूर्ण था।

### अनुशंसाएँ

निगम को गोदामों के निर्माण हेतु परिप्रेक्ष्य योजना बनाना चाहिए एवं गोदामों के ससमय निर्माण को सुनिश्चित करना चाहिए, वैज्ञानिक भण्डारण व स्टॉक के निर्गमन को सुनिश्चित करना चाहिए, समय पर विपत्र बनाना चाहिए एवं इसकी वसूली का अनुसरण करना चाहिए, नियन्त्रण पंजी को अद्यतन एवं पूर्ण रखना चाहिए, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सशक्त करना चाहिए एवं एम0आई0एस0 का सुधार करना चाहिए।

*(अध्याय - III)*

## 4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण

प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण, लोक उपक्रमों के प्रबन्धन की त्रुटियाँ, जिनके परिणामस्वरूप गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ हुई, को मुख्य रूप से दर्शाती है। इंगित की गई अनियमितताएँ मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं:

***नियमों, दिशा–निर्देशों, प्रक्रियाओं, संविदाओं के नियमों एवं शर्तों के अनुपालन नहीं होने से पाँच मामलों में ₹ 5.09 करोड़ की हानि/वसूल नहीं होना।***

***(कंडिकाएँ 4.1, 4.2, 4.5, 4.6 एवं 4.7)***

***संगठन की वित्तीय हितों की रक्षा नहीं करने से तीन मामलों में ₹ 60.86 करोड़ की हानि।***

***(कंडिकाएँ 4.3, 4.4 एवं 4.11)***

***त्रुटपिूर्ण/अपूर्ण नियोजन के कारण तीन मामलों में ₹ 10.74 करोड़ की हानि।***

***(कंडिकाएँ 4.8, 4.9 एवं 4.10)***

***कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षाओं का सारांश निम्न प्रकार है:***

***संविदा माँग को कम करने से सम्बन्धित टैरिफ आदेश के प्रावधानों का साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप उपभोक्ता को अनुचित लाभ मिला एवं कम्पनी को ₹ 1.19 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।***

***(कंडिका 4.1)***

***बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं कर इनके उल्लंघन में मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ दो करोड़ का अनियमित अंशदान दिया।***

***(कंडिका 4.6)***

***डगमारा जल–विद्युत परियोजना से सम्बन्धित अर्न्तराष्ट्रीय मुद्दों के सत्यापन में विफलता एवं केन्द्रीय जल आयोग की मार्दर्शिका के उल्लंघन में डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु कार्यादेश प्रदान करने के फलस्वरूप बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड ने ₹ 1.50 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।***

***(कंडिका 4.8)***

***डोभा जल विद्युत परियोजना के मामले में कम्पनी द्वारा त्रुटिपूर्ण नियोजन के फलस्वरूप ₹ 0.31 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड द्वारा मिथ्या व्यय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर नाबार्ड ऋण के अग्रेतर किस्तों का अनियमित आहरण हुआ।***

***(कंडिका 4.9)***

***कर–दायित्व के समुचित निर्धारण हेतु समुचित प्रणाली विकसित करने में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम (प्राइवेट) लिमिटेड एवं बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड की विफलता के कारण अग्रिम आयकर का भुगतान नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप ₹ 1.64 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।***

***(कंडिका 4.11)***

***(अध्याय – IV)***

# अध्याय - I

## 1.राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

# अध्याय I

## 1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

### परिचय

**1.1** राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगमें सम्मिलित हैं। जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य सा0क्षे0उ0 की स्थापना, व्यावसायिक गतिविधियों को संपादित करने के लिए, की जाती हैं। सितम्बर 2013 तक अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, बिहार में राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने 2012–13 में ₹ 4,857.63[1] करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। बिहार राज्य की सा0क्षे0उ0 की अधिकांश गतिविधियाँ विद्युत क्षेत्र में केन्द्रित हैं। उनके अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने कुल ₹ 1,109.82[2] करोड़ की हानि वहन की। 31 मार्च 2013 को उन्होंने 0.16 लाख[3] कर्मचारियों को नियोजित किया हुआ था।

**1.2** निम्न विवरणानुसार 31 मार्च 2013 को कुल 71 सा0क्षे0उ0 में कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी।

**तालिका संख्याः 1.1**

| सा0क्षे0उ0 का प्रकार | कार्यशील सा0क्षे0उ0 | अकार्यशील सा0क्षे0उ0[4] | योग |
|---|---|---|---|
| सरकारी कम्पनियाँ[5] | 28 | 40 | 68 |
| सांविधिक निगमें | 3 | – | 3 |
| **योग** | 31 | 40 | 71 |

**1.3** उपरोक्त 28 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में छः कम्पनियाँ यथा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (16 अप्रैल 2012 को समामेलित), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (29 जून 2012 को समामेलित), बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (29 जून 2012 को समामेलित), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कम्पनी लिमिटेड (29 जून 2012 को समामेलित), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कम्पनी लिमिटेड (6 जुलाई 2012 को समामेलित) एवं बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (4 जनवरी 2013 को समामेलित) सम्मिलित हैं जिनका समामेलन कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन हुआ था।

### लेखापरीक्षा अधिदेश

**1.4** सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसकी प्रदत्त अंशपूँजी का कम–से–कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों के द्वारा धारित हो। सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित होती है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम की धारा 619–बी के अनुसार ऐसी कम्पनी, जिसकी प्रदत्त

---

[1] तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के ₹ 2,043.93 करोड़ सम्मिलित।
[2] तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के ₹ 1,087.63 करोड़ सम्मिलित।
[3] 42 सा0क्षे0उ0 (तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पाँच कम्पनियों में विघटन के उपरांत उनके मानव संसाधन के बँटवारे सहित) के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार।
[4] अकार्यशील सा0क्षे0उ0 वो हैं जिन्होंने अपने कार्य को बन्द कर दिया है।
[5] 619–बी कम्पनियाँ सहित।

अंश पूँजी का 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों, सरकारी कम्पनियों और सरकार/सरकारों, द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा धारित हो, सरकारी कम्पनी मानी जाती हैं (मानित सरकारी कम्पनी)।

**1.5** राज्य की सरकारी कम्पनियों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है), के लेखों की लेखापरीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

**1.6** सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से अधिशासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि0रा0प0प0नि0) हेतु सी0ए0जी0 एकल लेखापरीक्षक है। बिहार राज्य भण्डारण निगम (बि0रा0भ0नि0) एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम (बि0रा0वि0नि0) की लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

## राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश

**1.7** 31 मार्च 2013 को, राज्य सा0क्षे0उ0 में ₹ 8,321.80 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था, जिसका विवरण निम्नवत् है:

**तालिका संख्या: 1.2**

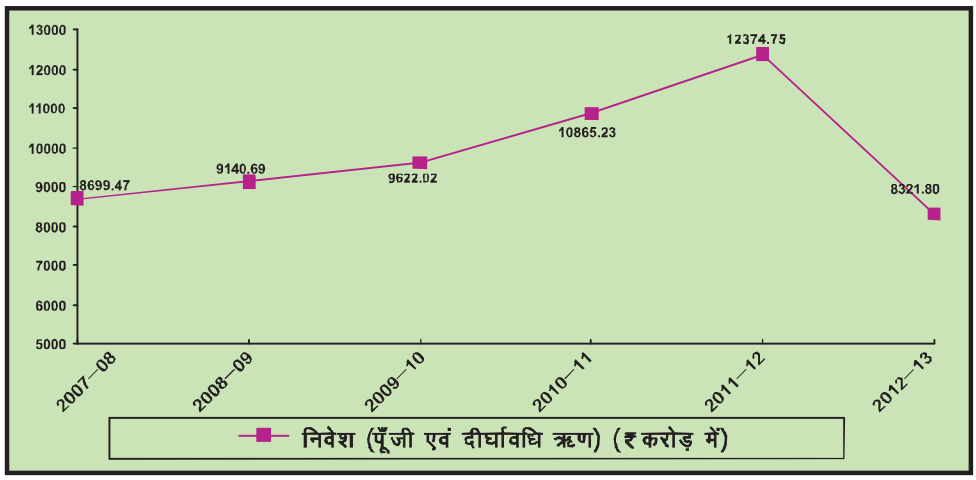
**(₹ करोड़ में)**

| सा0क्षे0उ0 के प्रकार | सरकारी कम्पनियाँ | | | सांविधिक निगमें | | | कुलयोग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पूँजी | दीर्घावधि ऋण | योग | पूँजी | दीर्घावधि ऋण | योग | |
| कार्यशील सा0क्षे0उ0 | 3376.34 | 3254.62 | 6630.96 | 185.53 | 776.26 | 961.79 | **7592.75** |
| अकार्यशील सा0क्षे0उ0 | 180.79 | 548.26 | 729.05 | – | – | – | **729.05** |
| **योग** | **3557.13** | **3802.88** | **7360.01** | **185.53** | **776.26** | **961.79** | **8321.80** |

राज्य सा0क्षे0उ0 में सरकारी निवेश की स्थिति का संक्षिप्त विवरण ***परिशिष्ट–1*** में दिया गया है।

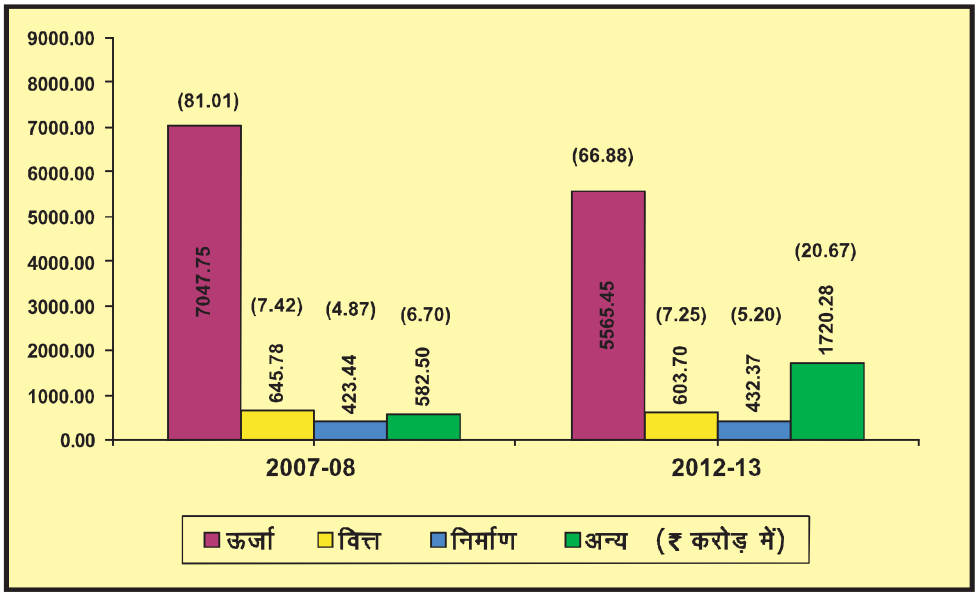
**1.8** 31 मार्च 2013 तक राजकीय सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश का 91.24 प्रतिशत कार्यशील सा0क्षे0उ0 में तथा शेष 8.76 प्रतिशत अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में था। इस कुल निवेश का 44.97 प्रतिशत अंश पूँजी के लिये तथा 55.03 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण हेतु था। यह निवेश 2007–08 के ₹ 8,699.47 करोड़ से 4.34 प्रतिशत घटकर 2012–13 में ₹ 8,321.80 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे ग्राफ में प्रदर्शित है:

चार्ट संख्या – 1.1




**1.9** 31 मार्च 2008 तथा 31 मार्च 2013 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता नीचे बार चार्ट में दी गयी हैं। विगत छः वर्षों में सा0क्षे0उ0 में निवेश का मुख्य प्रतिबल ऊर्जा क्षेत्र में था। हालांकि इस वर्ष बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पाँच कम्पनियों में विघटन के फलस्वरूप दीर्घ अवधि ऋणों के वृहत् समायोजन के कारण यह 2007–08 के ₹ 7,047.75 करोड़ से 21.03 प्रतिशत घटकर 2012–13 में ₹ 5,565.45 करोड़ हो गया। 2007–08 की तुलना में 2012–13 में अन्य क्षेत्रों में निवेश में 66.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चार्ट संख्या – 1.2




**(कोष्ठक में आँकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं।)**

## बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/अर्थसाहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण

**1.10** राज्य सा0क्षे0उ0 के सम्बन्ध में पूँजी, ऋण, अनुदान/अर्थसाहाय्य में बजटीय बहिर्गमन का विवरण ***परिशिष्ट–2*** में दिया गया है। 2012–13 को समाप्त हुए तीन वर्षों का सारांशीकृत विवरण नीचे दिया गया है :-

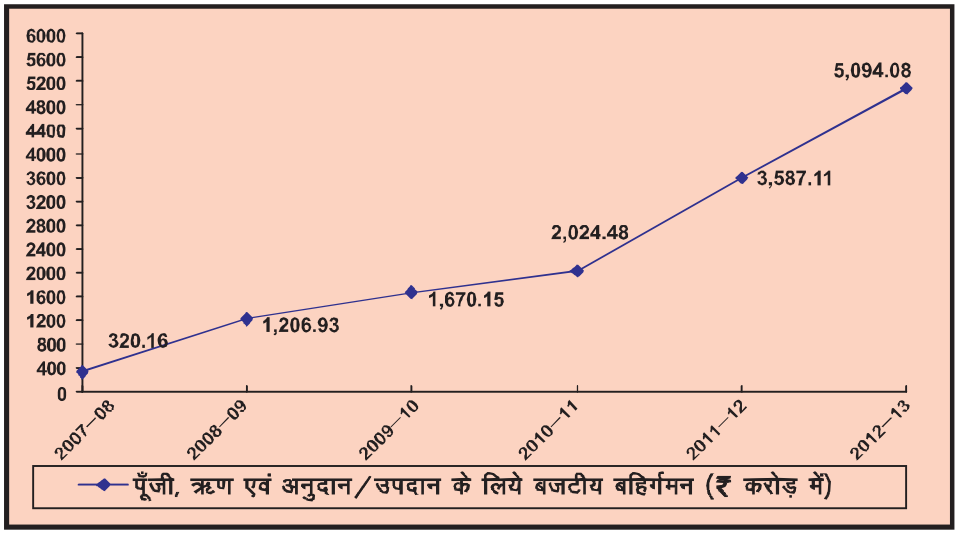
## तालिका संख्या – 1.3

(₹ करोड़ में)

| क्रम संख्या | विवरण | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सा0क्षे0उ0 की संख्या | राशि | सा0क्षे0उ0 की संख्या | राशि | सा0क्षे0उ0 की संख्या | राशि |
| 1. | बजट से अंश पूँजी में बहिर्गमन | 3 | 41.29 | 2 | 2.00 | 4 | 1,481.94 |
| 2. | बजट से दिये गये ऋण | 3 | 879.69 | 4 | 1,464.87 | 4[6] | 677.17[7] |
| 3. | प्राप्त अनुदान/अर्थसाहाय्य | 3 | 1,103.50 | 1 | 2,120.24 | 6[8] | 2,934.97[9] |
| 4. | कुल बहिर्गमन[10] | 7 | 2,024.48 | 6 | 3,587.11 | 11 | 5,094.08 |
| 5. | अपलिखित ब्याज/दांडिक ब्याज | – | – | – | – | – | – |
| 6. | निर्गत प्रत्याभूतियाँ | 1 | 194.58 | – | – | – | – |
| 7. | प्रत्याभूति प्रतिबद्धता | 1 | 31.85 | 1 | 3.47 | 2 | 73.06 |

**1.11** पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थसाहाय्य के लिए विगत छः वर्षों के बजटीय बहिर्गमन का विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है :-

**चार्ट संख्या – 1.3**




राज्य सरकार द्वारा, अंश पूँजी, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसाहाय्य के रूप में 2007–08 से 2012–13 के वर्षों में बजटीय समर्थन बढ़ते हुए रुख को दर्शाता है। बजटीय समर्थन 2007–08 के ₹ 320.16 करोड़ से बढ़कर 2012–13 में ₹ 5,094.08 करोड़ हो गया। वर्ष 2012–13 की अवधि में ₹ 5,094.08 करोड़ में से ऊर्जा क्षेत्र ने (तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सम्मिलित) राज्य सरकार से कुल ₹ 5,058.68 करोड़ ( राज्य सरकार से प्राप्त कुल बजटीय समर्थन का 99.31 प्रतिशत) का अर्थसाहाय्य प्राप्त किया। वर्ष के

[6] इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सम्मिलित है।
[7] इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्राप्त ऋण सम्मिलित है।
[8] इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सम्मिलित है।
[9] इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्राप्त अर्थसाहाय्य सम्मिलित है।
[10] वर्ष के दौरान कुल बहिर्गमन, अंशों, ऋणों, एवं अनुदान/अर्थसाहाय्य के रूप में कम्पनियों (वास्तविक संख्या) को दिये गये बजटीय समर्थन को दर्शाता है।

अंत में, दो[11] सा0क्षे0उ0 के मामले में ऋणों की प्रत्याभूतियों के मद में कुल ₹ 73.06 करोड़ बकाया था। बिहार राज्य वित्तीय निगम द्वारा बिहार सरकार को वर्ष 1982–83 से ही प्रत्याभूति कमीशन के रूप में ₹ 8.87 लाख देय थे।

## वित्तीय लेखों के साथ समाशोधन

**1.12** राज्य सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति के आँकड़े राज्य के वित्त लेखों में दिये गये आँकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित सा0क्षे0उ0 एवं वित्त विभाग को अन्तर का समाशोधन किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में 31 मार्च 2013 की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:–

**तालिका संख्या – 1.4**

(₹ करोड़ में)

| बकाया | वित्त[12] लेखों के अनुसार राशि | सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार राशि | अन्तर |
|---|---|---|---|
| अंश पूँजी | 526.34 | 2,006.30 | 1,479.96 |
| ऋण | 17,031.95 | 2,813.72 | 14,218.23 |
| प्रत्याभूतियाँ | 987.88 | 73.06 | 914.82 |

**1.13** प्रधान महालेखाकार द्वारा जाँचोपरांत समाशोधन के विषय को राज्य के मुख्य सचिव एवं वित्त सचिव के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2011) जिस पर अद्यतन स्मारपत्र जून 2013 में प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार को भेजा गया। तथापि, इस पर अभी तक (सितम्बर 2013) कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार तथा सा0क्षे0उ0 को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का समाशोधन करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

## सा0क्षे0उ0 का कार्य–निष्पादन

**1.14** सभी सा0क्षे0उ0 के वित्तीय परिणाम ***परिशिष्ट–3*** में वर्णित हैं। सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम ***परिशिष्ट 4*** **एवं** ***5*** में क्रमशः वर्णित हैं।

**1.15** अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार 31 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, 15 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 135.74 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 10 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 1,222.18[13] करोड़ की हानि वहन की। शेष छः सा0क्षे0उ0 में से एक कम्पनी ने अपना प्रथम लेखा समर्पित किया जिसमें केवल परिचालन पूर्व व्यय शामिल था एवं पाँच[14] कम्पनियों ने अभी तक (सितम्बर 2013) अपने प्रथम लेखे अन्तिमीकृत नहीं किया था। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (₹ 37.36 करोड़), बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 24.15 करोड़) एवं बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड (₹ 12.42 करोड़) मुख्य थे। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने अपैल 2012 से अक्टूबर 2012 की अवधि के लिए अपने अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार (₹ 1,087.63 करोड़) एवं अपने अद्यतन अन्तिमीकृत

[11] बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम एवं बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम।

[12] ये सूचनाएँ उन 39 सा0क्षे0उ0 (71 सा0क्षे0उ0 में से) के सम्बन्ध में हैं जिनका उल्लेख राज्य के वित्त लेखों में किया गया है।

[13] इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को अपैल 2012 से अक्टूबर 2012 की अवधि में हुए हानि की राशि ₹ 1,087.63 करोड़ सम्मिलित हैं।

[14] बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।

लेखाओं के अनुसार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 105.89 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

**1.16** सी0ए0जी0 के विगत तीन वर्षो की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने ₹ 2,495.44 करोड़ की नियंत्रणीय हानि वहन की, तथा ₹ 52.23 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्ष–वार विवरण नीचे दिए गए हैं :-

**तालिका संख्या – 1.5**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | योग |
|---|---|---|---|---|
| सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार नियन्त्रणीय हानियाँ | 1,539.24 | 852.42 | 103.78 | 2,495.44 |
| निष्फलित निवेश | 28.94 | 21.48 | 1.81 | 52.23 |

**1.17** सी0ए0जी0 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित उपर्युक्त हानियाँ सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित है। वास्तविक नियन्त्रणीय हानियाँ इससे कहीं अधिक हो सकती हैं। उपर्युक्त सारणी सा0क्षे0उ0 के कार्यकलापों में कारगर प्रबन्धन तथा नियंत्रण एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता इंगित करती हैं।

**1.18** राज्य सरकार ने निवेश की गयी राशि पर आय सुनिश्चित करने हेतु ऐसी कोई लाभांश नीति नहीं बनायी थी, जिसके अन्तर्गत सभी सा0क्षे0उ0 को न्यूनतम लाभांश देना हो। 15 सा0क्षे0उ0 ने अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 135.74 करोड़ का लाभ अर्जित किया। हालांकि 15 कम्पनियों में से मात्र दो कम्पनियाँ यथा, बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य भंडार निगम ने क्रमशः ₹ एक करोड़ एवं ₹ 0.30 करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया।

## लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकाये

**1.19** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 तथा 619–बी के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर करना होता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखों का अन्तिमीकरण, लेखा परीक्षण तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। नीचे दी गयी तालिका कार्यशील सा0क्षे0उ0 द्वारा सितम्बर 2013 तक लेखों के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में की गयी प्रगति के विवरण को दर्शाता है।

**तालिका संख्या – 1.6**

| क्रम संख्या | विवरण | 2008–09 | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या | 23 | 25 | 25 | 26 | 31[15] |
| 2. | वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये लेखों की संख्या | 15 | 17 | 34 | 23 | 26 |
| 3. | बकाए लेखों की संख्या | 205 | 213 | 186 | 191 | 196 |
| 4. | प्रति सा0क्षे0उ0 का औसत बकाया (3/1) | 8.91 | 8.52 | 7.44 | 7.35 | 6.32 |

[15] उक्त आँकडों में पाँच नयी ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियाँ सम्मिलित हैं जिनके व्यवसाय नवम्बर 2012 से आरम्भ हुए।

| क्रम संख्या | विवरण | 2008–09 | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | बकाए लेखों वाले सा0क्षे0उ0 की संख्या | 23 | 25 | 23 | 25 | 29 |
| 6. | बकाए लेखों की सीमा (वर्ष) | 1 से 20 | 1 से 21 | 1 से 21 | 1 से 22 | 1 से 23 |

**1.20** 30 सितम्बर 2013 को 31 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से केवल दो[16] सा0क्षे0उ0 ने अपने लेखाओं को अन्तिमीकृत किया था एवं शेष 29 कार्यशील सा0क्षे0उ0 के विरुद्ध 196 लेखे बकाया थे। 29 कार्यशील कम्पनियों के लेखे एक से 23 वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे। सा0क्षे0उ0 के बकाये का औसत 2008–09 के 8.91 प्रति सा0क्षे0उ0 से घटकर 2012–13 में 6.32 प्रति सा0क्षे0उ0 हो गया था। लेखों के बकाये के कारण, लेखों की तैयारी/प्रमाणीकरण एवं वार्षिक आम सभा आयोजित करने में विलम्ब तथा मानव संसाधन की कमी थे।

**1.21** उपरोक्त के अतिरिक्त, अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के लेखों का अन्तिमीकरण भी बकाए में थे। 31 मार्च 2013 को 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से सात समापन की प्रक्रिया में थे। शेष 33 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में बकाए लेखों की सीमा 16 से 34 वर्षों तक था।

**1.22** जैसा कि ***परिशिष्ट–6*** में दिया गया है, राज्य सरकार ने 33 सा0क्षे0उ0 में ₹ 5,217.72 करोड़ (अंश पूँजी : ₹ 1579.10 करोड़, ऋण : ₹ 2,237.65 करोड़, अनुदान : ₹ 199.04 करोड़ तथा अन्य : ₹ 1201.93 करोड़) का निवेश उन वर्षों में किया था जिनके लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था। अन्तिमीकृत लेखों तथा उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किये गये निवेश एवं व्यय का लेखा उचित तरीके से किया गया था तथा जिस उद्देश्य से निवेश किया गया था वह प्राप्त हुआ अथवा नहीं। इस प्रकार सा0क्षे0उ0 में सरकार का निवेश राज्य की विधायिका की जाँच से वंचित रहा। साथ ही लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब का परिणाम कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखे तथा सार्वजनिक कोष के क्षरण का जोखिम भी हो सकता है।

**1.23** प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वे इन इकाईयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय–सीमा में अन्तिमीकृत और अंगीकृत कर लिये गए हैं। प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार द्वारा बकाया लेखों की स्थिति की सूचना सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों एवं सरकार के पदाधिकारियों को दी गई (अक्टूबर 2013)। अपितु इस सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप इन सा0क्षे0उ0 के नेट वर्थ का मूल्यांकन लेखापरीक्षा में नहीं हो सका।

**1.24** उपरोक्त बकायों की स्थिति के सम्बन्ध में यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को लेखों के बकाये के शीघ्र समापन एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समय पर लेखों के अन्तिमीकरण हेतु प्रयास करना चाहिये।

[16] बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड।

## अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन

**1.25** 31 मार्च 2013 को 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 (कम्पनियाँ) थीं । इनमें से 31 मार्च 2013 को सात सा0क्षे0उ0 समापन की प्रक्रिया के अंतर्गत थे। 2012–13 की अवधि में एक[17] अकार्यशील सा0क्षे0उ0 ने वेतन, मजदूरी, स्थापना व्यय इत्यादि पर ₹ 0.14 करोड़ का व्यय किया।

**1.26** 31 मार्च 2013 को अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की बन्दी के चरण नीचे दिये गये हैं:-

**तालिका संख्या – 1.7**

| क्रम संख्या | विवरण | कम्पनियाँ | सांविधिक निगमें | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या | 40 | – | 40 |
| 2. | उपरोक्त (1) में से : | | | |
| (अ) | न्यायालय द्वारा समापन (समापक नियुक्त) | 4[18] | – | 4 |
| (ब) | बन्द, अर्थात बन्द करने के आदेश/निर्देश निर्गत परन्तु समापन प्रक्रिया अभी प्रारम्भ नहीं | 3[19] | – | 3 |

**1.27** वर्ष 2012–13 के दौरान किसी सा0क्षे0उ0 का पूर्ण समापन नहीं हुआ था। जिन कम्पनियों ने न्यायालय आदेश द्वारा समापन के मार्ग को अपनाया वे 13 वर्षों के अधिक समय से समापन प्रक्रिया में हैं। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया ज्यादा त्वरित होता है तथा इसका धारण/अनुसरण प्रभावशाली तरीके से किया जाना चाहिए। यह अनुशंसा की जाती है कि, सरकार को, शेष 33 अकार्यशील सा0क्षे0उ0, जिनके अकार्यशील होने के बाद चालू रहने या ना रहने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, के समापन के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिए।

## लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा

**1.28** वर्ष 2012–13[20] में 13[21] कायशील कम्पनियों ने अपने 21 लेखाओं को महालेखाकार को प्रेषित किया। इनमें से कम्पनियों के 17 लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किये गये। सी0ए0जी0 के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा सी0ए0जी0 की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखों के रख–रखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता को इंगित करती हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक प्रभावों के विवरण नीचे दिए गए हैं :-

[17] बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड।

[18] कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड।

[19] बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड।

[20] अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 तक।

[21] ***परिशिष्ट–3*** की क्रम संख्या अ1, अ6, अ8, अ10, अ11, अ12, अ13, अ16, अ23, अ24, अ25, अ26 एवं अ28।

**तालिका संख्या – 1.8**

**(₹ करोड़ में)**

| क्रम संख्या | विवरण | 2010–11 | | 2011–12 | | 2012–13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लेखों की संख्या | राशि | लेखों की संख्या | राशि | लेखों की संख्या | राशि |
| 1. | लाभ में कमी | 4 | 5.59 | 6 | 64.86 | 5 | 8.76 |
| 2. | हानि में वृद्धि | 9 | 17.17 | 4 | 17.19 | 7 | 7.28 |
| 3. | महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण | शून्य | शून्य | 1 | 3.71 | 1 | 2.70 |

**1.29** वर्ष 2012–13 के दौरान 13 कम्पनियों द्वारा अन्तिमीकृत सभी 21 लेखाओं पर सशर्त गुणवत्ता प्रमाणपत्र दिये गये। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों के अनुपालन पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है क्योंकि वर्ष के दौरान सात[22] लेखाओं में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 15 मामले पाये गये।

**1.30** वर्ष 2012–13 में कम्पनियों के अन्तिमीकृत लेखाओं पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैं:–

### बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (2011–12)

कम्पनी को भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, से भवन निर्माण हेतु निधि प्राप्त हुई। भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत कम्पनी को भवन का स्वामित्व हस्तांतरित कर गैर–चालू दायित्वों को पूर्ण निर्माण कार्य की राशि से कम करना चाहिए था। कार्य, जो प्रगति में थे और हस्तान्तरित नहीं किए गए थे, को गैर–चालू सम्पितियों के अन्तर्गत बतौर प्रगति में दर्शाया जाना चाहिए था। हालाँकि कम्पनी ने प्रगति में कार्य की राशि ₹ 10.22 करोड़ से गैर–चालू दायित्वों को कम कर दिया। इसके फलस्वरूप ₹ 10.22 करोड़ से गैर–चालू सम्पत्तियों एवं गैर–चालू दायित्वों का अंत:प्रदर्शन हुआ।

### बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (2011–12)

अल्पावधि प्रावधानों में वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लिए आयकर के विरूद्ध ₹ 45.83 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित है। तथापि, उपरोक्त अवधि के लिए वास्तविक आयकर की राशि ₹ 39.28 करोड़ मात्र थी और इसलिए ₹ 6.55 करोड़ के आधिक्य प्रावधान को लेखाओं में वापस लिए जाने चाहिए थे।

लेखाओं में वापस नहीं लिए जाने के फलस्वरूप ₹ 6.55 करोड़ से लाभ का अंत:प्रदर्शन, ₹ 45.83 करोड़ से 'अल्पावधि प्रावधानों' का एवं ₹ 39.28 करोड़ से अल्पावधि ऋणों एवं अग्रिमों का अधिप्रदर्शन हुआ।

### बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (2011–12)

कम्पनी ने वर्ष 2011–12 की अवधि में ₹ 17.15 करोड़ का निर्माण कार्य किया। बिहार सरकार के आदेश एवं लेखांकन मानक–9 के अनुसार कम्पनी बतौर सेंटेज एवं आकस्मिक आय ₹ 1.54 करोड़ राजस्व के रूप में प्राप्त करने की हकदार थी। तथापि कम्पनी ने अपने लेखाओं में सेंटेज एवं आकस्मिक आय के मद में ₹ 6.59 करोड़ का राजस्व दर्शाया।

इसके फलस्वरूप ₹ 5.05 करोड़ से परिचालन राजस्व व लाभ का अधिप्रदर्शन एवं अन्य दीर्घावधि दायित्वों का अंत:प्रदर्शन हुआ।

[22] *परिशिष्ट–3* की क्रम संख्या अ1, अ6, अ8, अ11, अ13, अ16, एवं अ28।

## बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (2011–12)

कम्पनी की अन्य आय में कम्पनी द्वारा अप्रैल 2011 में भूलवश प्राप्त राज्य स्वास्थ्य समिति की निधि (₹ 65.67 करोड़) पर अर्जित ₹1.64 करोड़ की ब्याज आय सम्मिलित थी तथा सितम्बर 2012 में कम्पनी द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति को यह राशि बिना ब्याज वापस कर दी गयी थी। चूँकी कम्पनी ने राज्य स्वास्थ्य समिति की निधि पर ब्याज अर्जित किया था, अतः ब्याज की राशि को निधि खाते में हस्तान्तरित किया जाना चाहिए था। अपितु कम्पनी ने इसे अपनी आय में शामिल कर लिया, जिसके फलस्वरूप ₹ 1.64 करोड़ से अन्य आय व लाभ का अधिप्रदर्शन एवं चालू दायित्वों का अंतःप्रदर्शन हुआ।

**1.31** इसी प्रकार, 2012–13 के दौरान तीन कार्यशील सांविधिक निगमों ने अपने तीन लेखाएँ प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार को अग्रसारित किया। बिहार राज्य वित्तीय निगम एवं बिहार राज्य भंडार निगम[23] की लेखे, लेखापरीक्षा हेतु चयनित किए गए। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखों के संधारण की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता इंगित करती है। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक प्रभाव की विवरणी नीचे दी गयी है :-

**तालिका संख्या– 1.9**

**(₹ करोड़ में)**

| क्रम संख्या | विवरण | 2010–11 | | 2011–12 | | 2012–13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लेखों की संख्या | राशि | लेखों की संख्या | राशि | लेखों की संख्या | राशि |
| 1. | लाभ में कमी | 2 | 17.34 | 1 | 0.33 | 1 | 0.19 |
| 2. | हानि में वृद्धि | 2 | 9,267.22 | 1 | 1,888.94 | शून्य | शून्य |
| 3. | महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 1 | 2.70 |
| 4. | वर्गीकरण की त्रुटियाँ | 1 | 7.85 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

**1.32** वर्ष 2012–13 के दौरान अन्तिमीकृत किये गये एक सांविधिक निगम यथा बिहार राज्य वित्तीय निगम के लेखों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्नवत् हैं :-

## बिहार राज्य वित्तीय निगम (2011–12)

₹ 66.53 करोड़ के आकस्मिक दायित्वों में ₹ 4.05 करोड़ की वैसी राशि सम्मिलित नहीं थी, जो कि आयकर विभाग द्वारा माँगी गयी तथा जिसके विरुद्ध निगम द्वारा ₹ 1.35 करोड़ अदा किया गया एवं इससे सम्बन्धित मामला आयकर अपीलीय प्राधिकार में लम्बित था। इस प्रकार लेखाओं में आकस्मिक दायित्व का उचित प्रदर्शन किया जाना चाहिए था।

**1.33** सांविधिक अंकेक्षकों (सनदी लेखाकारों) को सी0ए0जी0 के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (अ) के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अन्तर्गत, उनके द्वारा लेखापरीक्षा की जाने वाली, आन्तरिक नियन्त्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा सुधार योग्य क्षेत्रों की पहचान करनी होती है। सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा 2011–12 के लिए 12 कम्पनियों[24] तथा

[23] इसकी लेखापरीक्षा समाप्त हो चुकी है परन्तु लेखा टिप्पणियों का अन्तिमीकरण होना शेष है।

[24] ***परिशिष्ट–3*** की क्रम संख्या अ3, अ4 अ6, अ8, अ9, अ11, अ12, अ16, अ17, अ18, अ20 एवं स17।

2012–13 के लिए 13 कम्पनियों[25] के सम्बन्ध में आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण में सम्भव सुधार पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों के निदर्शीसार का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका संख्या– 1.10

| क्रम संख्या | सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति | कम्पनियों की संख्या जिनमें अनुशंसाएँ की गयीं | परिशिष्ट–2 में कम्पनियों की क्रम संख्या का संदर्भ |
|---|---|---|---|
| 1. | पुर्जे एवं भण्डार की न्यूनतम/अधिकतम सीमा तय न करना | 05 | अ–1, अ–8, अ–28, स–4, स–17. |
| 2. | कम्पनी के प्रकृति एवं व्यवसाय के आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था का अभाव | 05 | अ–12, अ–23, अ–25, अ–26, स–4. |
| 3. | परिमाणात्मक विवरण, अवस्थिति, पहचान संख्या, प्राप्ति की तिथि, अचल सम्पत्तियों के ह्रासित मूल्य सहित अचल सम्पत्तियों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए समुचित अभिलेखों का संधारण नहीं किया जाना। | 10 | अ–1, अ–8, अ–10, अ–11 अ–13, अ–16, अ–25, अ–28, स–4, स–17. |

## लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली

**1.34** 2012–13 के दौरान औचित्य लेखापरीक्षा में तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ₹ 12.18 करोड़ रुपये की वसूली के मामले इंगित किए गए थे, जिनमे से ₹ 5.56 करोड़ के मामले बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा स्वीकार किये गये। वर्ष 2012–13 में, ₹ 2.25 करोड़ की राशि, जो 2011–12 से पहले की अवधि से सम्बन्धित थे, की वसूली की गयी।

## पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

**1.35** निम्न तालिका सांविधिक निगमों के लेखे पर सी0ए0जी0 द्वारा निर्गत पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ0ले0प0प्र0) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को इंगित करती है।

तालिका संख्या– 1.11

| क्रम संख्या | सांविधिक निगम का नाम | वर्ष जहाँ तक पृ0ले0प0प्र0 विधायिका में प्रस्तुत की गई | वर्ष जहाँ तक पृ0ले0प0प्र0 विधायिका के समक्ष नहीं प्रस्तुत की गई | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | पृ0ले0प0प्र0 का वर्ष | सरकार को निर्गत करने की तिथि | पृ0ले0प0प्र0 को विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण |
| 1. | बिहार राज्य विद्युत बोर्ड | 2010–11 | 2011–12 | 19 दिसम्बर 2012 | प्रतिवेदन को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने का |
| 2. | बिहार राज्य भंडारण निगम | 2007–08 | 2008–09 | 28 फरवरी 2011 | |

[25] *परिशिष्ट–3* की कम संख्या अ1, अ8 अ10, अ11, अ12, अ13, अ16, अ23, अ25, अ26, अ28, स4 एवं स17।

| क्रम संख्या | सांविधिक निगम का नाम | वर्ष जहाँ तक पृ0ले0प0प्र0 विधायिका में प्रस्तुत की गई | वर्ष जहाँ तक पृ0ले0प0प्र0 विधायिका के समक्ष नहीं प्रस्तुत की गई | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | पृ0ले0प0प्र0 का वर्ष | सरकार को निर्गत करने की तिथि | पृ0ले0प0प्र0 को विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण |
| 3. | बिहार राज्य वित्तीय निगम | 2010–11 | 2011–12 | 23 मार्च 2013 | कारण, सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। |
| 4. | बिहार राज्य पथ परिवहन निगम | 1973–74 | 1974–75 से 2002–03 (29) विवरण | | |
| | | | 1991–92 | 09 जून 1997 | |
| | | | 1992–93 | 02 सितम्बर 1998 | |
| | | | 1993–94 | 02 सितम्बर 1998 | |
| | | | 1994–95 | 04 दिसम्बर 1998 | |
| | | | 1995–96 | 18 अप्रैल 2000 | |
| | | | 1996–97 | 19 मार्च 2004 | |
| | | | 1997–98 | 19 अक्टूबर 2004 | |
| | | | 1998–99 | 12 अप्रैल 2005 | |
| | | | 1999–2000 | 07 अक्टूबर 2005 | |
| | | | 2000–01 | 24 सितम्बर 2007 | |
| | | | 2001–02 | 26 अक्टूबर 2007 | |
| | | | 2002–03 | 25 जनवरी 2010 | |

पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर वैधानिक नियंत्रण कमजोर होता है एवं सांविधिक निगम की जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है। पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने में विलम्ब के विषय को सी0ए0जी0 द्वारा मुख्यमंत्री, बिहार के ध्यान में दिसम्बर 2010 में लाया गया था। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण में कोई सुधार नहीं आया। प्रधान महालेखाकार द्वारा इस विषय को प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, के ध्यान में (मई 2011) लाया गया तथा अद्यतन स्मार पत्र दिसम्बर 2012 भेजा गया।

## सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना

**1.36** राज्य सरकार द्वारा सा0क्षे0उ0 के विनिवेश, निजीकरण एवं पुर्नसंरचना के लिए 2012–13 में कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकी राज्य सरकार ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का, "बिहार राज्य विद्युत सुधार स्थानान्तरण योजना 2012" के अंतर्गत पुनर्गठन कर पाँच कम्पनियों में विघटित किया। झारखण्ड राज्य की स्थापना के बाद, सभी सा0क्षे0उ0 की पुर्नसंरचना की जानी थी। 12 सा0क्षे0उ0 की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ–साथ प्रबन्धन के बँटवारे का निर्णय सितम्बर 2005 में लिया गया था। तथापि, इसका क्रियान्वयन मात्र पाँच सा0क्षे0उ0[26] के सम्बन्ध में ही किया गया था (सितम्बर, 2013)।

[26] बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल विद्युत उर्जा निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भण्डारण निगम एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड।

# अध्याय - II

## 2 सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की वित्त एवं वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ

2.2 बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड की वित्त एवं वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ

# अध्याय II
# सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

## 2.1 बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की वित्त एवं वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ

### कार्यकारी सारांश

#### परिचय

बिहार राज्य में पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लाभ के लिए, आर्थिक और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956, के अन्तर्गत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (कम्पनी) की स्थापना की। कम्पनी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। कम्पनी, सरकार/राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (रा0पि0व0वि0वि0नि0) द्वारा जारी किए गए निर्देशों एवं मार्गदर्शिका के अनुसार सम्भावित लाभार्थियों की पहचान तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

#### कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन

कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि वसूली–राशि रा0पि0व0वि0वि0नि0 की देयताओं के उन्मोचन के लिए अपर्याप्त थी। 2010–11 के दौरान ₹ पाँच करोड़ का भुगतान कम्पनी द्वारा अपने स्वयं के निधि (अंश पूँजी) से किया गया था। अपर्याप्त वसूली तथा रा0पि0व0वि0वि0नि0 के ऋण का पुनर्भुगतान नहीं करने के कारण, रा0पि0व0वि0वि0नि0 ने ₹ 114.39 करोड़ की संस्वीकृत ऋण को कम्पनी को विमुक्त नहीं किया जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन प्रतिकूल रुप से प्रभावित हुए। कम्पनी के लेखे वर्ष 1998–99 से बकाए में थे।

#### कम्पनी की ऋण देने तथा वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ

##### रा0पि0व0वि0वि0नि0 शिक्षा ऋण योजना

रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा निधियों के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण इस योजना के अन्तर्गत किसी नए ऋण का संवितरण नहीं किया गया। 49 लाभार्थियों ने, जिनको ₹ 97.58 लाख की शिक्षा ऋण संवितरित की गयी थी, उनके पाठ्यक्रम पूरा होने के बावजूद ऋण का पुनर्भुगतान आरम्भ नहीं किया था।

##### रा0पि0व0वि0वि0नि0 आवधिक ऋण योजना

वर्ष 2008–13 के दौरान कोई नयी आवधिक ऋण संस्वीकृत नहीं की गयी। मार्च 2013 को समाप्त हुए पाँच वर्ष के लिए, कम्पनी द्वारा संवितरित ऋण के विरुद्ध वसूली निराशाजनक थी तथा उसका परास कुल बकाया राशि के 0.21 प्रतिशत तथा 1.26 प्रतिशत के बीच था।

##### मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना

वर्ष 2008–13 के दौरान, योजना के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 3.46 करोड़ में से केवल ₹ 1.50 करोड़ वितरित किया जा सका। निम्न संवितरण का मुख्य कारण सरकार द्वारा निर्देशों को अंतिम रुप देने में विलम्ब था। कम्पनी ने कुल संवितरण के विरुद्ध केवल ₹ 1.16 लाख वसूल किया।

##### मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना

योजना के अंतर्गत प्राप्त ₹ 5.19 करोड़ की राशि के विरुद्ध, कम्पनी मात्र ₹ 1.89 करोड़ संवितरित कर सकी तथा शेष राशि ₹ 3.30 करोड़ असंवितरित रही तथा यह मार्च 2013 तक कम्पनी के पास अप्रयुक्त पड़ी थी। इसके अतिरिक्त नियंत्रण प्रणाली की कमी के परिणामस्वरुप ₹ 1.89 करोड़ के कुल संवितरण के विरुद्ध ₹ 1.21 लाख की वसूली निराशाजनक थी।

#### छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता

##### मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना (एम0एम0ए0पी0वी0एम0वाई0)

299 विद्यार्थियों को उनके अत्यन्त पिछड़ी स्थिति को सत्यापित किए बिना लाभ दिया गया।

कम्पनी द्वारा जिला कल्याण कार्यालयों/जिला शिक्षा कार्यालयों से लाभार्थियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त जिला कल्याण कार्यालय/जिला शिक्षा कार्यालय अप्रयुक्त राशि लौटाने में तत्पर नहीं थे तथा असंवितरित राशि विभिन्न बैंक खातों में एवं अप्रयुक्त बैंक ड्राफ्ट के रुप में उनके साथ पड़ा हुआ था।

### मानव–शक्ति

मानव–शक्ति की कमी ने कम्पनी के कार्यकलाप को प्रतिकूल ढ़ंग से प्रभावित किया तथा इसे निदेशक मण्डल के बैठक में प्रभावी ढ़ंग से नहीं निपटाया गया।

### आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी में एम0आई0एस0 विद्यमान नहीं था। वितरित निधि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के लिए कोई भी प्रणाली कम्पनी द्वारा विकसित नहीं की गयी थी।

मूलधन और ब्याज के रूप में वसूली योग्य राशि का ऋणी–वार विवरण दिखाने वाला खाता को ठीक से संधारित नहीं किया गया था और ऋण की वसूली के लिए कोई प्रभावी निगरानी नहीं थी।

### निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषण और वसूली के संबंध में कम्पनी का प्रदर्शन संतोषजनक नही था। विस्तृत योजना तैयार नहीं किए जाने से योजनाओं का तुच्छ क्रियान्वयन हुआ तथा लक्षित लाभार्थी वांछित लाभ से वंचित रह गये।

कम्पनी के कामकाज के संबंध में सरकार की भूमिका त्रुटिपूर्ण थी जैसा कि मार्गदर्शिका तैयार करने और निर्देश जारी करने तथा निदेशक मंडल के गठन में विलम्ब से परिलक्षित होता है।

कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि निम्न वसूली, विभिन्न ऋण/छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित निधि की अप्रयुक्तता, निधि की अवरुद्धता और लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब के दृष्टांत पाए गए।

संवितरित निधि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।
लाभार्थियों से वसूली के अनुसरण के लिए प्रणाली संतोषजनक नहीं था। मानव–शक्ति की कमी ने कम्पनी के कामकाज को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किया। कम्पनी में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण तंत्र दोषपूर्ण था।

कम्पनी को लक्षित लाभार्थियों को ऋण निधि के वितरण के लिए एक विस्तृत योजना विकसित करने की आवश्यकता है तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने तथा वसूली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

मानव–शक्ति की कमी को निदेशक मण्डल द्वारा प्रभावी ढ़ंग से निपटाया जाना चाहिए, एवं कम्पनी में प्रचलित आंतरिक नियन्त्रण और अनुश्रवण तंत्र को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।

## परिचय

**2.1.1** राज्य में पिछड़ा वर्ग[1] (पि0व0) के सदस्यों के लाभ के लिए आर्थिक तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाओं के अन्तर्गत ऋण और अग्रिम उपलब्ध कराकर, आर्थिक तथा विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने जून 1993 में बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (कम्पनी) की स्थापना की। यह कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत एक लाभ न कमाने वाली सरकारी कम्पनी है। 31 मार्च 2013 को, कम्पनी की प्रदत्त पूँजी ₹ 20.36 करोड़ थी। कम्पनी, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के अतिरिक्त, कम्पनी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (रा0पि0व0वि0वि0नि0[2]), के ऋण देने, प्रशिक्षण और अन्य योजनाओं के लिए राज्य क्रियान्वयन अभिकरण (एस0सी0ए0) के रूप में भी काम करती है।

2008–13 की अवधि के दौरान, कम्पनी द्वारा क्रियान्वित की गई प्रमुख योजनाओं में राज्य सरकार का मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृति योजना, मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना एवं मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना एवं भारत सरकार की रा0पि0व0वि0वि0नि0 की आवधिक ऋण और शिक्षा ऋण योजना सम्मिलित था।

कम्पनी का प्रशासनिक विभाग लक्षित लाभार्थियों के लाभ के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के मार्गदर्शिका तय करने एवं योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यविधि तय करने, समय–समय पर पिछड़े वर्ग के सदस्यों को अधिसूचित करने, रा0पि0व0वि0वि0नि0 से कम्पनी द्वारा लिए गए ऋणों के लिए गारंटी विस्तारित करने, कम्पनी को बजटीय सहायता देने, कम्पनी को विभिन्न योजनाओं के लिए उपलब्ध कराए गए निधियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र की माँग, इत्यादि के लिए उत्तरदायी है। रा0पि0व0वि0वि0नि0 की योजनाओं के सम्बन्ध में मार्गदर्शिका रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा तैयार किए जाते हैं। कम्पनी, सरकार/ रा0पि0व0वि0वि0नि0 के द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शिका और निर्देशों के अनुसार संभावित लाभार्थियों की पहचान करने तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

कम्पनी का प्रबंधन 10 निदेशकों से मिलकर बने निदेशक मण्डल में निहित है। मार्च 2013 को निदेशक मंडल में सात सरकारी निदेशक थे और गैर सरकारी निदेशकों के तीन पद रिक्त थे। अप्रैल 2006 से जून 2010 तक की अवधि में कम्पनी का अपना निदेशक मंडल नहीं था। प्रबंध निदेशक, कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और दिन–प्रतिदिन के कार्यों के संचालन में इन्हें अन्य अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चूँकि कम्पनी की जिला स्तर पर अपनी स्थापना नहीं है, अतः कम्पनी द्वारा राज्य सरकार के जिला कल्याण कार्यालय, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा एवं जिला शिक्षा कार्यालय (जि0शि0कार्या0)[3] के माध्यम से योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है।

---

[1] पिछड़ा वर्ग में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मिलित है जैसा कि बिहार सरकार के गजट नोटिफिकेशन (32/1992 और समय समय पर संशोधित) में वर्णित है।

[2] यह सामाजिक न्याय तथा मंत्रालय के अधीन एक शीर्षस्थ निगम है जो राज्य वितरण अभिकरणों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के सदस्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए उत्तरदायी है।

[3] क्रमशः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/सामाजिक कल्याण विभाग/शिक्षा विभाग के अन्तर्गत।

कम्पनी के सम्बन्ध में ''उद्देश्य की अप्राप्ति'' पर एक दीर्घ कंडिका 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), बिहार सरकार में सम्मिलित किया गया था।

## लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्य–प्रणाली

**2.1.2** वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में 2008–13 की अवधि में कम्पनी की ''वित्त एवं वसूली गतिविधियों'' को शामिल किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, जून 2013 से अगस्त 2013 की अवधि में प्रशासनिक विभाग और कम्पनी का मुख्यालय कार्यालय के साथ ही जिला कल्याण कार्यालयों, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा एवं जिला शिक्षा कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा लेखापरीक्षा द्वारा की गई। राज्य के 38 जिलों जहाँ योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही थीं, में से दस जिलों[4] (26 फीसदी) का रैण्डम सैम्पलिंग आधार पर चयन किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्यों के बारे में सरकार और प्रबन्धन को अवगत कराने के लिए 31 मई 2013 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा के क्रम में कार्य पद्धतियों के एक मिश्रण को अपनाया गया जिसमें अभिलेखों की जाँच कम्पनी के मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से संग्रहित साक्ष्यों का विश्लेषण एवं दस्तावेजीकरण, निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यक्रम एवं कार्य सूची की समीक्षा, सरकार और रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा जारी निर्देशों तथा मार्गदर्शिकाओं तथा सूचनाओं के लिए लेखापरीक्षा पृच्छा जारी करना तथा प्रबन्धन से विचार विमर्श सम्मिलित है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार (प्रशासनिक विभाग)/कम्पनी को प्रतिवेदित किए गए (सितम्बर 2013)। निकास सम्मेलन 28 नवम्बर 2013 को आयोजित किया गया, जिसमें सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार ने भाग लिया, जो कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के प्रभार में भी थीं।

## लेखापरीक्षा उद्देश्य

**2.1.3** निष्पादन लेखापरीक्षा निम्न के आकलन के उद्देश्य से किया गया था कि :

- कम्पनी द्वारा योजनाओं का उचित और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक योजना/वार्षिक कार्य योजना, रा0पि0व0वि0वि0नि0 और राज्य सरकार द्वारा निधि के आवंटन को देखते हुए तैयार किया गया था;
- कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन प्रभावी था और विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधियों का समयबद्ध ढंग से प्रभावी उपयोग किया जा रहा था;
- योग्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए एक कुशल प्रणाली मौजूद थी और कम्पनी के पास लाभार्थियों का डाटा बेस था;
- योजनाओं को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया और वसूली निर्धारित मानदंडों के अनुसार किए गए थे;
- सरकार/कम्पनी द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के अनुश्रवण के लिए एक प्रणाली तैयार की गई थी;
- समय पर बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए और चूक के मामले में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त अनुश्रवण तंत्र अस्तित्व में थी; तथा

---

[4] अररिया, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, पटना, समस्तीपुर, सारण और सिवान।

- कम्पनी में पर्याप्त मानव–शक्ति और कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान था।

## लेखापरीक्षा मानदण्ड

**2.1.4** लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के आकलन के लिए अपनाये गये लेखापरीक्षा मानदण्ड थे :

- ऋण/वित्तीय सहायता के संवितरण के लिए सरकार एवं रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश;
- लक्षित लाभार्थियों के उत्थान हेतु राज्य/केन्द्र सरकार एवं रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा तय की गई नीति/ रूपरेखा /मानदण्ड/दिशा–निर्देश;
- वित्तीय सहायता एवं ऋणों के संस्वीकृति एवं संवितरण हेतु तय की गई कार्यविधि; एवं
- संवितरण उपरान्त अनुश्रवण एवं वसूली हेतु निर्धारित कार्यविधि।

## लेखापरीक्षा परिणाम

**2.1.5** लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है :

## योजना

### रणनीतिक योजना की तैयारी नहीं होना

**2.1.6** मेमोरेंडम ऑफ एसोशिएशन में वर्णित उद्देश्यों के पूरा करने के दृष्टिकोण से कम्पनी को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के केन्द्रीकरण के अनुसार योजना अथवा लक्ष्य तय करना तथा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु तृणमूल स्तरों से संग्रहित आवधिक आँकड़ों के आधार पर सुनियोजित कार्य योजना की तैयारी करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों के पहचान के लिए रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार, राज्य वितरण अभिकरण को उन क्षेत्रों में लाभार्थी पहचान शिविर लगाने चाहिए जहाँ पिछड़े–वर्ग की जनसंख्या ज्यादा हो तथा पहले से रा0पि0व0वि0वि0नि0 की योजनाओं का कार्यान्वयन न हुआ हो।

हमने पाया कि कम्पनी ने न तो कोई रणनीतिक योजना तैयार की थी और न प्रखण्ड तथा जिला स्तर पर लक्षित लाभार्थियों के डाटा–बेस का रख–रखाव किया था। इस की परिणति योजनाओं के खराब कार्यान्वयन में हुई और लक्षित लाभार्थियों को वांछित लाभ नहीं मिल सका, जिसकी चर्चा कंडिका 2.1.10 से 2.1.16 में की गई है।

निकास सम्मेलन में प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि कम्पनी के पास अपना जिला स्तरीय ढाँचा नहीं था तथा यह मानव–शक्ति की कमी एवं निधि की कमी झेल रहा था जिसके कारण रणनीतिक योजना की तैयारी नहीं हुई।

### वार्षिक कार्य योजना (वा0का0यो0)

**2.1.7** विभिन्न योजनाओं के लिए रा0पि0व0वि0वि0नि0 से ऋण प्राप्त करने के लिए, कम्पनी द्वारा वार्षिक कार्य योजना रा0पि0व0वि0वि0नि0 के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा कम्पनी को संस्वीकृत ऋण का संवितरण वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन होने पर किया जाता है जिसके लिए

कुछ शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है जिनमें शामिल हैं, कम्पनी द्वारा सामान्य ऋण अनुबन्ध का निष्पादन, राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त गारंटी की उपलब्धता, विमुक्त निधियों के उपयोग का संतोषजनक स्तर तथा रा0पि0व0वि0वि0नि0 के देय राशि का पुनर्भुगतान, नियत आहरण के लिए लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी किया जाना, इत्यादि।

हमने प्रेक्षित किया कि रा0पि0व0वि0वि0नि0 को समर्पित वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव अभीष्ट लाभार्थियों की संख्या तथा निधियों की आवश्यकता के सम्बन्ध में तदर्थ आँकड़ों पर आधारित थे क्योंकि कम्पनी ने कोई सर्वेक्षण का आयोजन नहीं किया था तथा अंचल व जिला स्तर पर आँकड़े संकलित नहीं किया था जो शहरी के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के केन्द्रीकरण को दर्शाने के लिए था।

## कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन

**2.1.8** कम्पनी राज्य सरकार से बजटीय समर्थन, राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कम्पनी को आवंटित निधि और रा0पि0व0वि0वि0नि0 से ऋण सहायता के माध्यम से वित्त पोषित होती है। कम्पनी ने अपनी ऋण देने की गतिविधियों से 2.5 से तीन फीसदी तक के ब्याज आय का सृजन करती है। वर्ष–वार प्राप्ति और भुगतान/संवितरण की स्थिति नीचे की तालिका में दर्शायी गई है :

**तालिका सं0: 2.1.1**

**बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की वर्ष–वार प्राप्तियाँ और संवितरण**

(₹ लाख में)

| विवरण | | | 2008–09 | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राप्तियाँ | प्रारम्भिक शेष | | **28.35** | **431.96** | **558.39** | **1016.58** | **2179.51** | |
| | रा0पि0व0वि0वि0नि0 | | 45.95 | 28.78 | 18.00 | 3.49 | – | **124.57**[5] |
| | पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | अंश पूँजी | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | **500.00** |
| | | मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृति योजना | – | 900.00 | 2800.00 | 7194.34 | –[6] | **10894.34** |
| | समाज कल्याण विभाग | मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना | 130 | – | 16.00 | 8.00 | 192.00 | **346.00** |
| | | मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना | 195.00 | – | 24.00 | 12.00 | 288.00 | **519.00** |
| | वसूली | | 19.13 | 37.42 | 17.26 | 28.51 | 17.16 | **119.48** |
| कुल प्राप्तियाँ | | | 518.43 | 1498.16 | 3533.65 | 8362.92 | 2776.67 | **12503.39** |
| संवितरण | शिक्षा ऋण | | 53.84 | 25.29 | 8.83 | 0.45 | – | **88.41** |
| | प्रशिक्षण | | 3.78 | – | 7.56 | – | – | **11.34** |
| | मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृति योजना | | – | 858.20 | 1902.10 | 6004.70 | 2126.50 | **10891.50** |
| | मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना | | – | 22.22 | 49.56 | 47.30 | 30.63 | **149.71** |

[5] ₹ 28.35 लाख का प्रारम्भिक शेष सम्मिलित। इसमें 2008–09 के पूर्व संस्वीकृत शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि (2008–09 में ₹ 40.00 लाख, 2009–10 में ₹ 25.00 लाख) भी शामिल है। शेष राशि 13.22 लाख (2008–09 में ₹ 5.95 लाख, 2009–10 में ₹ 3.78 लाख और 2011–12 में ₹ 3.49 लाख) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्राप्त हुई थी।

[6] 2012–13 से मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वयं जिला कल्याण कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इसलिए कोई प्राप्ति नहीं है।

| विवरण | | 2008–09 | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना | – | – | 46.10 | 118.30 | 24.25 | **188.65** |
| | रा0पि0व0वि0वि0नि0 को पुनर्भुगतान/वापसी | 28.85 | 34.06 | 502.92[7] | 12.66 | 35.43[8] | **613.92** |
| **कुल संवितरण** | | **86.47** | **939.77** | **2517.07** | **6183.41** | **2216.81** | **11943.53** |
| **अंत शेष** | | **431.96** | **558.39** | **1016.58** | **2179.51** | **559.86** | |

**(स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)**

हमने पाया कि :

- कम्पनी का संवितरण गतिविधि मुख्य रूप से मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृति योजना के अन्तर्गत धनराशि के वितरण में केंद्रित था जबकि ऋण योजनाओं[9] के लिए ऋण गतिविधि मध्यम थी;
- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधियों का प्रारम्भिक शेष बढ़ती प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि प्राप्त निधियाँ समय पर उपयोग नहीं की जा रही थीं और कम्पनी द्वारा सावधि जमा के अन्तर्गत निधियों को रखकर उनपर ब्याज अर्जित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा योजना–वार बैंक खाते संधारित नहीं किए गए थे;
- वर्ष 2008–13 की अवधि में कम्पनी ने निःशक्तजनों की योजनाओं के लिए ₹ 8.65 करोड़[10] प्राप्त किए थे जिसमें से ₹ 5.27 करोड़ का उपयोग नहीं किया जा सका। निधि के प्रयोग न होने का मुख्य कारण संबंधित विभाग, समाज कल्याण विभाग द्वारा दिशा–निर्देशों की तैयारी में हुआ विलम्ब था जैसा कि कंडिका 2.1.13 और 2.1.14 में टिप्पणी की गई है;

**कम्पनी का वसूली निष्पादन निराशाजनक तथा रा0पि0व0वि0वि0नि0 के उत्तरदायित्वों का उन्मोचन करने में अपर्याप्त था**

- वर्ष 2008–13 की अवधि में कम्पनी की वसूली प्रदर्शन निराशाजनक थी एवं वसूल की गयी राशि रा0पि0व0वि0वि0नि0 की देनदारियों का उन्मोचन करने के लिए अपर्याप्त थी। परिणामस्वरुप, 2010–11 के दौरान ₹ पाँच करोड़ का भुगतान कम्पनी द्वारा अपने स्वयं के निधि (अंश पूँजी) से किया गया था। कम्पनी की निम्न वसूली और रा0पि0व0वि0वि0नि0 ऋण के विरुद्ध निम्न पुर्नभुगतान के कारण रा0पि0व0वि0वि0नि0 ने ₹ 114.39 करोड़ की संस्वीकृत ऋण कम्पनी को विमुक्त नहीं किया जिससे योजना प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई, जैसा कि कंडिका 2.1.11 तथा 2.1.12 में चर्चा की गई है;
- कम्पनी की गतिविधि का विस्तार वर्ष 2000 में संयुक्त बिहार राज्य के पुनर्गठन से पूर्व झारखण्ड के क्षेत्र तक फैला हुआ था। तथापि, पुनर्गठन के बाद भी कम्पनी की परिसंपत्तियों तथा देयताओं का विभाजन इन दो राज्यों के बीच नहीं हुआ था (सितम्बर 2013)।

---

[7] इसमें कम्पनी द्वारा अपने अंश पूँजी से रा0पि0व0वि0वि0नि0 को ₹ पाँच करोड़ का पुनर्भुगतान शामिल है।

[8] इसमें सामान्य ऋण योजना के अन्तर्गत 2010–11 में प्राप्त राशि ₹ 18 लाख की वापसी सम्मिलित है।

[9] राज्य सरकार की मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना और मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना तथा भारत सरकार की रा0पि0व0वि0वि0नि0 शिक्षा ऋण योजना।

[10] मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना (₹ 3.46 करोड़), मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना (₹ 5.19 करोड़)।

- वर्ष 1997–99 के दौरान कम्पनी ने समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार से पिछडे वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों/छात्रावासों के निर्माण के लिए ₹ 14,07 करोड़ की राशि प्राप्त किया था। कम्पनी ने ₹ 0,27 करोड़ खर्च किया जिसका विस्तृत विवरण लेखापरीक्षा को समर्पित नहीं किया गया। यह प्रेक्षित किया गया कि समाज कल्याण विभाग के निर्देश पर (जनवरी 2003), कम्पनी के द्वारा ₹ आठ करोड़ वापस कर दिया गया। शेष ₹ 5,80 करोड़ की निधि कम्पनी के पास अप्रयुक्त पड़ा हुआ था (अक्टूबर 2013)। इस प्रकार, निधि का उपयोग अभिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था।

  प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि ₹ 5,80 करोड़ अप्रयुक्त पड़ा रहा और राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के अनुसार इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। हमने प्रेक्षित किया कि न तो कम्पनी ने इस संबंध में विभाग की राय माँगी और न ही विभाग द्वारा इसके उपयोग के लिए पहल की गयी।

- चूँकि कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत, (लाभ न कमानेवाली कम्पनी के रूप में), पंजीकृत थी, यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26) (ख) के अन्तर्गत कर से मुक्त है और इस तरह सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज स्रोत पर कर की कटौती (टी0डी0एस0) से मुक्त था। हमने प्रेक्षित किया कि 2010–12 की अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज के विरुद्ध स्रोत पर कर की कटौती कर ली गई थी क्योंकि कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुसार टी0डी0एस0 से छूट के संबंध में बैंक को अपनी स्थिति बताने में विफल रहा था। इस प्रकार कम्पनी द्वारा संबंधित बैंक को विशेष निर्देश न देने के कारण ₹ 34,49 लाख की निधि अवरुद्ध हो गई थी।

  प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2013) कि कटौती के विरुद्ध फॉर्म 16ए प्रस्तुत करने के लिए बैंक को एक शिकायत दर्ज कराई गई थी।

## लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब

**2.1.9** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166 और 216 के साथ पठित धारा 210 के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के भीतर कम्पनी की लेखों को अंशधारियों की वार्षिक आम बैठक में लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन (नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपूरक टिप्पणियाँ सहित) के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

**कम्पनी के लेखे वर्ष 1998–99 से बकाया थे**

हमने प्रेक्षित किया कि कम्पनी के लेखे विगत 14 वर्षो से 1998–99 से बकाया थे। विलम्ब का कारण मुख्य रूप से अप्रैल 2006 से जून 2010 तक की अवधि में कम्पनी के निदेशक मण्डल का गठन न होना था। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने निगमन (1993–94) के आठ साल बाद 2001–02 में लेखों को तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया था।

लेखों का अन्तिमीकरण न होने के कारण, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश और व्यय का ठीक से लेखांकन किया गया था और निधि का निवेश जिस उद्देश्य के लिए किया गया उसे प्राप्त किया गया था या नही| इसके अतिरिक्त लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब से कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखाधड़ी और लोक–धन के रिसाव का जोखिम भी हो सकता है।

## कम्पनी की ऋण देने तथा वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ

**2.1.10** ऋण देने की गतिविधियों के अन्तर्गत, कम्पनी ने 2008–13 की अवधि में रा0पि0व0वि0वि0नि0 की शिक्षा ऋण एवं सावधिक ऋण योजनाओं (भारत सरकार) तथा राज्य सरकार की मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना और मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना कार्यान्वित किया था।

### रा0पि0व0वि0वि0नि0 शिक्षा ऋण योजना

**2.1.11** रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा शिक्षा ऋण योजना पिछड़े वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों जिनकी वार्षिक आय दुगुनी गरीबी रेखा (₹42,412) के नीचे है, के लाभ के लिए बनाई गई है। यह शैक्षणिक अवसरों के बेहतरी तथा शिक्षा (सामान्य, व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रम) के लिए रियायती ब्याज दर (चार प्रतिशत वार्षिक दर) पर ऋण देकर किया जाता था। अधिकतम स्वीकार्य ऋण ₹ तीन लाख की अधिकतम/प्रतिवर्ष ₹ 75000 की सीमा शर्त के साथ शिक्षा की लागत का 90 प्रतिशत था। पूरा ऋण पाँच साल की अवधि के भीतर समान मासिक किश्तों (ई0एम0आई0) में भुगतेय था। पुर्नभुगतान लाभार्थी के रोजगार प्राप्ति के तीन महीने के बाद या स्वरोजगार के मामले में छः महीने के बाद आरम्भ किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि कम्पनी द्वारा निम्न वसूली तथा रा0पि0व0वि0वि0नि0 के ऋण का पुर्नभुगतान नहीं करने के कारण रा0पि0व0वि0वि0नि0 ने 27254[11] लक्षित लाभार्थियों के लिए संस्वीकृत ऋण ₹ 114.39 करोड़ विमुक्त नहीं किया। परिणामस्वरुप वर्ष 2008–13 में कम्पनी द्वारा कोई नया शिक्षा ऋण संस्वीकृत नहीं किया जा सका। फिर भी 2008–13 की अवधि में शिक्षा ऋण के संवितरण के लिए कम्पनी के पास उपलब्ध ₹ 0.90 करोड़[12] की राशि में से ₹ 0.89 करोड़ की राशि केवल उन छात्रों के लिए ऋण किश्तों के भुगतान के लिए उपयोग किया गया था, जिनके साथ वित्त वर्ष 2008–09 के पहले समझौता किया गया था।

वर्ष 2011–12 तक इस योजना के अन्तर्गत संवितरित ₹ 1.89 करोड़[13] के कुल ऋण के विरुद्ध वसूली मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार, मात्र ₹ 30.89 लाख थी। हमने प्रेक्षित किया कि :

**अनुश्रवण तंत्र के मौजूद नहीं होने के कारण ₹ 0.98 करोड़ के ऋण की राशि आरंभ नहीं की जा सकी**

- ऋण प्राप्तकर्त्ताओं/विद्यार्थियों के साथ किए गए शिक्षा ऋण के लिए अनुबन्ध की उपवाक्य 16 के अनुसार छात्रों का कर्त्तव्य था कि जैसे ही वह पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद रोजगार प्राप्त करता है यथासमय कम्पनी को प्रतिवेदित करें। हालांकि हमने प्रेक्षित किया कि लाभार्थियों ने पाठ्यक्रम के पूरा होने और उसके बाद रोजगार के बारे में कम्पनी को सूचित नहीं किया तथा कम्पनी ने भी इस संबंध में ऋण प्राप्तकर्त्ताओं के रोजगार/स्वरोजगार के संबंध में जानकारी को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था, जो ऋण वसूली प्रबंधन के अभाव को इंगित करता है। परिणामस्वरुप 2006–10 के दौरान 49 लाभार्थियों को संवितरित ₹ 0.98 करोड़ के शिक्षा ऋण राशि की वसूली के लिए लाभार्थियों/माता–पिता/जमानतदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की जा सकी।

---

[11] रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा संस्वीकृत लाभार्थियों की संख्या।

[12] अप्रैल 2008 को अप्रयुक्त राशि का आरम्भिक शेष ₹ 24.71 लाख, 2008–09 में ₹ 40 लाख और 2009–10 में ₹ 25 लाख।

[13] इसमें 2008–09 के पूर्व वितरित ₹ एक करोड़ और 2008–12 के दौरान क्रमवार किश्तों के लिए वितरित ₹ 0.89 करोड़।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि दोषी लाभार्थियों के विरुद्ध कोई कानूनी कदम नहीं उठाया गया था लेकिन शीघ्र भुगतान के लिए लाभार्थियों और उनके जमानतदार को स्मार–पत्र जारी किया जा रहा था। यद्यपि, इस तरह का कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को नहीं दिखाया गया।

## रा0पि0व0वि0वि0नि0 आवधिक ऋण योजना

**2.1.12** आवधिक ऋण योजना के अन्तर्गत सहायता दुगुनी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों जैसा कि सरकार से विर्निदिष्ट है, हेतु आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं तकनीकी रूप से संभाव्य उद्यमों के लिए उपलब्ध था। इस योजना के अन्तर्गत, परियोजना लागत का 85 प्रतिशत तक छः प्रतिशत ब्याज दर से अधिकतम ₹ पाँच लाख प्रति लाभार्थी, ऋण दिया जा सकता है। पूरा ऋण स्थगन काल सहित अधिकतम दस वर्षो की अवधि में चुकाया जाना था।

हमने प्रेक्षित किया कि रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण, 2008–13 की अवधि में इस योजना के अन्तर्गत कोई नया ऋण स्वीकृत नहीं किया गया था। वर्ष 2008–09 के पूर्व संवितरित ऋण के विरुद्ध निम्नलिखित वसूली की गई।

**तालिका सं0: 2.1.2**

**(₹ लाख में)**

| वित्तीय वर्ष | बकाया राशि (मूलधन) | वर्ष के दौरान वसूली | बकाया राशि की तुलना में वसूली का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 2008–09 | 2788.16 | 16.85 | 0.60 |
| 2009–10 | 2771.31 | 35.02 | 1.26 |
| 2010–11 | 2736.29 | 11.19 | 0.41 |
| 2011–12 | 2725.10 | 17.43 | 0.64 |
| 2012–13 | 2707.67 | 5.73 | 0.21 |

**(स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)**

**लाभार्थियों के खातों का रख–रखाव नहीं होने/अद्यतन नहीं होने की परिणति बकाया ऋण के निम्न वसूली में हुई**

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि मार्च 2013 को समाप्त हुए पाँच वर्षों की अवधि में 2008–09 से पूर्व संवितरित ऋण के विरुद्ध कम्पनी द्वारा वसूली बहुत निराशाजनक थी। नमूना जाँच किए गए जिलों[14] में पाया गया कि अभिलेखों/संचिकाओं/पंजियों का संधारण नहीं किया गया था तथा लाभार्थियों के खातों को अद्यतन नहीं किया गया था। परिणामस्वरुप, बकाया ऋण की वसूली के लिए काई प्रभावी अनुसरण नहीं था।

प्रबन्धन (अक्टूबर 2013) ने कहा कि ऋण पुनर्भुगतान लाभार्थियों द्वारा जिलों के कार्यालयों में किया जा रहा था और जिलों के जिलाधिकारियों/जिला कल्याण कार्यालयों के साथ पत्राचार के माध्यम से वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

हमने आगे पाया कि :

- जिला कल्याण कार्यालय, दरभंगा में 233 लाभार्थियों को संवितरित ₹ 1.25 करोड़ की राशि में से 74 ऋणियों ने आठ साल से अधिक की अवधि के बीतने के बाद भी किसी भी किश्त का भुगतान नहीं किया था। नमूना जाँच किए गए अन्य जिलों[15] में ऋण के सम्बन्ध में वांछित

[14] समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, सारण एवं सिवान।
[15] समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, सारण, गया एवं सिवान।

अभिलेखों/संचिकाओं/पंजियों के संधारण न होने के कारण वसूली की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने, तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि लेखापरीक्षा आपत्तियों/टिप्पणियों के अनुसार संबंधित जिला कल्याण कार्यालय से आवश्यक अनुपालन के लिए कार्रवाई की जा रही थी।

- सभी 10 नमूना जाँच की गई जिला कल्याण कार्यालयों में, लाभार्थियों से ऋण का भुगतान न करने के मामले में 2008–13 की अवधि में चूककर्त्ताओं को वसूली नोटिस/स्मार–पत्र जारी नहीं किए गए और न जमानतदारों, जो सरकारी कर्मचारी थे, के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई थी।

  प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि चूककर्त्ताओं को और लाभार्थियों के जमानतदारों को भी नोटिस/स्मार–पत्र जारी किया गया था। परन्तु ऐसा कोई अभिलेख सभी 10 नमूना जाँच किए गए जिला कार्यालयों में लेखापरीक्षा को नहीं दिखाया गया।

- लखीसराय को छोड़कर, जहाँ वसूली 72.7 प्रतिशत था, सभी जिलों में ऋण वसूली का प्रतिशत बहुत निम्न था और वसूली का परास शून्य से 38.5 प्रतिशत के बीच रहा था। । इसके अतिरिक्त पाँच[16] जिलों में वसूली का परास शून्य प्रतिशत से 7.77 प्रतिशत के बीच रहा।

  प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि कम्पनी द्वारा वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

- पाँच[17] जिला कल्याण कार्यालयों द्वारा ऋण के विरुद्ध वसूल की गई ₹ 18.59 लाख की राशि कम्पनी को प्रेषित नहीं की गयी तथा दो से लेकर पाँच वर्षों तक, उन लोगों के पास पड़ी थी, जो कम्पनी की वसूली प्रणाली पर आंतरिक नियंत्रण के अभाव को इंगित करता है।

  प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि इस मामले में तत्काल प्रेषण के लिए सम्बन्धित जिला कल्याण कार्यालय के साथ पहल की जा रही है।

- बिहार राज्य के विभाजन के पूर्व, कम्पनी द्वारा झारखण्ड में वितरित ₹ 4.85 करोड़ की राशि अभी तक वसूलनीय थी (सितम्बर 2013)।

## मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना

**2.1.13** मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना, राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को आम जीवन जीने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2007–08 के दौरान आरम्भ की गई थी। कम्पनी कार्यान्वयन एजेंसी थी। इस योजना के अन्तर्गत व्यवसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए राज्य के विकलांग छात्रों को ₹ पाँच लाख तक के ऋण प्रतिवर्ष चार प्रतिशत की ब्याज दर पर संस्वीकृत किया जा सकता था। ऋण का पुनर्भुगतान पाठ्यक्रम के पूरा होने से एक साल के बाद या रोजगार प्राप्ति से छः महीने बाद, जो पहले हो, से आरम्भ किया जाना था। यह योजना समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार लागू

[16] अररिया, जमुई, बाँका, अरवल एवं शिवहर।

[17] बक्सर, दरभंगा, गया, सारण एवं सिवान।

किया जाना था। मार्च 2013 को समाप्त हुए पाँच वर्षों की अवधि में एक आवर्ती निधि के रूप में समाज कल्याण विभाग द्वारा ₹ 3.46 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से ₹ 1.50 करोड़ की राशि 102 लाभार्थियों को संवितरित की गई थी। अप्रैल 2008 से मार्च 2013 के पाँच वर्षों में योजना के अन्तर्गत प्राप्त निधियों और उसके उपयोग का विवरण नीचे दी गई है:

**तालिका सं0: 2.1.3**

(₹ लाख में)

| वर्ष | प्राप्त निधि | संवितरित ऋण | वसूली |
|---|---|---|---|
| 2008–09 | 130.00 | – | – |
| 2009–10 | – | 22.22 | – |
| 2010–11 | 16.00 | 49.56 | – |
| 2011–12 | 8.00 | 47.30 | 0.20 |
| 2012–13 | 192.00 | 30.63 | 0.96 |
| **कुल** | **346.00** | **149.71** | **1.16** |

**(स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)**

हमने इस योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई :

- सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शिका प्रेषित किए बिना ₹1.30 करोड़ की निधि विमुक्त कर दी (अप्रैल 2008)। समाज कल्याण विभाग ने मार्गदर्शिका को जुलाई 2009 में अन्तिम रूप दिया। मार्गदर्शिका के अभाव में 2008–09 की अवधि में कोई संवितरण नहीं किया गया।

- इसके अतिरिक्त, 2012–13 में, प्रबन्ध निदेशक की अनुपस्थिति (1 मई 2012 से 26 फरवरी 2013 की अवधि में) के कारण ₹ 1.92 करोड़ में से केवल ₹ 30.63 लाख संवितरित किए गए यद्यपि यह राशि अप्रैल 2012 में प्राप्त हो गई थी।

- 102 लाभार्थियों में से 26 लाभार्थियों को संस्वीकृत सहायता के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि सात लाभार्थियों के मामले में 2010 और 2011 के बीच के शैक्षणिक सत्र के अन्तिम चरण सितम्बर 2009 तथा अप्रैल 2011 के बीच ऋण संस्वीकृत की गई।

  प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब का कारण मुख्यतः योजना के मार्गदर्शिका को अंतिम रूप देने में विलम्ब था। कम्पनी के उत्तर से स्वतः स्पष्ट होता है कि वहाँ योजना के कार्यान्वयन के लिए, कार्य योजना का अभाव था।

**₹ 1.50 करोड़ के संवितरण के विरुद्ध वसूली मात्र ₹ 1.16 लाख थी**

- वर्ष 2008–13 की अवधि में ₹ 1.50 करोड़ के संवितरण के विरुद्ध कुल वसूली मात्र ₹ 1.16 लाख थी। यह पाया गया कि ऋण की समय पर वसूली के लिए कोई अनुश्रवण तंत्र विकसित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरुप 18 लाभार्थियों, जिन्हें ₹ 24.56 लाख शिक्षा ऋण की राशि संवितरित की गयी थी और जिनका पाठ्यक्रम 2009–12 के दौरान पूरा किया गया था, से कोई वसूली आरम्भ नहीं की गयी थी।

  प्रबन्धन/सरकार ने निकास सम्मेलन में कहा (नवम्बर 2013) कि आवश्यक अनुश्रवण और वसूली तंत्र स्थापित किया जा रहा था।

## मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना

**2.1.14** मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना का आरम्भ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 में स्वरोजगार को प्रोत्साहित कर विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए किया गया था, योजना के अन्तर्गत ₹ 1.50 लाख तक के ऋण का प्रावधान था। ऋण का पुनर्भुगतान, ऋण की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद या लाभार्थी द्वारा व्यापार के प्रारंभ से छः महीने के बाद, जो भी पहले हो, आरम्भ किया जाना था। यह योजना भी समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाना था। इस योजना के अन्तर्गत ₹ 5.19 करोड़ की राशि की प्राप्ति के विरुद्ध कम्पनी केवल ₹ 1.89 करोड़ संवितरित कर सकी थी और शेष राशि ₹ 3.30 करोड़ मार्च 2013 तक कम्पनी के पास अवितरित पड़ी थी। अप्रैल 2008 से मार्च 2013 के पाँच वर्षों के दौरान निधियों की प्राप्ति और उनके वितरण को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

**तालिका सं0: 2.1.4**

(₹ लाख में)

| वर्ष | प्राप्त निधि | वितरित ऋण | वसूली |
|---|---|---|---|
| 2008–09 | 195.00 | – | – |
| 2009–10 | – | – | – |
| 2010–11 | 24.00 | 46.10 | – |
| 2011–12 | 12.00 | 118.30 | 0.05 |
| 2012–13 | 288.00 | 24.25 | 1.16 |
| **कुल** | **519.00** | **188.65** | **1.21** |

**(स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)**

अभिलेखों की जाँच के दौरान संवितरण में निम्नलिखित त्रुटियाँ उद्घाटित हुईं :

कम्पनी ने लक्षित लाभार्थियों के लिए योजना जो उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता हो, को लागू करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं किया। यह प्रेक्षित किया गया कि 38 में से 11 जिलों में ऋण संवितरित नहीं किया गया था।

- हमने पाया कि 26 लाभार्थियों की एक सूची ऋण की स्वीकृति और अनुमोदन हेतु सिवान जिले से कम्पनी मुख्यालय को भेजा गया था, लेकिन तीन साल व्यपगत होने के बावजूद कम्पनी द्वारा न तो उनके प्राप्ति की पुष्टि की गई थी और न ही कार्रवाई की गई थी।

- समाज कल्याण विभाग द्वारा योजना को कार्यान्वित करने के लिए बिना किसी मार्गदर्शिका के मार्च 2008 में निधि उपलब्ध करायी गयी थी। तथापि, जुलाई 2009 में मार्गदर्शिका की प्राप्ति के बाद भी, लाभार्थियों को निधि का संवितरण नौ महीने विलम्ब से अप्रैल 2010 में किया गया। इससे निधि का संवितरण प्रारम्भ करने में असामान्य विलम्ब हुआ।

- यह भी प्रेक्षित किया गया कि ऋण आवेदनों के प्रसंस्करण में लगने वाले समय का परास छः महीने से 26 महीने तक था।

  प्रबन्धन ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए अभिलेखन में विलम्ब को प्राथमिकता के आधार पर जाँच किया जाएगा।

**नियंत्रण प्रणाली के अभाव के कारण ₹ 1.89 करोड़ के संवितरण के विरुद्ध ₹ 1.21 लाख की निम्न वसूली हुई**

- मार्गदर्शिका में प्रावधान के बावजूद तीन[18] सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा इस योजना के लिए अलग से कोई बचत बैंक खाता संचालित/खोला नहीं गया था। अररिया और बेतिया को छोड़कर किसी भी जिले में अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण के सम्बन्ध में ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' भी प्राप्त नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्ति तीन[19] जिलों की जाँच परीक्षा में पाया गया कि ऋण के समुचित उपयोग की पुष्टि करने के लिए इकाईयों का सत्यापन नहीं किया गया था और न चार[20] जिलों में कार्यालयों द्वारा पोस्ट डेटेड चेक प्राप्त किया गया था। साथ ही इन कार्यालयों द्वारा लाभार्थियों का ऋण खाता–बही भी संधारण नहीं किया गया था। ये त्रुटियाँ उचित नियंत्रण–प्रणाली के अभाव को प्रदर्शित करती हैं। परिणामस्वरुप, 2008–13 की अवधि में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 1.89 करोड़ के कुल संवितरण के विरुद्ध, उपर्युक्त अवधि में वसूली निराशाजनक थी और मात्र ₹ 1.21 लाख (0.64 प्रतिशत ) थी।

  प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित जिलों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।

## छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता

**2.1.15** ऋण देने की योजनाओं को कार्यान्वित करने के अतिरिक्ति, कम्पनी 2008–13 की अवधि में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी थी। संबंधित लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा अनुवर्त्ती कंडिकाओं में की गई है।

### मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना (एम0एम0ए0पी0वी0एम0वाई0)

**2.1.16** मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना वर्ष 2008–09 में राज्य सरकार द्वारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग[21] के विद्यार्थियों के बीच शिक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से आरम्भ की गई थी। कथित योजना स्थाई रूप से बिहार के रहने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक छात्र जिसने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित दसवीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है को सहायता के रूप में ₹ 10,000 के भुगतान का प्रावधान करती है। कम्पनी द्वारा योजना जिला कल्याण कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना था और राशि का संवितरण बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जाना था। लाभार्थियों की सूची बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा जारी की जाती थी जिसे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजा जाता था और इस सूची के आधार पर कम्पनी द्वारा वितरण करवाया जाना था। इस योजना के अन्तर्गत छात्रों की सूची जिन्हें राशि वितरित की जानी थी, जिला कल्याण कार्यालयों (डी0डब्ल्यू0ओ0) द्वारा पुष्टि के शर्त्त पर थी कि वे अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के सदस्य हों। 2008–13 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार से कम्पनी ने 1,08,940 विद्यार्थियों के लिए ₹ 1,08.94 करोड़ की राशि प्राप्त किया जिसमें से ₹ 108.91 करोड़ 1,08,915 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सम्बन्धित जिला कल्याण कार्यालयों/जिला शिक्षा कार्यालयों को संवितरित की गई थी।

---

[18] पटना, गया और बक्सर (₹39.60 लाख संवितरित राशि)।

[19] समस्तीपुर, दरभंगा और भोजपुर।

[20] समस्तीपुर, दरभंगा, बक्सर और सारण।

[21] राज्य सरकार के राजपत्रित अधिसूचना की अनुसूची–I में वर्णित जातियाँ।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित त्रुटियाँ उद्घाटित हुईं :

**299 अयोग्य लाभार्थियों को ₹ 29.90 लाख की सहायता दी गई**

- कम्पनी/विभाग के निर्देश[22] के अनुसार, इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दिए जाने से पहले जिला कल्याण कार्यालय द्वारा लाभार्थी के अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के होने का सत्यापन करना आवश्यक था। लाभार्थियों के अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी स्थिति के नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि चार[23] जिलों में ₹ 29.90 लाख की सहायता 299 अयोग्य लाभार्थियों को स्वीकृत/संवितरित की गई थी, जो कि योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए योग्य नहीं थे क्योंकि वे अत्यन्त पिछड़ा वर्ग समुदाय के नहीं थे।

**निधि के संवितरण के विरुद्ध जिला कल्याण कार्यालयों से लाभार्थियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया गया**

- कम्पनी ने इस योजना के अन्तर्गत ₹ 108.91 करोड़ के कुल संवितरण के विरुद्ध ₹ 93.73 करोड़ की राशि के सम्बन्ध में 38 जिला कल्याण कार्यालयों/जिला शिक्षा कार्यालयों से लाभार्थियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया था। कम्पनी ने इस मामले का जिला कल्याण कार्यालयों/जिला शिक्षा कार्यालयों[24] से प्रभावी ढंग से अनुसरण नहीं किया।

- जिला कल्याण कार्यालय/जिला शिक्षा कार्यालय अप्रयुक्त राशि लौटाने में तत्पर नहीं थे और असंवितरित राशियों को विभिन्न बैंक खातों में रखा तथा बैंक ड्राफ्टों को रोके रखा। जिला कल्याण कार्यालयों/जिला शिक्षा कार्यालयों के पास ₹ 1.86 करोड़ की राशि एक से चार वर्षों की अवधि तक अप्रयुक्त पड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त, जिला कल्याण कार्यालयों/जिला शिक्षा कार्यालयों द्वारा वापस की गई ₹ 5.38 करोड़ की असंवितरित राशि, कम्पनी के पास विभिन्न बैंक खातों में पड़ी थी और इस तरह 53,800[25] लाभार्थियों को लाभ नहीं पहुँचाया जा सका। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा विभाग को असंवितरित राशि वापस नहीं की गयी थी।

  प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि 16 जिलों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिए गए थे। कम्पनी का उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि कम्पनी द्वारा उचित ढंग से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, किस राशि/अवधि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हुआ इस पर उत्तर मौन था। आगे यह कहा गया कि कम्पनी जिला कल्याण कार्यालयों/जिला शिक्षा कार्यालयों के पास पड़ी हुई असंवितरित राशि लगातार वापस प्राप्त कर रही थी। हमने पाया कि जिला कल्याण कार्यालय/जिला शिक्षा कार्यालय पाँच से 35 महीनें की अवधि के बाद असंवितरित राशि लौटा रहे थे।

---

22 कम्पनी द्वारा राशि की विमुक्ति के समय जिला कल्याण कार्यालयों को जारी निर्देश।

23 पूर्णिया, गया, भागलपुर और बक्सर।

24 जिला कल्याण कार्यालय/जिला शिक्षा कार्यालय।

25 ₹ 5.38 करोड़ (असंवितरित राशि/बैंक ड्राफ्ट)÷ ₹ 10,000 (योजना के अन्तर्गत एक विद्यार्थी को दिए जाने वाले सहायता की राशि) = 53,800 विद्यार्थी/लाभार्थी।

## मानव–शक्ति

**मानव–शक्ति की कमी ने कम्पनी के कार्यकलाप को प्रतिकूल ढ़ंग से प्रभावित किया तथा इसे निदेशक मंडल द्वारा प्रभावी रुप से नहीं सुलझाया गया**

**2.1.17** कम्पनी में मानव–शक्ति का अभाव था और 30 अधिकारियों (सात प्रबंधकीय एवं 23 अधीनस्थ पद) के स्वीकृत कार्यबल के विरुद्ध निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में 15 (पाँच प्रबंधकीय एवं 10 अधीनस्थ पद) पद रिक्त पड़े थे; इस प्रकार कार्यबल में 50 प्रतिशत की कमी थी। मानव–शक्ति की कमी के कारण, कम्पनी अपना जिला स्तरीय ढाँचा स्थापित करने की स्थिति में नहीं थी। कम्पनी ने जिला स्तर के कार्यालयों के स्तर पर स्वीकृत मानव–शक्ति निर्धारित नहीं किया था। मानव–शक्ति की कमी का मामला कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा प्रभावी रूप से सुलझाया नहीं गया था। कम्पनी द्वारा अब तक कोई भर्ती नीति प्रतिपादित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने स्थापना मामले, भर्ती, प्रशिक्षण आदि के लिए कोई कार्मिक नियमावली तैयार नहीं की थी। 2008–13 की अवधि में, कम्पनी द्वारा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन की कोई प्रणाली नहीं थी। इन त्रुटियों ने योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में कम्पनी के कार्य–कलापों को प्रभावित किया।

## आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

**2.1.18** आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, प्रबंधन का एक अस्त्र है जिसका उपयोग इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए होता है कि प्रबंधन के उद्देश्यों की प्राप्ति कुशलतापूर्वक, प्रभावी रुप से एवं व्यवस्थित तरीके से हो रही है। प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अंग के रूप में कुशल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0) का प्रावधान निर्णय लेने तथा नियंत्रण को सुगम बनाने हेतु पूर्वापेक्षित है। इसके अतिरिक्त, कुशल नियंत्रण हेतु कुशल एवं प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध का भी अस्तित्व होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा आंतरिक लेखापरीक्षा में निम्न त्रुटियाँ पाईं:

- कम्पनी में एम0आई0एस0 विद्यमान नहीं था। कम्पनी के पास कोई भी परिचालन और कार्यान्वयन नियमावली नहीं थी। इसके अतिरिक्त, प्रभावी अनुश्रवण के लिए जिला कल्याण कार्यालय द्वारा संवितरण, बकाया वसूली तथा वास्तविक वसूली से सम्बन्धित कोई आवधिक प्रतिवेदन/विवरण तैयार कर उच्च प्रबन्धन को भी नहीं भेजा गया;

- जिला कल्याण कार्यालय/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/जिला शिक्षा कार्यालय से निधि के संवितरण संबंधी उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के अनुश्रवण हेतु कम्पनी द्वारा कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, वर्षवार/योजना वार/जिला वार उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधी आँकड़ों का संधारण कम्पनी द्वारा नहीं किया गया था;

- मूलधन और ब्याज के रूप में देय तथा वसूली योग्य राशि का, ऋणी वार विवरण दर्शाने के लिए खाता–बही का न तो ठीक से संधारण किया गया था और न इन्हें अद्यतन किया गया था। ऋण की अदायगी में चूक करने वाले ऋणियों का डाटाबेस भी संधारण नहीं किया जा रहा था। इन आधारभूत अभिलेखों के अभाव में ऋण की वसूली पर कोई प्रभावी निगरानी नहीं थी, जो तुच्छ वसूली प्रदर्शन से स्पष्ट है।

  प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि आँकड़े/सूचना संकलन का काम कम्पनी द्वारा आरंभ किया गया था और जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर खातों को अद्यतन किया जाना था।

- वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक की अवधि में केवल दो बोर्ड बैठक आयोजित की गई। अप्रैल 2006 से जून 2010 तक की अवधि में कम्पनी में निदेशक मंडल नहीं था। बोर्ड के गठन के बावजूद, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 285 के अन्तर्गत निर्धारित बोर्ड की बैठकों का आयोजन नहीं किया गया, जिसका परिणाम वार्षिक खातों को अंतिमीकृत नहीं होना, वार्षिक सामान्य बैठक के अभाव में वैधानिक विवरण दाखिल करने में विफलता, ऋण की निम्न वसूली/वसूली का अनुश्रवण न होने, आदि के रूप में हुआ।
- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159 के अन्तर्गत वार्षिक विवरण[26] वित्तीय वर्ष 1997–98 से कम्पनी रजिस्ट्रार (आर0ओ0सी0) को दायर नहीं किया गया था। परिणामस्वरुप, कम्पनी रजिस्ट्रार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159, 166, 210 और 220 के अन्तर्गत दोष के लिए नोटिस भेजा (अक्टूबर 2009 और जून 2010) और कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा कम्पनी का नाम निष्क्रिय कम्पनियों की सूची (डॉरमेण्ट) में प्रकाशित किया गया।

उपरोक्त त्रुटियाँ कम्पनी में प्रचलित अप्रभावी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली और अनुश्रवण तंत्र को इंगित करती थी।

## आन्तरिक लेखापरीक्षा

**2.1.19** कम्पनी में स्थापना के बाद से ही कोई पृथक् आंतरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली तैयार नहीं किया गया था। कम्पनी में, सनदी लेखाकारों (चार्टर्ड एकाउन्टेंट) को लेखा को अद्यतन करने तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य पूरा करने हेतु नियोजित किया गया था। खातों की आंतरिक लेखापरीक्षा 2010–11 तक की अवधि के लिए किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा किए गए अवलोकनों पर कम्पनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी जिनमें खाता–बही तथा लाभार्थी–वार खातों का संधारण नहीं करना, लाभार्थियों को देय राशि की वसूली का अनुसरण नहीं करना, ऋण के अभिलेखों तथा ऋण की शर्तो का सत्यापन नहीं करना, इत्यादि शामिल थे।

प्रबन्धन ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि प्राथमिकता के आधार पर लेखापरीक्षा के सुझाव के अनुसार आन्तरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र पर ध्यान दिया जाएगा।

## निष्कर्ष

**विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषण और वसूली के सम्बन्ध में बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं था। विस्तृत योजना की तैयारी नहीं होने के परिणामस्वरुप लक्षित लाभार्थियों को अभीष्ट लाभ से वंचित होना पड़ा और योजनाओं का तुच्छ कार्यान्वयन हुआ। कम्पनी के कामकाज के सम्बन्ध में सरकार की भूमिका त्रुटिपूर्ण थी जैसा कि निदेशक मंडल के गठन, मार्गदर्शिका तैयार करने और निर्देश जारी करने में विलम्ब से परिलक्षित होता है। कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन त्रुटिपूर्ण था जैसा कि तुच्छ वसूली, विभिन्न ऋण/छात्रवृत्ति योजनाओं से सम्बन्धित निधि की अप्रयुक्तता/कम उपयोग, निधि की अवरुद्धता एवं लेखाओं के**

[26] बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि खाता, इत्यादि।

अन्तिमीकरण में विलम्ब के दृष्टांतों से देखा जा सकता है। विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण थे जिनके कारण योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाया था।

उपयोगिता प्रमाण पत्र सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण/छात्रवृत्ति की राशि लाभार्थियों को वास्तव में संवितरित की गई थी और संवितरित निधि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा था जिसके लिए यह वितरित किया गया था।

लाभार्थियों से वसूली के अनुश्रवण के लिए प्रणाली संतोषजनक नहीं था क्योंकि मार्च 2013 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा की गई कुल वसूली निराशाजनक थी। कम्पनी में मानव–शक्ति की कमी को निदेशक मंडल की बैठक में प्रभावी ढंग से नहीं निपटाया गया था जिसने कम्पनी के कामकाज को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किया था। कम्पनी में विद्यमान आन्तरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र त्रुटिपूर्ण था।

## अनुशंसाएँ

- अपनी गतिविधियों की प्रकृति के कारण कम्पनी पर एक बड़ा सामाजिक उत्तरदायित्व है और इसलिए अभीष्ट लाभार्थियों को छात्रवृत्ति/ऋण निधि के संवितरण और वसूली के लिए इसे एक रणनीतिक योजना विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जिससे निधि के समयबद्ध उपयोग और जिस उद्देश्य के लिए इसे प्राप्त किया है उसके अनुरूप इसकी उपयोगिता सुनिश्चित किया जा सके।

- कम्पनी को अनुवर्त्ती छात्रवृत्ति/ ऋण निधि को मुक्त करने से पहले जि0क0कार्या0/महाविद्यालयों/संस्थानों/लाभार्थियों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र सुरक्षित करने हेतु एक प्रणाली विकसित करना चाहिए; साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभार्थियों को संवितरित छात्रवृत्ति/ऋण निधि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इसे संवितरित किया गया था।

- वसूली तंत्र सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। कम्पनी को अपने लाभार्थियों के डाटा बेस को अद्यतन करने की आवश्यकता है और नियमित अंतराल पर लाभार्थियों से वसूली का कठोर अनुश्रवण तथा अनुसरण करने की आवश्यकता है।

- मानव–शक्ति की कमी को निदेशक मंडल की बैठक में प्रभावी ढंग से निपटाए जाने की आवश्यकता है ताकि कम्पनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े और कम्पनी की जिला स्तर पर संस्थापना सुनिश्चित किया जा सके।

- कम्पनी में प्रचलित आन्तरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाये जाने की आवश्यकता है।

## अध्याय-II

## 2.2 बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड की वित्त एवं वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ

### कार्यकारी सारांश


*परिचय*

*बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा मार्च 1984 में की गई थी। कम्पनी बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है। कम्पनी वर्णित मानदण्ड के आधार पर सरकार/राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के रा0अ0वि0वि0नि0 विभिन्न योजनाओं के लिए योग्य लाभार्थियों का चयन करने हेतु उत्तरदायी है तथा भौतिक सत्यापन के बाद लाभार्थियों का चयन एक समिति के द्वारा किया जाता है जिसमें जिला प्राधिकारी, अग्रणी बैंक तथा उद्योग एवं व्यापार निदेशालय का प्रतिनिधित्व होता है।*

*वार्षिक कार्य योजना*

*आवंटित निधि के विरुद्ध उद्देश्य पत्र के नियम एवं शर्तों के अनुपालन में कम्पनी की असफलता के कारण रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा ₹ 45.20 करोड़ की राशि वर्ष 2008–13 की अवधि के दौरान कम्पनी को संवितरण हेतु मुक्त नहीं की गई।*

*कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन*

*कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि वसूली रा0अ0वि0वि0नि0 की देयता का उन्मोचन करने हेतु अपर्याप्त था। वर्ष 2010–11 के दौरान कम्पनी ने अपनी निधि (अंश पूँजी) से ₹ 12.99 करोड़ का पुनर्भुगतान किया।*

*कम्पनी की ऋण देने तथा वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ*

*आवधिक ऋण योजना*

*कम्पनी ने ₹ 21.27 करोड़ प्राप्त किया जिसमें से वर्ष 2008–13 के दौरान ₹ 16.66 करोड़ का उपयोग किया गया। सारण प्रमंडल में प्राप्त 361 आवेदनों में से 22 चयनित आवेदनों में आय प्रमाण–पत्र नहीं था जो चयन हेतु पूर्वापेक्षित था। पटना प्रमंडल में मूल 84 आवेदकों के नाम चयन हेतु कभी विचार नहीं किए गए। लाभार्थियों के 49 नमूना जाँच किये गए आय प्रमाण–पत्रों में 16, जारी करने वाले पदाधिकारी (अंचल कार्यालय) के अभिलेखों के अनुसार त्रुटिपूर्ण पाए गए। मार्च 2013 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा की गई वसूली निराशाजनक थी तथा इसका परास वसूली योग्य कुल राशि के 3.24 तथा 4.65 प्रतिशत के बीच था।*

*शिक्षा ऋण योजना*

*कम्पनी ने वर्ष 2008–13 की अवधि में ₹ 2.13 करोड़ प्राप्त किया जिसमें उपर्युक्त अवधि में ₹ 1.46 करोड़ का संवितरण किया गया। निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण इस योजना के अंतर्गत नए ऋण का संवितरण वर्ष 2009–10 में नहीं हो सका। निधि की उपलब्धता होने के बावजूद वर्ष 2011–12 की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा ऋण का संवितरण नहीं किया गया।*

*शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत ऋण का पुनर्भुगतान का अनुसरण नहीं किया गया क्योंकि लाभार्थियों ने कम्पनी को न तो उनके पाठ्यक्रम पूर्ण होने और/अथवा स्वरोजगार की सूचना दी न ही कम्पनी ने ऋणियों से इस पहलू को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास किया।*

*माइक्रो क्रेडिट योजना*

*माइक्रो क्रेडिट योजना के अंतर्गत कम्पनी द्वारा गैर सरकारी संगठनों की वित्तीय साख/ट्रैक रिकॉर्ड का सत्यापन किए बिना 305 लाभार्थियों के लिए तीन गैर सरकारी संगठनों के अनुरोध पर ₹ 48.21 लाख की राशि मुक्त की गई जिसमें*

₹ 43.50 लाख की राशि चार वर्षों के बाद भी वसूली नहीं जा सकी। माइक्रो क्रेडिट योजना कम्पनी द्वारा वर्ष 2009–10 से बंद कर दी गई।

### छात्रवृत्ति, कोचिंग तथा कौशल विकास के अंतर्गत वित्तीय सहायता

### मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय)

वर्ष 2008–09 की अवधि के दौरान मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति (केन्द्रीय) के अंतर्गत अप्रयुक्त निधि की प्रतिशतता का परास 11.31 से 54 प्रतिशत के बीच था। वर्ष 2011–12 से ₹ 14.01 करोड़ की राशि कम्पनी के पास अप्रयुक्त पड़ी थी।

कम्पनी ने वर्ष 2010–11 में चार अस्तित्वहीन निजी महाविद्यालयों को उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित किए बिना ₹ 25.02 लाख की राशि संवितरित किया।

### मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य)

मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य) के अंतर्गत कम्पनी द्वारा उन 456 छात्रों को ₹ 18.24 लाख की राशि मुक्त की गई जिनके विरुद्ध राशि पहले ही मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय) के अंतर्गत मुक्त कर दी गई थी। फलस्वरुप इस योजना के अंतर्गत अन्य योग्य विद्यार्थी लाभ लेने से वंचित रहे।

### कोचिंग योजना के अंतर्गत उद्देश्यों की अनुपलब्धि

विभाग द्वारा संस्थापित समिति द्वारा अनुश्रवण करने में असफलता के कारण वर्ष 2007-11 के दौरान प्राप्त ₹ 4.67 करोड़ में ₹ 3.69 करोड़ की राशि का उपयोग नहीं हो सका जिसे अंततः कम्पनी द्वारा विभाग को लौटा दी गई।

### मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना

योजना के अंतर्गत प्राप्त ₹ तीन करोड़ में कम्पनी ने केवल ₹ 14 लाख का उपयोग किया तथा शेष ₹ 2.86 करोड़ चार वर्षों से अधिक अप्रयुक्त रह गए। इस प्रकार, अभीष्ट लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत लाभ से वंचित रहे।

### मानव–शक्ति

कम्पनी में मानव–शक्ति का अभाव था जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी कंपनी के कार्य प्रभावित हुए।

### आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

निधियों के संवितरण के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र को प्राप्त करने हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई। बाह्य स्रोत अभिकरण/संविदात्मक कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए योग्य विद्यार्थियों की सूची के सत्यापन की प्रणाली नहीं थी जिसके कारण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत निधि अधिक/दुबारा मुक्त हुआ।

### निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्त पोषण तथा वसूली में कम्पनी का निष्पादन संतोषजनक नहीं था। कम्पनी द्वारा विस्तृत योजना तैयार नहीं की गई थी। सरकार की भूमिका भी दोषपूर्ण थी क्योंकि इसने कोचिंग योजनाओं हेतु समिति के कार्यकलापों का प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया। कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन दोषपूर्ण था। अभीष्ट लाभार्थियों की पहचान तथा वित्तीय सहायता के संवितरण में कार्यविधिक चूक थे। इसके अलावा, उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कोई प्रणाली नहीं थी। लाभार्थियों से वसूली हेतु अनुसरण प्रणाली संतोषजनक नहीं था। आंतरिक नियंत्रण दोषपूर्ण था।

कम्पनी के लिए आवश्यक है : ऋण/छात्रवृत्ति निधि का संवितरण तथा इसकी वसूली हेतु विस्तृत योजना विकसित करना, निधियों के समयबद्ध उपयोगिता के लिए एक प्रणाली विकसित करना, योग्य लाभार्थियों की पहचान के लिए डाटा बेस विकसित करना, वसूली तंत्र को सुदृढ़ करना तथा आंतरिक नियंत्रण सुधारना।

## परिचय

2.2.1 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अंतर्गत मार्च 1984 में बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (कम्पनी) का गठन बिहार राज्य में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों[1] के आर्थिक रूप से अथवा सामाजिक रूप से कमजोर तथा जरुरतमंद व्यक्तियों को ऋण अथवा अन्य तरीके से मदद, सहयोग, प्रोत्साहन, बढ़ावा, समन्वय, संगठित, विस्तार अथवा वित्तीय सहायता तथा सहयोग करने के लिए किया गया। कम्पनी बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करती है। अपने उद्देश्यों के प्रोत्साहन में कम्पनी विभिन्न सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों के जरिये अभीष्ट लाभार्थियों को ऋण एवं सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त कम्पनी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम (रा0अ0वि0वि0नि0[2]) की योजनाओं हेतु राज्य क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में भी कार्य करती है। 31 मार्च 2013 को कम्पनी का प्रदत्त पूँजी ₹ 33.79 करोड़ था।

कम्पनी द्वारा क्रियान्वित मुख्य योजनाओं में रा0अ0वि0वि0नि0 की योजनाएँ जैसे आवधिक ऋण, शिक्षा ऋण तथा माइक्रो क्रेडिट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं यथा मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय), मेधा सह आय छात्रवृत्ति, मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य) तथा मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना का अनुसरण भी किया ।

कम्पनी का प्रशासनिक विभाग विभिन्न योजनाओं के लिए दिशा–निर्देश तय करने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए कार्यविधि तय करने, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को समय–समय पर अधिसूचित करने, रा0अ0वि0वि0नि0 से कम्पनी द्वारा लिए ऋण की गारंटी का विस्तार करने, कम्पनी को बजटीय सहायता देने, विभिन्न योजनाओं के लिए कम्पनी को उपलब्ध कराई गई निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र आदि माँगने के लिए उत्तरदायी है। रा0अ0वि0वि0नि0 की योजनाओं के संबंध में दिशा–निर्देश रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा तय किए जाते हैं। कम्पनी वर्णित मानदण्ड के आधार पर योग्य लाभार्थियों को चयन करने हेतु उत्तरदायी है तथा भौतिक सत्यापन के बाद लाभार्थियों का चयन एक समिति द्वारा होता है जिसमें जिला प्राधिकारियों, अग्रणी बैंक तथा उद्योग तथा व्यापार निदेशालय का प्रतिनिधित्व होता है।

कम्पनी का प्रबंधन निदेशक मण्डल में निहित है, जिसमें नौ निदेशक हैं। 31 मार्च 2013 को सात सरकारी निदेशक थे तथा दो गैर सरकारी निदेशक थे। प्रबंध निदेशक (प्र0नि0) मुख्य कार्यपालक होते हैं तथा कम्पनी के दिन–प्रतिदिन के कार्य संचालन में अन्य अधिकारियों द्वारा उनकी सहायता की जाती है। सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कम्पनी द्वारा नौ प्रमंडलों[3] में अपने क्षेत्र कार्यालयों के जरिये तथा जिला कल्याण कार्यालयों (जि0क0कार्या0[4]) की सहायता से होता है क्योंकि कम्पनी के पास जिला स्तरीय ढाँचा नहीं है।

कम्पनी के कार्य की समीक्षा 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), बिहार सरकार में सम्मिलित था

[1] मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, जैन तथा बौद्ध।
[2] यह भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसकी स्थापना अधिसूचित अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक तथा विकास के कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए की गई है।
[3] भागलपुर, दरभंगा, कोसी, मगध, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, सारण तथा तिरहुत।
[4] अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार के अन्तर्गत।

जिसपर लोक उपक्रमों की समिति द्वारा विचार–विमर्श होना बाकी था (सितम्बर-2013)।

## लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्य–प्रणाली

**2.2.2** वर्त्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2008–13 की अवधि के दौरान कम्पनी का "वित्तीय एवं वसूली क्रियाकलाप" शामिल है। प्रशासनिक विभाग के अभिलेख तथा कम्पनी का मुख्यालय के साथ ही इसके क्षेत्र कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा जून 2013 से अगस्त 2013 तक की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा की गई। राज्य के 38 जिलों में योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही थीं जिसमें दस[5] जिलों को रैंडम नमूना आधार पर चयनित की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों से सरकार तथा प्रबन्धन को अवगत कराने हेतु 31 मार्च 2013 को एक प्रवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु जिस कार्य पद्धतियों के मिश्रण को अपनाया गया उसमें अभिलेखों की जाँच, कम्पनी के प्रशासनिक विभाग, कम्पनी मुख्यालय तथा क्षेत्र कार्यालयों से संग्रहित साक्ष्यों का प्रलेखन तथा विश्लेषण, निदेशक बोर्ड की बैठकों के कार्यक्रम एवं कार्यसूची की समीक्षा, सरकार तथा रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा जारी दिशा–निर्देश तथा सूचना हेतु लेखापरीक्षा प्रश्न जारी करना तथा प्रबन्धन से विचार–विमर्श सम्मिलित है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार (प्रशासनिक विभाग)/कम्पनी को प्रतिवेदित किए गए (सितम्बर 2013)। निकास सम्मेलन का आयोजन 28 नवम्बर 2013 को हुआ जिसमें प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार तथा कम्पनी के प्रबंध निदेशक शामिल थे।

## लेखापरीक्षा उद्देश्य

**2.2.3** निष्पादन लेखापरीक्षा के आयोजन का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि :

- योजनाओं के उचित एवं समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु रा0अ0वि0वि0नि0 तथा राज्य सरकार द्वारा निधि के आवंटन को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा रणनीतिक योजना/वार्षिक कार्य योजना तैयार की गयी;
- कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन प्रभावी था तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधियों का समयबद्ध तरीके से प्रभावी उपयोग किया गया;
- योग्य लाभार्थियों की पहचान करने हेतु कुशल प्रणाली थी तथा कम्पनी के पास लाभार्थियों का डाटा–बेस मौजूद था;
- योजनाओं का कार्यान्वयन कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से हुआ तथा विहित मानदण्डों के अनुसार वसूली की गई;
- सरकार/कम्पनी ने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करने के लिए प्रणाली तैयार किया; एवं
- कम्पनी के पास पर्याप्त मानव–शक्ति एवं कुशल आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद था।

## लेखापरीक्षा मानदण्ड

**2.2.4** लेखापरीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि निर्धारण करने के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदण्ड थे :

[5] अररिया, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, पटना, समस्तीपुर, सारण तथा सिवान।

- ऋण/वित्तीय सहायता के संवितरण हेतु सरकार तथा रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा जारी दिशा–निर्देश;
- अभीष्ट लाभार्थियों के उत्थान हेतु राज्य/केन्द्र सरकार तथा रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा तय की गई नीति/रूपरेखा/मानदण्ड/दिशा–निर्देश;
- वित्तीय सहायता तथा ऋण की संस्वीकृति एवं संवितरण हेतु तय की गई कार्यविधि; एवं
- संवितरण उपरान्त अनुश्रवण तथा वसूली तंत्र हेतु निर्धारित कार्यविधि।

## लेखापरीक्षा परिणाम

**2.2.5** लेखापरीक्षा परिणामों की समीक्षा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है :

## योजना

### रणनीतिक योजना की तैयारी नहीं होना

**2.2.6** मेमोरेंडम ऑफ एसोशिएशन में वर्णित उद्देश्यों के पूरा करने के दृष्टिकोण से कम्पनी को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के केन्द्रीकरण के अनुसार योजना अथवा लक्ष्य तय करना तथा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु तृणमूल स्तरों से संग्रहित आवधिक आँकड़ों के आधार पर सुनियोजित कार्य योजना की तैयारी करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों के पहचान के लिए रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार, राज्य वितरण अभिकरण को उन क्षेत्रों में लाभार्थी पहचान शिविर लगाना चाहिए जहाँ अल्पसंख्यकों की जनसंख्या ज्यादा हो तथा पहले से रा0अ0वि0वि0नि0 की योजनाओं का कार्यान्वयन न हुआ हो। हमने पाया कि कम्पनी ने न तो कोई रणनीतिक योजना तैयार की थी और न प्रखण्ड तथा जिला स्तर पर अभीष्ट लाभार्थियों के डाटा–बेस का रख–रखाव किया था।

निकास सम्मेलन में प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि कम्पनी के पास अपना जिला स्तरीय ढाँचा नहीं था तथा यह मानव–शक्ति की कमी एवं निधि की कमी झेल रहा था जिसके कारण रणनीतिक योजना की तैयारी नहीं हुई।

### वार्षिक कार्य योजना (वा0का0यो0)

**2.2.7** कम्पनी को आवश्यकता के आधार पर प्रक्षेत्रवार वार्षिक कार्य योजना का प्रस्ताव जो त्रैमासिक लक्ष्यों में विभाजित हो, को विहित प्रपत्र में आने वाले वित्तीय वर्ष हेतु फरवरी/मार्च तक रा0अ0वि0वि0नि0 को भेजना होता है। विहित शर्तें[6] पूरी होने पर वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया जाता है तथा रा0अ0वि0वि0नि0 कम्पनी को अभिप्राय पत्र के प्रपत्र में औपचारिक संस्वीकृति जारी करता है।

हमने पाया कि वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य के प्रस्ताव, जो कि रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा अनुमोदित किये गये थे तदर्थ आँकड़ों पर आधारित थे क्योंकि कम्पनी ने प्रखण्ड एवं जिला स्तरों पर अपने अभीष्ट लाभार्थियों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण का आयोजन, आँकड़ों का संग्रहण नहीं किया था। वार्षिक

[6] आवंटित निधि के विरुद्ध सरकारी प्रत्याभूति की व्यवस्था, रा0अ0वि0वि0नि0 की अंश पूँजी में पर्याप्त योगदान तथा प्राप्त निधि का ससमय उपयोग।

आवंटन, निधि की वास्तविक प्राप्ति तथा इसके विरुद्ध उपयोगिता का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :

**तालिका सं0: 2.2.1**

**वार्षिक आवंटन, निधि की वास्तविक प्राप्ति तथा उसके उपयोग का विस्तृत विवरण**

(₹ लाख में)

| वर्ष | वार्षिक कार्य योजना के अनुसार आवंटन/लक्ष्य | | संवितरण के लिए उपलब्ध निधि | | | उपयोगिता | | वार्षिक कार्य योजना के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | भौतिक (संख्या में) | वित्तीय | प्रारम्भिक शेष | प्राप्तियों के आलोक में आवंटन | कुल | भौतिक (संख्या में) | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | (9) = कॉलम (7)÷ (2) × 100 | (10)= कॉलम (8)÷(3) × 100 |
| 2008–09 | 3050 | 900 | शून्य | 900 | 900 | 1282 | 616.90 | 42.03 | 68.54 |
| 2009–10 | 4178 | 770 | 283.10 | – | 283.10 | 148 | 62.90 | 3.54 | 8.17 |
| 2010–11 | 4245 | 1584 | 220.20 | 789 | 1009.20 | 545 | 234.49 | 12.84 | 14.80 |
| 2011–12 | 2491 | 1619 | 774.71 | 438 | 1212.71 | 1154 | 603.60 | 46.33 | 37.25 |
| 2012–13 | 1868 | 1774 | 609.65 | – | 609.65 | 338 | 148.58 | 18.09 | 8.38 |
| **कुल** | **15832** | **6647** | | **2127** | | **3467** | **1666.47** | | |

**(स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)**

**कम्पनी की संस्वीकृत ऋण की विमुक्ति की शर्तों को पूरा करने में असफल होने के कारण, रा0अ0वि0वि0नि0 ने 12365 लाभार्थियों हेतु ₹ 45.20 करोड़ विमुक्त नहीं किया**

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2008–13 के दौरान वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत लक्षित आवंटन के विरुद्ध भौतिक तथा वित्तीय संवितरण की उपलब्धि की प्रतिशतता का परास क्रमशः 3.54 से 46.33 तथा 8.17 से 68.54 के बीच था। हमने पाया कि अभिप्राय–पत्र के नियम एवं शर्तों का अनुपालन करने में कम्पनी के असफल रहने के कारण वर्ष 2008–13 के दौरान कम्पनी को रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा ₹ 45.20[7] करोड़ की राशि विमुक्त नहीं की गई। इस प्रकार, लक्षित लाभार्थी[8] वर्ष 2008–13 की अवधि में रा0अ0वि0वि0नि0 के योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए।

निकास सम्मेलन में प्रबंधन/सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा तय शर्तों की पूर्ति नहीं होने के कारण निधि मुक्त नहीं की गई। रा0अ0वि0वि0नि0 ऋण के विरुद्ध सरकारी प्रत्याभूति की व्यवस्था करने में कम्पनी की असफलता के संबंध में यह कहा गया कि नीतिगत रूप से सरकार ने किसी कम्पनी को प्रत्याभूति विस्तार नहीं करने का निर्णय लिया है।

## कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन

**2.2.8** विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कम्पनी को राज्य सरकार से बजटीय सहायता, रा0अ0वि0वि0नि0 से ऋण सहायता तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को आवंटित निधि के माध्यम से वित्त पोषण मिलता है। कम्पनी अपनी ऋण देने की

[7] ₹ 7.70 करोड़ 2009–10 के लिए, ₹ 7.95 करोड़ 2010–11 के लिए, ₹ 11.81 करोड़ 2011–12 के लिए तथा ₹ 17.74 करोड़ 2012–13 के लिए।

[8] वा0का0यो0 के अन्तर्गत लक्षित लाभार्थियों की संख्या घटाव वैसे लाभार्थियों की संख्या जिनको ऋण संवितरण किया गया (15832–3467 = 12365)।

गतिविधियों से 2.5 प्रतिशत तक की ब्याज आय सृजित करती है। प्राप्तियों की वर्ष-वार स्थिति तथा भुगतान/संवितरण नीचे दर्शाया गया है :

**तालिका सं0: 2.2.2**

**बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड की वर्ष-वार प्राप्तियाँ एवं संवितरण**

(₹ लाख में)

| विवरण | | | 2008–09 | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राप्तियाँ | प्रारम्भिक शेष | | – | 978.08 | 966.10 | 3599.52 | 4359.80 | |
| | रा0अ0वि0वि0नि0 से प्राप्त ऋण | | 900.00 | – | 789.00 | 438.00 | . | 2127.00 |
| | केन्द्र सरकार | मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय) | 648.08* | 605.86 | 1596.22 | 2227.09 | . | 5077.25 |
| | | मेधा सह आय योजना | – | – | 946.08 | 673.82 | 1196.28 | 2816.18 |
| | राज्य सरकार | मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य) | 205.96* | 100.00 | 100.00 | – | – | 405.96 |
| | | मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना | 200.00 | 100.00 | – | – | – | 300.00 |
| | | कोचिंग योजना | 302.40* | 100.00 | 65 | – | – | 467.40 |
| | | मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना | – | – | – | – | 1500.00 | 1500.00 |
| | | मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना | – | – | – | – | 500.00 | 500.00 |
| | | स्वामित्व अंशदान | 50.00 | – | 2028.92 | 100.00 | 100.00 | 2278.92 |
| | | अनुदान | 6.31 | 1.60 | 3.19 | 1.68 | – | 12.78 |
| | वसूली | | 154.03 | 139.34 | 192.07 | 192.09 | 237.37 | 914.90 |
| | कुल प्राप्तियाँ | | 2466.78 | 1046.80 | 5720.48 | 3632.68 | 3533.65 | 16400.39 |
| भुगतान/संवितरण | ऋण (रा0अ0वि0वि0नि0) | | 616.90 | 62.90 | 234.49 | 603.60 | 148.58 | 1666.47 |
| | मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय) | | 574.80 | 587.51 | 1320.54 | 1193.54 | – | 3676.39 |
| | मेधा सह आय योजना | | – | – | – | 775.26 | 1659.47 | 2434.73 |
| | मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य) | | 120.00 | 185.92 | 100.00 | – | – | 405.92 |
| | मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना | | – | – | – | – | 14.00 | 14.00 |
| | कोचिंग योजना | | – | 97.85 | – | – | – | 97.85 |
| | रा0अ0वि0वि0नि0 को भुगतान | | 177.00 | 124.60 | 1432.03[9] | 300.00 | 225.15 | 2258.78 |
| | कुल भुगतान | | 1488.70 | 1058.78 | 3087.06 | 2872.40 | 2047.20 | 10554.14 |
| | अंत शेष | | 978.08 | 966.10 | 3599.52 | 4359.80 | 5846.25 | |

(स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)

निम्नलिखित प्रेक्षण किए गए :

- कम्पनी का संवितरण क्रिया–कलाप मुख्यतः छात्रवृत्ति योजनाओं[10] के अंतर्गत निधियों के वितरण में केन्द्रित था जबकि उधार देने की गतिविधि मध्यम थी।
- वर्ष 2008–13 की अवधि के दौरान कम्पनी ने रा0अ0वि0वि0नि0 से ₹ 21.27 करोड़ प्राप्त किया जिसमें से ₹ 4.60 करोड़ का अभिलेखन में विलम्ब, ऋण की संस्वीकृति में विलम्ब आदि विभिन्न कारणों से मार्च 2013 तक संवितरण नहीं

* योजनाओं का प्रारम्भिक शेष या बिना खर्च किए गए शेष को मिलाकर।

[9] इसमें कम्पनी के अंश पूँजी से रा0अ0वि0वि0नि0 को भुगतान किया गया ₹ 12.99 करोड़ सम्मिलित है।

[10] मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय), मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य), मेधा सह आय छात्रवृत्ति योजना।

हो सका था। इसके अतिरिक्त, मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति (केन्द्रीय) के अंतर्गत ₹ 50.77 करोड़ प्राप्त हुआ जिसमें मार्च 2012 तक ₹ 36.76 करोड़ का उपयोग किया गया तथा ₹ 14.01 करोड़ अप्रयुक्त रह गए जैसा कि कंडिका 2.2.15 में उल्लेख किया गया है।

- वर्ष 2008–13 की अवधि में कम्पनी का वसूली निष्पादन निराशाजनक था तथा वसूली की गई राशि रा0अ0वि0वि0नि0 की देनदारियों को अदा करने हेतु अपर्याप्त थी। फलस्वरुप, रा0अ0वि0वि0नि0 की बकाया राशि ₹ 12.99 करोड़ का पुनर्भुगतान वर्ष 2010–11 के दौरान कम्पनी द्वारा अपनी निधि (अंश पूँजी) से किया गया। निम्न वसूली तथा रा0अ0वि0वि0नि0 ऋण के निम्न पुनर्भुगतान के कारण वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत संस्वीकृत ₹ 45.20 करोड़ रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा मुक्त नहीं की गई जिससे योजनाएँ प्रतिकूल रुप से प्रभावित हुईं, जिसका उल्लेख कंडिका 2.2.10 से 2.2.12 में की गई है।

- इसके अतिरिक्त, पेशेवर ऋण योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से कम्पनी ने मई 1999 में ₹ 3.05 करोड़ की राशि प्राप्त की जिसमें ₹ 1.61 करोड़ की राशि कम्पनी में 10 वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त रह गई जिससे अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के कर्तव्य के निर्वहन में कम्पनी का लापारवाह रवैया तथा प्रशासनिक विभाग की ओर से भी कमजोर नियंत्रण तंत्र प्रदर्शित हुआ।

- कम्पनी की गतिविधि का विस्तार वर्ष 2000 में संयुक्त बिहार राज्य के पुनर्गठन से पूर्व झारखण्ड के क्षेत्र में भी था। तथापि, पुनर्गठन के बाद भी कम्पनी की परिसंम्पत्ति तथा देयता इन दो राज्यों के बीच विभाजित नहीं की गई थीं (सितम्बर 2013)।

## कम्पनी के ऋण देने तथा वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ

**2.2.9** कम्पनी ने वर्ष 2008–13 की अवधि में आवधिक ऋण, शिक्षा ऋण तथा रा0अ0वि0वि0नि0 के माइक्रो–क्रेडिट योजनाओं को कार्यान्वित किया था।

### आवधिक ऋण योजना

**2.2.10** आवधिक ऋण योजना के अंतर्गत सहायता दुगुनी गरीबी रेखा[11] के नीचे रहने वाले अल्संख्यक समुदायों के लाभार्थियों हेतु आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं तकनीकी रूप से संभावित उद्यमों हेतु उपलब्ध था। आवधिक ऋण योजना के अंतर्गत ₹ पाँच लाख मूल्य की परियोजनाएँ वित्त पोषण हेतु विचारनीय थी। रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक ऋण देय था तथा परियोजना की शेष लागत राज्य वितरण अभिकरण (रा0वि0अ0) तथा लाभार्थी द्वारा वहन किया जाना था। प्रमंडलीय कार्यालयों के स्तर पर लाभार्थियों से आवेदन की प्राप्ति तथा इसकी संवीक्षा कर इसे राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति[12] के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। समिति द्वारा चयनित लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु कम्पनी के प्रमण्डलीय कार्यालयों द्वारा अभिलेखन कार्य अच्छी तरह पूर्ण कर ऋण की संस्वीकृति हेतु कम्पनी मुख्यालय को भेज दी जाती है। आवंटित/लक्षित निधि ₹ 66.47 करोड़ के विरुद्ध

[11] ग्रामीण क्षेत्र के लिए ₹ 40000 तथा शहरी क्षेत्र के लिए ₹ 55000।

[12] समिति के सदस्य: अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी या जिला विकास आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी (सम्बन्धित जिला), सम्बन्धित जिला के अग्रणी बैंक का प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक अथवा उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी, सरकार द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक समुदाय के दो गैर सरकारी सदस्य, जिला उद्योग प्रर्वतन अधिकारी/श्रम प्रवर्त्तन अधिकारी।

कम्पनी ने ₹ 21.27 करोड़ की राशि प्राप्त किया जिसमें से वर्ष 2000–13 की अवधि में ₹ 16.66 करोड़ का उपयोग किया गया।

रा0अ0वि0वि0नि0 से निधि की प्राप्तियाँ तथा संवितरण नीचे दर्शाई गई हैं :

**तालिका सं0: 2.2.3**

| वर्ष | संवितरण हेतु उपलब्ध निधि (₹ लाख में) | | | उपयोग |
|---|---|---|---|---|
| | प्रारम्भिक शेष | आवंटन के विरुद्ध प्राप्ति | कुल | वित्तीय (₹ लाख में) |
| 2008–09 | शून्य | 900 | 900 | 616.90 |
| 2009–10 | 283.10 | – | 283.10 | 62.90 |
| 2010–11 | 220.20 | 789 | 1009.20 | 234.49 |
| 2011–12 | 774.71 | 438 | 1212.71 | 603.60 |
| 2012–13 | 609.11 | – | 609.11 | 148.58 |
| | | 2127 | | 1666.47 |

**(स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)**

ऋण एवं उनकी प्राप्तियों के संवितरण में पाई गई त्रुटियों की समीक्षा अनुवर्त्ती कंडिकाओं में की गई है।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार[13] लाभार्थियों का चयन वर्ष में दो बार आवेदन आमंत्रित कर किया जाना था अर्थात् पहली बार जून माह में तथा दूसरी बार दिसम्बर माह में। लाभार्थियों के आवेदनों की संवीक्षा कम्पनी के मण्डल स्तर कार्यालयों में की जानी थी तथा इसे चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जानी थी। प्रमंडल स्तरीय कार्यालयों[14] के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि :

- वर्ष 2008–13 की अवधि में आवेदन के आमंत्रण हेतु विज्ञापन केवल एक बार ही किया गया। इसके अतिरिक्त, आवश्यक 10 बैठकों के विरुद्ध वर्ष 2011–12 में चयन समिति की केवल एक बैठक हुई।

- आधारभूत अभिलेखों जैसे प्राप्त आवेदन, प्रक्रियागत एवं अस्वीकृत आवेदनों का रख–रखाव प्रमण्डल स्तर कार्यालयों में नहीं हुआ। लाभार्थियों को प्रदत्त आवेदन प्रपत्रों में न तो क्रम संख्या/विशिष्ट संख्या अंकित था और न ही प्राप्ति के समय ऐसी क्रम संख्या अथवा विशिष्ट संख्या आवंटित की गई थी।

**पटना प्रमंडल के अन्तर्गत 84 मूल आवेदकों के नाम चयन हेतु विचार नहीं किए गए जो चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को प्रदर्शित करता था**

- वर्ष 2008–13 के दौरान, सारण प्रमण्डल कार्यालय में प्राप्त 361 आवेदन में 22 चयनित आवेदनों में आय प्रमाण–पत्र नहीं था जबकि यह चयन हेतु पूर्वापेक्षित था। पटना प्रमण्डल में यह पाया गया कि 889 चयनित लाभार्थियों में से 84 लाभार्थियों के नाम आवेदन पंजी में उस क्रम संख्या पर अंकित नाम से भिन्न था। फलस्वरुप, 84 मूल आवेदकों के नाम पर विचार नहीं किया गया। यह चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को प्रदर्शित करता था।

[13] पत्रांक 372 दिनांक 14 मार्च 2007 द्वारा जारी।
[14] भागलपुर, गया, दरभंगा, पटना तथा सारण।

**राज्य सरकार के आदेश के अनुपालन की अवहेलना कर पटना, सारण तथा गया में त्रुटिपूर्ण आय प्रमाण पत्र पर 16 लाभार्थियों को ऋण संवितरित किया गया**

- राज्य सरकार के निर्देशानुसार [15] आवेदन पत्रों के साथ संलग्न आय प्रमाण–पत्र को जारी करने वाले पदाधिकारी से पत्राचार के माध्यम से कम्पनी द्वारा सत्यापित कराए जाने की आवश्यकता थी। तथापि, ऐसा नहीं किया गया। आय प्रमाण–पत्र जारी करने वाले पदाधिकारी के अभिलेखों के साथ संलग्न 49[16] आय प्रमाण–पत्रों की लेखापरीक्षा जाँच (अंचल कार्यालय) में पाया गया कि गया जिला में 10 लाभार्थियों में से चार, सारण जिला में दो में से एक तथा पटना जिला में 19 में से 11 के संबंध में लाभार्थियों के आय प्रमाण–पत्र अंचल कार्यालय (जारी करने वाले पदाधिकारी) के अभिलेखों के अनुसार ऋटिपूर्ण थे। सारण जिला में 10 में से 8 तथा दरभंगा जिला के 10 आय प्रमाण–पत्रों की स्थिति प्राप्त होना शेष था (अगस्त 2013)।

- पटना प्रमंडल में वर्ष 2008–13 की अवधि में 354 लाभार्थियों को संवितरित कुल ₹ 88.80 लाख ऋण में ₹ 17.23 लाख की राशि के 35 मामलों के नमूना जाँच में यह पाया गया कि ऋण अनुबंध तथा भाराक्रांति बॉण्ड अच्छी तरह से भरे नहीं गए एवं लाभार्थी एवं गारंटी प्रदाता दोनों के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे, ऋण हेतु आदेश पत्र प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे, ऋण के वितरण से पूर्व 21 ऋणियों के मामले में स्थल सत्यापन नहीं किया गया था तथा सभी मामलों में ऋणियों का बैंक बचत खाता (पास बुक) की छाया प्रति प्राप्त नहीं की गई थी। ऋण संचिकाओं का रख–रखाव भी ठीक से नहीं किया गया था।

  प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि जिला स्तरीय चयन समिति की बैठके नियमित रुप से नहीं होतीं क्योंकि रा0अ0वि0वि0नि0 से निधि अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार प्रदान नहीं की जा रही थीं। इसके अतिरिक्त, मानव–शक्ति की कमी के कारण लाभार्थियों के आय प्रमाण–पत्र तथा आवासीय प्रमाण–पत्र का सत्यापन जारी करने वाले पदाधिकारी से नहीं हो सका था। तथापि प्रबंधन ने भविष्य में ध्यान रखने का आश्वासन दिया।

## आवधिक ऋण के अंतर्गत वसूली

**2.2.11** वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के पाँच वर्षों में आवधिक ऋण के विरुद्ध की गई वसूली योग्य देय राशि तथा वास्तविक वसूली का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

**तालिका सं0: 2.2.4**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 2008–09 | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 |
|---|---|---|---|---|---|
| बकाया देय राशि का प्रारम्भिक शेष | 3735.99 | 3907.21 | 4163.33 | 4395.86 | 4642.53 |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 325.58 | 395.51 | 424.59 | 438.76 | 465.21 |
| **वसूली योग्य कुल देय राशि** | **4061.57** | **4302.72** | **4587.92** | **4834.61** | **5107.74** |
| वर्ष के दौरान वास्तविक वसूली | 154.03 | 139.34 | 192.07 | 192.09 | 237.37 |
| वर्ष के दौरान देय राशि के विरुद्ध वसूली की प्रतिशतता | 47.31 | 35.23 | 45.24 | 43.78 | 51.02 |
| वसूली योग्य कुल देय राशि के विरुद्ध वसूली की प्रतिशतता | 3.79 | 3.24 | 4.19 | 3.97 | 4.65 |

**(स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)**

[15] पत्रांक संख्या 372 दिनांक 14 मार्च 2007 द्वारा जारी।
[16] छपरा–10, दरभंगा–10, पटना–19 तथा गया–10।

**वर्ष 2008–13 के दौरान आवधिक ऋण के कुल वसूलनीय राशि के विरुद्ध वसूली का परास 3.24 और 4.65 प्रतिशत रहा**

ऊपर की तालिका में देखा जा सकता है कि मार्च 2013 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा की गई वसूली निराशाजनक थी तथा इसका परास कुल वसूली योग्य राशि के 3.24 तथा 4.65 प्रतिशत के बीच था।

इसके अतिरिक्त हमने पाया कि :

**लोक ऋण वसूली अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद 78 चूककर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई**

- सारण जिला में 78 दोषी ऋणियों में 34 ऋणियों ने आठ वर्षों से अधिक अवधि व्यपगत हो जाने के बाद भी ₹ 41.80 लाख के बकाया ऋण के विरुद्ध कोई किस्त जमा नहीं किया। हमने पाया कि कम्पनी ने देय राशि की वसूली के लिए लोक ऋण वसूली (पी0डी0आर.) अधिनियम 1914 के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं किया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी पाँच ऋणियों के पता–ठिकाना से अनभिज्ञ था तथा इस प्रकार इन ऋणियों से ऋण के वसूली की संभावना काफी कम हो गई।
- वर्ष 2008–13 की अवधि में दरभंगा में 246 ऋणियों को संवितरित ₹ 1.11 करोड़ में, ₹ 17.42 लाख की 41 ऋणियों में संवितरित राशि के विरुद्ध संवितरण के एक वर्ष से अधिक समय व्यपगत होने के बाद भी कोई किस्त प्राप्त नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में पाई गई निम्न वसूली के कारणों में वसूली हेतु अपर्याप्त कार्रवाई अथवा अनुसरण, पी0डी0आर0 अधिनियम के अंतर्गत दोषी ऋणियों के विरुद्ध मामले दर्ज नहीं करना, उनके प्रत्येयता का सत्यापन किए बिना लाभार्थियों को ऋण का संवितरण आदि सम्मिलित है।

प्रबंधन ने तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा (अक्टूबर 2013) कि मानव–शक्ति के अभाव में इसके मण्डल स्तर के कार्यालयों को सुदृढ़ नहीं किया जा सका। तथापि, लाभार्थियों से ऋण की देय राशि की वसूली हेतु सभी प्रयास किए जा रहे थे।

## शिक्षा ऋण योजना

**2.2.12** रा0अ0वि0वि0नि0 ने दोगुनी गरीबी रेखा[17] के नीचे आय वाले अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए वर्ष 2003–04 में व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण योजना आरंभ किया। योजना निर्दिष्ट करता है कि आवधिक ऋण के अंतर्गत वार्षिक आवंटन का 10 प्रतिशत शैक्षणिक ऋण हेतु चिह्नित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम समाप्ति के ऋण स्थगन अवधि अर्थात् छः माह के उपरांत मूलधन तथा ब्याज अधिकतम 60 बराबर मासिक किस्त (ई0एम0आई0) में ऋणी द्वारा पुनर्भुगतान किया जाना था। कम्पनी ने ₹ 2.13 करोड़ की राशि प्राप्त किया जिसमें ₹ 1.46 करोड़ वर्ष 2008–13 की अवधि में संवितरित कर दी गई थी।

हमने पाया कि शैक्षणिक ऋण को वर्ष 2009–10 के दौरान संवितरित नहीं किया जा सका क्योंकि रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा निधि मुक्त नहीं की गई। तथापि, वर्ष 2011–12 के दौरान, योजना हेतु निधि की उपलब्धता के बावजूद (आवधिक ऋण योजना के अंतर्गत आवंटन का 10 प्रतिशत) कम्पनी द्वारा संवितरण नहीं हुआ।

[17] ग्रामीण क्षेत्र के लिए ₹ 40000 तथा शहरी क्षेत्र के लिए ₹ 55000।

**त्रुटिपूर्ण अनुश्रवण तंत्र के कारण ₹ 1.29 करोड़ का पुर्नभुगतान आरम्भ नहीं हुआ**

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि योजना के अंतर्गत ऋण की वसूली प्रभावी रूप से नहीं की गई जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि 37 तथा 65 लाभार्थी जिन्हें ₹ 34.06 लाख तथा ₹ 94.94 लाख का ऋण संस्वीकृत किया गया तथा अंतिम किस्त का भुगतान क्रमशः मार्च 2009 तथा दिसम्बर 2011 तक हुआ, ऐसे ऋण के संबंध में पुनर्भुगतान आरंभ नहीं हुआ था (अगस्त 2013)। लाभार्थियों ने कम्पनी को न तो अपने पाठ्यक्रम की समाप्ति तथा/अथवा स्वरोजगार के बारे में सूचित किया न ही कम्पनी ने ऋणियों से इस पहलू को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जो योजना के अनुश्रवण तथा प्रभावी कार्यान्वयन संबंधी प्रणाली की असफलता को उजागर करती है।

प्रबंधन/सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा (अक्टूबर 2013) कि मानव–शक्ति के अभाव में शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत ऋण की वसूली हेतु अधिसूचना समय पर जारी नहीं की गई। इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि इस संबंध में लेखापरीक्षा प्रेक्षण की प्राप्ति के बाद अनुश्रवण तंत्र का सृजन किया जा रहा है तथा अधिसूचनाएँ जारी की जा रही हैं।

### माइक्रो क्रेडिट योजना

**2.2.13** माइक्रो क्रेडिट योजना के अंतर्गत, क्रेडिट का विस्तार स्वयंसेवी समूहों के सदस्यों, विशेषकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी झुग्गियों में रहने वाली वैसी अल्पसंख्यक महिलाओं, जो औपचारिक बैंकिंग क्रेडिट तथा रा0अ0वि0वि0नि0 कार्यक्रमों का लाभ नहीं ले पाती हैं के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत गरीबों में सबसे गरीब के लिए प्रति लाभार्थी ₹ 25,000 की अधिकतम माइक्रो क्रेडिट ऋण का लाभ विस्तारित किया गया। इस योजना के अंतर्गत कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी द्वारा चिह्नित गैर सरकारी संगठनों द्वारा योजनाओं को ग्रहण करने की आवश्यकता थी। माइक्रो क्रेडिट योजना के अंतर्गत, कम्पनी ने रा0अ0वि0वि0नि0 से वर्ष 2007 में ऋण के रुप में ₹ 48.21 लाख की राशि प्राप्त की।

**गैर सरकारी संगठनों की विश्वसनीयता सत्यापित किए बिना निधि की विमुक्ति के फलस्वरुप ₹ 43.50 की वसूली नहीं हो सकी**

हमने पाया कि कम्पनी ने वित्तीय विश्वसनीयता/ट्रैक रिकार्ड का सत्यापन किए बिना 305 लाभार्थियों के लिए तीन गैर सरकारी संगठनों[18] को उनके अनुरोध पर ₹ 48.21 लाख की राशि मुक्त किया। तथापि, इन गैर सरकारी संगठनों द्वारा लाभार्थियों को संवितरित ₹ 48.21 लाख में ₹ 43.50 लाख की राशि चार वर्षों से अधिक में वसूली नहीं जा सकी। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि यह योजना वर्ष 2009–10 से कम्पनी द्वारा बंद कर दिया गया।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि तीनों गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध न्यायिक मुकदमा दायर किया गया था। तथापि, तथ्य यह है कि गैर सरकारी संगठनों की वित्तीय विश्वसनीयता सत्यापित किए बिना उन्हें निधि संवितरित कर दी गई जो कम्पनी के अनुश्रवण तंत्र की कमी को प्रदर्शित करता है।

### छात्रवृत्ति, कोचिंग तथा कौशल विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

**2.2.14** रा0अ0वि0वि0नि0 की उधार देने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन के अतिरिक्त कम्पनी केन्द्र/राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजना एवं सहायता की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भी उत्तरदायी थी। संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

[18] ह्युमैन एडभांसमेंट सोसायटी, सहरसा, मानव विकास शिल्प कला केन्द्र, सारण, मे0 बुनियाद पटना।

## मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय)

**2.2.15** मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय) को जून 2006 में आरंभ किया गया जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों से संबंध रखने वाले मेधावी छात्रों, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय ₹ दो लाख से अधिक न हो, को बेहतर अवसर प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम शुल्क/ट्युशन शुल्क तथा गुजारा भत्ता क्रमशः विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थाओं के बैंक खाते तथा विद्यार्थियों के बैंक खाते में जमा होना था। इसके अतिरिक्त यदि योजना के अंतर्गत कोई विद्यार्थी विगत अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड पाने में असफल हो तो उसे योजना का लाभ बंद करने का प्रावधान है। वर्णित योजना के अंतर्गत वर्ष 2008–13 की अवधि में कम्पनी ने केन्द्र सरकार से ₹ 50.74 करोड़ की राशि प्राप्त किया। प्राप्ति तथा उपयोगिता का वर्ष–वार ब्योरा नीचे दिया गया है :

**तालिका सं0: 2.2.5**

(₹ लाख में)

| वर्ष | मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रारम्भिक शेष | प्राप्त निधि | संवितरण हेतु उपलब्ध निधि | संवितरित | अप्रयुक्त | उपलब्ध निधि के विरुद्ध अप्रयुक्त निधि की प्रतिशतता |
| 2008–09 | 2.81 | 645.27 | 648.08 | 574.80 | 73.28 | 11.31 |
| 2009–10 | 73.28 | 605.86 | 679.14 | 587.51 | 91.63 | 13.49 |
| 2010–11 | 91.63 | 1596.22 | 1687.85 | 1320.54 | 367.31 | 21.76 |
| 2011–12 | 367.31 | 2227.09 | 2594.40 | 1193.54 | 1400.86 | 54.00 |
| 2012–13 | 1400.86 | – | 1400.86 | – | 1400.86 | 100 |
| **कुल** | | **5074.44** | | **3676.39** | | |

**(स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)**

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2008–09 से 2011–12 की अवधि में अप्रयुक्त निधि की प्रतिशतता का परास 11.31 से 54 प्रतिशत के बीच रहा। इस योजना के अंतर्गत 2012–13 के दौरान कोई निधि प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2013–14 से बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने संवितरण प्रक्रिया को बदल दिया तथा निधि को सीधे जि0क0कार्या0 हस्तांतरित करने का निर्णय लिया।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि :

- कम्पनी द्वारा प्राप्त लाभार्थियों के आवेदन पत्रों की प्रस्तुति पर भारत सरकार से कम्पनी द्वारा निधि की माँग की गई। निर्धारित समय में प्राप्त आवेदन पत्रों को संवीक्षा करने हेतु उचित तंत्र के अभाव में कंपनी को संवीक्षा नहीं किए गए आवेदनों के आधार पर निधि की माँग करनी पड़ी। लाभार्थियों के संवीक्षा नहीं किए गए आवेदनों के आधार पर निधि की माँग के कारण लाभ के विस्तार हेतु अयोग्य पाए गए आवेदनों को बाद में अस्वीकृत कर दिए गए। इस प्रकार, सभी प्राप्त निधि का संवितरण नहीं हो सका जिसके फलस्वरुप ₹ 14.01 करोड़ की अप्रयुक्त निधि का संचयन हुआ।

**महाविद्यालयों / संस्थानों की विश्वसनीयता का सत्यापन किए बिना चार अस्तित्वविहीन निजी महाविद्यालयों को ₹ 25.02 लाख संवितरित किए गए**

- विद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थाएँ, उनकी संबद्धता की स्थिति आदि से संबंधित जिला–वार डाटा बैंक के रख–रखाव हेतु कोई प्रणाली नहीं थी। फलस्वरूप अस्तित्वहीन महाविद्यालयों / संस्थानों[19] को, संवितरण किया गया। कम्पनी ने अस्तित्व का सत्यापन व प्रामाणिकता सुनिश्चित किए बिना, चार अस्तित्वहीन निजी महाविद्यालयों को वर्ष 2010–11 में ₹ 25.02 लाख की राशि संवितरित किया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि यद्यपि कम्पनी ने उपरोक्त मामलों का पता लगा लिया था, तथापि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु अभी तक (2013) कोई प्रतिकारी उपाय नहीं किए गए थे।

  प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि संस्थानों की जाँच के लिए अब एक प्रणाली बनाई गई थी जिसके लिए विभिन्न बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची प्राप्त कर अनुशंसा के पहले आवेदनों की जाँच की जा रही थी। कम्पनी का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि महाविद्यालयों / संस्थानों की जाँच पहले भी की गई थी। कम्पनी को ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जि0क0कार्या0 के माध्यम से महाविद्यालय / संस्थाओं का भौतिक सत्यापन कराने हेतु एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

- चूँकि लाभार्थियों की सूची की तैयारी का कार्य एवं उनको छात्रवृत्ति की स्वीकार्य राशि का कार्य कम्पनी द्वारा वाह्य स्रोत से करवाया गया, अतः कम्पनी को वास्तविक संवितरण से पहले इसका सत्यापन करने की आवश्यकता थी। वाह्य स्रोत के डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा तैयार की गई सूची (2008–09) में प्रत्येक विद्यार्थी की स्वीकार्य सीमा को सत्यापित करने में कम्पनी की असफलता के कारण 133 विद्यार्थियों हेतु ₹ 4.29 लाख की राशि का अधिकतम स्वीकार्य सीमा से अधिक संवितरण हुआ जिसमें 95 विद्यार्थियों से ₹ 2.20 लाख की वसूली होना अभी तक शेष था (अगस्त 2013)।

  प्रबंधन ने तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा (अक्टूबर 2013) कि शेष राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

- कम्पनी के निर्देशानुसार, जि0क0कार्या0 को महाविद्यालय / संस्थाओं को दो भिन्न रेखांकित चेक देना था, एक ट्युशन शुल्क हेतु तथा दुसरा गुजारा भत्ता के लिए (छात्र–वार)। हमने पाया कि आठ जि0क0कार्या0[20] ने कम्पनी के दिशा–निर्देश के उल्लंघन में कॉलेज / संस्थाओं को ट्युशन शुल्क तथा गुजारा भत्ता के लिए ₹ 16 करोड़ की राशि का समेकित चेक मुक्त किया। इसके अलावा, कम्पनी / जि0क0कार्या0 इन महाविद्यालय / संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में भी असफल रहा। इसके कारण, यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि अभीष्ट लाभार्थी को वास्तव में लाभ मिला अथवा यह महाविद्यालय / संस्थाओं में ही पड़ा रहा।

- जि0क0कार्या0 सीवान ने महाविद्यालय / संस्थान के माध्यम से लाभार्थियों को गुजारा भत्ता संवितरण करने के बजाय, दिशा–निर्देशों के उल्लंघन में, वर्ष 2010–12 की अवधि के दौरान, 1337 विद्यार्थियों को सीधे ₹ 31.35 लाख की राशि का गुजारा भत्ता संवितरित किया। इसी प्रकार, उक्त दिशा–निर्देश के उल्लंघन में जि0क0कार्या0, समस्तीपुर ने विद्यार्थियों को संवितरण हेतु गुजारा

[19] 1. अन्तर्राष्ट्रीय पारा मेडिकल संस्थान बेली रोड, राजा बाजार, 2. आर0एल0एस0 महाविद्यालय, बेली रोड, राजा बाजार, 3. रहमत लतीफ शाह महाविद्यालय, बेली रोड, राजा बाजार, 4. अल शाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेली रोड, राजा बाजार (स्रोतः कम्पनी का प्रतिवेदन)।

[20] बक्सार, भोजपुर, दरभंगा, गया, पटना, सिवान, सारण तथा समस्तीपुर।

भत्ता से संबंधित ₹ 28.89 लाख का चेक प्रखण्ड विकास कार्यालयों को भेजा। हमने पाया कि प्रखण्ड विकास कार्यालयों द्वारा वास्तविक संवितरणों के संबंध में न तो कोई पुष्टिकरण न ही कोई उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया तथा इस तरह ₹ 28.89 लाख का संवितरण सत्यापित नहीं किया जा सका।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि यह जि0क0कार्या0 की असफलता है जिन्होंने कम्पनी के निर्देशों का पालन नहीं किया तथा प्रखंड विकास कार्यालयों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र अधिप्राप्त नहीं किया। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के कार्यान्वयन हेतु कम्पनी स्वयं कार्यान्वयन अभिकरण थी, तथा उसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार गुजारा भत्ता का संवितरण हुआ था।

## मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य)

**2.2.16** वर्ष 2007–08 में मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया ताकि उच्च शिक्षा हेतु कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ मैट्रिक/इण्टरमीडियट परीक्षा पास करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को ₹ 4000 राशि की छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। योजना हेतु योग्यता मानदण्ड तथा संवितरण तंत्र मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय) हेतु निर्धारित मानदण्ड के समान था तथा छात्रवृत्ति राशि को विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं के माध्यम से संवितरित किया जाना था। इस योजना के अंतर्गत ₹ 4.06 करोड़ वर्ष 2008–11 की अवधि में संवितरित की गई।

इसके अतिरिक्त, मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय) के अंतर्गत लाभ लेने वाले छात्र को इसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी।

**आँकड़ों के सत्यापन नहीं किये जाने के कारण 18.24 लाख वैसे 456 विद्यार्थियों को मुक्त किया गया जो मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय) के अन्तर्गत पहले ही छात्रवृत्ति का लाभ ले चुके थे**

नमूना जाँच किए 10 जिलों में हमने पाया कि मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य) के अंतर्गत वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के दौरान 2714 छात्रों हेतु ₹ 1.09 करोड़ मुक्त की गई। नौ जिलों के छात्रों के नामों की सूची की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य) के अंतर्गत कम्पनी द्वारा 456 वैसे विद्यार्थियों को ₹ 18.24 लाख[21] मुक्त की गई जिनके विरुद्ध निधि पहले ही मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय) के अंतर्गत मुक्त की जा चुकी थी। इस प्रकार, मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य) के अंतर्गत निधि मुक्त करने से पहले कम्पनी मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय) के अंतर्गत 456 विद्यार्थियों को पहले ही किए गए संवितरण का सत्यापन करने में असफल रही फलस्वरुप अन्य योग्य विद्यार्थी इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने से वंचित रह गए।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि कोई नियंत्रण प्रयुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि अन्य योजना में छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थियों की पहचान हेतु कम्पनी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा कोई तंत्र अथवा सॉफ्टवेयर प्रदान नहीं किया गया था। कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनों छात्रवृत्ति योजनाएँ कम्पनी द्वारा कार्यान्वित की गईं थी तथा इस प्रकार कम्पनी द्वारा संवितरण के ब्योरे से नियंत्रण लागू किया जा सकता था। दोनों छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत दोहरे लाभ प्राप्त करने से बचने हेतु सत्यापन की प्रणाली विकसित करनी चाहिए थी।

[21] अररियाः 16, भागलपुरः 38, भोजपुरः 03, दरभंगाः 19, गयाः 181, पटनाः 133, सारणः 37, समस्तीपुरः 28, सिवानः 01, कुल 456 विद्यार्थी × ₹ 4000 = ₹ 18.24 लाख।

## कोचिंग योजना के अंतर्गत उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होना

**2.2.17** विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने के लिए बिहार सरकार द्वारा मार्च 2007 में एक कोचिंग योजना आरंभ की गई। योजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु प्रशासनिक विभाग ने एक समिति[22] का गठन किया था जिसे महीने के अन्तिम सप्ताह के अन्त में निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत करना था जिसमें योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का उल्लेख हो। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों तथा कोचिंग संस्थानों का चयन का भार विभाग द्वारा गठित समिति पर था। इस प्रकार, प्रत्येक वर्ष योग्य विद्यार्थियों का चयन सुनिश्चित करने के लिए समिति को समय पर तथा पर्याप्त कार्रवाई करने की आवश्यकता थी ताकि योजना के अंतर्गत उद्देश्यों के लिए मुक्त राशि का उपयोग किया जा सके।

**योजना के लिए प्राप्त ₹ 4.67 करोड़ में केवल ₹ 0.98 करोड़ का उपयोग किया गया।**

हमने पाया कि केवल मार्च 2007–08 तथा 2009–10 में 2661 विद्यार्थियों को कोचिंग दी गई, परिणामस्वरुप वर्ष 2007–11 के दौरान कम्पनी द्वारा प्राप्त ₹ 4.67 करोड़ की राशि में केवल ₹ 0.98 करोड़ का उपयोग किया गया तथा ₹ 3.69 करोड़ की शेष अप्रयुक्त राशि को जनवरी 2013 में विभाग को कम्पनी द्वारा वापस कर दी गई।

इस प्रकार, विभाग द्वारा गठित समिति योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण प्रभावी रूप से करने में असफल रही क्योंकि विभाग को कार्यान्वयन की स्थिति या निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की गई। संस्थानों का भुगतान कम्पनी द्वारा रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने योजना को जारी रखने हेतु मामले का अनुसरण नहीं किया। इस प्रकार, योजना के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई तथा इसे वर्ष 2011–12 में बंद कर दिया गया।

प्रबंधन ने तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा (अक्टूबर 2013) कि वर्ष 2012–13 से राज्य सरकार ने योजना हेतु 'मौलाना मजहरुल हक अरबी तथा फारसी विश्वविद्यालय' पटना को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया था। तथापि, तथ्य यह है कि ₹ 3.69 करोड़ व्यर्थ पड़े रहे। फलस्वरुप योजना का वांछित लाभ अभीष्ट लाभार्थियों तक नहीं पहुँचाया जा सका।

## मेधा सह आय छात्रवृत्ति योजना

**2.2.18** मेधा सह आय छात्रवृत्ति योजना को भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया (जून 2007) जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धन तथा मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था ताकि वे व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रम करने में सक्षम हों। अंतर स्नातक तथा परा स्नातक पाठ्यक्रम के लिए कन्या विद्यार्थियों हेतु 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति आरक्षित रखा जाना था। इस योजना के अंतर्गत अनुवर्त्ती वर्षों में छात्रवृत्ति जारी रखना गत वर्ष के पाठ्यक्रम का सफलतापूर्वक समाप्ति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर निर्भर था। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा इसे कम्पनी को सौपी गई थी (जून 2010)। वर्ष–वार लक्ष्य तथा उपलब्धि इस प्रकार है :

[22] तीन उपसचिव–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार, बिहार राज्य हज समिति, पटना के कार्यपालक अधिकारी, उपसचिव, अल्पसंख्यक आयोग, बिहार, पटना, प्रबन्ध निदेशक, वि0रा0अ0वि0नि0लि0।

तालिका सं0 : 2.2.6

| वर्ष | लाभार्थियों की लक्षित संख्या (नए) | संस्वीकृत राशि[23] (₹ करोड़ में) | लाभार्थियों की उपलब्धि संख्या में | | | संवितरित राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | नए | नवीकरण | कुल | |
| 2010–11 | 1458 | 9.46 | 1458 | 1661 | 3119 | 9.46 |
| 2011–12 | 1458 | 6.74 | 1457 | 1950 | 3407 | 6.47 |
| 2012–13 | 4353 | 11.96 | 4555[24] | 1478 | 6033 | 16.59 |
| **कुल** | **7269** | **28.16** | **7470** | **5089** | **12559** | **32.79** |

(स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)

हमने पाया कि :

- वर्ष 2010–13 की अवधि में प्राप्त ₹ 28.16 करोड़ की राशि में कम्पनी ने दिसम्बर 2013 तक कुल ₹ 32.79 करोड़ संवितरित किया था जिसमें ₹ 4.63 करोड़ कम्पनी द्वारा अन्य योजनाओं के लिए उपलब्ध राशि से संवितरित की गई थी।
- इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिला उम्मीदवारों की संख्या का परास 8.98 से 17.77 प्रतिशत के बीच था।
- इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने हेतु मेधा सूची कम्पनी द्वारा तैयार नहीं की गई थी।
- विहित दिशा–निर्देशों के उल्लंघन में कम्पनी ने गत वर्षों में संवितरित छात्रवृत्ति की निधि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किए बिना अनुवर्ती वर्षों के लिए छात्रवृत्ति निधि मुक्त किया था।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि कम्पनी संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का हर संभव प्रयास कर रही थी। कम्पनी के उत्तर से सिद्ध हुआ कि दिशा–निर्देशों के प्रावधानों का निधि की मुक्ति से पहले पालन नहीं किया जा रहा था।

## मुख्य मंत्री श्रम शक्ति योजना (मु0मं0श्र0श0यो0)

**2.2.19** मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना को 18 से 45 वर्षों के आयु वर्ग वाले अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार व्यक्तियों के उत्थान हेतु वर्ष 2008–09 में आरंभ किया गया जिससे उन्हे कौशल विकास हेतु विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सके और वे स्वरोजगार हेतु सक्षम हों। हमने पाया कि विभाग ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार व्यक्तियों को विभिन्न व्यापारों के अंतर्गत प्रशिक्षण देने के लिए फरवरी 2009 में एक विज्ञापन जारी किया। प्राप्त 3453 आवेदनों में 2921 लाभार्थी प्रशिक्षण हेतु योग्य पाए गए।

[23] संस्वीकृत तथा संवितरित राशि नए तथा नवीकृत लाभार्थियों के लिए था।

[24] वर्ष 2012–13 के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत 202 अतिरिक्त लाभार्थी। यद्यपि दिसम्बर 2013 तक कम्पनी द्वारा अतिरिक्त निधि प्राप्त नहीं की गई।

**मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना के अन्तर्गत प्राप्त ₹ तीन करोड़ में से केवल ₹ 14 लाख का उपयोग किया गया**

कम्पनी ने राज्य सरकार से वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 के दौरान क्रमशः ₹ दो करोड़ तथा ₹ एक करोड़ का अनुदान प्राप्त किया था। प्राप्त ₹ तीन करोड़ में वर्ष 2012–13 के दौरान कम्पनी ने सी0आइ0पी0ई0टी0[25], हाजीपुर के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में केवल ₹ 14 लाख का उपयोग किया तथा उपरोक्त योग्य लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए कम्पनी द्वारा कोई अतिरिक्त कार्य नहीं किया गया। इस प्रकार ₹ 2.86 करोड़ चार वर्षो से अधिक समय के लिए अनुपयोगी रहे। इस प्रकार, योजना के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने का वांछित लाभ अभीष्ट लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाया।

प्रबंधन ने तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा (अक्टूबर 2013) कि दिशा–निर्देशों के अभाव में निधि का उपयोग वर्ष 2012 तक नहीं हो सका। इसके बाद योजना का प्रभावी तथा उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु, सी0आई0पी0ई0टी0 तथा रेमण्ड को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चुना गया।

## मानव–शक्ति

**2.2.20** कम्पनी में मानव–शक्ति का अभाव था। 73 व्यक्तियों के संस्वीकृत कार्यबल के विरुद्ध मार्च 2013 को वास्तविक कार्यबल केवल 31 था जो 58 प्रतिशत की कमी को प्रदर्शित करता है। मानव–शक्ति की कमी के कारण कम्पनी जिला स्तरीय ढाँचा स्थापित करने की स्थिति मे नहीं था। मानव–शक्ति की कमी का मामला कम्पनी के निदेशक बोर्ड के द्वारा प्रभावी रूप से सुलझाया नहीं गया। कम्पनी द्वारा अब तक कोई भर्ती नीति का प्रतिपादन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने स्थापना मामले, भर्ती, प्रशिक्षण आदि के लिए कोई कार्मिक नियमावली तैयार नहीं किया था। वर्ष 2008–13 की अवधि के दौरान, कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया तथा कर्मचारियों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन की कोई प्रणाली नहीं थी। इन त्रुटियों ने योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में कम्पनी के कार्य को प्रभावित किया ।

## आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

**2.2.21** आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रबंधन का एक अस्त्र है जिसका उपयोग इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए होता है कि प्रबंधन के उद्देश्यों की प्राप्ति कुशलतापूर्वक, प्रभावी रूप से एवं व्यवस्थित तरीके से हो रही है। प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के रूप में कुशल प्रबंधन सूचना प्रणाली का प्रावधान निर्णय लेने तथा नियंत्रण को सुगम बनाने हेतु पूर्वापेक्षित है। इसके अतिरिक्त, अच्छे नियंत्रण हेतु कुशल एवं प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध का भी अस्तित्व होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा आंतरिक लेखापरीक्षा में निम्न त्रुटियाँ पायी :

- कम्पनी के पास कोई परिचालन तथा कार्यान्वयन नियमावली नहीं थी। इसके अतिरिक्त प्रभावी अनुश्रवण के लिए जि0क0कार्या0/प्रमंडल द्वारा संवितरण से सम्बन्धित कोई आवधिक प्रतिवेदन/विवरण तैयार नहीं किया गया तथा उच्च प्रबन्धन को भी नहीं भेजा गया जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि कम्पनी में कोई प्रबन्ध सूचना प्रणाली मौजूद नहीं था।

- जि0क0कार्या0/जि0शि0कार्या0[26] से निधि के संवितरण संबंधी उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के अनुश्रवण हेतु कम्पनी द्वारा कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, वर्ष–वार/योजना–वार/जिला–वार प्राप्त होने

[25] सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, हाजीपुर।
[26] जिला कल्याण कार्यालय (जि0क0कार्या0), अतिरिक्त निदेशक सामाजिक सुरक्षा (अति0नि0सा0सु0)।

वाली उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधी आँकड़ों का रख–रखाव कम्पनी द्वारा नहीं किया गया।

- बाह्य स्रोत एजेंसी/संविदा कर्मचारियों द्वारा तैयार की गई योग्य विद्यार्थियों की सूची के सत्यापन की कोई प्रणाली नहीं थी।
- कम्पनी का लेखा वर्ष 2011–12 से बकाया था। बकाया का मुख्य कारण वर्ष 1984–85 से 1998–99 के लेखाओं का विलम्ब से तैयार करना था जो वर्ष 2001 से आरंभ हुआ।
- कम्पनी वर्ष 2007–08 से 2009–10 में कम्पनी निबन्धक को वार्षिक विवरणी जमा करने में असफल रहा, फलस्वरुप कम्पनी मामलों के मंत्रालय से जारी दोषी कम्पनियों की सूची में इसे सम्मिलित किया गया।

उपरोक्त वर्णित त्रुटियाँ कम्पनी में विद्यमान निम्न आंतरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण तंत्र की प्रदर्शक थी।

## आंतरिक लेखापरीक्षा

**2.2.22** कम्पनी में कोई पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं था। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमावली तैयार नहीं की गई। सनदी लेखापालों को लेखा को अद्यतन करने तथा आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य पूरा करने हेतु नियोजित किया गया था। वर्ष 2010–11 तक के लेखाओं का आंतरिक लेखापरीक्षा किया जा चुका था। आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी पर कम्पनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। इसमें लाभार्थियों से देय राशि की वसूली का अनुसरण नहीं होना, ऋण अभिलेखों का सत्यापन नहीं होना, इत्यादि था।

## निष्कर्ष

**कम्पनी की वित्त पोषण तथा वसूली गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं था। अभीष्ट लाभार्थियों को ऋण/छात्रवृत्ति के संवितरण तथा इसकी वसूली रणनीति कम्पनी द्वारा तैयार नहीं की गई। फलस्वरुप, यह राज्य में अभीष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने उद्देश्य में असफल रहा। कम्पनी के कार्य में सरकार की भूमिका दोषपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त कोचिंग योजना के अनुश्रवण के लिए गठित चयन समिति के निष्पादन पर विभाग का अल्प नियंत्रण था। विभिन्न ऋण/छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभों को अभीष्ट लाभार्थियों तक अच्छी तरह नहीं पहुँचाया गया।**

**प्रभावी तथा समय पर निधि का उपयोग तथा जिस उद्देश्य के लिए निधि की प्राप्ति हुई है उसी उद्देश्य में उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के पास कोई प्रणाली नहीं थी। विभिन्न ऋण/छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित निम्न वसूली तथा निधि की उपयोगिता नहीं/कम होने के मामले पाए गए। यह कम्पनी के दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का प्रदर्शक है।**

**अभीष्ट लाभार्थियों की पहचान तथा वित्तीय सहायता के संवितरण में कार्यविधिक त्रुटियाँ थीं। इसके अतिरिक्त, कोई प्रणाली नहीं थी जिससे यह सुनिश्चित हो कि ऋण/छात्रवृत्ति निधि को वास्तव में लाभार्थियों को**

संवितरित किया गया तथा इसे उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा था जिसके लिए यह संवितरित हुआ। लाभार्थियों से वसूली की अनुवर्त्ती कार्रवाई प्रणाली भी संतोषजनक नहीं थी।

कम्पनी में आंतरिक नियंत्रण कई क्षेत्रों में दोषपूर्ण था।

## अनुशंसाएँ

- कम्पनी को अभीष्ट लाभार्थियों को ऋण/छात्रवृत्ति के संवितरण तथा इसकी वसूली हेतु एक विस्तृत योजना विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जिसके द्वारा निधि का उपयोग समयबद्ध तरीके से किया जाय तथा उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए यह प्राप्त किया गया;

- योग्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए डाटा बेस तैयार करना चाहिए। कम्पनी को अभीष्ट समूह के उत्थान के अपने उद्देश्य की उपलब्धि तथा अन्य समाजिक आर्थिक पहलुओं का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है;

- कम्पनी को अनुवर्त्ती छात्रवृत्ति/ऋण निधि को मुक्त करने से पहले जि0क0कार्या0/महाविद्यालयों/संस्थानों/लाभार्थियों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु एक प्रणाली विकसित करना चाहिए साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभार्थियों को संवितरित छात्रवृत्ति/ऋण निधि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इसे संवितरित किया गया;

- वसूली तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए; तथा

- कम्पनी में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण तंत्र को सरल, प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाना चाहिए।

# अध्याय - III

3. सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

3. बिहार राज्य भण्डारण निगम की भण्डारण गतिविधियाँ

# अध्याय III

# सांविधिक निगमों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

## 3. बिहार राज्य भण्डारण निगम की भण्डारण गतिविधियाँ

### कार्यकारी सारांश

*परिचय*

*बिहार राज्य भण्डारण निगम (निगम) की स्थापना कृषि उत्पाद (विकास एवं भण्डारण) निगम अधिनियम, 1956 के अधीन मार्च 1957 में हुई थी। 31 मार्च 2013 को निगम के पास कुल 31.99 लाख मेट्रिक टन (एम0टी0) की उपलब्ध क्षमता के 37 भण्डारण केन्द्र थे।*

*भण्डारण गतिविधियों में त्रुटियाँ*

*प्राथमिक उत्पादनकर्त्ताओं (किसानों) को लाभ का उपार्जन नहीं होना*

*स्टॉकों के वैज्ञानिक भण्डारण के सम्बन्ध में किसानों को शिक्षित करने में निगम द्वारा पहल नहीं किए जाने के फलस्वरुप निगम अपने मुख्य उद्देश्य यथा प्राथमिक उत्पादनकर्त्ताओं को भण्डारण सुविधा प्रदान करने में विफल रहा।*

*स्टॉक में कमी के कारण हानि*

*राज्य भण्डारण केन्द्रों (एस0डब्ल्यू0सी0) की नियमित भौतिक सत्यापन में त्रुटिपूर्ण अनुश्रवण के फलस्वरुप खाद्यान्नों में कमी के कारण निगम को ₹ 12.63 करोड़ की हानि हुई।*

*प्रथम आगत प्रथम निर्गत (फीफो) विधि का अनुपालन नहीं होना*

*एस0डब्ल्यू0सी0, बेतिया और एस0डब्ल्यू0सी0, रक्सौल में क्रमशः 448 एम0टी0 एवं 269 एम0टी0 चावल वर्ष 2010–11 से ही फीफो विधि नहीं अपनाए जाने के कारण निर्गत नहीं हो सका। चावल, जिसकी कुल कीमत ₹ 1.42 करोड़ थी, बदरंग, संक्रमित, अत्यधिक खण्डित एवं निर्गमन हेतु अयोग्य हो गए।*

*अत्यधिक क्षमता का विनियोजन*

*एस0डब्ल्यू0सी0, मुजफ्फरपुर में आवश्यकता से अधिक गोदामों के विनियोजन के कारण निगम कुल 98,000 एम0टी0 भण्डारण क्षमता का उपयोग नहीं कर सका जिसके फलस्वरुप भण्डारण शुल्क के मद में ₹ 0.54 करोड़ की संभाव्य हानि हुई।*

*भण्डारण हानि की वसूली नहीं होना*

*एस0डब्ल्यू0सी0, सासाराम में भण्डारण हानि की माफी हेतु भण्डारण हानि का मासिक प्रतिवेदन एफ0सी0आई0 को समर्पित नहीं किया गया था। इसके फलस्वरुप ₹ 1.05 करोड़ की राशि की वसूली नहीं हो सकी (अगस्त 2013)। अक्टूबर 2009 से फरवरी 2011 के दौरान उसी केन्द्र से 145 एम0टी0 गेंहूँ और 171 एम0टी0 चावल, जिसकी कुल कीमत ₹ 23.13 लाख थी, की अग्रेतर भण्डारण हानि हुई। निरन्तर भण्डारण हानि होने के बावजूद निगम ने न तो इसके कारणों की छानबीन की और न ही कमियों को समाप्त करने हेतु कोई पहल किया।*

*त्रुटिपूर्ण संरक्षणात्मक कार्रवाई*

*डनेज एवं अन्य धुम्रीकरण पदार्थों का उपयोग मापदण्ड से काफी कम था जो गोदामों, खाद्यान्नों एवं अन्य रखे हुए स्टॉक को हानि पहुँचा सकता है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक भण्डारण के परिकल्पित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।*

*टैरिफ एवं विपत्रीकरण*

*एफ0सी0आई0 द्वारा संशोधित विपत्रों को निर्गत नहीं करना*

*बढ़े हुए संशोधित दर (अप्रैल 2009 से प्रभावी) पर भण्डारण शुल्क के ₹ 3.16 करोड़ के बकाया विपत्र सात केन्द्रों द्वारा नहीं भेजा गया था (अगस्त 2013)।*

### इफको से संशोधित टैरिफ की वसूली नहीं होना

संशोधित दरों पर बकाया विपत्रों का निर्गमन यद्यपि निगम द्वारा किया गया था, इफको द्वारा बढ़े हुए दर को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर टैरिफ आदेश प्राप्ति के अगले माह से लागू किया गया था। इसके फलस्वरुप ₹ 44.04 लाख (जुलाई 2013) की वसूली निगम को नहीं हो पाई थी।

### गोदामों का निर्माण

### केन्द्रीय/राज्य योजना

### राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0)

सरकार ने सात स्थानों पर कुल क्षमता 50,000 हजार एम0टी0 के 10 गोदामों के निर्माण हेतु आर0के0वी0वाई0 के अन्तर्गत 2007–08 एवं 2008–09 में ₹ 26.30 करोड़ संस्वीकृत किया। तथापि, सात महीनों में पूर्ण होने की नियत अवधि के विरुद्ध केवल आठ गोदामों का निर्माण 18 से 40 महीनों के विलम्ब से पूर्ण हुआ था।

### स्व–योजना के अन्तर्गत

निगम के कार्यकारिणी समिति ने दो केन्द्रों (कस्बा–6000 एम0टी0 और मुजफ्फरपुर–4310 एम0टी0) पर दो गोदामों का निर्माण अपनी निधि से कराने हेतु ₹ 6.43 करोड़ संस्वीकृत किया तथापि सात महीनों में पूर्ण होने की नियत अवधि के विरुद्ध गोदामों का निर्माण 19 से 21 महीनों के विलम्ब से पूर्ण हुआ।

### वित्तीय प्रबन्धन

### लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं होना

निगम ने अपनी वार्षिक लेखाओं का अन्तिमीकरण वर्ष 2009–10 तक ही किया है जबकि वर्ष 2010–11 से 2012–13 की अवधि हेतु लेखाओं का अन्तिमीकरण होना अभी भी शेष था। लेखाओं के अन्तिमीकरण करने में विलम्ब का परिणाम गबन सहित वित्तीय अनियमितता का जोखिम हो सकता है।

### त्रुटिपूर्ण मानव–शक्ति नियोजन

31 मार्च 2013 को 493 स्वीकृत पद के विरुद्ध निगम की कार्यकारी शक्ति 206 कर्मचारी की थी जिसमें से 153 कर्मचारी वर्ग 'घ' कर्मचारी चपरासी सह सफाईकर्मी, (पी0सी0डी0ओ0), चालक इत्यादि थे। अधीक्षकों का पदस्थापन गोदाम प्रभारी के रुप में आवश्यक था, परन्तु मानव–शक्ति की अत्यधिक कमी के कारण जोखिम से भरे भण्डार गृहों का प्रभार निचले संवर्ग के कर्मी यथा 23 एस0डब्ल्यू0सी0 में सहायकों एवं 14 एस0डब्ल्यू0सी0 में पी0सी0डी0ओ0/ दफ्तरियों/ रिकॉर्ड कीपरों को दी गई। अपितु, प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

### आन्तरिक नियन्त्रण

निगम के पास कार्यात्मक अथवा संचालन नियमावली नहीं है और न ही इसके पास अपनी लेखा नियमावली है। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को, निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। 2008–13 की अवधि में 30 एवं 60 आवश्यक बैठकों के विरुद्ध अनियमित अन्तराल पर क्रमशः निदेशक मण्डल की 18 एवं कार्यकारिणी समिति की केवल 10 बैठकें आहूत की गई थीं। निगम ने प्रभावी अनुश्रवण हेतु सूचनाओं/आँकड़ों के संग्रहण, समेकितिकरण एवं विश्लेषण हेतु किसी विस्तृत प्रबन्धन सूचना प्रणाली की व्यवस्था नहीं की थी। अभिलेख पुस्तकों का भी समुचित संधारण नहीं किया गया था। अभिलेखों का संधारण भी सही तरह से नहीं किया गया था।

### निष्कर्ष

निगम के पास गोदामों के निमार्ण हेतु कोई समुचित योजना नहीं थी। प्राथमिक उत्पादनकर्त्ताओं को भण्डारण सुविधा प्रदान करने के मूल उद्देश्य की प्राप्ति में निगम विफल रहा। निगम की भण्डारण गतिविधियाँ त्रुटिपूर्ण थी चूँकि स्टॉक की चोरी, फीफो के अनुपालन नहीं होने इत्यादि कारणों से निगम को हानि हुई। इसके अतिरिक्त टैरिफ की त्रुटिपूर्ण प्रयुक्ति, त्रुटिपूर्ण विपत्रीकरण एवं प्राप्य राशियों की वसूली नहीं होने के दृष्टांत पाए गए। वित्तीय प्रबन्धन, आन्तरिक नियंत्रण एवं एम0आई0एस0 त्रुटिपूर्ण था।

### अनुशंसाएँ

निगम को गोदामों के निर्माण हेतु परिप्रेक्ष्य योजना बनाना चाहिए एवं गोदामों के ससमय निर्माण को सुनिश्चित

*करना चाहिए, वैज्ञानिक भण्डारण व स्टॉक के निर्गमन को सुनिश्चित करना चाहिए, समय पर विपत्र बनाना चाहिए एवं इसकी वसूली का अनुसरण करना चाहिए, नियन्त्रण पंजी को अद्यतन एवं पूर्ण रखना चाहिए, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सशक्त करना चाहिए एवं एम0आई0एस0 का सुधार करना चाहिए।*

*(अध्याय –III)*

## परिचय

**3.1** बिहार राज्य भण्डारण निगम (निगम) की स्थापना कृषि उत्पाद (विकास एवं भण्डारण) निगम अधिनियम, 1956 के अधीन मार्च 1957 में हुई थी। भारत सरकार ने इस अधिनियम को निरस्त कर इसे भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 (अधिनियम) से प्रतिस्थापित किया। अधिनियम की धारा 2 (के) के प्रावधान के अंतर्गत निगम एक मानित राज्य भण्डारण निगम था। निगम का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं अधिसूचित सामग्रियों हेतु वैज्ञानिक भण्डार सुविधाओं का प्रावधान करना एवं जमाकर्त्ताओं विशेषकर मूल उत्पादकों को उनके द्वारा भण्डारित सामग्रियों के विरुद्ध उधार प्राप्त करने में सहायता करना है।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निगम के मुख्य कार्य राज्य में अपने गोदामों और भण्डारगृहों का अधिग्रहण करना एवं उनका निर्माण करना, अपनी अथवा किराए की भण्डार–गृहों में कृषि उत्पादों, उर्वरकों एवं अधिसूचित सामग्रियों की भण्डारण सुविधा प्रदान करना, उपर्युक्त सामग्रियों की भण्डार –गृहों तक अथवा भण्डार–गृहों से ढुलाई हेतु परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करना था।

निगम का प्रशासनिक नियंत्रण, सहकारिता विभाग, बिहार सरकार के अन्तर्गत है। मार्च 2009 को निगम के पास 44 भण्डारण केन्द्रों पर 173 गोदाम (निगम के स्वयं के गोदामों की संख्या 74 एवं किराए के 99 गोदाम) जिसकी कुल उपलब्ध भण्डारण क्षमता 32.62 लाख मेट्रिक टन (एम0टी0) थी जो घटकर 31 मार्च 2013 को 37 भण्डारण केन्द्रों पर 31.99 लाख एम0टी0 की कुल उपलब्ध क्षमता सहित 154 गोदाम (निगम के स्वयं की 84 गोदाम एवं किराए के 70 गोदाम) हो गयी।

निगम का प्रबन्धन निदेशक–मण्डल में निहित है जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, को मिलाकर 11 निदेशक थे। इन निदेशकों में से पाँच निदेशकों का मनोनयन केन्द्रीय भण्डारण निगम एवं छः निदेशकों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। निदेशक मण्डल, अपने कार्य के निष्पादन में कार्यकारिणी समिति, जिसमें अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक एवं तीन निदेशक होते हैं, से सहायता प्राप्त करती है। विभिन्न कार्यात्मक अनुभाग यथा वित्त, व्यवसाय, अभियन्त्रण, तकनीकी एवं निगम के प्रमण्डलों के प्रभारी आठ प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक के कार्य–निष्पादन में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक केन्द्र, केन्द्राधीक्षक द्वारा संचालित होता है जो प्रमण्डलीय प्रबन्धकों द्वारा पर्यवेक्षित होते हैं और निदेशक को प्रत्यक्ष रुप से प्रतिवेदन करते हैं।

## लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

**3.2** 31 मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक), बिहार सरकार के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निगम के कार्य–कलापों की समीक्षा हुई थी एवं इन्हें सम्मिलित किया गया था। लोक उपक्रम समिति ने समीक्षा पर चर्चा की और अपनी अनुशंसाएँ 2006–07 की प्रतिवेदन संख्या 166 में दी थीं जिन्हें

राज्य विधान मंडल में फरवरी 2008 में प्रस्तुत किया गया था। लागू योग्य अनुशंसाओं का यथासंभव विचार निष्पादन लेखापरीक्षा में किया गया है।

मई से अगस्त 2013 की अवधि में सम्पन्न की गई वर्त्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में 2008–13 की अवधि में निगम की भण्डारण क्रिया–कलापों को सम्मिलित किया गया है। निगम की 37 भण्डारण गृह केन्द्रों (31,99 लाख एम0टी0 की कुल भण्डारण क्षमता) में से 12[1] राज्य भण्डारण केन्द्रों (एस0डब्ल्यू0सी0) जिसकी कुल भण्डारण क्षमता 18,94 लाख एम0टी0 थी के साथ मुख्यालय के अभिलेखों का नमूना जाँच किया गया। एस0डब्ल्यू0सी0 का चयन रैंडम नमूना विधि अपनाकर किया गया था।

लेखापरीक्षा मानदण्ड के परिप्रेक्ष्य में लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनाई गई कार्य प्रणाली में, प्रवेश सम्मेलन में प्रबन्धन को लेखापरीक्षा उद्देश्यों से अवगत कराना, अभिलेखों की संवीक्षा, निगम के मख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से संगृहित साक्ष्यों का प्रलेखन एवं विश्लेषण, बोर्ड के बैठक की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त की जाँच एवं लेखापरीक्षा पृच्छाओं को निर्गत करना एवं प्रबन्धन के साथ वार्त्ता शामिल था।

लेखापरीक्षा परिणामों को निगम एवं राज्य सरकार को अगस्त 2013 में प्रतिवेदित किया गया एवं इस पर परिचर्चा 24 अक्टूबर 2013 को आहूत निकास सम्मेलन में की गई। निकास सम्मेलन में संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार सरकार और प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य भण्डारण निगम ने भाग लिया था। यद्यपि निगम का जवाब अक्टूबर 2013 में प्राप्त हुआ था, राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित (दिसम्बर 2013) थी। निष्पादन लेखापरीक्षा के अन्तिमीकरण में प्रबन्धन का जवाब एवं निकास सम्मेलन में अभिव्यक्त धारणाओं को ध्यान में रखा गया है।

## लेखापरीक्षा उद्देश्य

**3.3** निगम की निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या :

- भण्डारण क्षमता का उपयोग समुचित, प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक किया जा रहा था;
- भण्डारण के दौरान खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों की क्षति को कम करने हेतु पर्याप्त उपाय किये गये थे;
- भण्डारण सुविधा प्रदान करने हेतु निगम ने नियमित अवधि में सही विपत्रों को जारी किया था एवं भण्डारण शुल्क की वसूली टैरिफ के अनुसार किया गया था;
- भण्डारण सुविधाओं का निर्माण/सृजन किफायती एवं कुशलतापूर्वक किया गया था;
- निधियों का उचित वित्तीय प्रबन्धन विद्यमान था; एवं
- आन्तरिक नियन्त्रण पर्याप्त एवं निगम के व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप था।

[1] आरा, औरंगाबाद, बरौनी, बिहारशरीफ, बेतिया, बक्सर, गया, गुलाबबाग (पूर्णियाँ), मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं सासाराम।

## लेखापरीक्षा मानदण्ड

**3.4** लेखापरीक्षा उद्देश्य प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदण्ड अपनाए गये थे :

- भण्डारण कार्यकलापों से सम्बन्धित भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा निर्गत मार्ग–दर्शिकाएँ/निर्देश;
- निदेशक मण्डल की मार्गदर्शिकाएँ/निर्देश;
- भण्डारण निगम अधिनियम, 1962, बिहार राज्य भण्डारण निगम नियमावली,1958 एवं बिहार राज्य भण्डारण निगम के सामान्य विनियमों के प्रावधान ;
- गोदामों के निर्माण हेतु संविदा प्रदान करने में अपनाई गई मानक प्रक्रिया; तथा
- शक्ति के प्रत्यायोजन के सम्बन्ध में निगम के आदेश/अनुदेश।

## लेखापरीक्षा परिणाम

**3.5** लेखापरीक्षा परिणामों की परिचर्चा अनुवर्त्ती कण्डिकाओं में की गई है।

## भण्डारण संचालन

### क्षमता का उपयोग

**3.6** राज्य में भण्डारण की सुविधा निगम द्वारा स्वयं की गोदामों एवं किराए की गोदामों द्वारा प्रदान की जाती है। 31 मार्च 2013 तक निगम के पास 37 केन्द्रों पर 31.99 लाख एम0टी0 के कुल उपलब्ध क्षमता वाले 154 गोदाम (अपना : 84 एवं किराए का : 70) थे। निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में कुल 50,310 एम0टी0 क्षमता वाले 10[2] नए गोदामों का निर्माण कर 6.11 लाख एम0टी0[3] की उपलब्ध भण्डारण क्षमता का सृजन किया। 31 मार्च 2013 तक पिछले पाँच वर्ष हेतु निगम की भण्डारण गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

**तालिका सं0 : 3.1**

| क्रम सं0 | विवरणी | 2008–09 | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भण्डारण केन्द्रों की संख्या | 44 | 42 | 40 | 40 | 37 |
| 2 | **उपलब्ध वार्षिक क्षमता (लाख एम0टी0 में)** | | | | | |
| | अपना गोदाम | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 19.83 | 21.04 |
| | किराया का गोदाम | 15.24 | 14.35 | 12.64 | 11.18 | 10.95 |
| | **कुल** | **32.62** | **31.73** | **30.02** | **31.01** | **31.99** |
| 3 | वार्षिक क्षमता का उपयोग (लाख एम0टी0 में) | | | | | |
| | अपना गोदाम | 14.79 | 13.91 | 13.86 | 15.83 | 18.89 |

[2] छपरा (5000 एम0टी0 की दो गोदामें), फतुआ (5000 एम0टी0 की दो गोदामें), कस्बा ( 6000 एम0टी0 की एक गोदाम), मोहनियाँ (5000 एम0टी0 की एक गोदाम), मोतिहारी (5000 एम0टी0 की एक गोदाम), मुजफ्फरपुर (4310 एम0टी0 की एक गोदाम) एवं समस्तीपुर (5000 एम0टी0 की दो गोदामें)।

[3] 2011–12 के दौरान 2.45 लाख एम0टी0 (19.83 लाख एम0टी0 – 17.38 लाख एम0टी0) एवं 2012–13 के दौरान 3.66 लाख एम0टी0 (21.04 लाख एम0टी0 – 17.38 लाख एम0टी0), अर्थात् 2010–11 की तुलना में 6.11 लाख एम0टी0 (2.45 लाख एम0टी0 + 3.66 लाख एम0टी0) की वृद्धि।

| क्रम सं0 | विवरणी | 2008–09 | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | किराया का गोदाम | 17.85 | 14.94 | 12.78 | 10.74 | 10.51 |
| | **कुल** | **32.64**[4] | **28.85** | **26.64** | **26.57** | **29.40** |
| 4 | **क्षमता उपयोगिता की प्रतिशतता** | | | | | |
| | अपना गोदाम | 85.10 | 80.03 | 79.75 | 79.83 | 89.78 |
| | किराया का गोदाम | 117.13 | 104.11 | 101.11 | 96.06 | 95.98 |
| | **कुल** | **100** | **91** | **89** | **86** | **92** |
| 5 | उपयोगिता क्षमता में ह्रास (लाख एम0टी0 में) (2008–09 की तुलना में) | . | 3.79 | 6.00 | 6.07 | 3.24 |

**(स्रोत : प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)**

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि :

- 2008–11 के अवधि के दौरान निगम की भण्डारण क्षमता 17.38 लाख एम0टी0 पर यथावत् रहा एवं 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान इसमें आंशिक रुप से वृद्धि हुई;
- उपलब्ध क्षमता की उपयोगिता 2008–09 में 32.64 लाख एम0टी0 (100 प्रतिशत) से घटकर 2011–12 में 26.57 लाख एम0टी0 (86 प्रतिशत) हो गया और यह 2012–13 में बढ़कर 29.40 लाख एम0टी0 हो गया।

**कुल औसतन क्षमता उपयोगिता सराहनीय था एवं 60 प्रतिशत की औद्योगिक प्रतिमानक से अधिक था। तथापि निगम के भण्डार–गृहों की क्षमता उपयोगिता किराए की भण्डार–गृहों से अधिक था**

क्षमता उपयोगिता 60 प्रतिशत व अधिक के औद्योगिक मानक, जो संतोषजनक माना जाता है, के विरुद्ध औसत क्षमता उपयोगिता का परास 86 से 100 प्रतिशत था, जो सराहनीय था। यह भी प्रेक्षित किया गया कि निगम के अपने गोदामों की क्षमता उपयोगिता (80 से 90 प्रतिशत) किराए के गोदामों (96 से 117 प्रतिशत) से कम था। कम उपयोगिता का मुख्य कारण मुजफ्फरपुर (3000 एम0टी0), आरा (425 एम0टी0) एवं सासाराम (3250 एम0टी0) में स्थित गोदामों की मरम्मती नहीं होना था। इसके अतिरिक्त कम माँग के कारण जानकी नगर (1000 एम0टी0) में स्थित अपने गोदाम की उपयोगिता वर्ष 2011–12 तक "शून्य" था एवं मुरलीगंज (4360 एम0टी0) पर स्थित गोदामों 2008–13 की अवधि में 0.17 प्रतिशत से 18.16 प्रतिशत के बीच रहा। हमने यह प्रेक्षित किया कि केन्द्रों की क्षमता उपयोगिता बढ़ाने हेतु विपणन रणनीति का अभाव था। यह भी प्रेक्षित किया गया कि भण्डारण क्षमता की वैज्ञानिक उपयोगिता पर किसानों के शिक्षण हेतु निगम के पास कोई नीति/कार्यक्रम नहीं था।

निकास सम्मेलन के दौरान (अक्टूबर 2013), प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया।

## *प्राथमिक उत्पादनकर्त्ताओं (किसानों) को लाभ का अनुपार्जन नहीं होना*

**3.7** निगम की स्थापना कृषि एवं अधिसूचित सामग्रियों हेतु भण्डारण सुविधा प्रदान करने एवं जमाकर्त्ताओं विशेषकर प्राथमिक उत्पादकों को उनके द्वारा भण्डारित सामग्रियों के विरुद्ध साख प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए पाँच वर्षों हेतु संग्रहकर्त्तावार भण्डारण क्षमता की उपयोगिता का विवरणी निम्नवत् था :

[4] अनाज के ढेरों की ऊँचाई एवं गलियारों के उपयोग के फलस्वरुप क्षमता उपयोगिता उपलब्ध क्षमता के 100 प्रतिशत से अधिक था।

तालिका सं0: 3.2

(एम0टी0 लाख में)

| वर्ष | थोक जमाकर्ताओं (एफ0सी0आई0 एवं खाद कम्पनियाँ) | प्राथमिक उत्पादनकर्ता (किसान) | व्यापारी (अन्य पी0एस0यू0)[5] | अन्य | कुल | कुल क्षमता की थोक जमाकर्ताओं द्वारा उपयोग की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008–09 | 24.96 | शून्य | 3.20 | 4.48 | 32.64 | 76.47 |
| 2009–10 | 22.96 | शून्य | 2.60 | 3.29 | 28.85 | 79.58 |
| 2010–11 | 20.76 | शून्य | 2.30 | 3.58 | 26.64 | 77.93 |
| 2011–12 | 21.54 | शून्य | 3.13 | 1.90 | 26.57 | 81.07 |
| 2012–13 | 23.71 | शून्य | 3.48 | 2.21 | 29.40 | 80.65 |

(स्रोत : प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

**भण्डारण गृह सुविधाओं का उपयोग मुख्यतः थोक जमाकर्ताओं द्वारा किया जा रहा था। प्राथमिक उत्पादनकर्त्ताओं (कृषकों) ने निगम की भण्डारण सुविधाओं का उपयोग ही नहीं किया था**

उपर्युक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि भण्डारण सुविधा का उपयोग मुख्यतः थोक जमाकर्ताओं द्वारा खाद्यान्न एवं खाद के भण्डारण हेतु हुआ एवं उनकी संयुक्त उपयोगिता का परास 76.47 प्रतिशत एवं 81.07 प्रतिशत (2008–13) के बीच था। प्राथमिक उत्पादनकर्त्ताओं (किसानों) द्वारा निगम की भण्डारण सुविधा का उपयोग बिल्कुल ही नहीं किया गया था। हमने यह प्रेक्षित किया कि स्टॉक के वैज्ञानिक भण्डारण के लाभों के सन्दर्भ में किसानों के शिक्षण हेतु शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में न निगम ने कोई पहल किया और न ही प्राथमिक उत्पादनकर्त्ताओं द्वारा भण्डारण सुविधा का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों का विश्लेषण किया। अतः निगम अपने मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में विफल रहा।

निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2013) के दौरान, प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकारते हुए कहा कि प्राथमिक उत्पादनकर्त्ताओं द्वारा उपयोगिता को प्रोत्साहित किया जाएगा।

## भण्डारण गतिविधियों में त्रुटियाँ

**3.8** निगम द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार भण्डारण – गृहों के प्रबन्धन में निम्न प्रक्रियाएँ अपनाई जानी चाहिए :

- भण्डार में कमी तथा स्टॉक के ह्रास को यथासमय ज्ञात करने हेतु स्टॉक का त्रैमासिक एवं वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना चाहिए;
- स्टॉक का निर्गमन प्रथम आगत प्रथम निर्गत (फीफो) विधि के आधार पर किया जाना चाहिए;
- भण्डारण हेतु स्थानों की बेहतर उपयोगिता को सुनिश्चित करने हेतु स्टॉक को वैज्ञानिक तरीके से स्टैक में रखा जाना चाहिए; एवं
- प्रभावी नियन्त्रण हेतु निर्दिष्ट अभिलेखों का समुचित संधारण होना चाहिए।

भण्डारण गतिविधियाँ में प्रेक्षित त्रुटियों का विवरण निम्नवत् है :

### *स्टॉक में कमी*

**3.9** निगम ने अपने स्टॉक का भौतिक सत्यापन वर्ष 2008–09, 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान नहीं किया। यद्यपि एस0डब्ल्यू0सी0, बिहार शरीफ में 2009–10 हेतु

[5] बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड एवं बिहार स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, इत्यादि।

स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया गया था तथापि कोई आधिक्य/कमी प्रतिवेदित नहीं की गई चूँकि स्टॉक गणना करने के योग्य नहीं था। हमने प्रेक्षित किया कि एफ0सी0आई0 (मार्च 2011) ने केन्द्र का निरीक्षण किया और 6063.72 एम0टी0 खाद्यान्न, जिसका मूल्य ₹ 12.63 करोड़ था, की कमी को प्रतिवेदित किया। निगम ने केन्द्र अधीक्षक के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज किया (जुलाई 2011) और साथ ही एफ0सी0आई0 के साथ अनाज की कमी की मात्रा के सम्बन्ध में विरोध व्यक्त किया परन्तु यह एफ0सी0आई0 द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। निगम के अदाएगी को एफ0सी0आई0 द्वारा रोक दिया गया था (अप्रैल 2011)।

**अनाजों में कमी के फलस्वरुप निगम को ₹12.63 करोड़ की हानि हुई**

इस प्रकार भण्डार में कमी के कारण निगम को ₹ 12.63 करोड़ की हानि उठानी पड़ी जो केन्द्रों/एस0डब्ल्यू0सी0 के सावधिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाने के फलस्वरुप वर्षो तक प्रकट नहीं हो सका।

प्रबंधन ने प्रेक्षण को स्वीकारते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि मानव–शक्ति की कमी के कारण गोदामों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। प्रबंधन ने यह भी कहा कि इस सम्बन्ध में एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गई है। तथापि वस्तुस्थिति यह है कि प्रबन्धन की निष्क्रियता और चूक के फलस्वरूप निगम को हानि हुई।

**अनाजों अथवा स्टॉकों में कमी की अनुश्रवण हेतु अपर्याप्त प्रणाली**

**3.10** जुलाई 2008 में एस0डब्ल्यू0सी0 आरा के प्रभार के आदान/प्रदान के दौरान 144 एम0टी0 गेहूँ की कमी की जानकारी हुई। निगम ने जुलाई 2008 में कमी के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज किया। विभागीय कार्रवाई भी आरम्भ की गई थी परन्तु कमी/हानि हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया चूँकि एक कर्मचारी अन्ततः साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित कर दिया गया था (फरवरी 2011) एवं एक अन्य कर्मचारी कमी/हानि की जानकारी होने से पूर्व ही सेवानिवृत (मई 2008) हो चुके थे। एफ0सी0आई0 ने इस कमी/हानि के खिलाफ ₹ 14.39 लाख की वसूली की। इस प्रकार कमी/हानि की राशि की वसूली में विफलता के फलस्वरुप निगम को ₹ 14.39 लाख की हानि हुई।

प्रबन्धन ने निकास सम्मेलन में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (अक्टूबर 2013)।

### *निगम द्वारा भण्डारों के प्रथम आगत प्रथम निर्गत (फीफो) विधि को नहीं अपनाना*

**भण्डारों के गोदामों से निर्गमन हेतु फीफो विधि नहीं अपनाए जाने के फलस्वरुप ₹1.42 करोड़ मुल्य का चावल खराब हो गया और निर्गत–योग्य नहीं रह गया**

**3.11** निगम द्वारा निर्धारित अनुदेशों के अनुसार, खाद्यान्नों का स्टॉक, जो कि एफ0सी0आई0 के द्वारा निगम के गोदामों में जमा किया जाता है, को फीफो विधि के अन्तर्गत गोदामों से निर्गत करना होता है। हमने प्रेक्षित किया कि एस0डब्ल्यू0सी0, बेतिया और एस0डब्ल्यू0सी0 रक्सौल में क्रमशः 448 एम0टी0 और 269 एम0टी0 चावल 2010–11 से ही पड़ा हुआ था जिसे गोदामों से निर्गत नहीं किया गया था। केन्द्रों द्वारा इसके उपरान्त विभिन्न चावल का भण्डार प्राप्त किया गया और इसे निर्गत भी किया गया परन्तु पुरानी स्टॉक आज तक (अगस्त 2013) गोदामों से निर्गत नहीं की गई। चावल का पुराना स्टॉक बदरंग, संक्रमित, अत्यधिक खण्डित एवं निर्गत–योग्य नहीं रह गया था। इस प्रकार ₹ 1.42[6] करोड़ मूल्य के चावल की गुणवत्ता में ह्रास हुआ एवं फीफो विधि का अनुपालन नहीं होने से ये निर्गत–योग्य नहीं रह गए। तथापि, केन्द्र प्रभारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी (सितम्बर 2013)।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकारते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि सभी केन्द्र प्रभारियों को फीफो विधि के अनुपालन हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

[6] किफायती मूल्य पर ₹ 1,983.11 प्रति क्विंटल की दर से एफ0सी0आई0 का चावल।

## अत्यधिक क्षमता का विनियोजन

**3.12** खाद/उर्वरकों के भण्डारण हेतु गोदामों का विनियोजन जमाकर्त्ताओं द्वारा आरक्षित गोदामों की क्षमता पर आधारित होनी चाहिए ताकि अनारक्षित गोदाम का प्रयोग अग्रेत्तर भण्डारण हेतु हो सके।

**गोदामों की क्षमता विनियोजन के फलस्वरुप ₹ 0.54 करोड़ के राजस्व की हानि हुई**

हमने प्रेक्षित किया कि इण्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (इफको) ने एस0डब्ल्यू0सी0, मुजफ्फरपुर में उर्वरकों के भण्डारण हेतु अक्टूबर 2009 से मार्च 2012 की अवधि में 5,000 एम0टी0 (अगस्त 2010 एवं सितम्बर 2010 में 6,000 एम0टी0 छोड़कर) तथा 2012–13 में 7,000 एम0टी0 हेतु स्थान आरक्षित किया। यद्यपि इफको द्वारा आरक्षित क्षमता के आधार पर अक्टूबर 2009 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान चार गोदामों (प्रति गोदाम 1400 एम0टी0 क्षमता वाले) एवं 2012–13 के दौरान पाँच गोदामों का विनियोजन पर्याप्त था, निगम ने इफको स्टॉक के भण्डारण हेतु इफको द्वारा आरक्षण को बिना ध्यान में लिए 8400 एम0टी0 की कुल भण्डारण क्षमता वाले छः गोदामों का विनियोजन किया। हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि आवश्यकता से अधिक गोदामों के विनियोजन से निगम उक्त अवधि में 98000 एम0टी0 की कुल भण्डारण क्षमता का उपयोग नहीं कर सका जिसके फलस्वरुप भण्डारण शुल्क के मद में ₹ 0.54 करोड़ की हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि गोदामों का प्रयोग अन्य जमाकर्त्ताओं द्वारा भी किया जा रहा था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्य जमाकर्त्ताओं द्वारा क्षमता–उपयोग से सम्बन्धित कोई भी प्रलेखी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त केन्द्र–प्रभारी ने भी इस तथ्य की सम्पुष्टि की थी कि उपर्युक्त छः गोदामों का इफको द्वारा ही उपयोग किया जा रहा था।

## प्रभार का अनुचित आदान–प्रदान

**3.13** निगम के आदेश[7] के अनुसार कर्मचारी के स्थानान्तरण होने पर पूर्णरुप से प्रभार का आदान–प्रदान शीघ्र हो जाना चाहिए। हमने प्रेक्षित किया कि केन्द्र प्रभारी एस0डब्ल्यू0सी0, समस्तीपुर का स्थानान्तरण जुलाई 2012 में एस0डब्ल्यू0सी0, बक्सर हो जाने के उपरान्त भी खाद का केवल आंशिक प्रभार नए केन्द्र प्रभारी को फरवरी 2013 में दिया गया था। तथापि खाद का पूर्णरुपेण प्रभार अभी तक (सितम्बर 2013) नए प्रभारी को सौपा नहीं गया। हमने प्रेक्षित किया कि स्टॉक–पंजी के अनुसार अन्तशेष स्टॉक एवं प्रभार लिए गए स्टॉक के परिमाण में काफी अन्तर था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

**तालिका सं0 : 3.3**

| खाद के प्रकार | प्रभार देने की तिथि को स्टॉक पंजी के अनुसार स्टॉक | | प्रभार प्रतिवेदन के अनुसार स्टॉक की प्राप्ति | | स्टॉक जिसका प्रभार प्राप्त नहीं हुआ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | बोरा | एम0टी0 | बोरा | एम0टी0 | बोरा | एम0टी0 |
| इफको यूरिया | 7941 | 397.05 | 3459 | 172.95 | 4482 | 224.10 |
| डायमोनियम फॉसफेट (डी0ए0पी0) | 25404 | 1270.20 | 3255 | 162.75 | 22149 | 1107.45 |
| अमोनियम फॉसफेट सल्फेट (ए0पी0एस0) | 7430 | 371.50 | 133 | 6.65 | 7297 | 364.85 |

[7] कार्यालय आदेश सं0 – 283 दिनांक 31 जुलाई 2012।

विलम्ब/लम्बे समय से प्रभार नहीं सौंपे जाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरुप स्टॉक की संभाव्य चोरी, कमी अथवा भण्डारों के अपयोजन एवं निगम को होने वाली परिणामी हानि की ससमय जानकारी सुनिश्चित नहीं हो सकी।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि केन्द्र प्रभारी के विरुद्ध प्रभार नहीं सौंपने हेतु विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

### *सुरक्षात्मक एंव अन्य सुविधाओं की अनुपलब्धता*

**3.14** स्टॉक के सुरक्षित भण्डारण एवं परिरक्षण हेतु भण्डार–गृहों में सुरक्षात्मक एवं अन्य भण्डारण सुविधाएँ नहीं प्रदान की गई थी :

- भण्डारित स्टॉक की सुरक्षा हेतु सुरक्षा की व्यवस्था;
- अग्नि से सुरक्षा हेतु अग्नि निरोधी यंत्र एवं बालू से भरी बाल्टी;
- भण्डारण गृहों में विद्युत संस्थापना/विद्युत सम्बन्ध;
- भण्डार की गई सामग्रियों के ग्रेडिंग और सैम्पलिंग हेतु सुविधाएँ; एवं
- समुचित साफ–सफाई एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखना।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि निगम सुरक्षात्मक विधि एवं साफ–सफाई की व्यवस्था बनाए हुए था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त त्रुटियाँ लेखापरीक्षा के दौरान प्रेक्षित किए गए थे। एफ0सी0आई0 ने इसके अतिरिक्त भी निगम को समय–समय पर भण्डार गृहों पर सुरक्षात्मक उपायों एवं अन्य सुविधाओं की अनुपलब्धता सम्बन्धी सूचना देती रहती थी।

### *भण्डारण हानि की वसूली नहीं होना*

**अनाजों की कमी के मद में वसूली नहीं होने अथवा इस कमी हेतु दायित्वों के निर्धारण नहीं होने के फलस्वरुप निगम को ₹ 1.28 करोड़ की हानि**

**3.15** निगम के निर्देशों के अनुसार, केन्द्र प्रभारी को प्रतिमाह भण्डारण हानि[8] से सम्बन्धित प्रतिवेदन एफ0सी0आई0 को हानि की माफी हेतु समर्पित करना होता है। वैसी भण्डारण हानि जो एफ0सी0आई0 द्वारा माफ नहीं की जाती है कि वसूली केन्द्र प्रभारी से किया जाता है। हमने प्रेक्षित किया कि यद्यपि एफ0सी0आई0 को भण्डारण हानि की माफी हेतु भण्डारण हानि का कोई मासिक प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया था तथापि वर्ष 2005–09 की अवधि में भण्डारण हानि के मद में केन्द्र प्रभारी द्वारा एफ0सी0आई0 की स्टॉक–पंजी से 218 एम0टी0 गेंहूँ तथा 430 एम0टी0 चावल, जिसका कुल मूल्य ₹ 1.06 करोड़ था, की मात्रा घटा ली गई। निगम ने भण्डारण हानि हेतु केन्द्र प्रभारी पर दायित्व निर्धारित किया (मई 2009) एवं उनकी सेवा से अवकाश प्राप्त होने तक (अक्टूबर 2010) मात्र ₹ 1.20 लाख की राशि की वसूली की। शेष राशि (₹1.05 करोड़) की वसूली अभी तक (अक्टूबर 2013) नहीं हो पाई थी। शेष भण्डारण हानि की वसूली हेतु सम्बन्धित कर्मचारी के अवकाश प्राप्त होने से दो वर्षों से अधिक बीत जाने के उपरान्त भी निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

केन्द्र पर निरन्तर भण्डारण हानि होने के बावजूद निगम ने न तो इसके कारणों की छानबीन की और न ही इन कमियों को दूर करने हेतु कोई प्रयास किया। इसके फलस्वरूप इसी केन्द्र के विरुद्ध अक्टूबर 2009 से फरवरी 2011 की अवधि में 145 एम0टी0 गेंहूँ एवं 171 एम0टी0 चावल, जिसका कुल मूल्य ₹ 23.13 लाख था के अग्रेतर भण्डारण–हानि

[8] नमी के कारण अनाज के वजन में कमी।

का प्रतिवेदन हुआ। निगम ने इस हानि हेतु कोई दायित्व निर्धारित नहीं किया जिसके फलस्वरुप ₹ 23.13 लाख की हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि संचयन हानि से सम्बन्धित विषय–वस्तु को अपलिखित करने हेतु एफ0सी0आई0 को कहा गया है एवं यदि कोई राशि वसूली योग्य है तो इसकी वसूली सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी से की जाएगी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एफ0सी0आई0 के साथ इस विषय–वस्तु को उठाने सम्बन्धी कोई स्वीकार्य दस्तावेजी साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया एवं इसके अतिरिक्त अनुवर्त्ती हानियों के दायित्व निर्धारण हेतु निगम ने कोई भी कदम नहीं उठाया।

## त्रुटिपूर्ण संरक्षणात्मक कार्रवाई

**3.16** वैज्ञानिक भण्डारण प्रदान करने हेतु निगम द्वारा भण्डारित सामग्रियों को कीड़ों/चूहों आदि से सुरक्षा प्रदान करने हेतु गोदामों का धुम्रीकरण कार्य किया जाता है। यद्यपि आवधिक संरक्षणात्मक कार्रवाई हेतु डनेज एवं धुम्रीकरण सामग्रियों के उपयोग हेतु निगम के पास निर्धारित मानक थे तथापि इन सामग्रियों के उपयोग की मात्रा निर्धारित मात्रा से काफी कम था। निम्न तालिका से वर्ष 2008–13 की अवधि में उपभोज्य पदार्थ एवं धुम्रीकरण सामग्रियों का उपयोग इंगित करता है :

**तालिका सं0: 3.4**

| क्रम सं0 | विवरणी | 2008–09 | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एफ0सी0आई0 का आरक्षण (लाख एम0टी0 में) | 12.74 | 14.47 | 15.53 | 17.31 | 19.36 |
| 2 | खाद (लाख एम0टी0 में) | 12.22 | 8.49 | 5.23 | 4.23 | 4.35 |
| 3 | कुल आरक्षण (लाख एम0टी0 में) | 24.96 | 22.96 | 20.76 | 21.54 | 23.71 |
| 4 | औसत मासिक आरक्षण (लाख एम0टी0 में) | 2.08 | 1.91 | 1.73 | 1.79 | 1.98 |
| 5 | एफ0सी0आई0 का औसतन मासिक आरक्षण (लाख एम0टी0 में) | 1.06 | 1.21 | 1.29 | 1.44 | 1.61 |
| 6 | 1000 एम0टी0 के कुल आरक्षण पर 80 कि0ग्रा0 की दर से डनेज के उपभोग का मानक (कि0ग्रा0) | 16640 | 15280 | 13840 | 14360 | 15840 |
| 7 | उपयोग की गई मात्रा (कि0ग्रा0) | 8350 | 8570 | 9825 | 9800 | 7681 |
| 8 | डनेज के उपभोग में कमी (कि0ग्रा0 में) वास्तविक आवश्यकता के साक्षेप | 8290 (50) | 6710 (44) | 4015 (29) | 4560 (32) | 8159 (52) |
| 9 | वर्ष में दो बार सेलफोस के तीन ग्राम के तीन टैबलेट प्रति एम0टी0 5 × 9 × 2 (कि0ग्रा0) | 1908 | 2178 | 2322 | 2592 | 2898 |
| 10 | उपयोग की गई मात्रा (कि0ग्रा0) | 398 | 472 | 277 | 655 | 200 |
| 11 | वास्तविक आवश्यकता के सापेक्ष कि0ग्रा0 में कमी (प्रतिशत) | 1510 (79) | 1706 (78) | 2045 (88) | 1937 (75) | 2698 (93) |
| 12 | वर्ष में तीन से चार बार 1000 एम0टी0 हेतु पाँच कि0ग्रा0 की दर से डेल्टामेथरिन के उपभोग का मानक | 2120 | 2420 | 2580 | 2880 | 3220 |
| 13 | उपयोग की गई मात्रा (कि0ग्रा0) | 168 | 148 | 124 | 216 | 108 |
| 14 | वास्तविक आवश्यकता के सापेक्ष कि0ग्रा0 में कमी (प्रतिशत) | 1952 (92) | 2272 (94) | 2456 (95) | 2664 (93) | 3112 (97) |

**(स्रोत : प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराए गए बजटीय मानदण्ड एवं आँकड़े)**

**डनेज एवं अन्य धुम्रीकरण सामग्रियों की उपयोगिता प्रतिमानकों से काफी कम था**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि धुम्रीकरण कार्य काफी कम हुआ था और डनेज सामग्री के उपभोग में कमी 29 प्रतिशत और 52 प्रतिशत के परास में था, सेलफॉस का उपभोग 75 प्रतिशत और 93 प्रतिशत के परास में तथा डेल्टामेथरिन का उपभोग 92 प्रतिशत और 97 प्रतिशत के परास में था। डनेज एवं धुम्रीकरण सामग्रियों का उपभोग मानक परिमाणों से कम होने से यह खाद्यान्नों एवं अन्य भण्डारित सामग्रियों को नष्ट कर वैज्ञानिक भण्डारण के निहित उद्देश्यों को पराजित कर सकता है।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि बहुत सारे मामले में एफ0सी0आई0 ने स्वयं ही कीटनाशक की व्यवस्था की एवं कुछ मामले में निगम केन्द्रीय भण्डारण निगम (सी0डब्ल्यू0सी) से उधार पर कीटनाशक प्राप्त किया। तथापि एफ0सी0आई0 द्वारा कीटनाशक की व्यवस्था करने अथवा सी0डब्ल्यू0सी0 साम्रगी उधार पर लेने सम्बन्धी कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। भण्डारित सामग्रियों की सुरक्षा हेतु नियमित अन्तराल पर गोदामों का धुम्रीकरण कार्य कराना निगम का दायित्व है।

## टैरिफ एवं विपत्रीकरण

**3.17** निगम ने अपनी भण्डारण टैरिफ के निर्धारण हेतु कोई प्रणाली प्रतिपादित नहीं किया था एवं समय–समय पर सी0डब्ल्यू0सी0 द्वारा निर्धारित भण्डारण टैरिफ का अनुसरण करता था। टैरिफ के कार्यान्वयन एवं उनके विपत्रीकरण में हमारे द्वारा प्रेक्षित अनियमितताओं का उल्लेख अधोलिखित कंडिकाओं में किया गया है :

### *एफ0सी0आई0 को संशोधित विपत्र निर्गत नहीं करना*

**संशोधित भण्डारण दरों पर बकाया विपत्रों के निर्गत नहीं करने के फलस्वरुप निगम ₹3.16 करोड के भण्डारण शुल्क की वसूली नहीं कर सका**

**3.18** एक वर्ष की न्यूनतम अवधि की आरक्षण हेतु एफ0सी0आई0 को लागू भण्डारण दरों का संशोधन अक्टूबर 2011 में प्रति एम0टी0 ₹ 49.00 (अप्रैल 2008 से प्रभावी) एवं सितम्बर 2012 में प्रति एम0टी0 ₹ 54.60 (अप्रैल 2009 से प्रभावी) किया गया। इस प्रकार संशोधित दरों पर आधारित विपत्र एफ0सी0आई0 को भेजना आवश्यक था। हमने प्रेक्षित किया कि भण्डारण शुल्क के मद में ₹ 3.16 करोड़ के बकाया विपत्र (अप्रैल 2008 से मार्च 2013) सात[9] केन्द्रों द्वारा निर्गत नहीं (अगस्त 2013) किए गए। संशोधित बकाया विपत्रों के निर्गत नहीं करने के फलस्वरुप न केवल ₹ 3.16 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई बल्कि यह निगम कि आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की त्रुटियों को भी इंगित करता है।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि बकाया विपत्रों को शीघ्र निर्गत किया जाएगा।

### *टैरिफ के त्रुटिपूर्ण प्रयुक्ति के कारण भण्डारण शुल्क की वसूली न होना*

**एफ0सी0आई0 को लागू दरों पर निगम ने एफ0सी0आई0 को भण्डार शुल्क भारित नहीं किया**

**3.19** टैरिफ के नियमों एवं शर्तों के अनुसार यदि एफ0सी0आई0 स्टॉक को न्यूनतम एक साल तक रखती है तो निगम एफ0सी0आई0 को रियायती दर पर भण्डारण शुल्क प्रभारित करेगा। अन्य मामले में जहाँ उपयोगिता की एफ0सी0आई0 द्वारा गारण्टी नहीं है वैसी स्थिति में निजी उपभोगकर्त्ताओं को लागू दर पर एफ0सी0आई0 को भण्डारण शुल्क प्रभारित करने हेतु निगम स्वच्छंद है। हमने प्रेक्षित किया कि चार[10] एस0डब्ल्यू0सी0 के मामले में जहाँ एफ0सी0आई0 ने एक वर्ष से कम की अवधि हेतु भण्डारण स्थानों का आरक्षण (अप्रैल 2012 से अप्रैल 2013) किया था परन्तु निगम ने निजी उपभोगकर्त्ताओं पर लागू दर पर एफ0सी0आई0 को भण्डारण शुल्क भारित नहीं किया था। टैरिफ के नियमों एवं शर्तों के अनुसार विपत्र निर्गत नहीं करने के फलस्वरुप भण्डारण शुल्क के मद में ₹ 19.43 लाख का दावा प्रस्तुत करने में व उसकी वसूली में निगम विफल रहा।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि एफ0सी0आई0 ने लेखापरीक्षा में विचारित सभी वर्षों में लगातार आरक्षण प्राप्त किया था। जवाब साक्ष्य पर आधारित नहीं है क्योंकि उपर्युक्त

[9] आरा, औरंगाबाद, बरौनी, बेतिया, बिहारशरीफ, समस्तीपुर एवं सासाराम।
[10] भागलपुर, बक्सर, डेहरी–ऑन–सोन एवं सासाराम।

एस0डब्ल्यू0सी के मामले में एफ0सी0आई0 ने एक वर्ष से कम के लिए आरक्षण प्राप्त किया था एवं निगम उच्च दरों पर भण्डारण शुल्क एफ0सी0आई0 पर भारित करने में विफल रहा।

### *इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को–ऑपरेटिव (इफको) लिमिटेड से संशोधित टैरिफ का वसूली न होना*

**निगम भूतलक्षी प्रभाव से टैरिफ के प्रयोज्यता के कुशलपूर्वक अनुसरण में विफल रहा जिसके फलस्वरुप ₹ 44.04 लाख की वसूली नहीं हो सकी**

**3.20** केन्द्रीय भण्डारण निगम ने खाद हेतु अपने टैरिफ को मार्च 2009 में संशोधित कर ₹ 27 प्रति एम0टी0 (नवम्बर 2008 से प्रभावी), मार्च 2011 में ₹ 29 प्रति एम0टी0 (अप्रैल 2010 से प्रभावी) एवं दिसम्बर 2011 में ₹ 31 प्रति एम0टी0 (मई 2011 से प्रभावी) किया। अतः बकाए राशि की वसूली संशोधित टैरिफ के प्रभावी होने की तिथि से होनी थी। यद्यपि निगम द्वारा संशोधित दर पर बकाया विपत्र निर्गत किया गया था परन्तु इफको द्वारा बढ़ा हुआ दर भूतलक्षी प्रभाव की अपेक्षा टैरिफ प्राप्ति के अगले माह से स्वीकार किया गया। तथापि निगम भूतलक्षी प्रभाव से टैरिफ की प्रयुक्ति के कुशलपूर्वक अनुसरण में विफल रहा जिसके फलस्वरुप ₹ 44.04 लाख की वसूली नहीं हो सकी (जुलाई 2013)।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि कथित मामले को पूर्व में ही इफको के साथ उठाया गया था। तथापि लेखापरीक्षा को बकाया के अनुसरण से सम्बन्धित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया एवं वसूली अभी भी लम्बित था। चूँकि इफको नियमित एवं मुख्य जमाकर्त्ता है, इसलिए मामले के उच्च स्तर पर अनुसरण करने की आवश्यकता है ताकि भण्डारण शुल्क के मद में घटित होने वाली हानि को रोका जा सके।

## गोदामों का निर्माण

**3.21** निगम ने भण्डारण क्षमता बढ़ाने हेतु कोई वार्षिक योजना अथवा परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनाई थी एवं गोदामों का निर्माण कार्य तभी करता था जब केन्द्रीय/राजकीय योजना के अन्तर्गत कोई योजना की संस्वीकृति होती थी तथा निधि प्रदान किया जाता था। निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यकाल की अवधि में निगम ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) के अंतर्गत सात केन्द्रों पर 0.50 लाख एम0टी0 क्षमता के 10[11] गोदमों का निर्माण कार्य का भार ग्रहण किया, जिसमें केवल पाँच केन्द्रों पर 0.40 लाख एम0टी0 क्षमता वाले आठ[12] गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हुआ। उक्त अवधि में निगम ने अपने संसाधनों से 10,310 एम0टी0 क्षमता वाले दो गोदामों का निर्माण किया।

योजना के कार्यान्वयन में अवलोकित त्रुटियों का उल्लेख निम्नवत् है :

### राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0)

**3.22** भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में आर0के0वी0वाई0 के अन्तर्गत क्रमशः पाँच[13] केन्द्रों पर 40,000 एम0टी0 की कुल क्षमता वाले आठ गोदामों के निमार्ण हेतु ₹ 20 करोड़ (₹ 2.50 करोड़ प्रति 5,000 एम0टी0 गोदाम की दर से) एवं दो

---

[11] छपरा (2×5000 एम0टी0), फतुआ (2×5000 एम0टी0), मोहनियाँ (5000 एम0टी0), मोतिहारी (5000 एम0टी0), समस्तीपुर (2×5000 एम0टी0), आरा (5000 एम0टी0) एवं सासाराम (5000 एम0टी0)।

[12] छपरा (2×5000 एम0टी0), फतुआ (2×5000 एम0टी0), मोहनियाँ (5000 एम0टी0), मोतिहारी (5000 एम0टी0) एवं समस्तीपुर (2×5000 एम0टी0)।

[13] छपरा (10,000 एम0टी0), फतुआ (10,000 एम0टी0), मोहनियाँ (5000 एम0टी0), मोतिहारी (5000 एम0टी0) एवं समस्तीपुर (10,000 एम0टी0)।

स्थलों [14] पर 10,000 एम0टी0 क्षमता वाले दो गोदामों के निर्माण हेतु ₹ 6.30 करोड़ (₹ 3.15 करोड़ प्रति 5,000 एम0टी0 की दर से) संस्वीकृत किया। सरकार ने आठ गोदामों के निर्माण हेतु ₹ 19.29 करोड़ (अप्रैल 2008) एवं ₹ 0.71 करोड़ (जून 2009) तथा दो गोदामों हेतु ₹ 3.03 करोड़(नवम्बर 2009) एवं ₹ 3.26 करोड़ (मार्च 2013) की राशि विमुक्त किया। निगम ने जनवरी 2009 से जून 2012 के दौरान प्रत्येक स्थल पर उपर्युक्त 10 गोदामों के निर्माण हेतु चार विभिन्न कार्यादेश निर्गत किए। तथापि, केवल आठ गोदामों का निर्माण ही सात माह के पूर्ण होने की नियत अवधि के विरुद्ध 18 से 40 महीने के विलम्ब से पूर्ण हुआ था (सितम्बर 2013)।

**कार्यादेश प्रदान करने में समन्वय नहीं होने के कारण कार्य निष्पादन में विलम्ब हुआ जिसके कारण ₹ 5.32 करोड़ के राजस्व की संभाव्य हानि हुई**

हमने प्रेक्षित किया कि गोदामों के निर्माण में विलम्ब के मुख्य कारण एक ही कार्य हेतु चार पृथक् कार्यादेश निर्गत करना, कार्यादेश प्रदान करने में समन्वयन का अभाव एवं संवेदकों द्वारा कार्य के कार्यान्वयन में विलम्ब थे। गोदामों के निर्माण कार्य के विलम्ब के फलस्वरुप भण्डारण शुल्क के मद में ₹ 5.32 करोड़ राजस्व की संभाव्य हानि फलित हुई (परियोजनाओं का विवरण ***परिशिष्ट–7*** में दर्शाया गया है)।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि निर्माण में विलम्ब का कारण पूर्व–अभियंत्रिक, पूर्वगठित संरचनात्मक स्टील भवनों के छत के कार्य–संविदा निर्गत करने में विलम्ब, संसदीय/राज्य चुनाव, मोतिहारी केन्द्र के मामले में न्यायलय में मुकादमा एवं फतुआ केन्द्र में उच्च विभव तार का हटाना था। तथापि हमने प्रेक्षित किया कि कार्यादेश प्रदान करने में नियोजन का अभाव था चूँकि एकल कार्य को चार विभिन्न कार्यों में बाँटा गया था।

निकास सम्मेलन में प्रबन्धन ने स्वीकार (अक्टूबर 2013) करते हुए कहा कि नियोजन में त्रुटियों के कारण गोदामों के निर्माण में विलम्ब हुआ।

आरा एवं सासाराम में शेष दो अपूर्ण गोदामों (***परिशिष्ट–7*** में क्रम सं0–6 एवं 7) के मामले में हमने प्रेक्षित किया कि असैनिक एवं छत–कार्य के आंशिक कार्य पूर्ण करने के उपरान्त संवेदकों द्वारा गोदामों का निर्माण कार्य निधि के अभाव में बन्द कर दिया गया था (दिसम्बर 2011)। यद्यपि निगम ने शेष निधि की विमुक्ति हेतु मामला सरकार के समक्ष उठाया था (अगस्त 2009) तथापि यह निधि जनवरी 2013 में ही प्राप्त हुई। इसी दौरान निगम ने मौजूदा अनुबन्ध को निरस्त करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2012) एवं शेष कार्य हेतु संशोधित प्राक्कलन तैयार किया। मूल राशि की अपेक्षा शेष कार्य का प्राक्कलन ₹ 25.58 लाख से बढ़ गया था। शेष कार्य हेतु कार्यादेश प्रदान करने की प्रक्रिया जारी थी (सितम्बर 2013)।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण पर कोई मंतव्य नहीं दिया।

## स्व–निधि से गोदामों का निर्माण

**सात महीनों में पूर्ण होने की नियत अवधि के विरुद्ध गोदामों का निर्माण कार्य 19 से 21 महीनों के विलम्ब से पूर्ण हुआ**

**3.23** निगम की कार्यकारिणी परिषद् ने अपनी निधि से दो केन्द्रों (कसबा – 6,000 एम0टी0, मुजफ्फरपुर – 4,310 एम0टी0) पर दो गोदामों के निर्माण हेतु ₹ 6.43 करोड़ की राशि संस्वीकृत (मार्च 2010) की। निगम ने उपर्युक्त चर्चित गोदामों के निर्माण हेतु प्रत्येक केन्द्र पर चार विभिन्न कार्यादेश निर्गत (मार्च 2010 से अगस्त 2011) किए। तथापि सात महीनों में पूर्ण होने की नियत अवधि के विरुद्ध गोदामों का निर्माण कार्य 19 से 21 महीने के विलम्ब से पूर्ण हुआ।

[14] आरा (5,000 एम0टी0) एवं सासाराम (5,000 एम0टी0)।

हमने प्रेक्षित किया कि गोदामों के निर्माण में विलम्ब के मुख्य कारण एक ही कार्य के लिए चार विभिन्न कार्यादेश जारी करना, विभिन्न कार्यादेशों में सम्न्वय का अभाव एवं संवेदकों द्वारा कार्य के कार्यान्वयन में विलम्ब थे। अतः गोदामों के विलम्ब से पूर्ण होने के कारण निगम को भण्डारण शुल्क के मद में राजस्व से वंचित होना पड़ा।

निकास सम्मेलन में प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि नियोजन में त्रुटियों के कारण विलम्ब हुआ।

## प्राईवेट एन्ट्रेप्रीन्यूर्स गारण्टी (पी0ई0जी0) – 2008 योजना का कार्यान्वयन

**3.24** भारत सरकार की उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एफ0सी0आई0 की भण्डारण आवश्यकता पूरी करने के उद्देश्य से गोदामों के निर्माण हेतु प्राईवेट एन्ट्रेप्रीन्यूर्स गारण्टी – 2008 (पी0ई0जी0– 2008) योजना तैयार किया। यह योजना अन्य बातों के साथ–साथ एफ0सी0आई0 की उच्च स्तरीय समिति (समिति) द्वारा तय किए गए स्थलों पर राजस्व साझेदारी आधार पर केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भण्डारण निगम के माध्यम से निजी सहभागिता द्वारा गोदामों का निर्माण परिकल्पित करता था।

बिहार राज्य में भण्डारण क्षमता की वृद्धि के उद्देश्य से एफ0सी0आई0 ने पी0ई0जी0 – 2008 के अन्तर्गत तीन लाख एम0टी0 क्षमता वाले गोदामों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान (मई 2009) की। फरवरी 2011 में निगम ने निविदा आमंत्रित किया एवं 10 स्थलों[15] पर 1.55 लाख एम0टी0 क्षमता हेतु समिति ने दर अनुमोदित किया (जून 2011 से फरवरी 2013) किया। हमने प्रेक्षित किया कि निगम में केवल पाँच स्थलों (क्षमता – 70,000 एम0टी0) पर निजी उद्यमियों में चार से 12 महीने के विलम्ब से अनुबन्ध किया। शेष स्थलों पर जिला प्राधिकरण द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र के अभाव में अनुबन्ध होना लम्बित (सितम्बर 2013) था। पी0ई0जी0 – 2008 के अन्तर्गत स्थलों, उनकी क्षमता एवं उनके निर्माण की अद्यतन स्थिति की विवरणी ***परिशिष्ट– 8*** में दी गई है।

इस प्रकार अनुबन्ध में विलम्ब एवं उद्यमियों के साथ समुचित समन्वय के माध्यम से नियत समय पर निर्माण कार्यो को पूर्ण करने में निगम की विफलता के कारण क्षमता में कोई भी वृद्धि नहीं हुई थी (सितम्बर 2013)। इसके फलस्वरुप क्षमता वृद्धि के निहित उद्देश्य एवं राजस्व की प्राप्ति नहीं हो सकी।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि मोतिहारी स्थित गोदाम अक्टूबर 2013 में पूर्ण हो गई थी एवं जमुई स्थित गोदाम के निर्माण हेतु अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया तथा शेष पाँच जगहों पर निर्माण कार्य मार्च 2014 तक पूर्ण हो जाएगी।

## वित्तीय प्रबन्धन

### वित्तीय स्थिति

**3.25** 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए अन्तिम पाँच वर्षों हेतु निगम की आय एवं व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्न तालिका में दर्शित है :

[15] जून 2011 में बेगूसराय, गोपालगंज एवं खगड़िया, अगस्त 2011 में बेतिया, जमुई, मोतिहारी एवं सिवान तथा फरवरी 2013 में आरा, औरंगाबाद एवं सासाराम।

तालिका सं0 : 3.5

(₹ करोड़ में)

| विवरणी | 2008–09 | 2009–10 | 2010–11[16] (औपबंधिक) | 2011–12 (औपबंधिक) |
|---|---|---|---|---|
| भण्डारण शुल्क | 8.69 | 9.31 | 9.33 | 12.37 |
| अन्य आय | 47.29 | 50.74 | 56.56 | 57.88 |
| **कुल** | **55.98** | **60.05** | **65.89** | **70.25** |
| स्थापना व्यय | 5.00 | 4.96 | 6.53 | 8.14 |
| अन्य व्यय | 48.51 | 52.23 | 58.47 | 61.87 |
| **कुल** | **53.51** | **57.19** | **65.00** | **70.01** |
| **टैक्स के पूर्व लाभ (+)/हानि (–)** | 2.47 | 2.86 | 0.89 | 0.24 |

उपर्युक्त तालिका से यह दर्शित होता है कि निगम के लाभ में प्रबल गिरावट हुआ और यह 2008–09 में ₹ 2.47 करोड़ से गिरकर 2011–12 में ₹ 0.24 करोड़ हो गया। लाभ में कमी होने के मुख्य कारण यथा लेखापरीक्षा में विश्लेषित देनदारों[17] से बकाए का अपलेखन एवं एस0डब्ल्यू0सी0, बिहारशरीफ (कंडिका 3.9 में उल्लेखित) के विरुद्ध भण्डारों की कमी के मद में घटित हानियों का लेखाओं में प्रावधान थे।

हमने प्रेक्षित किया कि निगम ने हाथलन, परिवहन एवं भण्डारण शुल्क के मद में अपने प्राप्त राशियों की वसूली हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाया था। निम्नलिखित दृष्टांत अवलोकित किए गए :

- जनवरी 2012 से अगस्त 2012 की अवधि हेतु निगम द्वारा एफ0सी0आई0 की ओर से भुगतेय ₹ 1.29 करोड़ का हाथलन एवं परिवहन विपत्र, जिसमें ₹ 9.56 लाख का पर्यवेक्षण शुल्क सम्मिलित है, एफ0सी0आई0 द्वारा विपत्रों के प्रमाणीकरण न होने के कारण इनकी प्रतिपूर्ति हेतु एफ0सी0आई0 को समर्पित नही किया गया था;
- एस0डब्ल्यू0सी0, आरा में 2008–13 की अवधि हेतु 425 एम0टी0 क्षमता के एक गोदाम के भण्डारण शुल्क के विरुद्ध ₹ 11.99 लाख का विपत्र जिला चुनाव अधिकारी, आरा को जुलाई 2013 तक निर्गत नहीं किया गया था;
- बाढ़ राहत कार्य हेतु परिवहन एवं हाथलन के मद में निर्गत ₹ 1.95 करोड़ के विपत्रों में से पाँच वर्षों से अधिक अक्टूबर 2013 तक ₹ 1.60 करोड़ की राशि एफ0सी0आई0 से प्राप्य था।

निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2013) में प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया।

### *लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं करना*

**3.26** भण्डारण अधिनियम, 1962 की कण्डिका 31(10) के अनुसार निगम की वार्षिक लेखाएँ, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छः माह के अन्दर निगम की वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत करना होता है। हमने पाया कि निगम ने केवल 2009–10 तक ही अपनी वार्षिक लेखों को अन्तिमीकृत किया था एवं 2010–11 से 2012–13 की लेखाओं का अन्तिमीकरण होना शेष (सितम्बर 2013) था। इन

[16] वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 हेतु आँकड़े औपबन्धिक है। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु आँकड़े उपलब्ध नहीं थे।

[17] 2008–09 में ₹ 3.78 करोड़ एवं 2009–10 में ₹ 2.12 करोड़।

परिस्थितियों में यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि क्या निवेशों एवं व्ययों का समुचित तरीके से लेखांकन हुआ एवं निवेश किए गए निधियों के निहित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई थी। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब के फलस्वरुप गबन सहित वित्तीय अनियमितताओं का जोखिम हो सकता है।

### *रोकड़–पंजी का अनुपयुक्त संधारण*

**3.27** बिहार राज्य भण्डारण निगम नियमावली, 1958 के नियम 13(V) यह निर्दिष्ट करता है कि सभी मौद्रिक संव्यवहार को, जब भी वे घटित होती हैं, रोकड़–पंजी में प्रविष्ट की जाएँगी एवं इसको निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा। रोकड़–पंजी प्रतिदिन बन्द की जाएगी एवं प्रबन्ध निदेशक अथवा प्राधिकृत अधिकारी रोकड़–पंजी एवं हाथ में रोकड़ सत्यापन कर उसके अनुरुप प्रमाण–पत्र पर दिनांक देते हुए अपना हस्ताक्षर करेंगे। हमने प्रेक्षित किया कि नियम में यथा परिकल्पित प्रावधान के अनुरूप रोकड़ पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था। मौद्रिक लेन–देन घटित होने पर उनको रोकड़–पंजी में यथासमय दर्ज नहीं किया जा रहा था। यथा आवश्यक, प्राधिकृत व्यक्ति अथवा प्रबन्ध निदेशक द्वारा इसे न तो अभिप्रमाणित किया गया था और न ही सत्यापित किया गया।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि दिन प्रतिदिन के लेन–देन का लेखांकन कम्प्यूटरीकृत टैली सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। तथापि जवाब मौन था उपर्युक्त प्रावधान के उल्लंघन के मामले में जो स्पष्ट उल्लेख करता है कि प्रबन्ध निदेशक अथवा अधिकृत पदाधिकारी रोकड़ बही व हाथ–में–रोकड़ का सत्यापन करेंगे तथा इस प्रभाव का प्रमाणक हस्ताक्षर व तिथि द्वारा अंकित करेंगे।

### *वास्तविक समय सकल समाधान (आर0टी0जी0एस0) के द्वारा प्राप्त भुगतान का मिलान नहीं करना*

**3.28** भण्डारण शुल्क निगम के आय का मुख्य स्रोत है। निगम, एफ0सी0आई0 से भण्डारण शुल्क का भुगतान जून 2011 से आर0टी0जी0एस0[18] के माध्यम से प्राप्त कर रहा है। यद्यपि एफ0सी0आई0 निगम के बैंक खातों में भुगतान कर देता था, निगम ने एफ0सी0आई0 द्वारा भुगतानों का मिलान केन्द्रों के भण्डारण विपत्र से नहीं किया। हमने प्रेक्षित किया कि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से प्राप्त भुगतानों का मुख्यालय में संधारण की गई राजस्व पंजी से मिलान हेतु निगम के पास कोई निर्धारित प्रक्रिया/रूपात्मकता व्याप्त नहीं था। इसके परिणामस्वरूप केन्द्र–वार दावा की गई राशियों एवं प्राप्त भुगतानों का मिलान निगम द्वारा नहीं किया गया। भण्डारण शुल्कों का केन्द्र–वार/विपत्रवार विवरणी की अनुपलब्धता निगम की निम्न वित्तीय नियन्त्रण को इंगित करता था।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर, 2013) कि सभी भण्डारणगृह इस प्रकार का रिकॉर्ड रखता था और भण्डारणगृह स्तर पर आर0टी0जी0एस0 द्वारा एफ0सी0आई0 से प्राप्त भण्डारण शुल्क की प्राप्ति प्रविष्ट और मिलान किया गया था। यह भी कहा गया कि मुख्यालय स्तर पर मेमोरेण्डम लेखा रखने की पद्धति अपनाई जा रही थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केन्द्र–वार दावा किया हुआ राशि और भुगतान प्राप्ति का मिलान न भण्डार–गृह स्तर पर और न ही मुख्यालय स्तर पर होता था।

[18] निधियों के स्थानान्तरण हेतु प्रणाली जहाँ मुद्राओं का स्थानान्तरण एक बैंक से दूसरे बैंक में वास्तविक समय तथा सकल आधार पर होता है।

## मानव–शक्ति नियोजन में त्रुटियाँ

**3.29** मानव–शक्ति नियोजन में संस्था में मानव संसाधन का पर्याप्त एवं कुशल उपभोग एवं विशिष्ट कार्यों के अनुरुप सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति सम्मिलित है। वर्ष 2012–13 को समाप्त विगत पाँच वर्ष तक निगम के कर्मचारियों की विस्तृत स्थिति नीचे सारणीबद्ध है :

**तालिका सं0 : 3.6**

| श्रेणी | संस्वीकृत पद | मानव की स्थिति (31 मार्च तक) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| श्रेणी 'क' अर्थात कार्यकारी अभियन्ता, प्रमण्डलीय प्रबन्धक, अधीक्षक इत्यादि | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| श्रेणी 'ख' अर्थात सहायक, लेखापाल | 143 | 55 | 59 | 58 | 55 | 50 |
| श्रेणी 'ग' अर्थात पी0सी0डी0ओ0[19] चालक, इत्यादि | 290 | 181 | 186 | 179 | 168 | 153 |
| **कुल** | **493** | **239** | **248** | **240** | **226** | **206** |

31 मार्च 2013 को 493 स्वीकृत पदों के विरुद्ध निगम की वास्तविक उपलब्ध मानव–शक्ति केवल 206 थी। इस सम्बन्ध में हमने प्रेक्षित किया कि :

- संस्वीकृत पदों का निर्धारण पिछली बार 1991 में किया गया था एवं उसके उपरान्त कोई निर्धारण नहीं किया गया।
- प्रबन्धकीय और अन्य पदों पर मानव–शक्ति का घोर अभाव था। केन्द्र प्रभारी हेतु आवश्यक अधीक्षकों के अभाव में 23 एस0डब्ल्यू0सी0 में सहायकों एवं 14 एस0डब्ल्यू0सी0 में पी0सी0डी0ओ0 / दफ्तरी (रिकॉर्ड–कीपरों) को जोखिम भरे भण्डार–गृहों का प्रभार दिए गए थे। यद्यपि उक्त अवधि में वास्तविक कर्मचारियों की संख्या 239 से घटकर 206 हो गई थी तथापि प्रबन्धन ने कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी।

एस0डब्ल्यू0सी0 के गोदामों में केन्द्र प्रभारी के रूप में अधीक्षकों की नियुक्ति आवश्यक थी। अपितु, हमलोगों ने यह पाया कि मानव–शक्ति के निरन्तर अभाव के कारण निम्न संवर्ग के कर्मचारियों[20] को प्रभारी–अधीक्षक के रूप में नियुक्ति की गई जिसके फलस्वरुप नियन्त्रण पंजियों का निम्न–स्तरीय संधारण हो रहा था जैसा कि उपर्युक्त कंडिका 3.30 में वर्णित है।

प्रबन्धन ने लेखापृच्छा को स्वीकारते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति में थे।

## आन्तरिक नियन्त्रण

**3.30** आन्तरिक नियन्त्रण एक प्रबन्धकीय साधन है जिसका उपयोग यह आश्वासन प्राप्त करने हेतु किया जाता है कि प्रबंधकीय संचालन कुशल, प्रभावी और व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। निगम के आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया निगम के व्यवसाय के आकार और क्रियाकलापों के अनुरुप नहीं था जैसा की नीचे उल्लेखित है :

---

19 चपरासी सह सफाईकर्मी।

20 सहायक, पी0सी0डी0ओ0, दफ्तरी एवं रिकॉर्ड कीपर।

- निगम ने कोई संचालन या कार्यात्मक नियमावली नहीं बनाई थी और न ही इसके पास अपनी लेखा नियमावली थी;

- निगम ने स्टॉक की त्रैमासिक भौतिक सत्यापन (पी0भी0) स्थानीय कर्मचारियों द्वारा और वार्षिक सत्यापन अन्तर प्रमण्डलीय कर्मचारियों द्वारा करना निर्धारित किया था। निगम की निष्पादन समीक्षा, जो वर्ष 2004–05 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में प्रतिवेदित हुआ था, पर कोपु द्वारा परिचर्चा (जुलाई 2006) के क्रम में निगम ने आश्वस्त किया था कि भण्डार–गृहों का मासिक भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। लेखापरीक्षा में देखा गया कि कोपु को आश्वासन देने के बाद भी मासिक और त्रैमासिक भौतिक सत्यापन नहीं किए गए थे। वर्ष 2009–10 एवं 2012–13 के आलावा स्टॉकों का वार्षिक सत्यापन नहीं किया गया था। इसके अतिक्ति वर्ष 2009–10 एवं 2012–13 में स्टॉकों का वार्षिक सत्यापन केवल आंशिक रुप से हुआ था चूँकि स्टॉकों का एक विस्तृत खेप का सत्यापन नहीं हो सका था। चूँकि इनका समुचित तरीके से भण्डारण नहीं हुआ था जिसके फलस्वरुप इनकी गणना सम्भव नहीं थी। यह भौतिक सत्यापन की सत्यता एवं प्रभाविता पर प्रश्नचिन्ह् लगाता है। दुरुस्त भौतिक सत्यापन प्रणाली के अभाव में बिहार शरीफ, आरा एवं सासाराम भण्डारगृह केन्द्रों पर भंडार में कमियों के मामले उजागर हुए थे (कंडिका 3.9, 3.10 एवं 3.15)। यह स्थिति निरन्तर कमजोर एवं गैर–संचालन आन्तरिक नियन्त्रणों, जिनके कारण अधिक हानियों के जोखिम की सम्भावना थी, को इंगित करता है जिसके प्रति प्रबन्धन संवेदनशील नहीं था;

- निगम के विनियमों[21] के अनुसार निदेशक मण्डल एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकें क्रमशः त्रैमासिक एवं मासिक होनी थी। हमने प्रेक्षित किया कि 2008–13 की अवधि में बैठक के सम्बन्ध में प्रावधानित विनियम के उल्लंघन में आवश्यक निदेशक मण्डल की 30 एवं कार्यकारिणी समिति की 60 बैठकों के विरुद्ध क्रमशः मात्र 18 एवं 10 बैठकें अनियमित अन्तराल पर आहूत की गईं;

- निगम ने प्रभावी अनुश्रवण हेतु विविध प्रकार की सूचनाओं/आँकड़ों के संग्रहण, समेकितिकरण एवं विश्लेषण हेतु किसी विस्तृत प्रबंधन सूचना प्रणाली की स्थापना नहीं की थी। तथापि भण्डारण केन्द्र प्रत्येक माह कस्टम प्रतिवेदन[22] एवं लाभ–हानि लेखा निगमीय कार्यालय को सम्प्रेषित कर रहे थे पर इन प्रतिवेदनों में भण्डारण हानियाँ से सम्बन्धी सूचनाओं का उल्लेख नहीं था। प्रमण्डलीय कार्यालय, निगम कार्यालय को आवधिक प्रतिवेदनों/विवरणी सम्प्रेषित नहीं कर रहा था। एक प्रभावकारी प्रबन्धन सूचना प्रणाली के अभाव में प्रबन्धन भण्डार गृह केन्द्रों के बेहतर, प्रभावी एवं लाभप्रदत्ता में सुधार हेतु तत्पर, प्रभावकारी और समयोचित निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था;

- यद्यपि तकनीकी पंजी, डनेज पंजी, भण्डार–उपचार पंजी, निरीक्षण पंजी, गोदाम–वार भण्डार पंजी, स्टॉक पंजी, विपत्र पंजी इत्यादि का संधारण करना निगम के दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक है तथापि एस0डब्ल्यू0सी0 की नमूना जाँच में ये अधूरे/अद्यतन नहीं पाए गए।

### *आन्तरिक लेखापरीक्षा*

**3.31** निगम ने कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमावली नहीं बनाई थी। यद्यपि निगम के पास आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध था पर मानव–शक्ति की नियुक्ति नहीं करने के

[21] बिहार राज्य भण्डारण निगम सामान्य विनियमों का अध्याय – II।
[22] एक मासिक प्रतिवेदन जिसमें केन्द्र को उपभोक्ता–वार स्टॉक स्थिति को प्रतिवेदित किया जाता है।

कारण यह स्कन्ध संचालन में नहीं था। निगम के लेखा तैयार करने एवं वार्षिक लेखाओं के आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य सनदी लेखाकार को दिया गया था। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निदेशक–मण्डल के समक्ष समीक्षा एवं निगम हित के क्षेत्र में कमियों के समाधान एवं निर्देश जारी करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार, आन्तरिक लेखापरीक्षा उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी थी।

## निष्कर्ष

**निगम के पास गोदामों के निर्माण हेतु समुचित योजना नहीं थी। गोदामों के निर्माण में विलम्ब हुआ था जिसके फलस्वरुप संभाव्य राजस्व की हानि हुई। जिला प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के अभाव में प्राईवेट एन्ट्रेप्रेन्यूर्स गारण्टी योजना के अन्तर्गत भण्डारण क्षमता की वृद्धि नहीं हो सकी। कृषकों को स्टॉक के वैज्ञानिक भण्डारण से होनेवाले लाभ सम्बन्धी शिक्षण देने में निगम द्वारा पहल नहीं करने के फलस्वरुप निगम प्राथमिक उत्पादनकर्त्ताओं (किसानों) को भण्डारण सुविधा प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सका। निगम की भण्डारण गतिविधियाँ त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि स्टॉक की चोरी, स्टॉक निर्गमन हेतु निर्धारित फीफो विधि का अनुपालन नहीं होना, इत्यादि के कारण निगम को हानि हुई। भण्डार–गृहों में समुचित सुरक्षा उपाय एवं सुविधाओं का अभाव था। धुम्रीकरण सामग्रियों का कम उपयोग हुआ था जिसके कारण वैज्ञानिक भण्डारण के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी। त्रुटिपूर्ण टैरिफ प्रयुक्ति व विपत्रीकरण एवं प्राप्य राशियों की वसूली नहीं होने के कई दृष्टांत पाए गए। वित्तीय अभिलेखों, भुगतानों के मिलान न होना, इत्यादि के सम्बन्ध में निगम का वित्तीय प्रबन्धन एवं नियन्त्रण त्रुटिपूर्ण था। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भी त्रुटिपूर्ण था।**

## अनुशंसाएँ

निगम को :

- **गोदामों के निर्माण हेतु परिप्रेक्ष्य योजना बनाना चाहिए;**
- **राजस्व सृजन के लिए भण्डारण क्षमता में वृद्धि, गोदामों के निर्माण कार्य को ससमय पूर्ण कर सुनिश्चित करना चाहिए;**
- **हानियों को रोकने हेतु वैज्ञानिक भण्डारण, निर्धारित विधियों के अनुसार भण्डारों का निर्गमन एवं गोदामों का समुचित संचालन सुनिश्चित करना चाहिए;**
- **प्रयोज्य टैरिफ को अक्षरशः लागू करना चाहिए, ससमय विपत्र जारी करना चाहिए एवं उसके विरुद्ध राजस्व हानियों को रोकने हेतु वसूली करनी चाहिए;**
- **नियन्त्रण पंजी को पूर्ण एवं अद्यतन रखना चाहिए; एवं**
- **आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को मजबूत करना चाहिए एवं प्रबन्धन सूचना प्रणाली का सुधार करना चाहिए।**

# अध्याय - IV

## 4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

# अध्याय–IV

## 4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों/सांविधिक निगमों के कार्य सम्पादन की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

## सरकारी कम्पनियाँ

### साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

#### *4.1 उपभोक्ता को अनुचित लाभ एवं राजस्व की हानि*

***संविदा माँग को कम करने से सम्बन्धित टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुपालन नहीं होने के फलस्वरूप उपभोक्ता को अनुचित लाभ एवं कम्पनी को ₹ 1.19 करोड़ के राजस्व की हानि।***

बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित (मार्च 2012) टैरिफ आदेश, 2012–13, जो 01 अप्रैल 2012 से प्रभावी है, की कंडिका 7.4 में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रावधानित है कि नवीन विद्युत सम्बन्ध एवं यदि विद्यमान विद्युत सम्बन्ध की भट्ठी को नई भट्ठी से बदला जाता है तो वैसी स्थिति में संविदा माँग निर्माता की तकनीकी/विशिष्टिकरण के अनुसार भट्ठी एवं उपकरण की कुल क्षमता पर आधारित होगा। इसके अलावा, विपत्रीकरण माँग माह के दौरान अधिकतम दर्ज की गई माँग अथवा संविदा माँग, दोनों में जो अधिकतम हो, पर आधारित होगा।

एक विद्यमान हाई टेंशन स्पेसिफाईड सर्विसेस (एच0टी0एस0एस0[1]) उपभोक्ता, ने (मे0 बालमुकुन्द कॉनकॉस्ट लिमिटेड), जिसका संविदा माँग 12141 के0भी0ए0 थी, अपने दो प्रतिस्थापित प्रेरक भट्ठियों के बदलाव एवं एक प्रेरक भट्ठी को बंद करने के उपरांत अपनी संविदा माँग को 8001 के0भी0ए0 तक घटाने हेतु आवेदन किया (नवम्बर 2011)। तद्नुसार, उल्लेखित उपभोक्ता के परिसरों का निरीक्षण (फरवरी 2012) तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (अब साऊथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड) की निरीक्षण दल द्वारा किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार निर्माता की तकनीकी विशिष्टिकरण के अनुसार प्रेरक भट्ठी एवं रोलिंग मिलों का कुल सम्बद्ध भार 9714 के0भी0ए0 पाया गया।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया (फरवरी 2013) कि टैरिफ आदेश के उल्लंघन में 9714 के0भी0ए0 के विरुद्ध उपभोक्ता का भार 8400 के0भी0ए0 पर स्वीकृत (अगस्त 2012) किया गया एवं सितम्बर 2012 से 8400 के0भी0ए0 की कम भार पर विपत्र निर्गत किया जा रहा था। साथ ही यह भी प्रेक्षित किया गया कि टैरिफ आदेश एवं निरीक्षण दल द्वारा निर्धारित किए गए संविदा माँग के उल्लंघन में घटा हुआ भार का निर्धारण निर्माता की तकनीकी विशिष्टिकरण के आधार के विरुद्ध ट्रान्सफर्मरों की प्रतिस्थापित क्षमता के आधार पर किया गया। इस प्रकार, टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुपालन नहीं होने से न केवल 1314 के0भी0ए0 (9714 का कुल सम्बद्ध भार – 8400 के0भी0ए0 पर घटा हुआ स्वीकृत भार) से संविदा माँग कम स्वीकृत हुआ बल्कि यह उपभोक्ता को

[1] हाई टेंशन स्पेसिफाईड सर्विसेस (33 के0भी0/11 के0भी0) इस वर्गीकरण के अन्तर्गत वैसे उपभोक्ता होते हैं जिनके फेरो एलॉय भार सहित प्रेरक भट्ठी की संविदा माँग 300 के0भी0ए0 या अधिक होता है।

अनुचित लाभ एवं सितम्बर 2012 से सितम्बर 2013 की अवधि तक ₹ 1.19[2] करोड़ के राजस्व की हानि में परिणत हुआ।

मामला सरकार/प्रबन्धन को प्रतिवेदित (मई 2013) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

### *4.2 उपभोक्ता वर्ग का परिवर्तन नहीं करने से राजस्व की हानि*

***उच्च विभव सेवाएँ (एच0टी0एस0)–I टैरिफ के अनुसार उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण नहीं करने के फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 36.89 लाख के राजस्व की क्षति हुई।***

बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेशों[3] के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि गैर–घरेलू सेवाएँ (एन0डी0एस0) वर्ग हेतु निम्न विभव सेवा (एल0टी0एस0) टैरिफ, एल0टी0 उपभोक्ताओं जिनका अधिकतम सम्बद्ध भार 60 के0डब्ल्यू0 (मार्च 2012 तक) तथा 70 के0डब्ल्यू0 (अप्रैल 2012 से) है, को विद्युत आपूर्ति हेतु लागू है। 75 के0भी0ए0 या उससे अधिक वाले भार उच्च विभव सेवा (एच0टी0एस0)–I वर्ग के अंतर्गत आते हैं।

निवर्त्तमान बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अब साऊथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की एक इकाई यथा विद्युत आपूर्ति मण्डल, दानापुर की अभिलेखों की संवीक्षा से यह दर्शित (फरवरी 2013) हुआ कि तीन उपभोक्ताओं[4] को 60 के0डब्ल्यू0 (67 के0भी0ए0)/70 के0डब्ल्यू0 (78 के0भी0ए0) से अधिक सम्बद्ध भार के विरुद्ध विद्युत आपूर्ति फरवरी 2010 से ही की जा रही थी लेकिन इन उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण एन0डी0एस0[5]–II टैरिफ के अंतर्गत उपभोग की गई इकाईयों के आधार पर किया जा रहा था।

चूँकि एन0डी0एस0– II टैरिफ 60 के0डब्ल्यू0/70 के0डब्ल्यू0 के भार तक ही लागू है, इन उपभोक्ताओं को 60 के0डब्ल्यू0/70 के0डब्ल्यू0 की अधिक भार पर विद्युत आपूर्ति टैरिफ आदेश के उल्लंघन में था। चूँकि इन उपभोक्ताओं को अनुमत्य सीमा से अधिक विद्युत आपूर्ति की जानकारी कम्पनी को थी, तथापि उचित कदम उठाते हुए उपभोक्ता की श्रेणी को एन0डी0एस0– II से एच0टी0एस0 में परिवर्तित करने की जवाबदेही कम्पनी पर थी। साथ ही बकाए विद्युत देयताओं की स्थिति में, कम्पनी को सम्बद्ध उपभोक्ताओं को नियत तिथि तक बकाए विद्युत देयताओं के भुगतान हेतु सूचित करना

---

[2] 1314 के0भी0ए0×₹ 700 का टैरिफ दर×13 महीने।

[3] टैरिफ आदेश 2010–11 (दिसम्बर 2010 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2011–12 (मई 2011 से प्रभावी) एवं टैरिफ आदेश 2012–13 (अप्रैल 2012 से प्रभावी)।

[4] मे0 रतनप्रिया (उपभोक्ता सं0–394292, सम्बद्ध भार–85 के0डब्ल्यू0 (94 के0भी0ए0)); श्रीमती मीना सिंह, रेडिएन्ट स्कूल (उपभोक्ता सं0–320875, सम्बद्ध भार–72 के0डब्ल्यू0 (80 के0भी0ए0); एवं प्रधानाध्यापक, डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल (उपभोक्ता सं0–297335, सम्बद्ध भार– 71 के0डब्ल्यू0 (79 के0भी0ए0)।

[5] गैर घरेलू सेवाएँ–II सिवाए उन उपभोक्ताओं के जो एन0डी0एस0–III के अन्तर्गत आते है, नगरीय क्षेत्र, जो अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ नगरपालिकाएँ/नगरपालिका निगमें/क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों/जिला एवं अनुमण्डलीय शहरों/अंचल मुख्यालयों/औद्योगिक क्षेत्रों/समीपस्थ उप नगरीय क्षेत्रों जो नगरीय/शहरी फीडरों से विद्युत शक्ति प्राप्त कर रहे हैं के अन्तर्गत आते हैं, में गैर–घरेलू उपभोक्ताओं जिनका सम्बद्ध भार 60 के0डब्ल्यू0 तक है, को विद्युत शक्ति की आपूर्ति हेतु लागू है।

चाहिए था और भुगतान में विफलता की स्थिति में उपभोक्ता का विद्युत सम्बन्ध काट देना चाहिए था। तथापि, इन चूकों को रोकने हेतु कम्पनी में कोई भी आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति विद्यमान नहीं थी।

अतः उपभोक्ता श्रेणी को एन0डी0एस0– II से एच0टी0एस0– II श्रेणी में परिवर्तित करने में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप, कम दर पर विपत्रीकरण करने के कारण कम्पनी को फरवरी 2010 से जनवरी 2013 की अवधि हेतु ₹ 36.89[6] लाख के राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

मामला सरकार/प्रबन्धन को प्रतिवेदित (मई 2013) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

## बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

### *4.3 ट्रान्सफॉर्मर ऑयल के क्रय में परिहार्य व्यय*

***स्थिर मूल्य वाली निविदा को रद्द करने एवं बिहार वित्तीय नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में परिवर्तनीय मूल्य के आधार पर पुनः निविदा आमंत्रण के फलस्वरूप ₹ 25.48 लाख का परिहार्य व्यय।***

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, निवर्तमान बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) की पाँच विघटित इकाईयों में से एक, ने संकल्प द्वारा बिहार वित्तीय नियमों[7] (बी0एफ0आर0), 2005 के अनुसार भविष्य में आमंत्रित होने वाली निविदा हेतु अधिप्राप्ति प्रक्रिया अंगीकार (जुलाई 2008) किया।

अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2013) से यह प्रकट हुआ कि क्रयादेश की निर्गत तिथि से चार महीने की अवधि के अन्तर्गत आपूर्ति हेतु 1304 किलो लीटर (के0एल0) एकस्ट्रा हाई वोल्टेज (ई0एच0भी0) श्रेणी ट्रान्सफॉर्मर ऑयल हेतु बोर्ड ने निविदा आमंत्रित किया (जुलाई 2009)। निविदा आमंत्रण सूचना (एन0आई0टी0) की नियमों एवं शर्तों के अनुसार निविदाकर्त्ताओं को स्थिर मूल्य उद्धृत करना था। एन0आई0टी0 के विरुद्ध, चार बोलियाँ प्राप्त हुई जिनमें दो बोलियाँ सर्शत थीं। अतः केवल दो निविदाकर्त्ताओं की वित्तीय बोलियों को खोला गया (सितम्बर 2009)। न्यूनतम उद्धृत स्थलीय दर[8] प्रति किलो लीटर ₹ 58128.31 था। तथापि, उर्पयुक्त दो बोलियाँ बोर्ड द्वारा रद्द (दिसम्बर 2009) इस आधार पर कर दी गई कि निविदा सूचना में स्थिर मूल्य शर्त शामिल करने के फलस्वरूप प्रतियोगात्मक बोलियाँ प्राप्त नहीं हुई थीं। क्रयादेश की निर्गत तिथि से चार महीने के अन्तर्गत आपूर्ति हेतु, 1267 के0एल0[9] ई0एच0भी0 श्रेणी ट्रान्सफॉर्मर ऑयल के क्रय हेतु बोर्ड ने पुनः निविदा आमंत्रित (दिसम्बर 2009) किया। एन0आई0टी0 के अनुसार, मूल्य परिवर्त्तनीय आधार पर उद्धृत होना था जो उपर्युक्त बी0एफ0आर0 के विरुद्ध था। मे0 सविता ऑयल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की न्यूनतम बोली स्वीकार करते हुए ₹ 52606.13 प्रति किलो लीटर (कुल मूल्य ₹ 736.34 लाख) जो कि आधार तिथि 01

[6] कुल राजस्व की हानि = मे0 रतनप्रिया (₹ 9.90 लाख) + श्रीमती मीना सिंह (₹ 13.23 लाख) + प्रधानाध्यापक, डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल (₹ 13.76 लाख) = ₹ 36.89 लाख।

[7] बिहार वित्तीय नियमों का नियम 30(viii) जो संविदाओं की सामान्य सिद्धांतों से सम्बन्धित अन्य बातों के साथ यह निर्दिष्ट करती है कि मूल्य परिवर्तन उपवाक्य केवल संविदाएँ में ही लगाया जा सकता है जहाँ सुपुर्दगी अवधि 18 महीनों से परे है तथा अल्प–कालीन संविदाओं में स्थिर एवं निश्चित मूल्य उपवाक्य लगाना चाहिए।

[8] स्थलीय दर से तात्पर्य कुल मूल्य है जिसमें केन्द्रीय बिक्री–कर, माल–ढुलाई, प्रवेश–कर इत्यादि शामिल हैं।

[9] निवर्त्तमान बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आवश्यकता का पुनर्निधारण किया गया।

जनवरी 2010 की आई0ई0ई0एम0ए0[10] प्राईस वेरियेशन सर्कुलर के अनुसार परिवर्तनीय था, के दर से जुलाई 2010 तक 1267 के0एल0 ई0एच0भी0 ट्रान्सफॉर्मर ऑयल का मूल्य बढ़ गया जिसके कारण बोर्ड को ₹ 736.34 लाख जो कि बोर्ड द्वारा उस स्थिति में भुगतेय था यदि बोर्ड जुलाई 2009 में आमंत्रित पहली संविदा की ₹ 58,123.31 प्रति लीटर के स्थिर मूल्य को स्वीकार कर लेता, के विरुद्ध प्रति के0एल0 उच्चतर दरों पर 1266.749 के0एल0 ट्रान्सफॉर्मर ऑयल हेतु ₹ 761.82 लाख भुगतान करना पड़ा।

अतः स्थिर मूल्य पर उद्धरण वाली निविदा को रद्द करने एवं परिर्वतनीय मूल्य पर आधारित नई निविदा आमंत्रित करने के फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 25.48[11] लाख का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

मामला कम्पनी/सरकार को प्रतिवेदित (जुलाई 2009) किया गया, जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

### *4.4 ऊर्जा शक्ति के क्रय में अनियमितताएँ*

***क्रय किए गए ऊर्जा शक्ति के आहरण नहीं करने से तथा दैनिक अनुसूचन के बजाय मासिक अनुसूचन हेतु मामले का अनुसरण नहीं करने के फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 58.97 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।***

**4.4.1** वर्ष 2008–09 से 2010–13 की अवधि में बिहार राज्य ऊर्जा शक्ति की कमी[12] से जूझ रहा था। इस ऊर्जा शक्ति की कमी से उबरने हेतु निवर्तमान बिहार राज्य विद्युत बोर्ड {बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड[13] (कम्पनी)} ऊर्जा शक्ति के क्रय हेतु अनुबन्ध (पी0पी0ए0) करती है। ऊर्जा–शक्ति की क्रय हेतु अनुबन्ध समय–समय पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्गत विनियमों से अधिशासित होती है।

सी0ई0आर0सी0 (सम्बद्धता का प्रदान, अर्न्तराज्यीय संचरण में दीर्घकालीन व मध्यकालीन आरोहण तथा सम्बन्धित मामले) विनियम, 2009 की उपवाक्य 19(2) के अनुसार, मध्य–कालीन अवधि के अन्तर्गत ऊर्जा–शक्ति की आपूर्ति हेतु आरम्भ तिथि, सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्र (आर0एल0डी0सी0) को मध्यावधि खुला आरोहण प्रदान करने हेतु भार सम्प्रेषण आपूर्तिकर्त्ता द्वारा समर्पित किए गए आवेदन के महीने की अन्तिम तिथि से पाँच महीने से पूर्व नहीं होना चाहिए। आपूर्तिकर्त्ता को ऊर्जा–शक्ति की आपूर्ति हेतु अनुबन्ध करने के उपरांत ही आर0एल0डी0सी0 को आवेदन समर्पित करना चाहिए।

बिहार में ऊर्जा–शक्ति की कमी को दूर करने हेतु, कम्पनी ने 450 मेगा वॉट (एम0डब्ल्यू0) ऊर्जा–शक्ति की अधिप्राप्ति हेतु, जिसकी आपूर्ति मध्यकालीन अवधि हेतु मार्च 2012 से दिसम्बर 2015 के बीच में होनी थी, एक निविदा आमंत्रित किया (अक्टूबर 2011)।

उर्पयुक्त निविदा पर निविदाकर्त्ताओं/अग्रदर्शी निविदाकर्त्ताओं के आग्रह पर, मार्च 2012 के बजाय अगस्त/सितम्बर 2012 में ऊर्जा–शक्ति आपूर्ति आरम्भ करने हेतु अनुसूचित सुपुर्दगी तिथि के स्थगन हेतु एक स्पष्टीकरण परामर्शदाता यथा बिहार पावर

[10] इंडियन इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन।

[11] ₹ 761.82 लाख– ₹ 736.34 लाख।

[12] ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की 18वीं विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण के अनुसार, 2008–13 की अवधि में, बिहार में, ऊर्जा–शक्ति में कमी, 2008–09 में 4071.89 एम0यू0 से 2011–12 में 7620.15 एम0यू0 थी।

[13] बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विघटित पाँच भागों में से एक।

इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड[14] को उनके सुझावों हेतु अग्रसारित किया गया। परामर्शदाता ने सुझाव दिया (नवम्बर 2011) कि प्रतियोगात्मक बोली के लिए अधिकतम निविदाकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ऊर्जा–शक्ति आपूर्ति आरम्भ करने की तिथि को संशोधित कर अगस्त/सितम्बर 2012 तक कर देना चाहिए। परामर्शदाता ने यह भी सुझाव दिया कि कमी को पूर्ण करने हेतु कम्पनी अल्पकालीन अवधि के अंतर्गत मार्च 2012 से अगस्त 2012 की अवधि के दौरान ऊर्जा–शक्ति का क्रय कर सकती है। तथापि, परामर्शदाता का सुझाव इस आधार पर विचारयोग्य नहीं माना गया कि इन सुझावों के आगे बी0ई0आर0सी0 द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

निविदा का अन्तिमीकरण न्यूनतम निविदाकर्ता यथा अदानी इन्टरप्राइसेस लिमिटेड (ए0ई0एल0) से किया गया एवं मध्यकालीन खुला आरोहन के अंतर्गत ₹ 4.41 प्रति यूनिट की संतुलित की गई दर[15] पर मार्च 2012 से दिसम्बर 2015 तक 200 एम0डब्ल्यू0[16] ऊर्जा–शक्ति की आपूर्ति हेतु ऊर्जा–शक्ति क्रय अनुबन्ध (पी0पी0ए0) फरवरी 2012 में हस्ताक्षरित किया गया एवं आपूर्तिकर्ता ने ऊर्जा–शक्ति की आपूर्ति मार्च 2012 से आरम्भ कर दिया।

इस दौरान उर्पयुक्त निविदा के अन्तिमीकरण से पूर्व कम्पनी ने एन0टी0पी0सी0 विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एन0वी0वी0एन0एल0) से किए गए मध्यकालीन अवधि हेतु ऊर्जा–शक्ति क्रय अनुबन्ध जो फरवरी 2012 को समाप्त होने जा रहा था, अगले छः महीने की अवधि मार्च 2012 से अगस्त 2012 हेतु विस्तार कर दिया।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि अनुबन्ध तिथि से मध्यावधि के अंतर्गत ऊर्जा–शक्ति आपूर्ति आरम्भ करने के लिए न्यूनतम पाँच महीनें के प्रावधान के ऊर्जा–शक्ति आपूर्ति आरम्भ का अगस्त 2012 तक स्थगन सम्बन्धी परामर्शदाता की अनुशंसा एवं एन0वी0वी0एन0एल0 से अल्पावधि ऊर्जा–शक्ति क्रय का विस्तार के बावजूद कम्पनी ने मार्च 2012 से ए0इ0एल0 से 200 एम0डब्ल्यू0 ऊर्जा–शक्ति क्रय हेतु निर्णय लिया जिसके फलस्वरूप ऊर्जा–शक्ति की उपलब्धता 200 एम0डब्ल्यू0 से बढ़ गया।

हमलोगों ने यह भी प्रेक्षित किया कि ₹ 4.25 प्रति यूनिट की औसत दर से मार्च 2012 से अगस्त 2012 की अवधि में ए0ई0एल0 से क्रय किए गए 633.17 मिलियन यूनिट्स (एम0यू0) ऊर्जा–शक्ति के विरुद्ध , कम्पनी ने उक्त अवधि में 587.79 एम0यू0 उपलब्ध ऊर्जा–शक्ति का आहरण नहीं किया एवं इसका विक्रय ₹ 3.25 प्रति यूनिट के औसत दर से अनुसूची विनिमय[17] के अंतर्गत कर दिया।

हमलोगों ने आँकड़ों[18] से प्रेक्षित किया कि उपलब्ध ऊर्जा–शक्ति के आहरण नहीं करने से ए0ई0एल0 से क्रय किए गए ऊर्जा–शक्ति से ₹ 1.00 प्रति यूनिट की हानि हो रही थी। इस प्रकार कम्पनी को मार्च 2012 से अगस्त 2012 की अवधि में ₹ 58.78 करोड़ (अर्थात 587.79 एम0यू0×₹ 1.00/यूनिट) की हानि वहन करनी पड़ी।

---

[14] तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं आई0एल0 एवं एफ0एस0 (एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) एवं बिहार सरकार का एक सरकारी उद्यम कम्पनी।

[15] निविदा प्रक्रिया में मूल्य अंतर हेतु तय किया दर जिसमें आधार मूल्य, वृद्धि दर, आपूर्ति अवधि इत्यादि मानकों को ध्यान में रखा गया है।

[16] 131.40 एम0यू0 के बराबर अर्थात् [(200 एम0डब्ल्यू0× 365 दिन× 24 घंटे× 0.9 फैक्टर)÷ 12].

[17] अनुसूची विनिमय (यू0आई0) का तात्पर्य अनुसूचित आवंटन की तुलना में ऊर्जा–शक्ति का अति अथवा अल्प आहरण है। ऊर्जा–शक्ति का अल्प आहरण यू0आई0 के अन्तर्गत विक्रय के रूप में परिभाषित किया गया है।

[18] बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड की अर्न्तराजकीय अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई।

### *4.4.2 आपूर्तिकर्ता द्वारा ऊर्जा–शक्ति का दैनिक अनुसूचन करने के कारण हानि*

ऊर्जा–शक्ति की आपूर्त्ति हेतु आपूर्त्तिकर्ता को सम्बन्धित क्षेत्रीय भार सम्प्रेषण केन्द्र (आर0एल0डी0सी0) से द्विपक्षीय संव्यवहार का अग्रिम अनुसूचन[19] कराना होता है।

सी0ई0आर0सी0 खुला आरोहण[20] विनियम, 2008 के उपवाक्य 2.1 एवं अनुवर्ती (संशोधन) विनियम, 2009 के अनुसार द्विपक्षीय संव्यवहारों के अनुसूचन हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय भार सम्प्रेषण केन्द्र (आर0एल0डी0सी0) को ₹ पाँच हजार के आवेदन शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त विनियमन की उपवाक्य 5.2 के अनुसार पूर्ण महीने के लिए अग्रिम अनुसूचन हेतु केवल एक ही आवेदन समर्पित किया जा सकता है। अतः विक्रयकर्ता सम्बन्धित आर0एल0डी0सी0 को मासिक अग्रिम अनुसूचन हेतु प्रतिमाह ₹ पाँच हजार का भुगतान कर आवेदन कर सकता था।

इसके अतिरिक्त ए0ई0एल0 से 200 एम0डब्ल्यू0 ऊर्जा–शक्ति की आपूर्ति हेतु आर0एल0डी0सी0 शुल्क (अनुसूचन हेतु आवेदन शुल्क सम्मिलित) का भुगतान अधिप्राप्तकर्ता अर्थात् कम्पनी की जिम्मेदारी होगी।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि विक्रयकर्ता ने पूर्वी आर0एल0डी0सी0 को ऊर्जा–शक्ति की मासिक अनुसूचन के बजाए दैनिक अनुसूचन हेतु आवेदन किया था जिसके फलस्वरूप मार्च 2012 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान कुल 390 अनुसूचन हुआ जिसके लिए अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क के मद में ₹ 19.50 लाख की राशि (₹ पाँच हजार प्रति अनुसूचन के दर से) का भुगतान ए0ई0एल0 द्वारा पूर्वी आर0एल0डी0सी0 को किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति कम्पनी द्वारा ए0ई0एल0 को कर दी गई।

हमलोगों ने यह भी प्रेक्षित किया कि कम्पनी ने पूर्वी आर0एल0डी0सी0 से ऊर्जा–शक्ति के दैनिक अनुसूचन के बजाए मासिक अनुसूचन मामलों को कभी नहीं उठाया। जबकि उपरोक्त अवधि के दौरान कम्पनी पूर्वी आर0एल0डी0सी0 को ₹ 0.65 लाख के आवेदन शुल्क का भुगतान कर ऊर्जा–शक्ति की अग्रिम अनुसूचन हेतु आवेदन कर सकती थी।

अतः आपूर्तिकर्ता से ऊर्जा–शक्ति की दैनिक अनुसूचन के बजाए अनुसूचन सम्बन्धित मामलों के अनुसरण नहीं करने के फलस्वरूप कम्पनी को मार्च 2013 तक ₹ 18.85 लाख का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2013); जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

---

[19] ऊर्जा–शक्ति का अनुसूचन सम्बन्धित आर0एल0डी0सी0 द्वारा संचरण प्रणाली में ऊर्जा–शक्ति की सम्प्रेषण हेतु ऊर्जा–शक्ति उत्पादकों को प्रदान की गई अनुमति है।

[20] संचरण प्रणाली में अथवा संचरण प्रणाली से ऊर्जा–शक्ति के सम्प्रषेण अथवा आहरण हेतु आरोहण स्त्रोत।

## नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

### 4.5 ब्याज की हानि

***कम्पनी द्वारा विलम्ब से संविदा माँग की बढ़ोत्तरी एवं ऊर्जा–विपत्रों के निर्गमन में विलम्ब के फलस्वरूप ₹ 0.99 करोड़ के ब्याज की हानि।***

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश[21] 'अन्य बातों के साथ यह भी निर्दिष्ट करता है कि उच्च विभव (एच0टी0) उपभोक्ताओं की ट्रान्सफॉर्मर क्षमता उनकी संविदा माँग से 150 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त टैरिफ आदेश यह भी प्रावधान करता है कि यदि कोई उपभोक्ता अपनी संविदा माँग के अनुरूप क्षमता से अधिक क्षमता वाले ट्रान्सफॉर्मर का उपयोग करते पाया जाता है तो यह मामला कदाचार के अर्न्तगत आएगा। साथ ही बी0ई0आर0सी0 द्वारा अनुमोदित बिहार विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 की कंडिका 6.24 के अनुसार उच्च विभव उपभोक्ताओं के मामलों में किसी ट्रान्सफॉर्मर, स्वीचगियर अथवा अन्य विद्युत उपकरणों को प्रणाली से जोड़ने से पहले इनका अनुज्ञप्तिधारी [अर्थात् बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड[22]] द्वारा निरीक्षण एवं अनुमोदन हो जाना चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदन बिना कोई भी कनेक्शन नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी उच्च विभव प्रतिष्ठापनों का अनुमोदन विद्युत निरीक्षक द्वारा होना चाहिए। साथ ही टैरिफ आदेशों के अनुसार, विपत्रीकरण (न्यूनतम ऊर्जा–शक्ति शुल्क मार्च 2012 तक एवं डिमाण्ड शुल्क) संविदा माँग के आधार पर होना था।

नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की विद्युत आपूर्ति अंचल (ई0एस0सी0), मोतीहारी के एक उच्च विभव उपभोक्ता मे0 स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया (सेल); एस0पी0यू0[23] बेतिया जिसकी संविदा माँग एक मेगा वोल्ट एम्पीयर (एम0भी0ए0) थी, के अभिलेखों की संवीक्षा से यह उद्घाटित हुआ कि:–

- उपभोक्ता 1.5 एम0भी0ए0 की स्वीकार्य क्षमता के विरुद्ध पाँच एम0भी0ए0 की क्षमता वाली ट्रान्सफॉर्मर का उपयोग कर रहा था जिसको लेखापरीक्षा ने पहले ही इंगित (मार्च 2012) किया था;

- कम्पनी ने लेखापरीक्षा की पहल पर 27 महीनों के विलम्ब से 3.334[24] की बढ़ी हुई संविदा–माँग के आधार पर कथित उपभोक्ता को विपत्र निर्गत करना जनवरी 2013 से आरम्भ किया एवं मार्च 2011 से दिसम्बर 2012 की अवधि हेतु एक संशोधित समेकित विपत्र जुलाई 2013 में निर्गत किया।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि ट्रान्सफॉर्मर की पर्याप्तता के सम्बन्ध में अनुश्रवण एवं नियंत्रण तथा विपत्रीकरण त्रुटीपूर्ण था चूँकि लेखापरीक्षा द्वारा मार्च 2012 में इंगित करने के बावजूद कम्पनी संविदा–माँग की ससमय बढ़ोत्तरी और तद्नुसार विपत्रीकरण सुनिश्चित करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त मार्च 2011 से दिसम्बर 2012 की अवधि हेतु संशोधित समेकित विपत्र निर्गत करने में छः महीने का समय लिया जिसके फलस्वरूप 27 महीनों का विलम्ब हुआ।

---

[21] टैरिफ आदेश 2010–11 (दिसम्बर 2010 से प्रभावी); टैरिफ आदेश 2011–12 (मई 2011 से प्रभावी); टैरिफ आदेश 2012–13 (अप्रैल 2012 से प्रभावी); टैरिफ आदेश 2013–14 (अप्रैल 2013 से प्रभावी)।

[22] कालांतर में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड।

[23] स्टील प्रोसेसिंग यूनिट।

[24] 5 एम0भी0ए0 $\times \frac{2}{3}$ = 3.334 एम0भी0ए0।

कम्पनी द्वारा उपभोक्ता की संविदा–माँग की विलम्ब से बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप मार्च 2011 से दिसम्बर 2012 की अवधि हेतु ₹ 4.73 करोड़ की राशि का विपत्रीकरण 27 महीनों के विलम्ब से जुलाई 2013 में हुआ। विलम्ब से विपत्रीकरण के फलस्वरूप कम्पनी ₹ 0.97[25] करोड़ के ब्याज की क्षति वहन कर चुकी थी।

कम्पनी ने तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2013) कि कथित उपभोक्ता को जनवरी 2013 से ही 3,334 एम0भी0ए0 के आधार पर विपत्र निर्गत किया जा रहा था एवं उपर्युक्त पहले की अवधि हेतु जून 2013 के विपत्र में ही कथित उपभोक्ता को भारित कर दिया गया था।

वास्तविकता यह है कि स्वीकार्य क्षमता से अधिक के ट्राँसफॉर्मर के स्थापन की जानकारी रखते हुए भी कम्पनी ने उपभोक्ता के ट्राँसफॉर्मर क्षमता के आधार पर संविदा माँग को बढ़ाने तथा उसके अनुरूप विपत्र निर्गत करने में विफल रहा। इस प्रकार कथित उपभोक्ता की संविदा माँग की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण अनुश्रवण एवं नियंत्रण तथा विलम्ब से विपत्रीकरण करने के फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 0.97 करोड़ के ब्याज की क्षति वहन करनी पड़ी।

मामला सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

## बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

### *4.6 मुख्यमंत्री राहत कोष में अनियमित अंशदान*

***लेखाओं में हानि प्रदर्शित होने एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं तथा प्रावधानों के अनुपालन नहीं होने के फलस्वरूप मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ दो करोड़ का अनियमित अंशदान।***

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) के प्रबन्ध निदेशक ने निदेशक–मण्डल को मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ तीन करोड़ के अंशदान हेतु परिचालन द्वारा मार्च 2012 में संकल्प प्रस्तावित इस आधार पर किया कि इस प्रकार का अंशदान लाभ अर्जित करने वाली अन्य निगमों द्वारा भी किया जा रहा था। निदेशक मण्डल ने आम सभा में अंशधारियों द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ तीन करोड़ के अंशदान करने हेतु अनुमोदन किया। कम्पनी ने ₹ तीन करोड़ के अनुमोदित अंशदान के विरुद्ध मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ दो करोड़ की राशि का अंशदान जमा किया।

यहाँ पर यह चर्चा करना प्रासंगिक होगा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1)(ई) एक सार्वजनिक कम्पनी के निदेशक मण्डल के अधिकार को धर्मार्थ एवं अन्य कोष में दान देने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है जो कम्पनी के व्यवसाय या इसके कर्मचारियों के हित से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध नहीं हैं। कम्पनी ऐसी कोई भी राशि दान में दे सकता है जो किसी वित्तीय वर्ष में पचास हजार अथवा विगत तीन वर्षों के औसत लाभ या पाँच प्रतिशत, दोनों में से जो अधिक हो, से अधिक न हो। जहाँ भी अंशदान उपर्युक्त सीमा से अधिक है, वहाँ कम्पनी की आम सभा की पूर्वानुमति से ही ऐसा किया जाना चाहिए।

[25] ब्याज की हानि की गणना 13 प्रतिशत की दर अर्थात् राज्य सरकार द्वारा भारित ऋण दर के अनुसार की गई है।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि:–

- वर्ष 2011–12 के लेखों में ₹ 2.65 करोड़ की स्वीकार्य आय के विरुद्ध कम्पनी ने सेन्टेज एवं कन्टींजेंसी शुल्क[26] तथा अन्य आय के अधिप्रदर्शन के फलस्वरूप ₹ 8.25 करोड़ का आय दर्शाया। इसके अतिरिक्त मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के मद में ₹ 0.54 करोड़ के भुगतान को लेखों में नहीं लिया गया था। अतः लेखों में ₹ 2.70 करोड़ के प्रदर्शित लाभ के विरुद्ध, कम्पनी को वास्तव में ₹ 3.44[27] करोड़ की क्षति हुई थी। वर्ष 2011–12 के लेखों की लेखापरीक्षा में कम्पनी द्वारा राजस्व की त्रुटिपूर्ण स्वीकरण पर टिप्पणी भी भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की गई थी।

- चूँकि कम्पनी के पास कोई आधिक्य/संचित राशि नहीं था, मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ दो करोड़ का किया हुआ अंशदान वास्तव में कम्पनी की पूँजी से किया गया था जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1)(ई) के उल्लंघन में था।

- इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष में उपर्युक्त अंशदान औपबंधिक लेखाओं के आधार पर तथा बिना किसी आकस्मिक कारण हेतु किसी आग्रह के किया गया था।

अतः लेखाओं में राजस्व के त्रुटिपूर्ण स्वीकरण एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुपालन नहीं होने के फलस्वरूप मुख्यमंत्री राहत कोष में कम्पनी ने ₹ दो करोड़ का अनियमित अंशदान किया।

मामला सरकार/कम्पनी को प्रतिवेदित (जुलाई 2013) किया गया, जवाब प्रतीक्षित था।

## बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड

### *4.7 लेबर सेस के कटौती नहीं करने से अनुचित दायित्व का सृजन*

***संवेदकों के विपत्रों से लेबर सेस की अधिदेशात्मक कटौती नहीं करने के फलस्वरूप कम्पनी लेबर सेस के मद में ₹ 0.56 करोड़ एवं उस पर दण्ड ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी हुआ।***

बिहार सरकार ने जैसा कि, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की 'भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याणकारी सेस अधिनियम, 1996 (अधिनियम)[28] श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना[29] में विचारित है, असाधारण राजपत्रित अधिसूचना[30] के माध्यम से लेबर सेस लागू किया। अधिनियम नियोक्ता द्वारा निर्माण मद में किए व्यय का एक प्रतिशत के दर से सेस के कटौती हेतु निर्दिष्ट करता है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार निर्माण कार्य में संलग्न सभी सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कार्यकारी अभिकरणों के विपत्रों से निर्दिष्ट दर पर लेबर सेस की कटौती करते हुए इसे ''भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याणकारी बोर्ड'' (कल्याणकारी बोर्ड) में जमा

[26] शुल्क जो सरकार द्वारा कम्पनी को जमाकार्य के विरुद्ध प्राप्त होता है।

[27] अस्वीकार्य आय (₹ 5.60 करोड़)+मैट हेतु लेखाओं में प्रावधान (₹ 0.54 करोड़)– लेखाओं में प्रदर्शित लाभ (₹ 2.70 करोड़) = ₹ 3.44 करोड़।

[28] अधिनियम की धारा 2(अ) के अनुसार भवन एवं अन्य निर्माण कार्य का तात्पर्य भवनों, सड़कों, रेलवे, ऊर्जा–शक्ति की उत्पादन, संचरण एवं वितरण इत्यादि के मद में अथवा सम्बन्धित निर्माण, बदलाव, मरम्मती, संधारण अथवा विघटन से है, तथापि वैसे भवनों एवं अन्य निर्माण कार्यों, जिनपर कारखाना अधिनियम, 1948 की प्रावधानें लागू हैं, इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं।

[29] केन्द्रीय राजपत्रित अधिसूचना सं0: एस0ओ0 2899 दिनांक 26 सितम्बर 1996।

[30] अधिसूचना सं0: 865 दिनांक 4 अप्रैल 2008।

करना है। अधिनियम की धारा 8 यह भी निर्दिष्ट करती है कि यदि कोई नियोक्ता निर्दिष्ट समय में लेबर सेस के भुगतान में विफल रहता है तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता प्रत्येक माह एवं माह के अंश अवधि हेतु दो प्रतिशत के दर से लेबर सेस के वास्तविक भुगतान होने तक ब्याज भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) ऊर्जा–शक्ति उत्पादन एवं जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं का निर्माण कार्य करती है। ऊर्जा–शक्ति परियोजनाओं का निर्माण कार्य बाहरी सन्निर्माण अभिकरणों (संवेदकों) द्वारा कराया जाता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी संवेदकों के विपत्र से लेबर सेस की राशि की कटौती कर इसको बिहार सरकार की श्रम संसाधन विभाग में जमा करने के लिए उत्तरदायी था।

हमने प्रेक्षित किया (फरवरी 2013) कि कम्पनी अप्रैल 2008 से ही लेबर सेस के मद में अधिदेशात्मक कटौती नहीं कर रहा था। इसके फलस्वरूप ₹ 0.41[31] करोड़ की राशि, जिसको सम्बन्धित प्राधिकरणों के पास जमा करना था, संवेदकों के विपत्रों से नहीं काटा गया जिसके परिणास्वरूप कम्पनी ₹ 0.15 करोड़ के दाण्डिक–ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी हो गया। अतः इसके परिणामस्वरूप लेबर सेस के मद में एवं उस पर जून 2013 तक भारित ब्याज के मद में बिहार सरकार की श्रम संसाधन विभाग के प्रति ₹ 0.56 करोड़ के अनुचित दायित्व का सृजन हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (जून 2013) कि चूँकि कम्पनी की परियोजनाएँ निर्माणोपरान्त कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत निबन्धित थीं, इसलिए बिहार सरकार की श्रम संसाधन विभाग द्वारा एक प्रतिशत की दर से भारित लेबर सेस कम्पनी पर लागू नहीं था।

कम्पनी का जवाब स्वीकार्य नहीं है चूँकि केवल वही परिसरों एवं सम्बन्धित अहातों, जहाँ ऊर्जा–शक्ति के द्वारा या इसके बिना उत्पादन कार्य हो रहा है, कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत कारखाना के रूप में निबन्धित हो सकते हैं। इसके अलावा बिहार सरकार की श्रम संसाधन विभाग ने भी स्पष्टीकरण दिया (अक्टूबर 2013) कि कम्पनी निर्माणाधीन परियोजनाओं पर एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस के भुगतान हेतु उत्तरदायी था। अतः लेबर सेस को लागू करने में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 0.56 करोड़ की अनुचित दायित्व का सृजन हुआ।

कम्पनी को अनुचित दायित्व को टालने हेतु अपनी निर्माणाधीन परियोजनाओं के मद में संवेदकों के विपत्र से लेबर सेस की अधिदेशित कटौती करनी चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2013); जवाब प्रतीक्षित था।

[31] 23 परियोजनाओं की कुल निर्माण लागत के मद में एक प्रतिशत की दर से ₹ 0.41 करोड़ की सेस राशि।

## 4.8 परिहार्य व्यय

***डगमारा जल–विद्युत परियोजना से सम्बन्धित अर्न्तराष्ट्रीय मुद्दों के सत्यापन में विफलता एवं केन्द्रीय जल आयोग की मार्गदर्शिका के उल्लंघन में डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु कार्यादेश प्रदान करने के फलस्वरूप कम्पनी ने ₹ 1.50 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।***

केन्द्रीय जल आयोग (के0ज0आ0), जल संसाधन मंत्रालय (ज0सं0म0), भारत सरकार द्वारा निर्गत (जुलाई 2002) सिंचाई एवं बहुप्रयोजन परियोजनाओं की सुपुर्दगी, मूल्यांकन एवं अनुमति हेतु मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1 अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्दिष्ट करती है कि अर्न्तराज्यीय/अर्न्तराष्ट्रीय जटिलता सम्बन्धित बहुप्रयोजन परियोजनाओं के सन्दर्भ में डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु के0ज0आ0 की 'सैद्धान्तिक' अनुमति हेतु प्रयोज्य जाँच–सूची के साथ एक प्रारम्भिक व्यवहारिता प्रतिवेदन (पी0एफ0आर0) के0ज0आ0 को उपस्थापित करना होगा।

बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने बिहार के सुपौल जिला में डगमारा गाँव के निकट कोशी नदी पर 126 मेगावॉट (एम0डब्ल्यू0) क्षमता वाली विद्युत शक्ति परियोजना के निर्माण हेतु एक पी0एफ0आर0 तैयार (अगस्त 2006) किया। प्रस्तावित डगमारा परियोजना नेपाल सीमा से अनुप्रवाही 22.5 किलोमीटर तक बाँध का निर्माण कार्य परिकल्पित किया जिसके फलस्वरूप इस परियोजना का सम्बन्ध अर्न्तराष्ट्रीय जटिलताओं (जैसा नेपाल की सीमा का जलमग्न होना, जल का बँटवारा इत्यादि) से था। पी0एफ0आर0 के आधार पर कम्पनी ने इस परियोजना हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु मे0 वॉटर एवं पावर कन्सलटेन्सी सर्विसेस लिमिटेड (वैपकोस) को ₹ 3.08 करोड़ तथा अनुमत्य करों की लागत पर कार्यादेश प्रदान किया (सितम्बर 2007)। कथित कार्यादेश के कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत आयोग (के0वि0आ0/के0ज0आ0/भारत का भूतल सर्वेक्षण) द्वारा कथित परियोजना के मूल्यांकन में सहायता करना एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (प0 एवं व0मं0) एवं रक्षा मंत्रालय (र0मं0) से अनुमति प्राप्त करना शामिल था। वैपकोस ने डी0पी0आर0 सुपुर्दगी की नियत तिथि (सितम्बर 2008) से दो वर्षो के विलम्ब के उपरांत डी0पी0आर0 तैयार एवं उपस्थापित किया। डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु कम्पनी ने वैपकोस को अप्रैल 2011 तक ₹ 3.48 करोड़ (कर सहित) की राशि का भुगतान किया।

हमने प्रेक्षित किया कि:–

- यद्यपि कथित परियोजना का सम्बन्ध अर्न्तराष्ट्रीय जटिलताओं से था कम्पनी ने के0ज0आ0 मार्गदर्शिका की उपर्युक्त कंडिका 2.1 के अनुसार डी0पी0आर0 तैयार करने के लिए के0ज0आ0 की "सैद्धान्तिक अनुमति" प्राप्त करने हेतु के0ज0आ0 को प्रयोज्य जाँच–सूची के साथ पी0एफ0आर0 प्रस्तुत नहीं किया।
- नेपाल की सामाचार–पत्र में प्रकाशित (जुलाई 2007) नेपाल की सीमावर्ती इलाकों के जलमग्न होने के भय के समाचार के आधार पर काठमाण्डू में स्थित भारतीय दूतावास ने इस सन्दर्भ में पूर्णरूपेण सूचना उपलब्ध कराने हेतु बिहार सरकार/कम्पनी को आग्रह किया। कम्पनी ने परियोजना से सम्बद्ध अर्न्तराष्ट्रीय मसलों का बिना सत्यापन किए काठमाण्डू स्थित भारतीय दूतावास को उसी तिथि यथा जुलाई 2007 को सूचित किया कि डगमारा परियोजना से भारत एवं नेपाल के इलाकों का जलमग्न होने एवं लोगों के विस्थापन हेतु कोई खतरा नहीं था।

- वैपकोस द्वारा समर्पित प्रारूप डी0पी0आर0 कम्पनी द्वारा अनुमोदन हेतु के0वि0आ0 को अग्रसारित (जुलाई 2010) किया। के0वि0आ0 ने सूचित किया (नवम्बर 2010) कि चूँकि डगमारा परियोजना एक बहुप्रयोजन परियोजना था, अतः इसका अनुमोदन सबसे पहले ज0सं0म0 भारत सरकार की तकनीकी परामर्शी समिति (टी0ए0सी0) द्वारा हो जाने के उपरांत ही ऊर्जा–शक्ति सम्बन्धी घटक की सहमति के0वि0आ0 द्वारा दिया जाएगा। तद्नुसार के0वि0आ0 ने परियोजना सम्बन्धी अर्न्तराष्ट्रीय मसलों को सुलझाने के पश्चात् डी0पी0आर0 प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ डी0पी0आर0 कम्पनी को लौटा दिया।

- कम्पनी ने तद्नुसार कथित परियोजना की अनुमति हेतु मुद्दा को ज0सं0म0, भारत सरकार से दिसम्बर 2010 में उठाया। ज0सं0मं0 ने नेपाल सीमावर्ती इलाकों के जलमग्न नहीं होने को सुनिश्चित करने हेतु अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से न्यूनतम आठ किलोमीटर की दूरी पर असैन्य ढाँचों के निर्माण को सुनिश्चित करना अथवा नेपाल सरकार से अनुमोदन के उपरांत ही मौजूदा रूप में प्रस्तावित परियोजना के नियोजन हेतु कम्पनी को परामर्श दिया (दिसम्बर 2010)।

- कम्पनी ने प्रस्तावित परियोजना को पुनः 7.5 किलोमीटर स्थानांतरित करने हेतु निर्णय लिया (जुलाई 2011)। तद्नुसार कम्पनी ने पुनरीक्षित स्थल पर प्रस्तावित परियोजना के डी0पी0आर0 के निर्माण हेतु कम्पनी ने वैपकोस को ₹ 1.50 करोड़ की लागत पर अतिरिक्त कार्यादेश प्रदान किया (सितम्बर 2011)। अतिरिक्त कार्यादेश के कार्य–क्षेत्र में स्थलाकृतिक अध्ययन, भूतलीय निरीक्षणों, पर्यावरणीय अध्ययन, रूप–रेखा, आरेखण एवं प्राक्कलन में परिवर्तन तथा डी0पी0आर0 की तैयारी हेतु कार्य शामिल था। इसके फलस्वरूप मूल स्थल पर प्रस्तावित परियोजना हेतु स्थलाकृतिक अध्ययन, भूतलीय निरीक्षणों/पर्यावरणीय मुद्दों इत्यादि के मद में, जिस पर पहली डी0पी0आर0 के अनुसार कार्य निष्पादित किया जा चुका था, के मद में ₹ 1.50 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने जवाब में कहा (जून 2013) कि चूँकि डगमारा परियोजना एक ऊर्जा–शक्ति परियोजना था, तथापि इसका अनुमोदन केवल के0वि0आ0 द्वारा ही होना था। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने यह भी कहा कि नेपाली इलाकों के जलमग्न होने सम्बन्धी मुद्दा मूल स्थल पर डी0पी0आर0 की तैयारी के उपरांत ही कम्पनी की जानकारी में आया। कम्पनी का जवाब स्वीकार्य नहीं हैं चूँकि डगमारा परियोजना एक बहुप्रयोजन परियोजना था तथा वैपकोस को डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु कार्यादेश (सितम्बर 2007) प्रदान करने से पहले ही नेपाल में स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से कथित परियोजना से सम्बन्धित अर्न्तराष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी (जुलाई 2007) कम्पनी को थी।

अतः डगमारा जल विद्युत परियोजना से सम्बन्धित अर्न्तराष्ट्रीय मुद्दों के सत्यापन में कम्पनी की विफलता एवं केन्द्रीय जल आयोग की मार्गदर्शिका के उल्लंघन में डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु कम्पनी द्वारा कार्यादेश प्रदान करने के फलस्वरूप ₹ 1.50 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2013); जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

### 4.9 निरर्थक व्यय

***डोभा जल विद्युत परियोजना के मामले में कम्पनी द्वारा त्रुटिपूर्ण नियोजन के फलस्वरूप ₹ 0.31 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा मिथ्या व्यय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर नाबार्ड ऋण के अग्रेतर किस्तों का अनियमित आहरण हुआ।***

बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने पश्चिमी चम्पारण जिला में तिरहुत मुख्य नहर पर ₹ 8.73 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक 2×1000 के0डब्ल्यू0 ढोबा लघु जल विद्युत परियोजना (ल0ज0वि0प0) का निर्माण करने का निर्णय लिया। चूँकि परियोजना स्थल, वन-भूमि के अन्तर्गत था एवं इसके हस्तानान्तरण की आवश्यकता वन संरक्षण अधिनियम (अधिनियम), 1980 के तहत थी, कथित अधिनियम के अन्तर्गत स्थल–स्थानांतरण हेतु एक प्रस्तावना मुख्य वन–संरक्षक सह नोडल अधिकारी, बिहार को भेजा (दिसम्बर 2008) गया। कथित ल0ज0वि0प0 की ₹ 8.90 करोड़ अद्यतन लागत प्राक्कलन आधार पर, नाबार्ड ने ₹ 8.46 करोड़ का एक ऋण[32] संस्वीकृत (मार्च 2008) किया एवं शेष राशि (₹ 44 लाख) का वित्तपोषण बिहार सरकार द्वारा होना था। कथित ल0ज0वि0प0 के पूर्ण होने की नियत तिथि 31 मार्च 2010 थी। परियोजना पर की गई अनुवर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कम्पनी को बिहार सरकार के माध्यम से प्रमाणित व्यय–विवरणी के साथ आहरण आवेदन नाबार्ड को प्रस्तुत करना था।

अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2013) से उद्घाटित हुआ कि कथित परियोजना हेतु स्थल–उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना टर्न–की आधार पर डोभा ल0ज0वि0प0 की निर्माण हेतु एक निविदा आमंत्रित किया जिसमें केवल एक[33] व्यावसायिक फर्म ने निविदा प्रस्तुत किया। तथापि, उपर्युक्त चर्चित निविदा को परियोजना की समीक्षोपरांत प्रशासनिक व तकनीकी कारणों से रद्द (जून 2009) कर दिया गया। कम्पनी ने मे0 गंडक कन्सट्रक्शन प्राईवेट कम्पनी लिमिटेड, जिसमे निविदा रद्द होने के उपरांत अपना निविदा–दर समर्पित किया था, को परियोजना से सम्बन्धित असैनिक कार्य का कार्यादेश (अप्रैल 2010) प्रदान किया। इसके अतिरिक्त बिना निविदा आमंत्रित किए व अतिरिक्त निधि[34] का स्त्रोत ज्ञात किए उत्पादन करने वाले मुख्य उपकरणों से सम्बन्धित कार्य (निर्माण, जाँच एवं संस्थापन तथा संचालन एवं संधारण कार्य सहित) हेतु मे0 व्यास इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड को ₹ 6.65 करोड़ की लागत पर एक अभिप्राय पत्र प्रदान किया गया। कथित परियोजना के मद में कम्पनी द्वारा 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान किया गया वास्तविक व्यय ₹ 0.31 करोड़[35] था।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि:

- वन विभाग ने जुलाई 2011 में कम्पनी को ₹ 3.92[36] करोड़ की क्षति राशि के साथ आठ हेक्टर जमीन अनिवार्य वनरोपण हेतु उपलब्ध कराने अथवा कथित ल0ज0वि0प0 की तकनीकी–व्यवहार्यता का पुर्नरीक्षण करने को कहा।

---

[32] नाबार्ड ऋण पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतेय था तथा ऋण भुगतान की विफलता की स्थिति में 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।

[33] मे0 नॉरटेक पावर प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड, कोलकाता।

[34] यथा असैन्य कार्य की लागत (₹ 8.11 करोड़) + उत्पादन करने वाले मुख्य उपकरणों से सम्बन्धी कार्य की लागत (₹ 6.65 करोड़) - ल0ज0वि0प0 की संस्वीकृत लागत (₹ 8.90 करोड़) = ₹ 5.86 करोड़।

[35] ₹ 14.86 लाख की कार्यप्रवृत्त अग्रिम राशि सहित।

[36] प्रति हेक्टर ₹ 98.10 लाख की दर से।

- स्थल–प्राप्ति हेतु वन–विभाग को भुगतान की जाने वाली भारी क्षति के आलोक में कम्पनी ने विलम्ब से दिसम्बर 2012 में परियोजना बन्द करने का निर्णय लिया और तद्नुसार संवेदक को कार्य रोक देने का आदेश दिया।

- आवश्यक स्थल की अनुपलब्धता एवं बिना प्रारूप एवं आरेखण तैयार किए, कम्पनी ने मिथ्या व्यय प्रमाण पत्र नाबार्ड को प्रस्तुत कर ऋण की कुल ₹ 5.95 करोड़ की अग्रेतर किस्तें प्राप्त की।

डोभा ल0ज0वि0प0 के बन्द होने के फलस्वरूप, कम्पनी द्वारा ₹ 0.31 करोड़ का किया गया व्यय निरर्थक हो गया।

प्रबन्धन ने डोभा परियोजना में ऋण की अग्रेतर किस्तों की प्राप्ति अनियमितता को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2013) कि डोभा परियोजना में वास्तविक व्यय से अधिक निकासी की गई निधियों का उपयोग मथौली ल0ज0वि0प0, जो नाबार्ड की समरूप योजना के तहत संस्वीकृत हुआ था, के मद में कर लिया गया है। प्रबन्धन का जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं है, चूँकि मथौली ल0ज0वि0प0 में किया गया व्यय ₹ 4.73 करोड़ के अन्य ऋण से था न कि डोभा ल0ज0वि0प0 के मद में आहरण किए गए निधियों से।

अतः डोभा ल0ज0वि0प0 में कम्पनी द्वारा त्रुटिपूर्ण नियोजन के फलस्वरूप ₹ 0.31 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा मिथ्या व्यय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर नाबार्ड ऋण के अग्रेतर किस्तों का अनियमित आहरण हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2013), जवाब प्रतीक्षित था।

## 4.10 समुचित ऊर्जा–शक्ति परित्याग प्रणाली के अभाव के फलस्वरूप ऊर्जा–शक्ति उत्पादन हानि

***बिना समुचित ऊर्जा–शक्ति परित्याग प्रणाली, लघु जल विद्युत परियोजना में त्रुटिपूर्ण नियोजन के फलस्वरूप ₹ 8.93 करोड़ की 35.88 एम0यू0 ऊर्जा–शक्ति उत्पादन हानि।***

ऊर्जा–शक्ति के उत्पादन हेतु एक अनुज्ञप्तिधारी बिहार राज्य जल विद्युत–शक्ति निगम लिमिटेड अपनी जल विद्युत ऊर्जा–शक्ति परियोजनाओं से उत्पादन की गई ऊर्जा–शक्ति का विक्रय बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड[37] (बी0एस0पी0एच0सी0एल0) को बी0एस0पी0एच0सी0एल0 की प्रणाली की अधिप्राप्ति इकाई[38] में ऊर्जा–शक्ति का परित्याग कर करती है। बिना किसी व्यवधान के ऊर्जा–शक्ति के परित्याग हेतु उत्पादन स्टेशन के पावर हाउस को विद्युत लाईन से या तो एक 33/11 के0भी0 पावर सब–स्टेशन (पी0एस0एस0) अथवा एक 132/33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन (जी0एस0एस0) से जोड़ा जाता है। सब–स्टेशन पर ऊर्जा–शक्ति का परित्याग तभी संभव है जब जी0एस0एस0 अथवा पी0एस0एस0 ऊर्जान्वित अवस्था में है अन्यथा कम्पनी द्वारा उत्पादन की गई ऊर्जा–शक्ति का परित्याग नहीं हो सकता है जिसके कारण कम्पनी के पावर हाउस में उत्पादन को बंद करना पड़ जाता है चूँकि आधिक्य ऊर्जा–शक्ति का भण्डारण नहीं किया जा सकता है। चूँकि ग्रिड सब–स्टेशन के अंतर्गत वृहत् क्षेत्र आता है, ग्रिड सब स्टेशनें सदैव ऊर्जान्वित रहती हैं जबकि पी0एस0एस0 ग्रिड प्रणाली में ऊर्जा–शक्ति की उपलब्धता एवं/अथवा बी0एस0पी0एच0सी0एल0 के क्षेत्र–वार वितरण प्राथमिकता के आधार पर ऊर्जान्वित अवस्था में रहती है। अतः ऊर्जा–शक्ति के उत्पादन एवं विक्रय हेतु इसके परित्याग का संधारण करने हेतु जी0एस0एस0/पी0एस0एस0 के निरन्तर ऊर्जान्वित अवस्था में रहने को सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी को एक समुचित प्रणाली विकसित करना नितांत आवश्यक हो जाता है।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2013) से उद्घाटित हुआ कि:

- कम्पनी ने 2006–07 से 2009–10 की अवधि में आठ[39] लघु जल विद्युत परियोजनाओं (ल0ज0वि0प0) का निर्माण किया। इन ल0ज0वि0प0 के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) उत्पादन की गई ऊर्जा–शक्ति का परित्याग बी0एस0पी0एच0सी0एल0 की विभिन्न जी0एस0एस0 पर होना था। तथापि ल0ज0वि0प0, बी0एस0पी0एच0सी0एल0 की सब–स्टेशनों के साथ जोड़े गए थे जो वास्तव में जी0एस0एस0 न होकर पी0एस0एस0 थे। उपरोक्त ल0ज0वि0प0 के ऊर्जा–शक्ति गृहों का बी0एस0पी0एच0सी0एल0 के निकटतम जी0एस0एस0 से जोड़ यथा इन ल0ज0वि0प0 के डी0पी0आर0 में परिकल्पित, नहीं किया गया जिससे निर्वाध ऊर्जा–शक्ति का उत्पादन व परित्याग सुनिश्चित हो सके।

- वर्ष 2011–12 से 2012–13 की अवधि में बि0एस0पी0एच0सी0एल0 के पी0एस0एस0 निरन्तर अवरुद्धन के कारण 29733[40] घंटों तक ऊर्जान्वित अवस्था में नहीं था। परिणामस्वरूप उक्त अवधि में उपर्युक्त ल0ज0वि0प0 में

[37] कालांतर में यह बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के नाम से जाना जाता था।

[38] पावर सब–स्टेशन (पी0एस0एस0) एवं ग्रिड सब–स्टेशन।

[39] जय नगर, शिरखिण्डा, सेबारी, ढेलाबाग, नासरीगंज, अग्नूर, अरवल एवं बेलसर।

[40] 2011–12 (10466 घंटे) एवं 2012–13 (19267 घंटे)।

कम्पनी को उत्पादन बंद करना पड़ा। इस प्रकार कम्पनी ₹ 8.93[41] लाख के मूल्य वाले 35.88 एम0यू0 ऊर्जा–शक्ति का उत्पादन नहीं कर सकी।

अतः समुचित ऊर्जा–शक्ति परित्याग प्रणाली के अभाव में कम्पनी को ₹ 8.93 करोड़ मूल्य के 35.88 एम0यू0 की ऊर्जा–शक्ति उत्पादन हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2013) कि ऊर्जा–शक्ति प्रणाली की निम्न अवस्था के कारण पी0एस0एस0 में ऊर्जा शक्ति की उपलब्धता निरन्तर नहीं थी और इस कारण कम्पनी को उत्पादन हानि हुई। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने यह भी कहा कि दो से तीन उत्पादन स्टेशनों के ऊर्जा–शक्ति को संग्रह कर परित्याग प्रणाली की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी ने अपने परामर्शी[42] से डी0पी0आर0 तैयार कराया है जो कि राज्य योजना के अंतर्गत संस्वीकृत था।

अतः तथ्य यही है कि ऊर्जा–शक्ति के संभाव्य उत्पादन हानि को टालने हेतु ल0ज0वि0प0 के निर्माण से पूर्व ही समुचित ऊर्जा–शक्ति परित्याग प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु समुचित ऊर्जा–शक्ति परित्याग प्रणाली के नियोजन में कम्पनी विफल रहा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2013); जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

## बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम (प्राइवेट) लिमिटेड एवं बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड

### *4.11 ब्याज का परिहार्य भुगतान*

***कर–दायित्व के समुचित निर्धारण हेतु समुचित प्रणाली विकसित करने में कम्पनियों की विफलता के कारण अग्रिम आयकर का भुगतान नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप ₹ 1.64 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।***

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 207 अन्य बातों के साथ–साथ यह भी निर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक करदाता को जिसका कर दायित्व ₹ 10,000 या अधिक है, अधिनियम में निहित तरीके एवं दर के अनुसार अग्रिम आयकर का भुगतान करना होगा। कर के न्यूनतम 90 प्रतिशत का अग्रिम भुगतान में विफलता अथवा निहित दरों पर कर जमा करने में कमी होने पर अधिनियम की धारा 234 बी एवं 234 सी के अनुसार अलग से प्रतिमाह एक प्रतिशत के दर से ब्याज भुगतेय होगा। ब्याज भुगतान की स्थिति को टालने हेतु अधिनियमानुसार अग्रिम कर के ससमय जमा करने हेतु प्रबन्धन को कर योग्य आय की समुचित प्राक्कलन की आवश्यकता है।

हमलोगों ने तीन कम्पनियों यथा बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बेल्ट्रॉन), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम (प्राईवेट) लिमिटेड (बि0पु0भ0नि0नि0लि0) एवं बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड (बि0रा0बि0नि0लि0) में कर दायित्व के निर्धारण एवं अग्रिम कर के भुगतान के प्रणाली की जाँच किया जिनमें पाए गए त्रुटियों का उल्लेख निम्नवत् है:

[41] जय नगर (4.83 एम0यू0 जिसका मूल्य ₹ 1.20 करोड़ था), शिरखिण्डा (4.67 एम0यू0 जिसका मूल्य ₹ 1.16 करोड़ था), रोबारी (3.92 एम0यू0 जिसका मूल्य ₹ 0.98 करोड़ था), ढ़ेलाबाग (8.25 एम0यू0 जिसका मूल्य ₹ 2.05 करोड़ था), नासरीगंज (4.10 एम0यू0 जिसका मूल्य ₹ 1.02 करोड़ था), अग्नूर (5.25 एम0यू0 जिसका मूल्य ₹ 1.31 करोड़ था), अरवल (1.88 एम0यू0 जिसका मूल्य ₹ 0.47 करोड़ था) और बेलसर (2.98 एम0यू0 जिसका मूल्य 0.74 करोड़ था)।

[42] अल्टरनेट हाईड्रो एनर्जी सेन्टर (ए0एच0ई0सी0); रुड़की।

- बेलट्रॉन वित्तीय वर्षों 2009–10 एवं 2011–12 हेतु आयकर प्राधिकारों के समक्ष अग्रिम जमा करने में विफल रहा। वित्तीय वर्षों 2009–10 एवं 2011–12 हेतु बेलट्रॉन की आय स्रोत पर कटौती की गई कर राशि क्रमशः ₹ 2.59 करोड़ एवं ₹ 1.88 करोड़ था जिसे आयकर प्राधिकारों के पास जमा किया गया था तथापि वित्तीय वर्षों 2009–10 एवं 2011–12 हेतु बेलट्रॉन का कुल कर दायित्व क्रमशः ₹ 2.59 करोड़ एवं ₹ 5.29 करोड़ था। चूँकि भुगतान किए गए कर की कुल राशि भुगतेय कर की राशि के 90 प्रतिशत से कम था, बेलट्रॉन को वित्तीय वर्षों 2009–10 एवं 2011–12 हेतु क्रमशः ₹ 14.39 लाख तथा ₹ 38.18 लाख के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अग्रिम कर एवं टी0डी0एस0 के मद में बेलट्रॉन ने क्रमशः ₹ 0.75 करोड़ एवं ₹ 1.49 करोड़ की राशि का भुगतान किया जो कि भुगतेय कर वित्तीय वर्ष 2010–11 के कुल कर दायित्व यथा ₹ 4.52 करोड़ के 90 प्रतिशत से कम था। अतः बेलट्रॉन को वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु ₹ 28.23 लाख के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

- बि0पु0भ0नि0लि0 वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2011–12 हेतु आयकर प्राधिकारों के समक्ष अग्रिम कर के भुगतान में विफल रहा। वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2011–12 हेतु बि0पु0भ0नि0लि0 की आय स्रोत पर कटौती की गई कर राशि क्रमशः ₹ 0.96 करोड़ एवं ₹ 0.77 करोड़ था जिसे आय कर प्राधिकारों के पास जमा कर दिया गया था। वित्तीय वर्षो 2009–10 एवं 2011–12 हेतु बि0पु0भ0नि0लि0 का कुल कर दायित्व क्रमशः ₹ 2.92 करोड़ एवं ₹ 1.59 करोड़ था। चूँकि भुगतान किया गया कर कुल भुगतेय कर की राशि से 90 प्रतिशत से कम था, बि0पु0भ0नि0लि0 को वित्तीय वर्षो 2009–10 एवं 2011–12 हेतु क्रमशः ₹ 22.65 लाख एवं ₹ 7.89 लाख के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा। वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु बि0पु0भ0नि0लि0 ने अग्रिम कर के मद में ₹ 1.36 करोड़ की राशि का भुगतान किया जो वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु कुल भुगतेय कर के 90 प्रतिशत से कम था। अतः बि0पु0भ0नि0लि0 को वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु ₹ 5.73 लाख के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

- ठीक उसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 हेतु बि0रा0बि0नि0लि0 का कुल कर–दायित्व क्रमशः ₹ 2.82 करोड़, ₹ 6.39 करोड़ एवं ₹ 7.40 करोड़ था। चूँकि इन वित्तीय वर्षो में कुल भुगतान किया गया कर (यथा अग्रिम कर एवं टी0डी0एस0) इन वित्तीय वर्षो के कुल भुगतेय कर के 90 प्रतिशत से कम था, बि0रा0बि0नि0लि0 को वित्तीय वर्षो 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 हेतु क्रमशः ₹ 13.39 लाख, ₹ 13.72 लाख एवं ₹ 19.74 लाख के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

अतः समुचित कर–दायित्व के निर्धारण हेतु समुचित प्रणाली विकसित करने में उपर्युक्त चर्चित कम्पनियों की विफलता के फलस्वरूप इन कम्पनियों को ₹ 1.64[43] करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

---

[43] अर्थात् बेल्ट्रॉन– ₹ 14.37 लाख (2009–10) + ₹ 28.23 लाख (2010–11) + ₹ 38.18 लाख (2011–12) = ₹ 80.78 लाख।

बि0पु0भ0नि0नि0 –₹ 22.65 लाख (2009–10) + ₹ 5.73 लाख (2010–11) + ₹ 7.89 लाख (2011–12) = ₹ 36.27 लाख।

बि0रा0बि0नि0लि0– ₹ 13.29 लाख (2009–10) + ₹ 13.72 लाख (2010–11) + ₹ 19.74 लाख (2011–12) = ₹ 46.85 लाख।

बेलट्रॉन प्रबन्धन ने तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकारते हुए कहा (जुलाई 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों को भविष्य में अनुपालन हेतु चिह्नित कर लिया गया है।

सरकार/बि0पु0भ0नि0लि0 प्रबन्धन ने तथ्य एवं आँकड़ों की सम्पुष्टि करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि कर योग्य आय के प्राक्कलन हेतु विक्रय, राजस्व एवं अन्य प्राचलिकों से सम्बन्धित सूचनाओं के ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी अपनी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबूत कर रही है।

बि0रा0बि0नि0लि0 प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि वार्षिक आय की प्राक्कलन हेतु कम्पनी द्वारा अपनायी गई प्रणाली, आकलन तैयार करते समय, विद्यमान आधारों एवं मान्यताओं पर आधारित होता है एवं भविष्य की संभाव्य आय की प्राक्कलन हेतु सर्वोत्तम अनुमान है। इसके साथ ही कुछ व्यय जैसे प्रिवीलेज फीस, मुख्यमंत्री राहत कोष में अनुदान जो वित्तीय वर्ष के अंत में घटित होते हैं, लेखांकन वर्ष के अन्त में घटित होने वाले विक्रय में एकाएक बढ़ोतरी इत्यादि के कारण आय का अनुमान केवल अनिश्चित तरीके से ही हो सकता है एवं इसी कारण अनुमानित आय एवं निर्धारित आय में अन्तर होना स्वाभाविक है जिसके फलस्वरूप धारा 234बी एवं 234सी के अन्तर्गत ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नहीं है चूँकि कर–योग्य आय की गणना हेतु विक्रय, राजस्व एवं अन्य मानकों के सटीक प्रक्षेपण/प्राक्कलन तैयार करने हेतु एक प्रणाली विकसित कर व्यवसाय की सामान्य कार्यवाहियों में घटित होने वाले व्यय का प्राक्कलन यथोचित तरीके से किया जा सकता है।

अतः विक्रय के निर्धारण में कम्पनियों द्वारा विफलता कर–योग्य आय के निर्धारण एवं अन्य प्रक्षेपणों के तय करने हेतु कम्पनियों में विद्यमान निम्न आन्तरिक नियंत्रण–प्रणाली को इंगित करती है।

कर भुगतेय आय एवं अन्य प्रक्षेपणों के निर्धारण हेतु विक्रय, राजस्व एवं अन्य प्राचलिकों से संबंधित सूचनाओं की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी को अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सूचना प्रौद्योगिकी एवं निबन्धन, उत्पाद एवं निषेध विभाग) (मई एवं अगस्त 2013), जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

## सामान्य

### *4.12 निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया*

लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये एवं मौके पर नहीं निपटाये गये लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) के कार्यालय प्रधानों एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि0प्र0) के माध्यम से संवादित किया जाता है। सा0क्षे0उ0 के प्रधानों को सम्बद्ध विभागों के प्रधानों के माध्यम से नि0प्र0 का उत्तर चार सप्ताह के अन्दर देना होता है। मार्च 2013 तक 24 सा0क्षे0उ0 को निर्गत नि0प्र0 से यह स्पष्ट होता है कि 658 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बद्ध 1480 कंडिकाएँ सितम्बर 2013 तक लम्बित थीं। ये लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाएँ एक से सात वर्षों तक अनुत्तरित थीं। 30 सितम्बर 2013 तक लम्बित नि0प्र0 एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विभाग-वार ब्योरा ***परिशिष्ट–9*** में दिया गया है।

उसी प्रकार सा0क्षे0उ0 के कार्यकलापों पर प्रारूप कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के तथ्यों एवं आँकड़ों की सम्पुष्टि एवं छः हफ्तों की अवधि में उनकी टिप्पणी के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को अर्द्ध–सरकारी पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किये गए । अपितु यह पाया गया कि मई से सितम्बर 2013 की अवधि में विभिन्न विभागों को अग्रसारित दो निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं 11 प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर ***परिशिष्ट–10*** में दिए विवरण के अनुरूप प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2013)।

यह अनुशंसित किया जाता है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि (क) विहित समय सीमा में निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का उत्तर देने में असफल रहने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया विद्यमान हो, (ख) एक समयबद्ध कार्यसूची के अनुसार हानि/बकाया अग्रिमों/अधिभुगतान की वसूली हेतु कार्यवाही हो, और (ग) लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उत्तर देने की प्रणाली मजबूत हो।

पी0 के0 सिंह

**पटना** — **पी0 के0 सिंह**

**दिनांकः** — **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**नई दिल्ली** — **(शशि कान्त शर्मा)**

**दिनांकः** — **भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक**

# परिशिष्ट

## परिशिष्ट–1

(कंडिका 1.7 में संदर्भित)

### 31 मार्च 2013 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संदर्भ में अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋणों एवं मानव–शक्ति को दर्शानेवाली विवरणी

**(कॉलम 5 (क) एवं 5 (घ) की राशि : ₹ करोड़ में)**

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | विभाग का नाम | निगमन का माह एवं वर्ष | प्रदत्त पूँजी$ | | | | 2012–13 के अंत में बकाया ऋण ** | | | | 2012–13 के ऋण/अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष) | मानव–शक्ति (31–3–2013 को कर्मचारियों की संख्या) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राज्य सरकार | केन्द्र सरकार | अन्य | कुल | राज्य सरकार | केन्द्र सरकार | अन्य | कुल | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | 6 (क) | 6 (ख) | 6 (ग) | 6 (घ) | (7) | (8) |
| **क. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ** | | | | | | | | | | | | | |
| **कृषि एवं समवर्गी** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड (बि0रा0बी0नि0लि0) | कृषि | 18.7.1977 | 2.27 (0.65) | 1.22 (0.02) | 0.22 (0.03) | 3.71 (0.70) | 27.93 | - | - | 27.93 | 7.53:1 (7.53:1) | 89 |
| 2. | बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0म0वि0नि0लि0) | पशुपालन एवं मत्स्य | 23.3.1980 | 3.00 (1.25) | - | - | 3.00 (1.25) | 2.60 | 0.03 | - | 2.63 | 0.88:1 (0.88:1) | 30 |
| 3. | स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड (एस0ए0बी0सी0एल0) | जल संसाधन | - | - | - | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | -- | अनुपलब्ध |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | | | **5.27 (1.90)** | **1.22 (0.02)** | **0.27 (0.03)** | **6.76 (1.95)** | **30.53** | **0.03** | **-** | **30.56** | | **119** |
| **वित्त** | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड (बि0रा0सा0वि0नि0लि0) | उद्योग | 30.1.1975 | 15.12 (0.12) | - | - | 15.12 (0.12) | 20.47 | - | 33.01 | 53.48 | 3.54:1 (3.54:1) | 41 |
| 5. | बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (बि0रा0पि0व0वि0वि0नि0) | पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण | 17.6.1993 | 20.36 (7.00) | - | - | 20.36 (7.00) | - | 16.32 | - | 16.32 | 0.80:1 (0.86:1) | 17 |
| 6. | बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (बि0रा0अ0वि0नि0लि0) | अल्पसंख्यक विकास | 22.3.1984 | 33.79 | - | - | 33.79 | - | - | 42.87 | 42.87 | 1.27:1 (1.44:1) | 26 |
| 7. | बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्तीय निगम लिमिटेड (बि0रा0फि0वि0वि0नि0लि0) | उद्योग | 6.3.1983 | 1.00 | - | - | 1.00 | 0.15 | - | - | 0.15 | 0.15:1 (0.08:1) | 06 |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | | | **70.27 (7.12)** | **-** | **-** | **70.27 (7.12)** | **20.62** | **16.32** | **75.88** | **112.82** | **-** | **90** |

**(कॉलम 5 (क) एवं 6 (घ) की राशि : ₹ करोड़ में)**

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | विभाग का नाम | निगमन का माह एवं वर्ष | प्रदत्त पूँजी$ | | | | 2012–13 के अंत में बकाया ऋण** | | | | 2012–13 के ऋण/अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष) | मानव–शक्ति (31–3–2013 को कर्मचारियों की संख्या) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राज्य सरकार | केन्द्र सरकार | अन्य | कुल | राज्य सरकार | केन्द्र सरकार | अन्य | कुल | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | 6 (क) | 6 (ख) | 6 (ग) | 6 (घ) | (7) | (8) |
| **आधारभूत संरचना** | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड (बि0पु0भ0नि0नि0लि0) | गृह (आरक्षी) | 26.6.1974 | 0.10 (0.00)[1] | - | - | 0.10 (0.00)[2] | - | 0.43 | - | 0.43 | 4.30:1 (4.30:1) | 363 |
| 9. | बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बि0रा0पु0नि0नि0लि0) | पथ निर्माण | 11.6.1975 | 3.50 | - | - | 3.50 | - | - | - | - | - | 374 |
| 10. | बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (बि0रा0भ0नि0नि0लि0) | भवन निर्माण | 20.3.2008 | 5.00 | - | - | 5.00 | - | - | - | - | - | 78 |
| 11. | बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0प0वि0नि0लि0) | पथ निर्माण | 20.04.2009 | 20.00 | - | - | 20.00 | - | - | - | - | - | 101 |
| 12. | बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बि0श0आ0सं0वि0नि0लि0) | शहरी विकास एवं आवासीय | 16.06.2009 | 5.00 | - | - | 5.00 | - | - | - | - | - | 54 |
| 13. | बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत सांरचना विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0शै0आ0सं0वि0नि0लि0) | शिक्षा | 16.07.2010 | 20.00 | - | - | 20.00 | - | - | - | - | - | 49 |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | | | **53.60 (0.00)** | **-** | **-** | **53.60 (0.00)** | **-** | **0.43** | **-** | **0.43** | **-** | **1019** |
| **विनिर्माण** | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0इ0वि0नि0लि0) | सूचना प्राद्यौगिकी | 21.2.1978 | 5.66 (5.51) | - | - | 5.66 (5.51) | 6.00 | - | - | 6.00 | 1.06:1 (1.06:1) | 76 |
| 15. | बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0ख0वि0नि0लि0) | खनन एवं भूविज्ञान | 12.6.1972 | 9.97 | - | - | 9.97 | - | - | - | - | - | अनुपलब्ध |

[1] ₹ 0.01लाख
[2] ₹ 0.01लाख

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (घ) की राशि : ₹ करोड़ में)

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | विभाग का नाम | निगमन का माह एवं वर्ष | प्रदत्त पूँजी$ | | | | 2012–13 के अंत में बकाया ऋण** | | | | 2012–13 के ऋण/अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष) | मानव–शक्ति (31–3–2013 को कर्मचारियों की संख्या) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राज्य सरकार | केन्द्र सरकार | अन्य | कुल | राज्य सरकार | केन्द्र सरकार | अन्य | कुल | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | 6 (क) | 6 (ख) | 6 (ग) | 6 (घ) | (7) | (8) |
| 16. | बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड (बि0रा0बि0नि0लि0) | निबन्धन, उत्पाद एवं मद्य–निषेध | 25.5.2006 | 5.00 | - | - | 5.00 | - | - | - | - | - | 186 |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | | | **20.63 (5.51)** | **-** | **-** | **20.63 (5.51)** | **6.00** | **-** | **-** | **6.00** | **-** | **262** |
| **ऊर्जा** | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड (बि0रा0ज0वि0श0नि0लि0) | ऊर्जा | 31.3.1982 | 99.04 | - | - | 99.04 | 198.09 | - | 175.93 | 374.02 | 3.78:1 (3.19:1) | 129 |
| 18. | बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड | ऊर्जा | 16.04.2012 | 1475.00 | - | - | 1475.00 | - | - | - | - | - | 10278 |
| 19. | बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड | ऊर्जा | 29.06.2012 | - | - | 344.00 | 344.00 | - | - | 406.00 | 406.00 | 1.18:1 | |
| 20. | बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड | ऊर्जा | 29.06.2012 | - | - | 235.00 | 235.00 | - | - | 277.00 | 277.00 | 1.18:1 | |
| 21. | नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड | ऊर्जा | 06.07.2012 | - | - | 385.00 | 385.00 | 253.42 | - | 434.38 | 687.80 | 1.79:1 | |
| 22. | साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड | ऊर्जा | 29.06.2012 | - | - | 662.48 | 662.48 | 277.74 | - | 342.32 | 620.06 | 0.94:1 | |
| 23. | बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड | ऊर्जा | 04.01.2013 | - | - | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | 01 |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | | | **1574.04** | **-** | **1626.53** | **3200.57** | **729.25** | **-** | **1635.63** | **2364.88** | **-** | **10408** |
| **सेवाएँ** | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0प0वि0नि0लि0) | पर्यटन | 28.11.1980 | 5.00 | - | - | 5.00 | - | - | - | - | - | 231 |
| 25. | बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (बि0रा0खा0अ0आ0नि0लि0) | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण | 22.4.1973 | 10.00 (4.73) | - | - | 10.00 (4.73) | 739.93 | - | - | 739.93 | 73.99:1 (22.88:1) | 584 |
| 26. | बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 26.07.2010 | 6.74 (6.69) | - | - | 6.74 (6.69) | - | - | - | - | - | 17 |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | | | **21.74 (11.42)** | **-** | **-** | **21.74 (11.42)** | **739.93** | **-** | **-** | **739.93** | **-** | **832** |

**(कॉलम 5 (क) एवं 6 (घ) की राशि : ₹ करोड़ में)**

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | विभाग का नाम | निगमन का माह एवं वर्ष | प्रदत्त पूँजी$ | | | | 2012–13 के अंत में बकाया ऋण** | | | | 2012–13 के ऋण/अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष) | मानव–शक्ति (31–3–2013 को कर्मचारियों की संख्या) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राज्य सरकार | केन्द्र सरकार | अन्य | कुल | राज्य सरकार | केन्द्र सरकार | अन्य | कुल | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | 6 (क) | 6 (ख) | 6 (ग) | 6 (घ) | (7) | (8) |
| विविध | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0व0वि0नि0लि0) | वन व पर्यावरण | 10.2.1975 | 1.75 | 0.54 | - | 2.29 | - | - | - | - | - | अनुपलब्ध |
| 28. | बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड (बि0रा0पा0पु0प्र0नि0लि0) | शिक्षा | 2.4.1965 | 0.36 | - | 0.12 | 0.48 | - | - | - | - | - | 130 |
| प्रक्षेत्रवार योग | | | | **2.11** | **0.54** | **0.12** | **2.77** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **130** |
| **योग (क) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)** | | | | **1747.66 (25.95)** | **1.76 (0.02)** | **1626.92 (0.03)** | **3376.34 (26.00)** | **1526.33** | **16.78** | **1711.51** | **3254.62** | - | **12860** |
| ख. कार्यशील सांविधिक निगमें | | | | | | | | | | | | | |
| वित्त | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | बिहार राज्य वित्त निगम (बि0रा0वि0नि0) | उद्योग | 2.11.1954 | 39.95 | 37.70 | 0.19 | 77.84 | 228.47 | - | - | 228.47 | 2.94:1 (2.94:1) | 249 |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | | | **39.95** | **37.70** | **0.19** | **77.84** | **228.47** | **-** | **-** | **228.47** | - | **249** |
| सेवाएँ | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि0रा0प0प0नि0) | परिवहन | 1.5.1959 | 74.75 | 26.52 | - | 101.27 | 547.79 | - | - | 547.79 | 5.41:1 (5.41:1) | 1275 |
| 3. | बिहार राज्य भण्डारण निगम (बि0रा0भ0नि0) | सहकारिता | 29.3.1957 | 3.21 | - | 3.21 | 6.42 | - | - | - | - | - | 215 |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | | | **77.96** | **26.52** | **3.21** | **107.69** | **547.79** | **-** | **-** | **547.79** | - | **1490** |
| **योग (ख) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक निगमें)** | | | | **117.91** | **64.22** | **3.40** | **185.53** | **776.26** | **-** | **-** | **776.26** | - | **1739** |
| **कुल योग (क+ख)** | | | | **1865.57 (25.95)** | **65.98 (0.02)** | **1630.32 (0.03)** | **3561.87 (26.00)** | **2302.59** | **16.78** | **1711.51** | **4030.88** | - | **14559** |

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (घ) की राशि : ₹ करोड़ में)

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | विभाग का नाम | निगमन का माह एवं वर्ष | प्रदत्त पूँजी$ | | | | 2012–13 के अंत में बकाया ऋण** | | | | 2012–13 के ऋण/अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष) | मानव–शक्ति (31–3–2013 को कर्मचारियों की संख्या) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राज्य सरकार | केन्द्र सरकार | अन्य | कुल | राज्य सरकार | केन्द्र सरकार | अन्य | कुल | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | 6 (क) | 6 (ख) | 6 (ग) | 6 (घ) | (7) | (8) |
| ग. अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ | | | | | | | | | | | | | |
| कृषि एवं समवर्गी | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0ज0वि0नि0लि0) | जल संसाधन | 12.4.1973 | 10.00 | - | - | 10.00 | 49.68 | - | - | 49.68 | 4.97:1 (4.97:1) | अनुपलब्ध |
| 2. | बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड (बि0एस0डी0सी0एल0) | पशुपालन एवं मतस्य | 13.3.1972 | 6.72 | - | - | 6.72 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड (बी0एस0एच0ए0डी0सी0एल0) | लघु सिंचाई | 3.6.1975 | 10.82 | - | - | 10.82 | 8.55 | - | - | 8.55 | 0.79:1 (0.86:1) | अनुपलब्ध |
| 4. | बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0ए0आई0डी0सी0एल0) | कृषि | 28.4.1966 | 5.19 | 2.45 | - | 7.64 | 12.60 | - | - | 12.60 | 1.65:1 (1.65:1) | 136 |
| 5. | बिहार राज्य फल एवं साब्जी विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0ए0एफ0वी0डी0सी0एल0) | कृषि | 8.10.1980 | 1.61 | 0.49 | - | 2.10 | 0.42 | 0.70 | - | 1.12 | 0.53:1 (0.53:1) | 9 |
| 6. | बिहार कीटनाशक लिमिटेड (बी0आई0एल0) | उद्योग | 27.2.1983 | - | - | 2.96 (2.39) | 2.96 (2.39) | - | - | 1.54 | 1.54 | 0.52:1 (0.52:1) | 53 |
| 7. | स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, खगौल (एस0ए0बी0एल0के0) | कृषि | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध |
| 8. | स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, डीहरी (एस0ए0बी0एल0डी0) | कृषि | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध |
| 9. | स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, आरा (एस0ए0बी0एल0ए0) | कृषि | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध |
| 10. | स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, औरंगाबाद (एस0ए0बी0एल0ए0) | कृषि | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध |
| 11. | स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, मोहनिया (एस0ए0बी0एल0एम0) | कृषि | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध |

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (घ) की राशि : ₹ करोड़ में)

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | विभाग का नाम | निगमन का माह एवं वर्ष | प्रदत्त पूँजी$ | | | | 2012–13 के अंत में बकाया ऋण** | | | | 2012–13 के ऋण/अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष) | मानव–शक्ति (31–3–2013 को कर्मचारियों की संख्या) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राज्य सरकार | केन्द्र सरकार | अन्य | कुल | राज्य सरकार | केन्द्र सरकार | अन्य | कुल | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | 6 (क) | 6 (ख) | 6 (ग) | 6 (घ) | (7) | (8) |
| 12. | स्काडा एग्रो वन कम्पनी लिमिटेड, खगौल (एस0ए0एफ0सी0एल0के0) | कृषि | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | | | **34.34** | **2.94** | **2.96 (2.39)** | **40.24 (2.39)** | **71.25** | **0.70** | **1.54** | **73.49** | **-** | **198** |
| **वित्त** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड (बी0पी0आर0एफ0सी0एल0) | पंचायती राज | 20.4.1974 | 02.01 | -- | 01.01 | 03.02 | - | - | - | - | - | 54 |
| 14. | बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड (बी0एस0एच0एच0सी0एल0) | उद्योग | 21.5.1974 | 10.00 | -- | -- | 10.00 | 1.16 | - | - | 1.16 | 0.12:1 (0.12:1) | अनुपलब्ध |
| 15. | बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड (बी0एस0एस0आई0सी0एल0) | उद्योग | 29.10.1961 | 7.18 | - | - | 7.18 | 10.40 | - | 1.83 | 12.23 | 1.70:1 (1.70:1) | 49 |
| 16. | बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0आई0डी0सी0एल0) | उद्योग | 5.11.1960 | 14.04 | - | - | 14.04 | 66.67 | - | - | 66.67 | 4.75:1 (4.74:1) | 517 |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | | | **33.23** | **-** | **1.01** | **34.24** | **78.23** | **-** | **1.83** | **80.06** | **-** | **620** |
| **आधारभूत संरचना** | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड (बी0एस0सी0सी0एल0) | जल संसाधन | 22.8.1974 | 7.00 | - | - | 7.00 | 1.95 | - | - | 1.95 | 0.28:1 | 641 |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | | | **7.00** | **-** | **-** | **7.00** | **1.95** | **-** | **-** | **1.95** | | **641** |
| **विनिर्माण** | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड (बी0एस0 एवं सी0एल0) | वन एवं पर्यावरण | अगस्त–79 | 0.20 | - | 0.88 | 1.08 | - | - | 0.89 | 0.89 | 0.82:1 (0.82:1) | अनुपलब्ध |
| 19. | मगध मिनरल लिमिटेड (एम0एम0एल0) | उद्योग | 22.11.1984 | - | - | 0.36 (0.36) | 0.36 (0.36) | - | - | 0.47 | 0.47 | 1.31:1 (1.31:1) | 5 |
| 20. | कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड (के0एम0सी0 एवं ई0एल0) | उद्योग | 25.10.1983 | - | - | 2.17 | 2.17 | - | - | 6.63 | 6.63 | 3.06:1 (3.06:1) | अनुपलब्ध |

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (घ) की राशि : ₹ करोड़ में)

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | विभाग का नाम | निगमन का माह एवं वर्ष | प्रदत्त पूँजी$ | | | | 2012–13 के अंत में बकाया ऋण** | | | | 2012–13 के ऋण/अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष) | मानव–शक्ति (31–3–2013 को कर्मचारियों की संख्या) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राज्य सरकार | केन्द्र सरकार | अन्य | कुल | राज्य सरकार | केन्द्र सरकार | अन्य | कुल | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | 6 (क) | 6 (ख) | 6 (ग) | 6 (घ) | (7) | (8) |
| 21. | बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड (बी0वि0एस0एल0) | उद्योग | 19.9.1984 | - | - | 5.05 | 5.05 | - | - | 4.51 | 4.51 | 0.89:1 (0.89:1) | अनुपलब्ध |
| 22. | बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड (बी0एम0एस0एल0) | उद्योग | 30.1.1986 | - | - | 2.48 | 2.48 | - | - | - | - | - | अनुपलब्ध |
| 23. | बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड (बी0आई0एल0) | उद्योग | 1.3.1988 | - | - | 0.00[3] | 0.00 | - | - | - | - | - | अनुपलब्ध |
| 24. | बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड (बी0एस0एस0सी0एल0) | ईख | 26.12.1974 | 20.00 | - | - | 20.00 | 322.95 | - | - | 322.95 | 16.15:1 (16.15:1) | अनुपलब्ध |
| 25. | बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड (बी0एस0सी0सी0एल0) | उद्योग | 17.10.1981 | - | - | 0.00[4] | 0.00 | 0.03 | - | - | 0.03 | 42.86:1 (45.29:1) | अनुपलब्ध |
| 26. | बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0पी0 एवं सी0डी0सी0एल0) | उद्योग | 22.2.1978 | 15.78 (0.78) | - | - | 15.78 (0.78) | 4.25 | - | - | 4.25 | 0.27:1 (0.26:1) | 52 |
| 27. | बिहार मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड (बी0एम0पी0एल0) | उद्योग | 2.9.1982 | - | - | 0.74 (0.74) | 0.74 (0.74) | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.03:1 (0.03:1) | अनुपलब्ध |
| 28. | बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड (बी0डी0 एवं सी0एल0) | उद्योग | 12.8.1983 | - | - | 4.00 | 4.00 | 1.28 | - | - | 1.28 | 0.32:1 (0.32:1) | अनुपलब्ध |
| 29. | बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड (बी0एस0टी0सी0एल0) | उद्योग | 21.2.1978 | 10.78 | - | - | 10.78 | 2.27 | - | - | 2.27 | 0.21:1 (0.42:1) | 51 |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | | | **46.76 (0.78)** | **-** | **15.68 (1.10)** | **62.44 (1.88)** | **330.78** | **-** | **12.52** | **343.30** | **-** | **108** |

[3] ₹ 0.28लाख

[4] ₹ 0.07 लाख

**(कॉलम 5 (क) एवं 6 (घ) की राशि : ₹ करोड़ में)**

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | विभाग का नाम | निगमन का माह एवं वर्ष | प्रदत्त पूँजी$ | | | | 2012–13 के अंत में बकाया ऋण** | | | | 2012–13 के ऋण/अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष) | मानव–शक्ति (31–3–2013 को कर्मचारियों की संख्या) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राज्य सरकार | केन्द्र सरकार | अन्य | कुल | राज्य सरकार | केन्द्र सरकार | अन्य | कुल | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | 6 (क) | 6 (ख) | 6 (ग) | 6 (घ) | (7) | (8) |
| **सेवाएँ** | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड (बी0एस0ई0सी0एल0) | उद्योग | 29.12.1974 | 2.00 | - | - | 2.00 | 1.22 | - | - | 1.22 | 0.61:1 (0.61:1) | 23 |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | | | **2.00** | **-** | **-** | **2.00** | **1.22** | **-** | **-** | **1.22** | | **23** |
| **विविध** | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | बिहार पेपर मिल लिमिटेड (बी0पी0एम0एल0) | उद्योग | 8.7.1977 | - | - | 7.77 | 7.77 | - | - | 10.72 | 10.72 | 1.38:1 (1.38:1) | अनुपलब्ध |
| 32. | बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लिमिटेड (बी0एस0जी0टी0एवं सी0एल0) | उद्योग | 2.4.1984 | - | - | 1.40 (0.25) | 1.40 (0.25) | - | - | 3.66 | 3.66 | 2.61:1 (2.61:1) | 32 |
| 33. | विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटड (वी0पी0आई0एल0) | उद्योग | 18.6.1983 | - | - | 1.74 (0.60) | 1.74 (0.60) | - | - | 0.81 | 0.81 | 0.47:1 (0.47:1) | अनुपलब्ध |
| 34. | झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड (जे0पी0आई0एल0) | उद्योग | 27.2.1982 | - | - | 1.49 (0.42) | 1.49 (0.42) | - | - | 0.46 | 0.46 | 0.31:1 (0.31:1) | 13 |
| 35. | बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड (बी0एस0टी0ई0एल0) | वन एवं पर्यावरण | 27.1.1984 | - | - | 1.57 | 1.57 | - | - | 2.14 | 2.14 | 1.36:1 (1.36:1) | अनुपलब्ध |
| 36. | बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड (बी0एस0एफ0एल0सी0एल0) | उद्योग | 20.4.1982 | - | - | 1.47 | 1.47 | 9.18 | - | - | 9.18 | 6.24:1 (6.24:1) | अनुपलब्ध |
| 37. | सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड (एस0आर0ई0एल0) | उद्योग | 14.12.1982 | - | - | 0.31 | 0.31 | - | - | 1.05 | 1.05 | 3.39:1 (3.39:1) | - |
| 38. | भवानी ऐक्टीव कार्बन लिमिटेड (बी0ए0सी0एल0) | उद्योग | 26.3.1985 | - | - | 0.09 | 0.09 | - | - | - | - | - | अनुपलब्ध |

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (घ) की राशि : ₹ करोड़ में)

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | विभाग का नाम | निगमन का माह एवं वर्ष | प्रदत्त पूँजी$ | | | | 2012–13 के अंत में बकाया ऋण** | | | | 2012–13 के ऋण/अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष) | मानव–शक्ति (31–3–2013 को कर्मचारियों की संख्या) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राज्य सरकार | केन्द्र सरकार | अन्य | कुल | राज्य सरकार | केन्द्र सरकार | अन्य | कुल | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | 6 (क) | 6 (ख) | 6 (ग) | 6 (घ) | (7) | (8) |
| 39. | बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0एल0आई0डी0सी0एल0) | उद्योग | 23.3.1974 | 17.40 | - | - | 17.40 | 12.43 | - | 1.70 | 14.13 | 0.81:1 (1.41:1) | अनुपलब्ध |
| 40. | बिहार स्कूटर्स लिमिटेड (बी0एस0एल0) | उद्योग | 19.1.1978 | - | - | 1.63 | 1.63 | 6.09 | - | - | 6.09 | 3.74:1 (3.74:1) | अनुपलब्ध |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | | | **17.40** | **-** | **17.47 (1.27)** | **34.87 (1.27)** | **27.70** | **-** | **20.54** | **48.24** | **-** | **45** |
| **योग–ग (प्रक्षेत्रवार सभी अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)** | | | | **140.73 (0.78)** | **2.94** | **37.12 (4.76)** | **180.79 (5.54)** | **511.13** | **0.70** | **36.43** | **548.26** | **-** | **1635** |
| **कुल योग (क+ख+ग)** | | | | **2006.30 (26.73)** | **68.92 (0.02)** | **1667.44 (4.79)** | **3742.66 (31.54)** | **2813.72** | **17.48** | **1747.94** | **4579.14** | **-** | **16234*** |

$ उपर्युक्त वर्णित कम्पनियों में कार्यशील कम्पनियों की क्रम सं0 3 तथा अकार्यशील कम्पनियों की क्रम सं0 7 से 12, धारा 619–ब की कम्पनी हैं।
प्रदत पूँजी में अंश आवेदन राशि शामिल हैं जो कि कॉलम 5 (क) से 5 (घ) तक कोष्ठक में दर्शाई गई हैं।

* यह 01 नवंबर 2012 के प्रभाव से पूर्ववर्ती बी0एस0इ0बी0 के पाँच कम्पनियो में विभाजित होने के कारण 10,278 आवंटित कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता हैं।
(कुल मानव–शक्ति की संख्या = 10,278 +5956=16,234)

** वर्ष 2012–13 तक बकाया ऋण केवल दीर्घकालिक ऋण को दर्शाते हैं।

अनुपलब्ध यह इंगित करता है कि सम्बन्धित कम्पनियों ने सूचना उपलब्ध नहीं करायी थी।

क्रम सं0 क–27, ग–1, ग–3, ग–7 से 12, ग–14 से 15, ग–18, ग–20 से 25, ग–27 से 31 एवं ग–33 से 40 के कम्पनियों की राशियाँ पूर्व के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 2011–12, बिहार सरकार से ली गई हैं क्योंकि वांछित सूचनाएँ सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई हैं।

## परिशिष्ट–2

(कंडिका 1.10 में संदर्भित)

**वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंश पूँजी/ऋण, प्राप्त/प्राप्त होने योग्य अनुदान एवं अर्थसाहाय्य, प्राप्त प्रतिभूतियाँ, बकाए का अधित्याग, ऋण जिसे बट्टे खाते में डाला गया एवं वर्ष के दौरान अंश में परिवर्तित किया गया ऋण एवं मार्च 2013 के अंत तक प्रतिभूति देयताओं को दर्शाने वाली विवरणी**

**(कॉलम 3 (क) से 6 (घ) तक की राशि : ₹ करोड़ में)**

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंश पूँजी/ऋण | | वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों एवं अर्थसाहाय्य | | | | वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में प्रतिबद्धता[@] | | वर्ष में बकायों का अधित्याग | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अंश पूँजी | ऋण | केन्द्र सरकार | राज्य सरकार | अन्य | कुल | प्राप्त | प्रतिबद्धता | ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया | ऋण जिसे अंश पूँजी में बदला गया | ब्याज/दाण्डिक ब्याज माफ | कुल |
| (1) | (2) | 3 (क) | 3 (ख) | 4 (क) | 4 (ख) | 4 (ग) | 4 (घ) | 5 (क) | 5 (ख) | 6 (क) | 6 (ख) | 6 (ग) | 6 (घ) |
| **क. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ** | | | | | | | | | | | | | |
| **वित्त** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 25.56(o/s) | - | - | - | - |
| 2. | बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 47.50(o/s) | - | - | - | - |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | **2.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **73.06(o/s)** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **आधारभूत संरचना** | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड | 4.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | **4.94** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

(कॉलम 3 (क) से 6 (घ) तक की राशि : ₹ करोड़ में)

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंश पूँजी/ऋण | | वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों एवं अर्थसाहाय्य | | | | वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में प्रतिबद्धता[@] | | वर्ष में बकायों का अधित्याग | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अंश पूँजी | ऋण | केन्द्र सरकार | राज्य सरकार | अन्य | कुल | प्राप्त | प्रतिबद्धता | ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया | ऋण जिसे अंश पूँजी में बदला गया | ब्याज/दाण्डिक ब्याज माफ | कुल |
| (1) | (2) | 3 (क) | 3 (ख) | 4 (क) | 4 (ख) | 4 (ग) | 4 (घ) | 5 (क) | 5 (ख) | 6 (क) | 6 (ख) | 6 (ग) | 6 (घ) |
| ऊर्जा | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड | - | 57.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड | 1475.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | बिहार स्टेट पावर जनेरशन कम्पनी लिमिटेड | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड | - | 153.28 | - | 339.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड | - | 127.53 | - | 587.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | बिहार स्टेट पावर ट्रॉसमिशन कम्पनी लिमिटेड | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | **1475.00** | **338.59** | **-** | **926.51** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**(कॉलम 3 (क) से 6 (घ) तक की राशि : ₹ करोड़ में)**

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंश पूँजी / ऋण | | वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों एवं अर्थसाहाय्य | | | | वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में प्रतिबद्धता[@] | | वर्ष में बकायों का अधित्याग | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अंश पूँजी | ऋण | केन्द्र सरकार | राज्य सरकार | अन्य | कुल | प्राप्त | प्रतिबद्धता | ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया | ऋण जिसे अंश पूँजी में बदला गया | ब्याज / दाण्डिक ब्याज माफ | कुल |
| (1) | (2) | 3 (क) | 3 (ख) | 4 (क) | 4 (ख) | 4 (ग) | 4 (घ) | 5 (क) | 5 (ख) | 6 (क) | 6 (ख) | 6 (ग) | 6 (घ) |
| सेवाएँ | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड | - | - | - | 12.00 | - | 12.00 | - | - | - | - | - | - |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | **-** | **-** | **-** | **12.00** | **-** | **12.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **योग (क) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)** | | **1481.94** | **338.59** | **-** | **938.51** | **-** | **938.51** | **-** | **73.06**[(a)(ii)] | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ख. कार्यशील सांविधिक निगमें | | | | | | | | | | | | | |
| सहकारिता | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | बिहार राज्य भण्डारण निगम | - | - | - | 16.00 | - | 16.00 | - | - | - | - | - | - |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | **-** | **-** | **-** | **16.00** | **-** | **16.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| उर्जा | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | बिहार राज्य विद्युत बोर्ड[#] | - | 338.58 | - | 1980.00 | - | - | - | - | - | - | -- | - |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | **-** | **338.58** | **-** | **1980.00** | **-** | **1980.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

(कॉलम 3 (क) से 6 (घ) तक की राशि : ₹ करोड़ में)

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंश पूँजी/ऋण | | वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों एवं अर्थसाहाय्य | | | | वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में प्रतिबद्धता[@] | | वर्ष में बकायों का अधित्याग | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अंश पूँजी | ऋण | केन्द्र सरकार | राज्य सरकार | अन्य | कुल | प्राप्त | प्रतिबद्धता | ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया | ऋण जिसे अंश पूँजी में बदला गया | ब्याज/दाण्डिक ब्याज माफ | कुल |
| (1) | (2) | 3 (क) | 3 (ख) | 4 (क) | 4 (ख) | 4 (ग) | 4 (घ) | 5 (क) | 5 (ख) | 6 (क) | 6 (ख) | 6 (ग) | 6 (घ) |
| वित्त | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | बिहार राज्य वित्त निगम | - | - | - | 0.46 | - | 0.46 | - | - | - | - | - | - |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | **-** | **-** | **-** | **0.46** | **-** | **0.46** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **योग ख (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक निगमें)** | | **-** | **-** | **-** | **1996.46** | **-** | **1996.46** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **कुल योग (क+ख)** | | **1481.94** | **677.17** | **-** | **2934.97** | **-** | **2934.97** | **-** | **73.06**[o/s] | **-** | **-** | **-** | **-** |

[o/s] आँकड़े वर्ष के अन्त में कुल वचनबद्धता को इंगित करते हैं।

# यह आँकड़े पूर्ववर्ती बी0एस0इ0बी0 के 31 अक्टूबर 2012 को समाप्त अवधि से संबंधित हैं।

## परिशिष्ट–3

(कंडिका 1.14, 1.29 एवं 1.33 में संदर्भित)

### सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष हेतु अन्तिमीकृत किए गए लेखाओं का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

**(कॉलम 5 (क) से (6) एवं (7) से (10) तक की राशि : ₹ करोड़ में)**

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | लेखें की अवधि | वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण हुआ | शुद्ध लाभ (+)/हानि (–) | | | | आवर्त | अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव[#] | प्रदत्त पूँजी | संचित लाभ (+)/हानि (–) | नियोजित पूँजी[@] | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल[$] | नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि | ब्याज | ह्रास | शुद्ध लाभ/हानि | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| क. कार्यशील कम्पनियाँ | | | | | | | | | | | | | | |
| कृषि एवं समवर्गी | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड | 1999-2000 | 2013-14 | (-) 2.19 | 2.74 | 0.06 | (-) 4.99 | 1.89 | - | 3.71 | (-) 58.45 | 0.82 | (-) 2.25 | - |
| 2. | बिहार राज्य मतस्य विकास निगम लिमिटेड | 1992-93 | 1996-97 | (-) 0.01 | 0.17 | 0.04 | (-) 0.22 | - | - | 1.75 | (-) 1.92 | 1.74 | (-) 0.05 | - |
| 3. | स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड | 2010-11 | 2011-12 | 0.01 | - | 0.01 | 0.00[5] | - | - | 0.05 | (-) 1.81 | 1.11 | - | 0.36 |
| | **प्रक्षेत्रवार योग** | | | **(-) 2.19** | **2.91** | **0.11** | **(-) 5.21** | **1.89** | **-** | **5.51** | **(-) 62.18** | **3.67** | **(-) 2.30** | **-** |
| वित्त | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड | 2004-05 | 2011-12 | (-) 0.26 | 3.69 | 0.04 | (-) 3.99 | 2.23 | (-) 0.99 | 15.00 | (-) 149.67 | 32.00 | (-) 0.30 | - |
| 5. | बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम | 1997-98 | 2006-07 | 0.41 | 0.68 | 0.02 | (-) 0.29 | 0.64 | - | 3.62 | 0.53 | 3.86 | 0.39 | 10.10 |
| 6. | बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड | 2008-09 | 2012-13 | 0.43 | 2.37 | 0.01 | (-) 1.95 | 2.44 | - | 4.75 | (-) 6.99 | 56.12 | 0.42 | 0.75 |
| 7. | बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड | 1991-92 | 2000-01 | 0.02 | - | 0.00[6] | 0.02 | - | - | 0.95 | (-) 0.12 | 0.88 | 0.02 | 2.27 |
| | **प्रक्षेत्रवार योग** | **-** | **-** | **0.60** | **6.74** | **0.07** | **(-) 6.21** | **5.31** | **(-) 0.99** | **24.32** | **(-) 156.25** | **92.86** | **0.53** | **-** |

[5] ₹ (-) 0.42 लाख

[6] ₹ 0.29 लाख

(कॉलम 5 (क) से (ङ) एवं (7) से (10) तक की राशि : ₹ करोड़ में)

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | लेखें की अवधि | वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण हुआ | शुद्ध लाभ (+)/हानि (–) | | | | आवर्त | अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव[#] | प्रदत्त पूँजी | संचित लाभ (+)/हानि (–) | नियोजित पूँजी[@] | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल[$] | नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि | ब्याज | ह्रास | शुद्ध लाभ/हानि | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| आधारभूत संरचना | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड | 2003-04<br>2004-05 | 2012-13 | (-) 0.11 | - | 0.02 | (-) 0.13 | 3.21 | 0.23 | 0.10 | (-) 8.37 | (-) 7.84 | (-) 0.13 | - |
| 9. | बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड | 2010-11 | 2012-13 | 45.31 | - | 7.42 | 37.89 | 86.91 | - | 3.50 | 110.44 | 170.00 | 37.89 | 22.29 |
| 10. | बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड | 2008-09<br>2009-10<br>2010-11<br>2011-12 | 2013-14 | 0.39 | - | 0.00[7] | 0.38 | 1.38 | (-) 0.36 | 0.06 | (-) 2.16 | (-) 2.10 | 0.38 | - |
| 11. | बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड | 2011-12 | 2012-13 | 24.16 | - | 0.01 | 24.15 | 0.26 | - | 20.00 | 34.57 | 54.57 | 24.15 | 44.10 |
| 12. | बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड | 2011-12<br>2012-13 | 2013-14 | 37.67 | - | 0.31 | 37.36 | 623.85 | 6.55 | 20.00 | 182.71 | 206.95 | 37.36 | 18.05 |
| 13. | बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बि0श0आ0सं0वि0नि0लि0) | 2011-12 | 2012-13 | 2.81 | - | 0.11 | 2.70 | 11.10 | (-) 6.14 | 5.00 | 2.98 | 7.98 | 2.70 | 33.83 |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | - | - | **110.23** | **-** | **7.87** | **102.35** | **726.71** | **0.28** | **48.66** | **320.17** | **429.56** | **102.35** | **-** |
| विनिर्माण | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0इ0वि0नि0लि0) | 2009-10 | 2011-12 | 8.31 | 0.92 | 0.08 | 7.31 | 32.86 | (-) 1.32 | 5.66 | 1.76 | 35.30 | 8.23 | 23.31 |
| 15. | बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0एम0डी0सी0एल0) | 2000-01 | 2004-05 | 9.42 | - | 0.13 | 9.29 | 31.55 | - | 9.97 | 7.04 | 20.68 | 9.29 | 44.92 |

[7] ₹ (-) 0.29 लाख

**(कॉलम 5 (क) से (6) एवं (7) से (10) तक की राशि : ₹ करोड़ में)**

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | लेखें की अवधि | वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण हुआ | शुद्ध लाभ (+)/हानि (-) | | | | आवर्त | अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव[#] | प्रदत्त पूँजी | संचित लाभ (+)/हानि (–) | नियोजित पूँजी[@] | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल[$] | नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि | ब्याज | ह्रास | शुद्ध लाभ/हानि | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 16. | बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड (बी0एस0बी0सी0एल0) | 2010-11 | 2013-14 | 12.59 | - | 0.17 | 12.42 | 1728.51 | - | 5.00 | 14.90 | 21.44 | 12.42 | 57.93 |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | - | - | **30.32** | **0.92** | **0.38** | **29.02** | **1792.92** | **(-) 1.32** | **20.63** | **23.70** | **77.42** | **29.94** | **-** |
| **उर्जा** | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड (बी0एस0एच0पी0सी0एल0) | 1999-2000 | 2012-13 | 6.60 | 6.54 | 5.65 | (-) 5.59 | 8.53 | (-) 0.94 | 99.04 | (-) 44.79 | 251.74 | 0.95 | 0.38 |
| 18. | बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड* | लेखे का अन्तिमीकरण नहीं हुआ है | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड* | लेखे का अन्तिमीकरण नहीं हुआ है | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | बिहार रटेट पावर ट्राँसमिशन कम्पनी लिमिटेड* | लेखे का अन्तिमीकरण नहीं हुआ है | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड* | लेखे का अन्तिमीकरण नहीं हुआ है | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड* | लेखे का अन्तिमीकरण नहीं हुआ है | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड | 2012-13 | 2013-14 | 0.00 | - | - | 0.00[8] | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.00 | - |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | | | **6.60** | **6.54** | **5.65** | **(-) 5.59** | **8.53** | **(-) 0.94** | **99.09** | **(-) 44.79** | **251.79** | **0.95** | **-** |

[8] ₹ (-) 0.38 lakh

(कॉलम 5 (क) से (6) एवं (7) से (10) तक की राशि : ₹ करोड़ में)

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | लेखें की अवधि | वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण हुआ | शुद्ध लाभ (+)/हानि (–) | | | | आवर्त | अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव[#] | प्रदत्त पूँजी | संचित लाभ (+)/हानि (–) | नियोजित पूँजी[@] | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल[$] | नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि | ब्याज | ह्रास | शुद्ध लाभ/हानि | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **सेवाएँ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड | 2004-05<br>2005-06<br>2006-07<br>2007-08<br>2008-09 | 2013-14 | 1.88 | - | 0.67 | 1.21 | 5.88 | (-) 0.43 | 5.00 | 4.83 | 11.63 | 1.21 | 10.40 |
| 25. | बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | 1990-91 | 2012-13 | (-) 2.44 | 8.16 | 0.58 | (-) 11.18 | 140.14 | (-) 3.37 | 4.46 | (-) 46.04 | 39.12 | (-) 3.02 | - |
| 26. | बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2011-12 | 2012-13 | 0.81 | - | 0.08 | 0.73 | 0.08 | (-) 1.64 | 0.05 | - | 7.47 | 0.73 | 9.77 |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | - | - | **0.25** | **8.16** | **1.33** | **(-) 9.24** | **146.10** | **(-) 5.44** | **9.51** | **(-) 41.21** | **58.22** | **(-) 1.08** | **-** |
| **विविध** | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड | 2000-01 | 2005-06 | 0.34 | - | 0.06 | 0.28 | 22.81 | (-) 0.40 | 2.29 | 0.32 | 1.17 | 0.28 | 23.93 |
| 28. | बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड | 1998-99 | 2013-14 | (-) 0.26 | - | 0.06 | (-) 0.32 | 17.02 | - | 0.48 | (-) 6.29 | (-) 5.81 | (-) 0.32 | - |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | - | - | **0.08** | **-** | **0.12** | **(-) 0.04** | **39.83** | **(-) 0.40** | **2.77** | **(-) 5.97** | **(-) 4.64** | **(-) 0.04** | **-** |
| **योग क (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)** | | - | - | **145.89** | **25.27** | **15.53** | **105.08** | **2721.29** | **(-) 8.81** | **210.49** | **(-) 33.47** | **908.88** | **130.35** | **-** |
| **ख. कार्यशील सांविधिक निगमें** | | | | | | | | | | | | | | |
| **वित्त** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | बिहार राज्य वित्त निगम | 2011-12 | 2012-13 | 19.15 | 19.04 | 0.06 | 0.05 | 5.78 | (-) 0.19 | 77.84 | (-) 382.14 | 31.98 | 19.09 | 59.69 |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | - | - | **19.15** | **19.04** | **0.06** | **0.05** | **5.78** | **(-) 0.19** | **77.84** | **(-) 382.14** | **31.98** | **19.09** | **-** |
| **सेवाएँ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | बिहार राज्य पथ परिवहन निगम | 2003-04 | 2013-14 | (-) 69.35 | 32.96 | 3.58 | (-) 105.89 | 28.21 | ** | 101.28 | (-) 786.06 | (-) 531.83 | (-) 72.93 | - |
| 3. | बिहार राज्य भण्डारण निगम | 2009-10 | 2013-14 | 4.32 | 1.59 | 0.78 | 1.95 | 58.42 | ** | 6.42 | 4.87 | 25.71 | 3.54 | 13.77 |

**(कॉलम 5 (क) से (8) एवं (7) से (10) तक की राशि : ₹ करोड़ में)**

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | लेखें की अवधि | वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण हुआ | शुद्ध लाभ (+)/हानि (–) | | | | आवर्त | अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव[#] | प्रदत्त पूँजी | संचित लाभ (+)/हानि (–) | नियोजित पूँजी[@] | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल[$] | नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि | ब्याज | ह्रास | शुद्ध लाभ/हानि | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| प्रक्षेत्रवार योग | | - | - | (-) 65.03 | 34.55 | 4.36 | (-) 103.94 | 86.63 | - | 107.70 | (-) 781.19 | (-) 506.12 | (-) 69.39 | - |
| योग (ख) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक निगमें) | | - | - | (-) 45.88 | 53.59 | 4.42 | (-) 103.89 | 92.41 | (-) 0.19 | 185.54 | (-) 1163.33 | (-) 474.14 | (-) 50.30 | - |
| कुल योग (क+ख) | | - | - | 100.01 | 78.86 | 19.95 | 1.19 | 2813.70 | (-) 9.00 | 396.03 | (-) 1129.86 | 434.74 | 80.05 | - |
| ग. अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ | | | | | | | | | | | | | | |
| कृषि एवं समवर्गी | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड | 1978-79 | 1997-98 | 3.03 | 0.25 | 0.61 | 2.17 | - | - | 5.00 | 11.20 | 26.70 | 2.42 | 9.06 |
| 2. | बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड | 1996-97 | 2013-14 | (-) 0.00 | 0.00 | 0.00[9] | (-) 0.00[10] | - | | 6.72 | (-) 10.58 | 4.86 | (-) 0.00 | - |
| 3. | बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड | 1982-83 | 1993-94 | 0.18 | 0.13 | 0.31 | (-) 0.26 | 0.01 | - | 5.60 | (-) 0.86 | 9.53 | (-) 0.13 | - |
| 4. | बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड | 1990-91 1991-92 | 2013-14 | (-) 1.63 | 0.57 | 0.02 | (-) 2.22 | 3.70 | - | 7.57 | (-) 34.73 | (-) 6.64 | (-) 1.65 | - |
| 5. | बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड | 1994-95 | 2010-11 | (-) 0.12 | 0.73 | 0.07 | (-) 0.92 | 0.00 | (-) 0.14 | 2.10 | (-) 7.82 | (-) 0.07 | (-) 0.19 | - |
| 6. | बिहार कीटनाशक लिमिटेड | 1986-87 | 1991-92 | (-) 0.52 | 0.16 | 0.35 | (-) 1.03 | - | - | 0.57 | (-) 1.03 | 2.35 | (-) 0.87 | - |
| 7. | स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, खगौल | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, डीहरी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, आरा | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

[9] ₹ 560 लाख

[10] ₹ (-) 0.36 लाख

(कॉलम 5 (क) से (6) एवं (7) से (10) तक की राशि : ₹ करोड़ में)

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | लेखें की अवधि | वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण हुआ | शुद्ध लाभ (+)/हानि (–) | | | | आवर्त | अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव[#] | प्रदत पूँजी | संचित लाभ (+)/हानि (–) | नियोजित पूँजी[@] | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल[$] | नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि | ब्याज | ह्रास | शुद्ध लाभ/हानि | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 10. | स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, औरंगाबाद | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, मोहनियाँ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | स्काडा एग्रो वन कम्पनी लिमिटेड, खगौल | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | - | - | **(-) 0.94** | **1.84** | **1.36** | **(-) 2.26** | **3.71** | **(-) 0.14** | **27.56** | **(-) 43.82** | **36.73** | **(-) 0.42** | **-** |
| **वित्त** | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड | 1984-85 | 1991-92 | 0.23 | 0.24 | 0.00[11] | (-) 0.01 | - | - | 1.44 | (-) 0.03 | 5.86 | 0.23 | 3.92 |
| 14. | बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड | 1983-84 | 1996-97 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | (-) 0.10 | - | (-) 0.01 | 6.28 | (-) 0.44 | 7.08 | 0.01 | 0.14 |
| 15. | बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड | 1990-91 | 2005-06 | (-) 0.21 | 1.15 | 0.06 | (-) 1.42 | 15.22 | (-) 0.53 | 7.18 | (-) 16.56 | 1.86 | (-) 0.27 | - |
| 16. | बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड | 1987-88 | 2009-10 | 2.22 | 5.35 | 0.38 | (-) 3.51 | 6.59 | (-) 9.28 | 14.04 | (-) 26.42 | 29.54 | 1.84 | 6.23 |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | - | - | **2.26** | **6.85** | **0.45** | **(-) 5.04** | **21.81** | **(-) 9.82** | **28.94** | **(-) 43.45** | **44.34** | **1.81** | **-** |
| **आधारभूत संरचना** | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड | 1990-91 | 2012-13 | (-) 1.02 | - | 0.11 | (-) 1.13 | 22.03 | - | 7.00 | (-) 1.17 | 8.39 | (-) 1.13 | - |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | - | - | **(-) 1.02** | **-** | **0.11** | **(-) 1.13** | **22.03** | **-** | **7.00** | **(-) 1.17** | **8.39** | **(-) 1.13** | **-** |

[11] ₹ 16,235.26

**(कॉलम 5 (क) से (घ) एवं (7) से (10) तक की राशि : ₹ करोड़ में)**

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | लेखें की अवधि | वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण हुआ | शुद्ध लाभ (+)/हानि (–) | | | | आवर्त | अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव[#] | प्रदत्त पूँजी | संचित लाभ (+)/हानि (–) | नियोजित पूँजी[@] | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल[$] | नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि | ब्याज | ह्रास | शुद्ध लाभ/हानि | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| विनिर्माण | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड | 1986-87 | 1995-96 | (-) 0.05 | 0.11 | 0.16 | (-) 0.32 | - | (-) 0.24 | 0.66 | (-) 0.32 | 1.67 | (-) 0.21 | - |
| 19. | मगध मिनरल लिमिटेड | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड | 1994-95 | 1995-96 | (-) 1.13 | 0.38 | 0.88 | (-) 2.39 | 10.89 | - | 2.17 | (-) 8.16 | 0.91 | (-) 2.01 | - |
| 21. | बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड | 1987-88 | 1998-99 | (-) 0.09 | 0.05 | 0.01 | (-) 0.15 | 0.75 | - | 1.21 | (-) 0.22 | 1.02 | (-) 0.10 | - |
| 22. | बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड | 1989-90 | 2002-03 | (-) 0.07 | - | 0.03 | (-) 0.10 | 0.41 | - | 1.26 | (-) 0.49 | 0.52 | (-)0.10 | - |
| 23. | बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड | 1984-85 | 1996-97 | (-) 2.84 | 6.00 | 0.36 | (-) 9.20 | - | (-) 4.67 | 9.97 | (-) 72.31 | (-) 10.24 | (-) 3.20 | - |
| 25. | बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड | 1985-86 | 1992-93 | (-) 0.16 | 0.00[12] | 0.01 | (-) 0.17 | - | - | 3.62 | (-) 0.74 | 6.87 | (-) 0.17 | - |
| 27. | बिहार मेज प्रोडक्टस लिमिटेड | 1983-84 | 1987-88 | (-) 0.03 | - | 0.00[13] | (-) 0.03 | - | - | 0.67 | (-) 0.06 | 0.80 | (-) 0.03 | - |
| 28. | बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड | 1985-86 | 1991-92 | (-) 0.03 | - | 0.00[14] | (-) 0.03 | - | - | 0.94 | (-) 0.16 | 1.16 | (-) 0.03 | - |
| 29. | बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड | 1987-88 | 1995-96 | (-) 0.08 | - | 0.01 | (-) 0.09 | - | (-) 0.02 | 4.98 | (-) 0.32 | 3.72 | (-) 0.09 | - |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | | | **(-) 4.48** | **6.54** | **1.46** | **(-) 12.48** | **12.05** | **(-) 4.93** | **25.48** | **(-) 82.78** | **6.43** | **(-) 5.94** | |

[12] ₹ 1,680.50
[13] ₹ 9,052.80
[14] ₹ 328.52

(कॉलम 5 (क) से (6) एवं (7) से (10) तक की राशि : ₹ करोड़ में)

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | लेखें की अवधि | वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण हुआ | शुद्ध लाभ (+)/हानि (–) | | | | आवर्त | अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव[#] | प्रदत्त पूँजी | संचित लाभ (+)/हानि (–) | नियोजित पूँजी[@] | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल[$] | नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि | ब्याज | ह्रास | शुद्ध लाभ/हानि | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **सेवाएँ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड | 1991-92 | 1999-2000 | 0.11 | 0.20 | 0.01 | (-) 0.10 | 4.94 | (-) 0.03 | 2.00 | (-) 0.01 | 3.75 | 0.10 | 2.67 |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | - | - | **0.11** | **0.20** | **0.01** | **(-) 0.10** | **4.94** | **(-) 0.03** | **2.00** | **(-) 0.01** | **3.75** | **0.10** | **-** |
| **विविध** | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड | 1985-86 | 1997-98 | (-) 0.05 | - | 0.01 | (-) 0.06 | - | 0.00[15] | 1.56 | (-) 0.31 | 1.44 | (-) 0.06 | - |
| 32. | बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लिमिटेड | 1985-86 | 1997-98 | (-) 0.06 | 0.02 | 0.00[16] | (-) 0.08 | - | - | 0.16 | (-) 0.51 | 3.50 | 0.06 | - |
| 33. | विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड | 1984-85 | 1988-89 | (-) 0.01 | - | 0.00[17] | (-) 0.01 | - | - | 0.40 | (-) 0.01 | 0.69 | (-) 0.01 | - |
| 34. | झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड | 1985-86 | 1991-92 | (-) 0.01 | 0.00[18] | 0.00[19] | (-) 0.01 | - | (-) 0.03 | 0.42 | (-) 0.02 | 0.59 | (-) 0.01 | - |
| 35. | बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड | 1988-89 | 1993-94 | (-) 0.16 | 0.16 | 0.00[20] | (-) 0.32 | - | - | 1.03 | (-) 0.67 | 2.49 | (-) 0.16 | - |
| 36. | बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड | 1983-84 | 1986-87 | (-) 1.49 | - | - | (-) 1.49 | - | - | 1.47 | (-) 2.13 | 6.15 | (-) 1.49 | - |
| 37. | सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड | 1983-84 | 1987-88 | (-) 0.02 | 0.00[21] | - | (-) 0.02 | - | - | 0.09 | (-) 0.01 | 0.17 | (-) 0.02 | - |
| 38. | भवानी ऐक्टीव कार्बन लिमिटेड | 1985-86 | 1989-90 | (-) 0.01 | - | - | (-) 0.01 | - | - | 0.02 | (-) 0.01 | 0.01 | (-) 0.01 | - |
| 39. | बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड | 1982-83 | 2004-05 | (-) 0.25 | 0.08 | 0.04 | (-) 0.37 | - | (-) 0.01 | 5.14 | (-) 2.92 | 2.56 | (-) 0.29 | - |

[15] ₹ 36,000
[16] ₹ 47,550.94
[17] ₹ 7,623.00
[18] ₹ 2,533.30
[19] ₹ 421.36
[20] ₹ 22,074.77
[21] ₹ 5,814.45

**(कॉलम 5 (क) से (6) एवं (7) से (10) तक की राशि : ₹ करोड़ में)**

| क्रम सं0 | प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम | लेखें की अवधि | वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण हुआ | शुद्ध लाभ (+)/हानि (–) | | | | आवर्त | अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव# | प्रदत्त पूँजी | संचित लाभ (+)/हानि (–) | नियोजित पूँजी@ | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल$ | नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि | ब्याज | ह्रास | शुद्ध लाभ/हानि | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 40. | बिहार स्कूटर्स लिमिटेड | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **प्रक्षेत्रवार योग** | | **-** | **-** | **(-) 2.06** | **0.26** | **0.05** | **(-) 2.37** | **-** | **(-) 0.04** | **10.29** | **(-) 6.59** | **17.60** | **(-) 1.99** | **-** |
| **योग ग (प्रक्षेत्रवार सभी अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)** | | | | **(-) 6.13** | **15.69** | **3.44** | **(-) 23.38** | **64.54** | **(-) 14.96** | **101.27** | **(-) 177.82** | **117.24** | **(-) 7.57** | **-** |
| **कुल योग (क+ख+ग)** | | | | **93.88** | **94.55** | **23.39** | **(-) 22.19** | **2878.24** | **(-) 23.96** | **497.30** | **(-) 1307.68** | **551.98** | **72.48** | **-** |

उपर्युक्त वर्णित कम्पनियों में कार्यशील कम्पनियों की क्रम सं0 3 तथा अकार्यशील कम्पनियों की क्रम सं0 7 से 12, धारा 619–ब की कम्पनी हैं।

# लेखा पर लेखा टिप्पणियों के प्रभाव में सी0ए0जी0 की शुद्ध टिप्पणियाँ शामिल हैं और (+) इसमें लाभ में वृद्धि/हानि में कमी एवं (-) लाभ में कमी/हानि में वृद्धि को दर्शाते हैं।

@ वित्तीय कम्पनियों एवं निगमों जहाँ नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी, मुक्त संरक्षित बाण्डों, जमा एवं उधारों (पुनर्वित सहित) के समग्र योग के औसत का द्योतक है, को छोड़कर नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत कार्य प्रगति सहित) एवं कार्यचालन पूँजी, के योग का द्योतक है। 01 अप्रैल 2011 के प्रभाव से कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची IV में बदलाव के बाद कार्यचालन पूँजी की गणना अंशधारको का कोष (जैसा कि अंश पूँजी, आवंटन हेतु अंश आवेदन राशि, संचित हानि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद के मुक्त संचित) एवं दीर्घ कालीन ऋणों के योग से की गई हैं। क्रम सं0 से क 1, क 3, क 4, क 6, क 8 से क 17, क 23 से क 26, क 28, ख 1 से ख 3, ग 2, ग 4 एवं ग 17

$ निगोजित पूँजी पर प्रतिफल की गणना लाभ–हानि लेखे पर आय एवं भारित ब्याज को जोड़कर किया गया है।

** इन निगमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा प्रगति में है।

* इन कम्पनियों ने, 01 नवम्बर 2012 के प्रभाव से पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विभाजित होने पर अपना परिचालन प्रारम्भ किया। अक्टूबर 2012 तक बोर्ड एवं अन्य सा0क्षे0उ0 के आवर्त/हानि निम्नलिखित है:–

**(1) कार्यशील सा0क्षे0उ0 द्वारा वहन की गई हानि = ₹ 1.19 करोड़ +₹ (-) 1087.63 करोड़ (बिहार राज्य विद्युत बोर्ड) =₹ 1086.44 करोड़**

**(2) कुल आवर्त = (क+ख) + बिहार राज्य विद्युत बोर्ड = ₹ 2813.70 करोड़ + ₹ 2043.93 करोड़ (बिहार राज्य विद्युत बोर्ड) =₹ 4857.63 करोड़**

**(3) चालू वर्ष के लिए हानि = (क+ख+ग) + बिहार राज्य विद्युत बोर्ड = ₹ 22.19 करोड़ + ₹ 1087.63 करोड़ (बिहार राज्य विद्युत बोर्ड) =₹ 1109.82 करोड़**

# परिशिष्ट–4

(कंडिका 1.14 में संदर्भित)

## सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी

**(राशि : ₹ करोड़ में)**

| 1. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम♦ | | | |
|---|---|---|---|
| **विवरण** | **2010-11 (औपबँधिक)** | **2011-12 (औपबँधिक)** | **2012-13 (औपबँधिक)** |
| **क. दायित्व** | | | |
| पूँजी (पूँजी ऋण एवं अंश पूँजी सहित) | 525.35 | 646.69 | 649.06 |
| ऋण (सरकार) | -- | -- | -- |
| (अन्य) | -- | -- | -- |
| निधि** | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| व्यापार बकाया एवं अन्य चालू दायित्त्व (प्रावधान सहित) | 925.52 | 722.77 | 754.81 |
| **कुल – क** | **1451.17** | **1369.76** | **1404.17** |
| **ख. परिसम्पत्तियाँ** | | | |
| सकल सम्पत्तियाँ | - | - | - |
| घटेः मूल्य ह्रास | - | - | - |
| शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ | 32.00 | 27.00 | 22.00 |
| पूँजीगत कार्य में प्रगति (चेचिस मूल्य शामिल) | - | - | - |
| निवेश | - | - | - |
| चालू सम्पत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम | 325.39 | 149.75 | 88.00 |
| संचित हानियाँ | 1093.78 | 1193.01 | 1294.17 |
| **कुल – ख** | **1451.17** | **1369.76** | **1404.17** |
| **ग. नियोजित पूँजी** | (-) 568.13 | (-) 546.32 | (-) 645.11 |

| 2. बिहार राज्य वित्त निगम♦ | | | |
|---|---|---|---|
| **विवरण** | **2010-11** | **2011-12** | **2012-13 (औपबँधिक)** |
| **क. दायित्व** | | | |
| प्रदत्त पूँजी * | 77.84 | 77.84 | 77.84 |
| अंश आवेदन राशि | | | |
| संचित कोष, अन्य सांचितें एवं आधिक्य | 10.05 | 10.05 | 10.05 |
| ऋण | - | - | - |
| बॉण्डस एवं ऋण पत्र | 3.47 | - | - |
| साावधि जमा | - | - | - |

♦ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।
** मूल्य ह्रास निधि को छोड़कर।
♦ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।
* प्रदत्त पूँजी में अंश आवेदन पूँजी सम्मिलित है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| आई0डी0बी0आई0 एवं एस0आई0डी0बी0आई0 | - | - | - |
| भारतीय रिजर्व बैंक | - | - | - |
| अंश पूँजी हेतु ऋण<br>(अ)राज्य सरकार<br>(ब) आई0डी0बी0आई0 | 228.47 | 228.47 | 228.47 |
| पुर्नवित्त ऋण आई0डी0बी0आई0एवं एस0आई0डी0बी0आई0 | - | - | - |
| राज्य सरकार द्वारा अन्य भुगतान | - | - | - |
| चालू दायित्त्व एवं प्रावधान | 305.34 | 281.51 | 292.55 |
| **कुल – क** | **625.17** | **597.87** | **608.91** |
| **ख. परिसम्पत्तियाँ** | | | |
| रोकड़ एवं बैंक शेष | 71.16 | 61.12 | 65.01 |
| निवेश | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| ऋण एवं अग्रिम | 162.59 | 143.92 | 140.17 |
| शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ | 0.65 | 0.64 | 0.60 |
| अन्य सम्पत्तियाँ | 8.53 | 10.01 | 10.14 |
| विविध व्यय | 382.20 | 382.14 | 392.95 |
| **कुल – ख** | **625.17** | **597.87** | **608.91** |
| **ग. नियोजित पूँजी **** | 335.75 | (-) 65.78 | (-) 76.56 |
| **3. बिहार राज्य भण्डारण निगम♦** | | | |
| **विवरण** | **2010-11** (औपबँधिक) | **2011-12** (औपबँधिक) | **2012-13** (औपबँधिक) |
| **क. दायित्व** | | | |
| प्रदत्त पूँजी | 6.42 | 6.42 | 6.42 |
| संचितें एवं आधिक्य | 11.59 | 11.59 | 11.59 |
| सरकार द्वारा अर्थसाहाय्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ऋण – सरकार, अन्य | 1.17 | शून्य | शून्य |
| व्यापारिक बकाये एवं अन्य दायित्त्व (प्रावधानों के साथ) | 41.52 | 38.09 | अनुपलब्ध |
| **कुल – क** | **60.70** | **56.10** | |
| **ख. परिसम्पत्तियाँ** | | | |
| सकल परिसम्पत्तियाँ | 22.24 | 22.30 | 22.30 |
| घटे : मूल्य ह्रास | 8.10 | 8.85 | - |
| शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ | 14.14 | 13.44 | - |
| पूँजीगत कार्य प्रगति में | 2.03 | 3.78 | - |
| चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम | 44.53 | 38.88 | - |
| लाभ एवं हानि खाता | - | - | - |
| **कुल – ख** | **60.70** | **56.10** | **-** |
| **ग. नियोजित पूँजी** | **19.18** | **18.01** | |

** नियोजित पूँजी पुनरिक्षित अनुसूची –IV (01 अप्रैल 2011 से प्रभावी) के अनुसार अंशधारियों की निधि, मुक्त संचिते एवं दीर्घावधि ऋण के योग्य को इंगित करता है।

♦ आँकड़े निगम द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार है।

# परिशिष्ट–5

(कंडिका 1.14 में संदर्भित)

## सांविधिक निगमों की कार्यकारी परिणामों की विवरणी

**(राशि : ₹ करोड़ में)**

| 1 | **बिहार राज्य पथ परिवहन निगम♦** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **विवरण** | **2010–11 (औपबँधिक)** | **2011–12 (औपबँधिक)** | **2012–13 (औपबँधिक)** |
| | **प्रचालन सम्बन्धी** | | | |
| (क) | राजस्व | 19.56 | 21.03 | 18.00 |
| (ख) | व्यय | 33.53 | 36.46 | 27.24 |
| (ग) | आधिक्य (+)/घाटा(–) | (-)13.97 | (-) 15.43 | (-) 9.24 |
| | **अप्रचालन सम्बन्धी** | | | |
| (क) | राजस्व | | 10.35 | 8.00 |
| (ख) | व्यय | 7.18 | 94.15 | 99.92 |
| (ग) | आधिक्य (+)/घाटा (–) | (-)7.18 | (-)83.80 | (-) 91.92 |
| | राजस्व | 19.56 | 31.38 | 26.00 |
| | व्यय | 40.71 | 130.61 | 127.16 |
| | शुद्ध लाभ (+)/हानि (–) | (-)21.15 | (-) 99.23 | (-) 101.16 |
| | पूँजी एवं ऋण पर ब्याज | - | 89.63 | 97.70 |
| | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल | | (-)9.6 | (-)3.46 |
| **2** | **बिहार राज्य वित्तीय निगम♦** | | | |
| | **विवरण** | **2010–11** | **2011–12** | **2012–13 (औपबँधिक)** |
| 1 | **आय** | | | |
| i) | ऋण पर ब्याज | 8.28 | 5.78 | 6.86 |
| ii) | अन्य आय | 4.89 | 7.70 | 9.89 |
| iii) | अधिक प्रावधान का अपलेखन | 39.42 | 20.65 | 3.81 |
| | **कुल – 1** | **52.59** | **34.13** | **20.56** |
| 2. | **व्यय*** | | | |
| i) | (क) दीर्घकालीन ऋण एवं अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज | 31.53 | 19.04 | 16.35 |
| | (ख) अक्रियाशील सम्पत्तियों के लिए प्रावधान | - | - | - |
| | (ग) एफ0बी0टी0/मैट के मद में प्रावधान | | | |
| | (घ) अन्य व्यय | 19.34 | 15.03 | 15.01 |
| | **कुल – 2** | **50.87** | **34.07** | **31.36** |
| 3. | कर के पूर्व लाभ (+)/हानि(–) (1–2) | 1.72 | 0.06 | (-)10.80 |
| 4. | कर का प्रावधान | - | - | - |
| 5. | अन्य विनियोजन | - | - | - |
| 6. | लाभांश हेतु उपलब्ध राशि# | - | - | - |

♦ आँकड़े निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

♦ आँकड़े निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

* वर्ष के अक्रियाशील सम्पत्तियों के लिये प्रावधान को व्यय शीर्ष के अन्तर्गत अलग से दिखाया जा सकता है।

\# लाभांश हेतु निर्दिष्ट संचय के पश्चात् वर्तमान वर्ष की आय की उपलब्धता को इंगित करता है।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | लाभांश | -- | - | - |
| 8. | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल | 0.30 | 0.02 | |
| 9. | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता | 0.51 | 0.02 | -3.41 |
| **3** | **बिहार राज्य भण्डारण निगम♦** | | | |
| | **विवरण** | **2010-11** (औपबँधिक) | **2011-12** (औपबँधिक) | **2012-13** (आकलित) |
| **1.** | **आय** | | | |
| (क) | भण्डारण शुल्क | 9.32 | 11.92 | 17.00 |
| (ख) | अन्य आय | 56.55 | 56.68 | 86.16 |
| | **कुल – 1** | **65.87** | **68.60** | **103.16** |
| **2.** | **व्यय** | | | |
| (क) | स्थापना शुल्क | 4.91 | 4.96 | 10.58 |
| (ख) | अन्य व्यय | 58.50 | 55.59 | 89.51 |
| | **कुल – 2** | **63.41** | **60.55** | **100.09** |
| 3 | कर के पूर्व लाभ(+)/हानि(–) | 2.47 | 3.06 | 3.06 |
| 4. | पूर्वावधि समायोजन | 0.04 | -- | – |
| 5. | अन्य विनियोजन | -- | -- | – |
| 6. | लाभांश के लिये उपलब्ध राशि | 2.43 | 8.06 | 3.06 |
| 7. | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल | 2.47 | 3.06 | 3.06 |
| 8. | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता | 12.88 | 16.98 | |

♦ आँकड़े निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

## परिशिष्ट–6

(कंडिका 1.22 में संदर्भित)

### सा0क्षे0उ0 जिनके लेखे बकाये में हैं, में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को दर्शाने वाली विवरणी

**(राशि : ₹ करोड़ में)**

| सा0क्षे0उ0 का नाम | वर्ष जहाँ तक के लेखे पूर्ण है | अद्यतन पूर्ण किये गये लेखे के अनुसार प्रदत्त पूँजी | राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में निवेश जिनके लेखे बकाया में हैं | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अंश पूँजी | ऋण | अनुदान राशि | अन्य (अर्थसाहाय्य) | कुल |
| **क. कार्यशील कम्पनियाँ** | | | | | | | |
| बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड | 1999-2000 | 3.71 | - | 2.28 | 59.69 | - | 61.97 |
| बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड | 1998-99 | 0.48 | - | - | - | 205.00 | 205.00 |
| बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम | 1997-98 | 3.62 | 16.74 | 7.49 | - | - | 24.23 |
| बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड | 2008-09 | 5.00 | - | - | - | 12.00 | 12.00 |
| बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | 1990-91 | 4.46 | 0.81 | 600.75 | - | - | 601.56 |
| बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड | 2010-11 | 3.50 | - | - | - | - | - |
| बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड | 2004-05 | 0.10 | - | - | - | - | - |
| बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड | 1999-2000 | 99.04 | - | 147.55 | - | - | 147.55 |
| बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड | लेखे का अन्तिमीकरण नहीं हुआ हैं | | 1475.00 | - | - | - | 1475.00 |
| बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड | लेखे का अन्तिमीकरण नहीं हुआ हैं | | | - | - | - | |
| बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड | लेखे का अन्तिमीकरण नहीं हुआ हैं | | | - | - | - | |
| नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड | लेखे का अन्तिमीकरण नहीं हुआ हैं | | | 153.28 | - | 339.38 | 492.66 |
| साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड | लेखे का अन्तिमीकरण नहीं हुआ हैं | | | 127.53 | - | 587.13 | 714.66 |
| बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड | 2012-13 | 0.05 | - | - | - | - | - |

(राशि : ₹ करोड़ में)

| सा0क्षे0उ0 का नाम | वर्ष जहाँ तक के लेखे पूर्ण है | अद्यतन पूर्ण किये गये लेखे के अनुसार प्रदत्त पूँजी | राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में निवेश जिनके लेखे बकाया में हैं | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अंश पूँजी | ऋण | अनुदान राशि | अन्य (अर्थसाहाय्य) | कुल |
| बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड | 1992-93 | 1.75 | 1.25 | 5.63 | - | - | 6.88 |
| बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड | 2000-01 | 2.29 | - | - | - | - | - |
| बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड | 2004-05 | 15.12 | - | 57.49 | - | - | 57.49 |
| बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड | 1991-92 | 0.95 | 1.05 | 0.01 | - | - | 1.06 |
| बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड | 2009-10 | 5.66 | - | - | - | - | - |
| बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड | 2000-01 | 9.97 | - | - | 11.00 | - | 11.00 |
| बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड | 2008-09 | 33.79 | 22.29 | - | - | - | 22.29 |
| बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड | 2010-11 | 5.00 | - | - | - | - | - |
| बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड | 2011-12 | 5.00 | 4.94 | - | - | - | 4.94 |
| बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड | 2011-12 | 20.00 | - | - | - | - | - |
| बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड | 2011-12 | 5.00 | - | - | - | - | - |
| बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड | 2011-12 | 20.00 | - | - | - | - | - |
| बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2011-12 | 6.74 | - | - | - | - | - |
| **कुल (क)** | | **251.23** | **1522.08** | **1102.01** | **70.69** | **1143.51** | **3838.29** |
| **ख. कार्यशील सांविधिक निगमें** | | | | | | | |
| बिहार राज्य पथ परिवहन निगम | 2003-04 | 101.28 | - | 456.77 | - | - | 456.77 |
| बिहार राज्य वित्त निगम | 2011-12 | 77.84 | - | - | 91.28 | - | 91.28 |
| बिहार राज्य भण्डारण निगम | 2009-10 | 6.42 | - | - | 16.00 | - | 16.00 |
| **कुल (ख)** | | **185.54** | **-** | **456.77** | **107.28** | **-** | **564.05** |
| **कुल (क+ख)** | | **436.77** | **1522.08** | **1558.78** | **177.97** | **1143.51** | **4402.34** |
| **ग. अकार्यशील कम्पनियाँ** | | | | | | | |
| बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड | 1990-91 | 7.18 | - | 1.66 | - | 2.46 | 4.12 |
| बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड | 1985-86 | 3.62 | 12.92 | 6.30 | - | - | 19.22 |

**(राशि : ₹ करोड़ में)**

| सा0क्षे0उ0 का नाम | वर्ष जहाँ तक के लेखे पूर्ण है | अद्यतन पूर्ण किये गये लेखे के अनुसार प्रदत्त पूँजी | राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में निवेश जिनके लेखे बकाया में हैं | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अंश पूँजी | ऋण | अनुदान राशि | अन्य (अर्थसाहाय्य) | कुल |
| बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड | 1987-88 | 14.04 | - | 38.47 | - | - | 38.47 |
| बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड | 1982-83 | 5.14 | 12.26 | 43.18 | - | - | 55.44 |
| बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड | 1987-88 | 4.98 | 5.80 | 2.74 | - | - | 8.54 |
| बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड | 1995-96 | 6.72 | - | - | - | - | - |
| बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड | 1990-91 | 7.00 | 2.00 | 1.05 | - | - | 3.05 |
| बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड | 1982-83 | 5.60 | 5.22 | 18.78 | - | 55.41 | 79.41 |
| बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड | 1984-85 | 9.97 | 10.03 | 365.32 | - | - | 375.35 |
| बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड | 1984-85 | 1.44 | - | - | - | - | - |
| बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड | 1978-79 | 5.00 | 5.00 | 154.33 | - | - | 159.33 |
| बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड | 1991-92 | 7.57 | 0.07 | 24.66 | - | - | 24.73 |
| बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड | 1994-95 | 2.10 | - | 4.65 | 21.07 | - | 25.72 |
| बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड | 1991-92 | 2.00 | - | 2.21 | - | 0.07 | 2.28 |
| बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड | 1983-84 | 6.28 | 3.72 | 0.25 | - | 0.48 | 4.45 |
| बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड | 1986-87 | 0.66 | - | - | - | - | - |
| बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड | प्रारम्भ से ही लेखे तैयार नहीं किये गये | - | - | - | - | - | - |
| बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड | 1985-86 | 0.94 | अनु0 | अनु0 | अनु0 | अनु0 | अनु0 |
| बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड | 1988-89 | 1.03 | अनु0 | अनु0 | अनु0 | अनु0 | अनु0 |
| बिहार स्टेट फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड | 1983-84 | 1.47 | - | 9.18 | - | - | 9.18 |
| बिहार स्कूटर्स लिमिटेड | - | - | - | 6.09 | - | - | 6.09 |
| **कुल (ग)** | | **92.74** | **57.02** | **678.87** | **21.07** | **58.42** | **815.38** |
| **कुल योग (क+ख+ग)** | | **529.51** | **1579.10** | **2237.65** | **199.04** | **1201.93** | **5217.72** |

* आँकड़े कम्पनियों द्वारा समर्पित सूचनाओं पर आधारित हैं।

**अनु0** इंगित करता है कि सूचनाएँ सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई थीं।

## परिशिष्ट–7

(कंडिका 3.22 में संदर्भित)

### गोदामों के निर्माण का विवरण एवं उनकी पूर्णता की स्थिति को दर्शाती विवरणी

| क्रम सं0 | स्थान एवं क्षमता (एम0टी0) | कार्य का नाम | कार्यादेश की तिथि | कार्य समाप्ति की तिथि | हस्तांतरण की तिथि | पूर्ण होने की नियत अवधि (महीनों में) | पूर्णता में विलम्ब (महीने) | सम्भाव्य भण्डारण हानि (₹ लाख में) | विलम्ब के कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2007-08** | | | | | | | | | |
| 1 | मोतीहारी (5000 X 1 = 5000 एम0टी0) | (i) असैनिक कार्य | 30-01-09 | 27-01-13 | जनवरी 2013 | 7 | 40 | 109.20 | विभिन्न कार्यों में निम्न सामंजस्य जैसा कि कार्यादेश जनवरी 2009 से जून 2012 की अवधि के बीच निर्गत हुए, लोकसभा चुनाव'09, कोर्ट केस। |
| | | (ii) वी0डी0एफ0 कार्य | 8-06-12 | 6-10-12 | | | | | |
| | | (iii) पेवर कार्य | 8-06-12 | 27-01-13 | | | | | |
| | | (iv) पी0ई0बी0 छत निर्माण कार्य | 28-02-09 | 17-12-09 | | | | | |
| 2 | रामरतीपुर (5000 X 2= 10000 एम0टी0) | (i) असैनिक कार्य | 17-07-09 | 8-08-12 | अगस्त 2012 | 7 | 29 | 158.34 | विभिन्न कार्यों में निम्न सामंजस्य जैसा कि कार्यादेश जुलाई 2009 से अप्रैल 2011 की अवधि के बीच निर्गत हुए, विधानसभा चुनाव'10, सड़क पुल का टूटना। |
| | | (ii) वी0डी0एफ0 कार्य | 1-04-11 | 20-07-12 | | | | | |
| | | (iii) पेवर कार्य | 21-04-11 | 08-08-12 | | | | | |
| | | (iv) पी0ई0बी0 छत निर्माण कार्य | 31-08-10 | 31-12-12 | | | | | |
| 3 | फतुहा (5000 X 2= 10000 एम0टी0) | (i) असैनिक कार्य | 1-02-09 | 31-03-11 | अप्रैल 2011 | 7 | 18 | 98.28 | विभिन्न कार्यों में निम्न सामंजस्य जैसा कि कार्यादेश फरवरी 2009 से दिसम्बर 2010 की अवधि के बीच निर्गत हुए, उच्च विभव तार को हटाना। |
| | | (ii) वी0डी0एफ0 कार्य | 7-12-10 | 31-03-11 | | | | | |
| | | (iii) पेवर कार्य | 7-12-10 | 31-03-11 | | | | | |
| | | (iv) पी0ई0बी0 छत निर्माण कार्य | 28-02-09 | 17-12-09 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | छपरा (5000 X 2= 10000 एम0टी0) | (i) असैनिक कार्य | 1-02-09 | 7-07-11 | जुलाई 2011 | 7 | 21 | 114.66 | विभिन्न कार्यो में निम्न सामंजस्य जैसा कि कार्यादेश फरवरी 2009 से दिसम्बर 2010 की अवधि के बीच निर्गत हुए, लोकसभा चुनाव'09। |
| | | (ii) वी0डी0एफ0 कार्य | 29-12-10 | 25-06-11 | | | | | |
| | | (iii) पेवर कार्य | 29-12-10 | 7-07-11 | | | | | |
| | | (iv) पी0ई0बी0 छत निर्माण कार्य | 28-08-09 | 12-11-09 | | | | | |
| 5 | मोहनियाँ (5000 X 1=5000 एम0टी0) | (i) असैनिक कार्य | 1-02-09 | 20-05-11 | मई 2011 | 7 | 19 | 51.87 | विभिन्न कार्यो में निम्न सामंजस्य जैसा कि कार्यादेश फरवरी 2009 से दिसम्बर 2010 की अवधि के बीच निर्गत हुए, विधानसभा चुनाव'10। |
| | | (ii) वी0डी0एफ0 कार्य | 21-01-11 | 9-04-11 | | | | | |
| | | (iii) पेवर कार्य | 21-01-11 | 19-05-11 | | | | | |
| | | (iv) पी0ई0बी0 छत निर्माण कार्य | 28-02-09 | 9-12-09 | | | | | |
| **कुल** | | | - | - | - | - | - | **532.35** | |
| **2008-09** | | | | | | | | | |
| 6 | आरा (5000 X 1= 5000 एम0टी0) | (i) असैनिक कार्य | 17-07-09 | | प्रगति में | 7 | 37 | - | राज्य सरकार द्वारा निधि प्राप्ति में विलम्ब |
| | | (ii) वी0डी0एफ0 कार्य | 17-07-09 | | | | | | |
| | | (iii) पेवर कार्य | 28-08-11 | | | | | | |
| | | (iv) पी0ई0बी0 छत निर्माण कार्य | 31-08-10 | 4-11-10 | | | | | |
| 7 | सासाराम (5000 X 1 = 5000 एम0टी0) | (i) असैनिक कार्य | 30-06-09 | | प्रगति में | 7 | 38 | - | राज्य सरकार द्वारा निधि प्राप्ति में विलम्ब |
| | | (ii) वी0डी0एफ0 कार्य | - | | | | | | |
| | | (iii) पेवर कार्य | - | | | | | | |
| | | (iv) पी0ई0बी0 छत निर्माण कार्य | 28-02-09 | 31-07-10 | | | | | |

## परिशिष्ट–8

(कंडिका 3.24 में संदर्भित)

**पी0ई0जी0–2008 के अंतर्गत अनुमोदित केन्द्रों के विवरण, उनकी क्षमता एवं कार्य पूर्णता की स्थिति को दर्शाती विवरणी**

| क्रम सं0 | केन्द्र का नाम | क्षमता (एम0टी0) | निविदा तिथि | एच0एल0सी0 तिथि | अनुबन्ध की तिथि | प्रारंभ की तिथि | पूर्ण होने की नियत अवधि | अभियुक्ति | 30.09.13 को वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोपालगंज | 5000 | 25-2-11 | 30-6-11 | अनुबन्ध होना शेष है | - | - | अपूर्ण | पूर्व निर्माण क्रियाकलाप प्रगति में है। |
| 2 | बेगुसराय | 15000 | 25-2-11 | 30-6-11 | अनुबन्ध होना शेष है | - | - | अपूर्ण | द्वार स्तर तक ईंट कार्य पूर्ण, कैम्पस का भराई कार्य प्रगति में। भूमि रुपांतरण किया जा चुका है। |
| 3 | खगड़िया | 10000 | 25-2-11 | 30-6-11 | 25-7-12 | 25-7-12 | 24-7-13 | अपूर्ण | छत स्तर तक ईंट कार्य पूर्ण। छत निर्माण सामग्री का कार्य प्रगति में। |
| 4 | सिवान | 10000 | 25-2-11 | 9-8-11 | 27-6-12 | 25-7-12 | 24-7-13 | अपूर्ण | 2000 एम0टी0 गोदाम का निर्माण कार्य समाप्त। 3000 एम0टी0 के छत निर्माण का कार्य प्रगति में एवं 5000 एम0टी0 के आधार का कार्य प्रगति में है। |
| 5 | मोतिहारी | 20000 | 25-2-11 | 9-8-11 | 24-1-12 | 3-4-12 | 2-4-13 | अपूर्ण | यद्यपि गोदाम उपयोग हेतु तैयार किन्तु स्थानांतरण हेतु अनुबन्ध नहीं किया गया है। |
| 6 | जमुई | 5000 | 25-2-11 | 9-8-11 | 03-04-12 | 4-5-12 | 3-5-13 | अपूर्ण | रद्द |
| 7 | बेतिया | 25000 | 25-2-11 | 9-8-11 | 20-7-12 | 25-7-12 | 24-7-13 | अपूर्ण | चाहरदीवारी पूर्ण। पूर्व निर्माण क्रियाकलाप प्रारम्भ। |
| 8 | आरा | 20000 | 25-2-11 | 27-2-13 | अनुबन्ध होना शेष है | - | - | अपूर्ण | एन0ओ0सी0 प्राप्त। अनुबन्ध की प्रक्रिया प्रगति में है। |
| 9 | सासाराम | 25000 | 25-2-11 | 27-2-13 | अनुबन्ध होना शेष है | - | - | अपूर्ण | एन0ओ0सी0 अप्राप्त। |
| 10 | ए0एन0 रोड | 20000 | 25-2-11 | 27-2-13 | अनुबन्ध होना शेष है | - | - | अपूर्ण | एन0ओ0सी0 प्राप्त। अनुबन्ध की प्रक्रिया प्रगति में है। |
| | | **155000** | | | | | | | |

## परिशिष्ट–9

(कंडिका 4.12 में संदर्भित)

### विभाग-वार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी

| क्रम सं0 | विभाग का नाम | सा0क्षे0उ0 की संख्या | बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | बकाया कंडिकाओं की संख्या | वर्ष जहाँ से कंडिकाएँ बकाया में हैं |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उद्योग | 2 | 8 | 33 | 2007-08 |
| 2 | सूचना प्रौद्यिगिकी | 1 | 4 | 23 | 2007-08 |
| 3 | वन एवं पर्यावरण | 1 | 1 | 9 | 2005-06 |
| 4 | कृषि | 1 | 3 | 7 | 2004-05 |
| 5 | ऊर्जा[22] | 7 | 613 | 1241 | 2004-05 |
| 6 | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण | 1 | 4 | 33 | 2007-08 |
| 7 | पर्यटन | 1 | 1 | 3 | 2011-12 |
| 8 | शिक्षा | 1 | 2 | 7 | 2010-11 |
| 9 | पथ निर्माण | 2 | 3 | 27 | 2011-12 |
| 10 | गृह (आरक्षी) | 1 | 2 | 9 | 2007-08 |
| 11 | परिवहन | 1 | 3 | 20 | 2007-08 |
| 12 | सहकारिता | 1 | 5 | 24 | 2004-05 |
| 13 | निबन्धन, उत्पाद एवं निषेध | 1 | 5 | 22 | 2008-09 |
| 14 | अल्पसंख्यक कल्याण | 1 | 2 | 12 | 2010-11 |
| 15 | पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | 1 | 1 | 5 | 2010-11 |
| 16 | शहरी विकास एवं आवास | 1 | 1 | 5 | 2010-11 |
| **कुल** | | **24** | **658** | **1480** | |

[22] इसमें, 01 नवम्बर 2012 के प्रभाव से विभाजित पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से संबंधित 610 निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 1229 कंडिकाएँ सम्मिलित है।

## परिशिष्ट–10

(कंडिका 4.12 में संदर्भित)

**विभाग-वार प्रारूप कंडिकाएँ / निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जिनके उत्तर अप्राप्त हैं, को दर्शाती विवरणी**

| क्रम सं0 | विभाग का नाम | प्रारूप कंडिका की संख्याएँ | समीक्षा की संख्याएँ | निर्गत अवधि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सूचना प्रौद्योगिकी, गृह एवं निबन्धन, उत्पाद एवं निषेध | 1 | - | मई से जुलाई 2013 |
| 2. | ऊर्जा | 9 | - | मई से जुलाई 2013 |
| 3. | शहरी विकास एवं आवास | 1 | - | जुलाई 2013 |
| 4. | सहकारिता | - | 1 | अगस्त 2013 |
| 5. | पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण | - | 1 | सितम्बर 2013 |